Swarna Bharat Party Manifesto

घोषणा पत्र: स्वर्ण भारत पार्टी

स्वतंत्रता का पुंज और अवसरों की धरती

नये भारत के निर्माण का नक्शा

पूर्ण व्यवस्था परिवर्तन, पूर्ण स्वराज

जहाँ डाल-डाल पर सोने की चिड़ियाँ करती हैं बसेरा

५ फ़रवरी, २०१५

http://swarnabharat.in/

आज़ादी का स्वर्ग (रविन्द्रनाथ टैगोर, गीतांजलि)

मन जहाँ डर से परे है और सिर जहाँ ऊंचा है;
ज्ञान जहाँ स्वतंत्र है;
और जहाँ दुनिया को संकीर्ण घरेलू दीवारों से छोटे-छोटे टुकड़ों में बांटा नहीं गया;
जहाँ शब्द सत्य की गहराइयों से निकलते हैं;
जहाँ थकी हुई अथक प्रयास करती बांहें पूर्णता की तलाश में हैं;
जहाँ कारण की स्पष्ट धारा है जो सुनसान रेतीली मृत आदत के वीराने में अपना रास्ता खो नहीं चुकी है;
जहाँ मन हमेशा व्यापक होते विचार और सक्रियता में तुम्हारे जरिए आगे चलता है;
स्वतंत्रता के उस स्वर्ग में, ऐ मेरे मालिक, मेरे देश को जागृत करना|

—

विषय-सूची

१. मुख्य सार

२. स्वप्न और विचारधारा

२.१ हमारे देश की अंत:शक्ति का विनाश

२.२ आजादी और सुधार का आह्वान

२.२.१. सारे विश्व के लिए स्वतंत्रता और समृद्धि का गढ़ बनेगा भारत

२.३ सुधार प्रक्रिया

२.३.१. संक्रमण काल का प्रबंधन

२.४ सफलता मापने का हमारा मापदंड

३. हमारी विचारधारा: स्वतंत्रता के साथ जवाबदेही

३.१ स्वतंत्रता

३.२ स्वतंत्रता जवाबदेही से ही संभव है

३.२.१.१ अन्य जीव जन्तुओं के प्रति जवाबदेही

३.३. मूलभूत स्वतंत्रताएं

३.३.१. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

३.३.२. संपत्ति का अधिकार

३.३.३. धार्मिक स्वतंत्रता

३.३.३.१. धर्म परिवर्तन पर स्वर्ण भारत पार्टी का पक्ष

३.३.३.२ धार्मिक संस्थानों और गतिविधियों को सरकार द्वारा कोई आर्थिक मदद प्रदान नहीं की जाएगी

३.३.३.३. धार्मिक संस्थानों द्वारा सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण रोकना

३.३.४ व्यापार एवं लेन-देन की आजादी

३.३.५ कानून के तहत हर भारतवासी के साथ एक समान व्यवहार

३.३.६ अवसरों की उचित समानता

३.४ परिवार, समाज और राष्ट्र

३.४.१ परिवार

३.४.२ समाज

३.४.३ राष्ट्र: समग्र भारत

४. आजाद समाज में सरकार की भूमिका

४.१ सरकार के कार्य (इसमें वो कार्य भी शामिल हैं जो सरकार को नहीं करने चाहिएं)

४.१.१ पहले दर्जे के कार्य

४.१.२ वैकल्पिक (दूसरे दर्जे के) कार्य

४.१.३ गैरजरूरी (तीसरे दर्जे के) कार्य

४.२ सत्ता की बागडोर संभालना

४.२.१ सरकार के खर्चे कम करना और उसकी कार्यक्षमता बढ़ाना

४.२.२ संवैधानिक दबाव और रियायतें

४.२.२.१ नई संविधान सभा की स्थापना पर विचार

४.२.२.२ संविधान के लिए जरूरी संशोधन

४.२.२.३ संवैधानिकता के लिए कानूनों की न्यायिक ताकतों द्वारा समीक्षा

४.२.२.४. राज्यों को सब्सिडी और विकेंद्रीकरण के अधिकार

४.२.३ जवाबदेही और पारदर्शिता में इजाफा

४.२.३.१ सरकार में खुलापन: कर्तव्य प्रकाशित हों

४.२.३.२ स्थानीय बोर्ड्स की मदद से नागरिक सरकार पर सीधे निगरानी रखेंगे

४.३ प्रोत्साहन के अनुकूल और नतीजों पर केन्द्रित शासन प्रणाली

४.४ अच्छे शासन के दो स्तम्भ

४.४.१ स्तम्भ १: सरकार में योग्य लोगों को लाना

४.४.२ स्तम्भ २: ये सुनिश्चित करना की सरकार सिर्फ अपने जरूरी दायित्व ही पूरे करे

स्तम्भ १: शासन किसको करना चाहिए? अच्छे नेताओं और नौकरशाहों को|

५. ईमानदार नेता सरकार में लाना

५.१ भ्रष्टाचार के अवसरों को कम करना

५.२ सरकार में अच्छे लोग लाने और भ्रष्ट और अपराधियों को बाहर रखने के लिए मुआवज़े का प्रबंध

५.२.१ सकारात्मक प्रोत्साहन: अच्छे लोगों के लिए दरवाजे खोलना

५.२.१.१ पप्रतिनिधियों को मिले मतों के आधार पर स्टेट फंडिंग की जाए

५.२.१.२ कार्य प्रदर्शन के अनुसार निर्वाचित प्रतिनिधियों को ज्यादा वेतन

५.२.१.३ अभिव्यक्ति की आजादी और खातों का प्रकटीकरण

५.२.१.४ यूनियन और कंपनियों द्वारा राजनीतिक चंदा

५.२.१.५ चुनावी खर्चे का सख्ती से ऑडिट

५.२.१.६ निर्वाचित प्रतिनिधियों की संपत्तियों को सार्वजनिक करना

५.२.१.७ उम्मीदवारों के लिए चुनावी खर्चे कम करना

५.२.२ नकारात्मक प्रोत्साहन: बेईमान लोगों के लिए सरकार के दरवाजे बंद करना

५.२.२.१ सांसदों के खिलाफ भ्रष्टाचार और अपराध के मामले निपटाने के लिए फ़ास्ट-ट्रैक कोर्ट्स का गठन होगा

५.२.२.२ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के लिए लोकपाल और स्वतंत्र सीबीआई

५.२.२.३ उच्च स्तर पर हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त सजा

५.२.२.४ उम्मीदवारों की आपराधिक प्रष्ठभूमि को सार्वजनिक करना

५.२.२.५ मतदान केन्द्रों की विडियो निगरानी

५.२.२.६ सभी राजनीतिक दलों को RTI के अधीन लाना

५.२.२.७ स्वर्ण भारत पार्टी के सदस्य उच्चतम मानकों का पालन करेंगे

५.३ चुनावी लोकतंत्र में सुधार करके उसे मजबूत करना

५.३.१ संकुचित सोच वाले अभाव-विरोधी कानून का खात्मा

५.३.२ प्रत्येक मत के महत्त्व को एक बराबर अहमियत

५.३.३ नागरिकों को किसी भी राज्य में चुनाव लड़ने की अनुमति

५.३.४ राजनीतिक दलों द्वारा किये गए वादों की लागत आंकी जाएगी

५.३.५ सांसदों और विधायकों के प्रदर्शन पर निगरानी

५.३.६ सभी योग्य नागरिकों को मतदान दिलवाना

५.३.६.१ पुलिस और रक्षा बलों के लिए ऑनलाइन वोटिंग की सुविधा

५.३.६.२ अप्रवासी भारतीयों को मताधिकार

५.३.६.३ अपाहिज और बुजुर्गों को मतदान बैलट तक पहुंचाना

५.३.७ वापस बुलाने के अधिकार की पड़ताल

५.३.८ वैकल्पिक मतदान प्रणाली की पड़ताल

६. सभी स्तरों पर ईमानदार और सक्षम सरकार

६.१ सरकार के सभी दायित्वों की पूर्ती हेतू नया ढांचा

६.१.१ चरण १: स्वतंत्रता विभाग

६.१.१.१ भारत नीति कार्यालय

६.१.१.२ भ्रष्टाचार के स्तर का सर्वे

६.१.२ चरण २: संस्थागत और नीतिगत पुनरवलोकन

६.१.२.१ कामकाज की समीक्षा

६.१.२.२ सरकार को २० मंत्रालयों और १० विभागों में समेटना

६.१.३ संविधान में दिए अधिकारों से ज्यादा ताक़त रखने वाली संस्कृति का खात्मा

६.१.४ वरीय पद पर नियुक्तियां स्थायी न होकर अनुबंध के आधार पर होंगी

६.१.५ सभी स्तरों पर तय तनख्वाह और कार्यकुशलता के लिए मुआवजा

६.१.६ नौकरशाही को अधिक स्वतंत्रता

६.१.७ धांधली की खबर देने वालों को इनाम

६.२ नौकरशाही में भ्रष्टाचार को पूर्ण रूप से खत्म करना

६.२.१ भ्रष्टाचार के अवसर कम करना

६.२.२ भ्रष्टाचार कम करने के लिए प्रोत्साहन

६.२.२.१ पुरस्कार

६.२.२.२ सज़ा

६.२.३ नागरिकों द्वारा सरकार का ऑडिट और निगरानी

६.३ पेशेवर स्थानीय सरकारी संस्थाएं: पूर्ण स्वराज

६.३.१ सीईओ और बाकि कर्मचारियों की पूर्ण जवाबदेही

६.३.२ व्यवस्थित आकार

६.३.३ कुछ राज्य स्तरीय कार्यों का ट्रान्सफर

६.३.४ स्थानीय कराधान

६.३.५ पारषद प्रबंधन की क्षमता

६.३.६ पंचायतों की भूमिका

६.४ [उदाहरण] स्वच्छ और चमकदार भारत

६.४.१ खुले में शौच का अंत

६.४.२ स्ट्रीट वेंडर्स

६.५ शासन का सिद्धांत, ढांचा और प्रोत्साहन तंत्र

६.५.१ विश्व-स्तरीय नीति और नियामक ढांचे

६.५.१.१ नियामक और पुनरवलोकन संस्था

६.५.१.२ व्यवसायों में होने वाले नियामक खर्चों को ५० प्रतिशत तक कम करना

६.५.१.३ लाइसेंसिंग का निरक्षण: उद्यम और व्यवसाय सबका अधिकार हों

६.५.१.४ कम शब्दों का इस्तेमाल कर कानूनों को सरल भाषा में लिखा जायेगा और अनावश्यक कानूनों को खत्म किया जायेगा

६.५.२ हर १० सालों में नियमों को खत्म करना और कानूनों को ३० साल में बदलना

६.५.३ अन्य बेहतरीन ढाँचे

६.५.४ ई-गवर्नेंस

स्तंभ २: एक अच्छी सरकार को क्या करना चाहिए?

७. न्यूनतम कर, खर्चों पर सख्त नियंत्रण और मजबूत वित्त-व्यवस्था

७.१ संतुलित बजट और कम कर्ज

७.२ राजस्व सम्बन्धी सिद्धांतों पर एक नज़र

७.२.१ कर-वसूली से जुड़े सिद्धांत

७.२.१.१ कर की कुल राशि जीडीपी के २५ प्रतिशत से ज्यादा न हो

७.२.१.२ आसान कर प्रणाली

७.२.१.३ ईमानदारी से विवरण देना

७.२.१.४ विस्तृत कर-पटल: हर नागरिक को कर भुगतान करना चाहिए

७.२.१.५ कर भुगतान बिना परेशानी के हो इसके लिए निजी संस्थाओं को काम पर लगाया जायेगा

७.२.१.६ टैक्स आय और लाभ के आधार पर वसूला जाये न कि सौदों के आधार पर

७.२.१.७ अधिक फायदेमंद करों का इस्तेमाल

७.२.१.८ दोहरे-कराधान का प्रावधान समाप्त होगा

७.२.१.९ पूर्वव्यापी कराधान का प्रावधान समाप्त होगा

७.२.१.१० लागत वसूली और उपभोक्ता अदायगी सिद्धांत

७.२.१.११ कर अनुपालन के लिए टैक्स चोरी करने वालों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी

७.२.२ आयकर

७.२.२.१ प्रगतिशील आयकर

७.२.२.२ मान्य छूटें (स्टैण्डर्ड डिडक्शन)

७.२.३ कॉर्पोरेट आयकर

७.२.३.१ अंकन लाभांश (फ्रंकिंग डिविडेंडस)

७.२.३.२ टर्नओवर टैक्स पर विचार विमर्ष

७.२.४ प्रगति को नुक्सान पहुँचाने वाले अप्रत्यक्ष करों में कमी

७.२.४.१ जीएसटी/वैट

७.२.४.१ कर भुगतान के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने हेतू रिसीप्ट पर लौटरी स्कीम

७.२.५ अन्य कर

७.२.५.१ सिन कर

७.२.५.२ संपत्ति करों की समीक्षा

७.३ व्यय से जुड़े सिद्धांत और जवाबदेही

७.३.१ सरकारी खर्चों के प्रकटीकरण के विश्व-स्तरीय सिद्धांत

७.३.२ सरकार के वित्त और प्रदर्शन का सख्ती से ऑडिट

७.४ पर्याप्त धन: मुद्रास्फीति के टैक्स को ख़त्म करना

७.४.१ चरण १: अधिकतम ३ प्रतिशत मुद्रास्फीति के लिए वित्तिय नियम

७.४.२ चरण २: अधिकतम १ प्रतिशत मुद्रास्फीति के लिए वित्तिय नियम

७.४.३ चरण ३: प्रतिस्पर्धी निजी करेंसी का सोने द्वारा समर्थन

८. मजबूत रक्षा और प्रभावकारी विदेश नीति

८.१ सुरक्षा एवं राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंडा

८.१.१ श्वेत पत्र

८.१.२ हमारी सेना और गुप्तचर एजेंसियों को संसाधन मुहैया कराना

८.१.२.१ सुरक्षा दलों और गुप्तचर एजेंसियों में सेवा देने पर सम्मान महसूस करना

८.१.३ चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ

८.१.४ सुदृण गुप्तचर एजेंसियां

८.१.५ रक्षा उपकरणों का उत्पादन

८.१.६ सुरक्षा उपकरणों का प्रबंध

८.१.७ सीमा से जुड़ी सडकें और रक्षा संचार

८.१.८ आतंरिक सुरक्षा में लगे रक्षा बलों की तैनाती में कमी

८.१.९ पूर्णकालिक सेना की सहायता के लिए स्वयंसेवक

८.१.१० भूतपूर्वक सैनिकों और उनके परिवारों को सम्मान व सहायता

८.१.११ राष्ट्रीय रक्षा बल संग्रहालय

८.२ एकीकृत रक्षा व विदेश नीति

८.२.१ मुख्य सिद्धांत व प्रक्रियाएँ

८.२.१.१ सुरक्षा

८.२.१.२ दूसरे देशों से संधियाँ

८.२.१.३ खुला व्यापार और आर्थिक सहयोग

८.२.१.४ विदेशी अनुदान स्वीकार नहीं

८.२.१.५ राजनायिक ताक़त का सशक्तिकरण

८.२.१.६ अंतर्राष्ट्रीय संगठन

८.२.१.७ विदेशों में रह रहे भारतीयों को समर्थन

८.२.१.८ दोहरी नागरिकता

८.२.२ विशिष्ट राष्ट्रों के साथ संबंध

८.२.२.१ अमेरिका

८.२.२.२ जापान

८.२.२.३ चाइना

८.२.२.४ रूस

८.२.२.५ पाकिस्तान

८.२.२.६ बांग्लादेश

८.२.२.७ नेपाल

८.२.२.८ श्रीलंका

८.२.२.९ दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ कॉरिडोर

८.२.२.१० मिडिल ईस्ट के साथ समुद्र के रास्ते ऊर्जा कॉरिडोर

९. प्रभावी पुलिस फ़ोर्स, आपातकालीन व्यवस्था और आतंरिक सुरक्षा

९.१ पुलिस और पुलिस प्रणाली में सुधार

९.२ आपातकालीन प्रबंधन

९.२.१ पुलिस और एम्बुलेंस के लिए एक हेल्पलाइन

९.३ विशिष्ट आतंरिक सुरक्षा नीतियां

९.३.१ आत्म-रक्षा समेत किसी भी प्रकार की हिंसा के अधिवक्ताओं पर मुकदमा चलाया जाएगा

९.३.२ जम्मू-कश्मीर

९.३.३ आधार कार्ड (नागरिक आईडी)

९.३.४ अयोध्या मंदिर

९.३.५ नक्सलवाद

९.३.६ उत्तर पश्चिम

१०. सक्षम एवं प्रभावशाली न्याय प्रणाली

१०.१ न्याय प्रणाली की जड़ से समीक्षा

१०.१.१ राज्य स्तर पर निर्वाचित न्यायाधीशों के विकल्प की परीक्षा

१०.१.२ बर्खास्तगी की शक्ति के साथ अनुबंध पर नियुक्तियां

१०.२ न्याय व्यवस्था में भ्रष्टाचार कम करने के लिए तत्काल कदम

१०.२.१ जजों के पारिश्रमिक के लिए स्वतंत्र समिति

१०.२.२ सभी आपराधिक मामलों के लिए जूरी व्यवस्था

१०.२.३ सरकारों द्वारा जजों को रिश्वत देना दंडनीय होगा

१०.३ एक ईमानदार और कुशल न्याय व्यवस्था के लिए जरूरी सुधार

१०.३.१ झूठी गवाही के लिए सजा का प्रावधान अनिवार्य होगा

१०.३.२ जजों की नियुक्ति और स्थानान्तरण में पारदर्शिता
१०.३.२.१ संसद द्वारा सभी सुप्रीम कोर्ट जजों की नियुक्ति

१०.३.२.२ अंतरिम सुधार

१०.३.२.३ आंतरिक समीक्षा: समय पर न्याय के लिए जवाबदेही
१०.३.२.४ वकील के रूप में पर्याप्त अनुभव के बिना कोई भी जज नहीं बनेगा

१०.३.२.५ न्याय की गुणवत्ता और दक्षता में सुधार के लिए प्रशिक्षण

१०.३.३ सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधिकार को सीमित करना

१०.३.४ फ्रीडम मिनिस्टर को न्याय की गति और गुणवत्ता के आधार पर भुगतान किया जाएगा

१०.३.५ स्वतंत्र अभियोजन एजेंसी

१०.४ सबको तय समय सीमा में प्रभावी और उचित न्याय प्राप्त हो

१०.४.१ आपराधिक मामलों में लगातार सुनवाई

१०.४.२ अंडर ट्रायल कैदियों के मामलों का तेजी से निपटान

१०.४.३ जजों की संख्या में बड़ी वृद्धि

१०.४.३.१ न्याय पर होने वाले खर्च को तीन साल में तिगुना करना

१०.४.४ फ़ास्ट-ट्रैक विकल्प

१०.४.४.१ सांसदों के खिलाफ भ्रष्टाचार/आपराधिक आरोपों से निपटने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें

१०.४.४.२ नागरिकों के खिलाफ अपराधों के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें

१०.४.४.३ अन्य मामले जिनमें फ़ास्ट-ट्रैक कोर्ट की जरूरत है

१०.४.५ न्याय देने में आने वाली देरियों को कम करने के लिए कदम उठाये जायेंगे

१०.४.५.१ मुकदमेबाजी से पूर्व के उपाय

१०.४.५.२ याचिका पर सौदेबाज़ी

१०.४.५.३ बेमतलब की मुक़दमेबाज़ी और निवेदनों के लिए सख्त सजा

१०.४.५.४ कभी खत्म न होने वाली अपीलों की रोकथाम

१०.५ न्यायिक व्यवस्था के संरचनात्मक सुधार

१०.५.१ सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच को और सुलभ बनाना

१०.५.२ व्यावसायिक मामलों के लिए अदालतें

१०.५.३ मोबाइल कोर्ट, लोक अदालत और पारिवारिक न्यायालय

१०.५.४ मामूली सिविल और फौजदारी मामलों के लिए पंचायतें

१०.५.५ विशेष सिविल मामलों के लिए निजी अदालतें

१०.६ न्याय प्रणाली को और मानवीय बनाना

१०.६.१ उच्च गुणवत्ता वाली मुफ्त कानूनी सहायता

१०.६.२ जमानत हासिल करने में आसानी

१०.६.३ कैदियों के पुनर्वास और उनके पुनर्पराधीकरण में कमी के लिए जेलों में सुधार

१०.६.४ अपराध की रिपोर्टिंग में आने वाली लागत की समीक्षा और उसमें कटौती

१०.६.४.१ गंभीर अपराधों के शिकार पीड़ितों की देखरेख

१०.७ कानूनों का आधुनिकीकरण

१०.७.१ नुकसान का उत्तरदायित्व सरकार का होना चाहिए

१०.७.२ अदालत की अवमानना की समीक्षा का प्रावधान

१०.७.३ जघन्य अपराधों के लिए मौत की सज़ा

१०.७.४ एक समान नागरिक संहिता नहीं, सबके लिए न्यूनतम मानक

१०.७.५ मजबूत जवाबदेही: कैदियों को अपना खर्चा खुद उठाना होगा

१०.७.६ सामूहिक-अपराधों और हिंसक यौन-अपराधों के लिए अनिवार्य कारावास

१०.७.७ यातना के खिलाफ सख्त कानून

१०.७.८ पीड़ित हीन अपराध की समीक्षा

१०.७.९ यौन उन्मुखीकरण अपराध नहीं

१०.७.१० व्यभिचार अपराध नहीं

१०.७.११ बच्चों के संरक्षण, घरेलू हिंसा और दहेज कानूनों में सुधार

१०.७.१२ मजबूत पशु संरक्षण कानून

१०.७.१३ पारदर्शिता के समर्थन के लिए कानूनों को सुलभ और स्पष्ट बनाया जायेगा

१०.७.१३.१ लोगों की भाषा का इस्तेमाल

१०.७.१३.२ परिभाषा अधिनियम

१०.७.१३.३ जुर्माने, फीस और दंड का सूचीकरण

१०.७.१३.४ कानूनों और न्यायशास्त्र का कम्प्यूटरीकरण

१०.७.१३.५ संवैधानिक मामलों पर अदालत की कार्यवाही का प्रसारण

१०.७.१४ निरर्थक कानूनों का निरस्तीकरण

१०.८ उपभोक्ता संरक्षण

११. संपत्ति के मजबूत अधिकार, कानून के तहत समानता और स्वतंत्रता की रक्षा

११.१ अच्छी तरह से परिभाषित और मजबूती से संरक्षित संपत्ति अधिकार

११.१.१ संपत्ति के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में बहाल करना

११.१.२ भ्रष्टाचार रहित भू-अभिलेख प्रणाली को सुनिश्चित करना

११.१.२.१ संपदा अधिकार प्रणाली के पांच आधार

११.१.२.२ जमीन के स्वामित्व के स्वतंत्र रिकॉर्ड कीपर

११.१.३ सार्वजनिक भूमि के अतिक्रमण, विशेष रूप से झुग्गी बस्तियों से निपटना

११.१.४ केवल अत्यंत सीमित परिस्थितियों के तहत भूमि को जब्त करना

११.१.५ निजी संस्थाओं और संगठनों को सार्वजनिक भूमि के अनुदान पर निषेध

११.१.६ किराया नियंत्रण और किरायेदारी कानून की समीक्षा कर उसका खात्मा

११.२ सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार

११.३ हर संभव तरीके से स्वतंत्रता की रक्षा

११.३.१ महिलाओं, बच्चों और व्यवस्थित रूप से प्रताड़ित समूहों के विशेषाधिकार

११.३.२ गोपनीयता

११.३.३ जनगणना

१२. मुक्त व्यापार की भूमि के रूप में भारत

१२.१ पहला कदम: कारोबार में सरकारी दखल की समाप्ति

१२.२ अच्छी तरह विनियमित मुक्त बाजार

१२.२.१ एकतरफा मुक्त व्यापार और लालफीताशाही का उन्मूलन

१२.२.२ विनियमन प्रतियोगिता के लिए है न की व्यापार आकार के

१२.२.३ एकल खिड़की मंजूरी

१२.२.४ कीमतों में ढील और उन्हें नियंत्रण-मुक्त करना

१२.२.५ ओपन प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) - अपवाद के बिना

१२.२.६ मुक्त श्रम बाजार (विनियमित सामूहिक सौदेबाजी के साथ)

१२.२.६.१ सामूहिक सौदेबाजी

१२.२.७ मानकीकरण और गुणवत्ता नियंत्रण

१२.३ कोई उद्योग, नवीनता, या छोटे व्यापार की नीति नहीं

१२.३.१ लघु उद्योगों के लिए आरक्षण का उन्मूलन

१२.४ समर्थन बाजारों का विकास

१२.४.१ वित्तीय और पूंजी बाजार

१२.४.२ बीमा बाजार

१२.५ पर्यावरण न्याय और प्राकृतिक संसाधन

१२.५.१ प्राकृतिक संसाधनों के मालिकाना हकों का आवंटन

१२.५.१.१ राष्ट्रीय उद्यानों को नियंत्रित निजी स्थलों में परिवर्तित करना

१२.५.१.२ नियमित वाणिज्यिक कटाई और लुप्तप्राय प्रजातियों के अन्य उपयोग

१२.५.१.३ खान और खनिज संपदा

१२.५.१.४ भूमिगत जल

१२.५.२ सशक्त नियामक व्यवस्था

१२.५.२.१ प्रदुषण करने वालों से सफाई की लागत वसूली जाएगी

१२.५.२.२ सामान्य प्रदूषण के लिए पिगोवियन कर

१२.५.२.३ अंतिम उपाय: सरकार द्वारा प्रत्यक्ष प्रबंधन

१२.६ मुक्त उद्यम के उदाहरण

१२.६.१ सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र

१२.६.२ आवास उद्योग

१२.६.३ सेक्स उद्योग को माफिया के हाथों से बाहर निकालना

१३. कृषि में मुक्त उद्यम

१३.१ एम.एस. स्वामीनाथन की सिफारिशों की अपर्याप्तता

१३.२ एक बाजार आधारित कृषि नीति

१३.२.१ निर्माण और व्यापार करने के लिए स्वतंत्रता

१३.२.२ किसानों के लिए मजबूत संपदा अधिकार

१३.२.३ कुल कीमतों में ढील के साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य को तीन साल के भीतर समाप्त करना

१३.२.४ सभी कृषि सब्सिडी और अनावश्यक हस्तक्षेप को हटाना

१३.२.५ सरकारी ऋणों की समाप्ति

१३.२.६ कृषि के लिए एक आधुनिक नियामक व्यवस्था

१३.२.६.१ कृषि विपणन उत्पाद समितियों (एपीएमसी) का उन्मूलन

१३.२.६.२ कीटनाशक और उर्वरक उपयोग का मजबूत नियंत्रण

१३.२.६.३ आवश्यक वस्तु निरसन अधिनियम

१३.२.६.४ आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों के लिए नियामक व्यवस्था

१३.२.६.५ सहकारी खेती

१३.२.६.६ दावों की प्रामाणिकता के लिए जैविक खेती का नियमन

१३.२.७ समर्थन बाजारों का विकास

१४. तृतीयक शिक्षा के क्षेत्र में मुक्त उद्यम

१४.१ तृतीयक (१२ साल के बाद की) व्यावसायिक शिक्षा

१४.२ उच्च शिक्षा

१४.२.१ उच्च शिक्षा क्षेत्र का व्यापक निजीकरण

१४.२.२ छात्रों के लिए कम ब्याज पर ऋण

१५. तीन वर्षों में अत्यधिक गरीबी को खत्म करना

१५.१ दूसरों की मदद करने में दान की हमेशा एक भूमिका रहेगी

१५.२ सामाजिक न्यूनतम सुनिश्चित करना

१५.२.१.नकारात्मक आयकर (एनआईटी प्रकार) प्रणाली

१६. गरीब बच्चों की उच्च गुणवत्ता वाली स्कूली शिक्षा तक पहुँच

१६.१ स्कूली शिक्षा

१६.१.१ सभी स्कूलों का निजीकरण

१६.१.२ नियामक

१६.१.२.१ मानक और पाठ्यक्रम

१६.१.२.२ शिक्षक गुणवत्ता में सुधार

१६.१.३ स्कूलों में बाजार प्रतिस्पर्धा

१६.१.४ गरीबों के बच्चों के लिए बाल-आधारित धन

१६.१.४.१ बच्चों की पहचान

१६.१.४.२ वाउचर मूल्य की गणना

१६.१.४.३ किसी भी टॉप-अप का भुगतान माता-पिता द्वारा किया जायेगा

१६.१.४.४ प्राइवेट प्रदाताओं द्वारा मैनेजमेंट

१६.१.४.५ स्कूलों के लिए भुगतान प्रणाली

१६.१.४.६ उन स्थानों के लिए प्लान बी जहां निजी स्कूल अपने आप नहीं उभरते

१६.२ स्कूल पूर्व शिक्षा

१७. सभी के लिए आपातकालीन स्वास्थ्य सुविधाएं; गरीबों के लिए बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं

१७.१ गरीबों के लिए बुनियादी स्वास्थ्य और शल्य चिकित्सा के लिए सरकारी समर्थन

१७.२ यूनिवर्सल ट्रॉमा देखभाल और जो भुगतान कर सकते हैं उनसे लागत वसूली

१७.२.१.१ ट्रॉमा देखभाल का वितरण

१७.२.१.२ प्रतिपूर्ति

१७.३ सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों का निजीकरण

१७.४ अन्य सार्वभौमिक स्वास्थ्य कार्यक्रम

१७.५ ड्रग पॉलिसी

१७.६ स्वास्थ्य विनियमन

१७.६.१ निजी स्वास्थ्य बीमा प्रदाताओं का कड़ा विनियमन

१७.६.२ स्वास्थ्य पेशेवरों का व्यावसायिक लाइसेंसीकरण

१६.६.३ खून, गुर्दे और अंगों के विनियमित बाजार और सरोगेसी का नियंत्रण

१७.७ दंगों या प्राकृतिक आपदाओं में मृत्यु/ घायल होने पर मुआवजा

१७.८ उदाहरण: शराब नीति

१८. विश्व स्तरीय भौतिक बुनियादी ढांचा

१८.१ नीति के सिद्धांत

१८.१.१ सरकार को बुनियादी ढांचे का निर्माण करने की नहीं, बल्कि केवल उसे उपलब्ध कराने व नियंत्रित करने की ज़रुरत है

१८.१.२ बुनियादी ढांचे के लिए जवाबदेही प्रणाली

१८.१.२.१ सार्वजनिक प्रकटीकरण और लागत और लाभ पर परामर्श

१८.१.२.२ बुनियादी ढांचे का मूल्य निर्धारण (बाजार कीमत वसूली)

१८.१.२.३ समय पर मंजूरी और कुशल विनियमन

१८.२ निजी शहरों के साथ सुनियोजित शहरीकरण

१८.३ परिवहन बुनियादी ढांचा और नीति

१८.३.१ आपूर्ति से जुड़ी समस्याएं

१८.३.१.१ सड़कें

१८.३.१.२ हवाई अड्डे और बंदरगाह

१८.३.१.३ रेलवे

१८.३.१.४ सार्वजनिक परिवहन और टैक्सियां

१८.३.२ मांग पक्ष के मुद्दे

१८.३.२.१ 'उपयोगकर्ता भुगतान करता है' सिद्धांत

१८.३.२.२ सड़कों और पार्किंग पर भीड़ प्रभार शुल्क

१८.४ जल आपूर्ति हेतू बुनियादी ढांचा

१८.४.१ पीने का पानी

१८.४.२ सिंचाई

१८.५ ऊर्जा

१८.५.१ उत्पादन

१८.५.१.१ कोयला, तेल और गैस

१८.५.१.२ परमाणु और संलयन ऊर्जा

१८.५.१.३ अक्षय ऊर्जा

१८.५.२ ऊर्जा का वितरण और खुदरा बिक्री

१८.५.२.१ ट्रांसमिशन ग्रिड

१८.५.२.२ थोक और खुदरा बाजार

१८.६ सार्वजनिक शौचालय

१८.७ विकलांगों की सार्वजनिक बुनियादी सुविधाओं के उपयोग तक पहुँच

१९. क्षेत्र जहां सरकार की कोई भूमिका नहीं या बहुत सीमित भूमिका है

१९.१ कोई जनसंख्या नीति नहीं: स्वतंत्रता सारे सवालों के जवाब खुद देगी

१९.१.१ बड़ी, अच्छी तरह शिक्षित जनसंख्या राष्ट्रीय 'संपत्ति' है

१९.१.२ गर्भपात नीति

१९.२ लोगों को अपनी सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करने में सक्षम बनाना

१९.२.१ संस्कृति के 'प्रबंधन' से बाहर निकलना

१९.२.२ धार्मिक गतिविधियों के लिए सब्सिडी की समाप्ति

१९.२.३ पुरातात्विक विरासत का विनियामक निरीक्षण के तहत लोगों द्वारा संरक्षण

१९.३ खेल

१९.३.१.१ खेल के लिए सामान्य समर्थन (न कि 'विजेताओं को चुनना')

१९.३.१.२ राष्ट्रीय खेल निकायों का विनियमन

१९.४ सरकारी पुरस्कार केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए

१९.५ विज्ञान, अनुसंधान एवं विकास और नवाचार

१९.५.१ अनुसंधान और नवाचार द्वारा व्यावसायिक परिणामों का समर्थन

१९.५.१.१ निजी वैज्ञानिक संगठनों को बढ़ावा देना

१९.५.१.२ बाजार आधारित नवाचार और व्यावसायिक अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा

१९.५.१.३ सरकारी वैज्ञानिक संगठनों की चरणबद्ध समाप्ति

१९.५.२ स्पष्ट व्यावसायिक परिणामों के बिना शुद्ध अनुसंधान

१९.६ मानव निर्मित ग्लोबल वार्मिंग के लिए साक्ष्य आधारित दृष्टिकोण

२०. खुद पर विश्वास रखने वाला और जिम्मेदार मुक्त समाज

२०.१ लोग नौकरियां पैदा करेंगे न की सरकारें

२०.२ भोजन, घर और सुरक्षा

२०.३ शिक्षा

२०.४ स्वास्थ्य

१. मुख्य सार

आज़ादी के बाद भारत ने बेहतरीन शुरुआत की| उस वक़्त हमारा संविधान आज़ादी और संपत्ति के ठोस अधिकारों पर आधारित था| इसके बावजूद ऐसे भारत का सपना जहाँ हर भारतवासी को उसकी आज़ादी का हक मिलेगा अधूरा ही रह गया| जल्द ही सरकार का आम लोगों के जीवन में हस्तक्षेप बढ़ने लगा| जैसे जैसे सरकारी मशीनरी का आकार बढ़ता गया, असमर्थ और भ्रष्ट सरकार ने उद्योग के साथ साथ भारतवासियों के सोचने और विचार प्रकट करने की आजादी पर भी अंकुश लगाना शुरू कर दिया|

इसका नतीजा यह हुआ कि आज भारत आजादी और संपन्नता के मामले में बाकि देशों से पिछड़ गया है| भले ही १९९० में आर्थिक उदारवाद उम्मीद की एक नई रौशनी लेकर आया जिसके कारण कई क्षेत्रों में सुधार हुआ| पर सही मायने में अभी भी देशवासियों को पूरी तरह से आजादी नहीं मिली| आजादी के लिए ज़रूरी कई पहलू उस वक़्त भी अछूते ही रह गए| यहाँ तक की उस दौरान समाज के लिए हानिकारक विकृत पूंजीवाद और

धार्मिक कट्टरता जैसी सोच और भी गहरी होती चली गई| इन्हीं कारणों से हमारा लोकतंत्र ढह गया| पर इसे बर्बाद करने में जितना बड़ा हाथ अपराधी और भ्रष्ट सांसदों का है उतना ही बड़ा हाथ उन अच्छे लोगों का भी है जो राजनीती को तुच्छ मानकर उससे किनारा कर लेते हैं|

न जाने कितने ही योग्य और सक्षम लोग अवसरों और सच्ची आजादी की तलाश में भारत छोड़ कर दूसरे मुल्कों में चले गए| ऐसा इसीलिए हुआ क्यूंकि भले ही भारत स्वतंत्र कहलाता हो पर यहाँ के रहने वाले आज भी सही मायने में आज़ाद नहीं हैं|

शासन प्रणाली और नीतियों में बुनियादी बदलाव लाना होगा|

हमें चाहिए कि सरकार हमारी जवाबदेह हो जिससे जनता खुद को सशक्त महसूस करे| पर ये सब शासन प्रणाली और नीतियों में बुनियादी बदलाव लाए बिना मुमकिन नहीं है|

इसलिए इस एजेंडा को सच्ची आजादी की उसी विचारधारा पर मजबूती से खड़ा किया गया है जिसकी मदद से हम शासन प्रणाली में बदलाव ला सकते हैं| इसमें ऐसे प्रस्ताव पेश किये गए हैं जो ईमानदार लोगों को राजनीती से जुड़ने के लिए प्रेरित करते हैं| इस एजेंडा में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि सरकार न सिर्फ हमारी जवाबदेह हो बल्कि पूर्ण रूप से समर्थ भी हो| हमारी आजादी और नौकरशाहों की जवाबदेही बढ़ाने के लिए इसमें दुनिया के सबसे कारगर उदाहरणों और आर्थिक सुधारों का ढांचा तैयार किया गया है| इस प्रस्ताव में इस बात पर जोर दिया गया है कि सरकार किसी एक विशेष संस्था या व्यक्ति को नहीं बल्कि हर आम नागरिक को अहम माने| हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो कुछ गिने चुने लोगों के हितों के लिए काम करती हो| हमारी सरकार ऐसी होनी चाहिए जिसके लिए जनता सब कुछ हो और वो उसके हित में ही काम करे| एक आदर्श सरकार वही हो सकती है जो जनता द्वारा आये पैसों का समझदारी से इस्तेमाल कर समाज के लिए बेहतर से बेहतर सुविधा उपलब्ध कराये और विकास करे, छोटी हो पर ताक़तवर हो और जो आम लोगों की जिंदगियों में कम से कम दखल दे| एक अच्छी सरकार वही है जिसकी नज़रों में सभी नागरिक एक सामान हों|

इस घोषणापत्र में शामिल प्रस्तावों का विवरण:

१. नई सरकारी प्रणाली और बेहतरीन प्रशासनिक व्यवस्था| इसमें निम्न प्रस्ताव शामिल हैं:

क) मतों के अनुसार ही सरकार चुनावों का खर्चा वहन करे, चुने हुए प्रतिनिधियों के खिलाफ यदि कोई मामला दर्ज हो तो साल भर के अन्दर फ़ास्ट-ट्रैक कोर्ट में उसकी सुनवाई कर उसका निपटारा किया जाए और नेताओं को ज्यादा वेतन दिया जाए परन्तु कोई और आर्थिक मदद या पेंशन न दी जाए| ऐसी योजनाओं से ही ये संभव हो पायेगा कि ईमानदार लोग राजनीती में आएं और भ्रष्ट लोगों को इससे दूर रखा जा सके|

ख) केंद्र सरकार के नीचे आने वाले सभी विभागों को दस मुख्य विभागों में बाँटा जाए, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े विभागों को छोड़कर बाकि हर विभाग के लिए वैश्विक मुक्त बाज़ार से एक सचिव नियुक्त किया जाए| इसी सचिव को अपने विभाग के सभी उच्च पदों पर नियुक्ति करने की जिम्मेदारी सौंपी जाए| और उनकी नियुक्ति भी इस शर्त पर हो कि यदि उन्हें इस पद से हटाया जाता है तो वो इसके खिलाफ न्यायिक मदद लेकर नहीं बच सकते| हम अखिल भारतीय सिविल सेवा और लोकसेवकों के सरंक्षण से जुड़े प्रावधानों को निरस्त करेंगे| आईएएस और अन्य बड़े अधिकारियों को निश्चित काल के लिए नियुक्त न करके हम उन्हें अनुबंध पर नौकरियां देंगे| इससे हम कुशलता से कार्य करने में असमर्थ अधिकारियों को सेवा से निरस्त कर पाएंगे|

ग) राज्य सरकारों को ऐसे अधिकार दिए जायें जिससे वो बेहतर प्रशासनिक व्यवस्थाएं और उच्च स्तर की आधारिक संरचना मुहैया करने के लिए सीइओ जैसे अधिकारीयों की नियुक्ति कर पाएं|

घ) शानदार नीतियों और नियमों के ढांचों को लागू किया जाए जिसमें नियामक वक्तव्य और स्वंतत्र रूप से लागत लाभ विश्लेषण शामिल हों| ऐसी नीतियाँ बनाई जाएं जिनसे प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा तो मिले पर वो प्रतिस्पर्धा किसी को नीचा दिखाने के लिए न हो| साफ़ तौर पर कहा जाए तो सरकार को कोई भी सुविधा सीधे तौर पर न मुहैया कराकर जनता को इस काबिल बनाना चाहिए कि वो खुद अपनी सुविधाओं का इन्तेजाम कर सके| इन सुविधाओं में सभी प्रकार की उपयोगिताएं और शिक्षा भी शामिल है|

ङ) एक बेहतर और जवाबदेह शासन सुनिश्चित करके तीन साल के अन्दर अन्दर भ्रष्टाचार को पूरी तरह से खत्म किया जाए| इसमें रियल एस्टेट प्रणाली को नया रूप देना भी शामिल है|

२. सरकार का सारा ध्यान सिर्फ सबसे महत्वपूर्ण सरकारी कार्यों की ओर केन्द्रित होगा|

क) कानून व्यवस्था को बिना देर किये फौरी तौर पर सुधारा जाये जिसमें सबकी विशेष रूप से औरतों की सुरक्षा पर जोर दिया जाए| सबको जल्द से जल्द और सही मायने में न्याय दिया जाए| अमेरिकी संविधान के पहले संशोधन में सुरक्षित बोलने और धर्म की आजादी जैसे अधिकारों को यहाँ भी लागू किया जाए| जिस तरह से वहां सरकार और मजहब अलग अलग रखा जाता है वैसा ही यहाँ भी हो| सरकार का सबसे अहम कार्य है आपातकाल में परिस्थितयां संभालना जिसको सुधारा जाना चाहिए|

ख) जनता पर से करों का बोझ कम करना, कर वसूली की व्यवस्था को मजबूत करना और कर निर्धारण का दायरा बढ़ाना ये सब काले धन पर लगाम लगाने के लिए जरूरी हैं| ये मुद्रास्फीति कम करने और सरकारी ऋण की अदायगी को आसान बनाने में मदद करेगा|

ग) उत्पादन और व्यवसाय से गैरजरूरी रोक थाम हटाना आर्थिक सुधारों में शामिल हो ताकि व्यवसाय शुरू करने के अवसर बढें और लोगों के लिए नौकरियों के नए अवसर पैदा हों| इसमें एशियाई देशों के साथ संबंध गहरे करना और एशिया से और विकास पैदा करना शामिल हो| किसानों के लिए इन सुधारों की मदद से किसी भी बाज़ार और उपकरण तक पहुँच रख पाना संभव हो पायेगा| इससे उन्हें उचित समर्थन मूल्य और गैर फसली सीजन में क्रषि ऋण की किल्लत से निजात मिल सकेगी|

३. पहले दर्जे के सरकारी कार्य सफलता से निपटाने के बाद दूसरे दर्जे के जरूरी कार्यों को पूरा करना:

क) उच्च दर्जे की आधारिक संरचना का निर्माण करना जिसमें यातायात, ऊर्जा, जल, स्वच्छता और ब्रॉडबैंड शामिल होंगे| हमारा पूरा जोर २१वी सदी की सबसे

महत्वपूर्ण सुविधाएं मुहैया कराने पर होगा ताकि हम व्यापर की उत्पादकता बढ़ा सकें और जाम और भीडभाड़ जैसी समस्याओं को दूर कर सकें|

ख) सभी नागरिकों को एक सामान अधिकार मिलें जिसमें गरीब परिवारों से ताल्लुक रखने वाले बच्चों को उच्च स्कूली शिक्षा के अवसर प्रदान करना भी शामिल है| ये समूची स्कूल व्यवस्था का निजीकरण करके और गरीबों को किस्म किस्म की रियायतें देकर किया जा सकता है| एक सामान अधिकार सुनिश्चित करने में गरीबों को स्वास्थ्य बीमा कवर देने की भी अहम भूमिका होगी| तीन सालों में लक्षित नकारात्मक आयकर के ज़रिये गरीबी को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य बनाया जायेगा|

हमारी योजना देशवासियों को पूर्ण आज़ादी देने के साथ साथ अधिक आय वाली नौकरियां प्रदान करने की भी है| अगर इस घोषणापत्र में प्रस्तावित सभी सुधारों को पूरी इमानदारी के साथ लागू किया जाए तो २०५० तक ५० ट्रिलियन डॉलर (अमेरिकी डॉलर की वर्तमान स्थिति) की अर्थव्यवस्था हासिल करना भारत के लिए कोई बड़ी बात नहीं है|

स्वप्न और विचारधारा

भारत के लिए हमारा सपना इसे पूर्ण आज़ादी और अवसरों की धरती बनाना है|

हर साल भारत के अलग अलग कोनों से हजारों लोग अपने परिवार और घरबार को छोड़कर अवसरों की तलाश में बेगाने मुल्कों जैसे की अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं| वो वहां पर अपनी ज़िन्दगी शून्य से शुरू कर, एक एक कदम फूँक फूँक कर रखते हुए सफलता हासिल करते हैं| पर कभी हमने सोचा कि वो अपना देश छोड़कर आखिर क्यूँ चले जाते हैं? वो यहीं अपने देश में क्यूँ नहीं रह जाते जहाँ न सिर्फ उनकी कमाई हुई इज्ज़त है बल्कि पहले से ही बसा बसाया जीवन भी है?

इन सवालों का जवाब एक कड़वे सच में छिपा है जो है भारत में आजादी और अवसर की कमी| इसके बड़े कारण अन्याय, सुरक्षा की कमी और देश में अपराधों और भ्रष्टाचार का अपने चरम पर होना भी है| जब देश में हमारी सुरक्षा के इन्तेजाम ही ठीक नहीं हैं और व्यापर करने के लिए हर रोज़ हमें किसी न किसी अधिकारी को रिश्वत खिलानी पढ़ती हो, तो लोग तो बाहर जायेंगे ही| जब फिरंगी मुल्कों ने ही भारत को अविकसित देशों को

सूची में डाल दिया हो तो हमारे लोग आखिर कर भी क्या सकते हैं? खासतौर पर जब लगातार कोशिशें करने के बाद भी भारत ये न समझ पा रहा हो कि सुशासन के लिए पहले उसके मूल सिद्धांतों को समझना जरूरी है|

इसे बदलना होगा| अगर जनता स्वर्ण भारत पार्टी को सत्ता तक पहुंचा देती है तो हम विश्वास दिलाते हैं कि हम भारत को उसके काले वर्तमान से आज़ाद कराकर सुनहरे भविष्य की ओर ले जायेंगे| हम ऐसी योजनायें लागू करेंगे जिससे भारत के रहने वालों को उस दर्जे की पूर्ण आजादी और अवसर मिल सकें जैसे विकसित देशों में भी नहीं मिलते| हम ऐसे भारत का निर्माण करने का यकीन दिलाते हैं जहाँ काम करने और जीवन जीने का सपना हर विदेशी देखेगा और जिसे छोड़कर कोई काबिल भारतवासी कभी किसी और देश जाने के बारे में नहीं सोचेगा| वो गर्व से यहाँ अपने परिवार के साथ रह पाएंगे|

भले ही हमारा ये सपना आज विश्वसनीय न लगे, पर भारत पहले भी अपनी ऐसी ही असाधरण उपलब्धियों के लिए जाना जाता रहा है| हम भारत को दोबारा इतना सक्षम बनायेंगे की वो न जाने ऐसे कितने ही और महान लक्ष्य हासिल कर पायेगा| हमें अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो है जनता का साथ और ऐसा प्रगतिशील देश जो बदलाव के लिए तैयार हो| अगर हमें लोगों का साथ मिल गया तो हम तीन सालों के अन्दर ही परिवर्तन लाना शुरू कर देंगे|

२.१ हमारे देश की अंत:शक्ति का विनाश

हजारों सालों तक भारत का विज्ञान, कृषि और शिल्प कौशल बाकि देशों के मुक़ाबले असाधारण रहा है| यहाँ तक की रोमन साम्राज्य और यूरोप की विलासिता से जुड़ी ज्यादातर जरूरतें हम ही पूरी करते थे| इसके बदले में दुनिया के लगभग हर कोने से भारत में सोना आता था| यही कारण था जो भारत कई सदियों तक सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता रहा| क्यूंकि भारत ही वो भूमि है जहाँ न जाने कितने सारे धर्मों और विचारधाराओं का उदय हुआ इसलिए हमारे देश को मानवता को निर्देशित करने के लिए भी जाना जाता रहा है|

पर इससे बड़े दुःख की बात क्या हो सकती है कि भारत की वो गौरवपूर्ण परंपरा ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सकी| आज अंग्रेजों को भारत से निकाले हमें ६७ साल हो चुके हैं फिर भी हम खुद को अपनी काबिलियत के अनुसार सशक्त क्यूँ नहीं कर पाए? क्यूंकि हम आज भी सही मायने में आज़ाद हुए ही नहीं हैं| हमें हमारी सरकार और न्याय प्रणाली पर यकीन नहीं है| विश्वास की इसी कमी के चलते हम कुछ नया कर दिखाने की अपनी चाहत को भी पूरा नहीं कर पाते| पर आज़ादी हासिल करने के छह दशकों के बाद हम अपनी इस हालत के लिए अंग्रेजों को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते|

और आजादी के बाद जो थोड़ा बहुत विकास हुआ भी है जैसे की हमने खाद्यान के मामले में खुद को आत्म निर्भर बनाया, संभावित आयु में बढ़ोतरी हुई और संचार व्यवस्था सुधरी, ये सब भी सरकार की देन नहीं है| भारत के बाहर से आ रही टेक्नोलॉजी ने ही हमारे जीवन में ये सब सुधार किये हैं न की हमारी पिछली सरकारों ने| और तो और जनता का हित सोचने के बजाए हमारी सरकारें हमें रोकती आ रही हैं और कदम कदम पर धोखा देने से भी बाज नहीं आतीं|

कुछ समय पहले तक वैश्विक व्यापर में जिस भारत की २५ प्रतिशत हिस्सेदारी थी आज वो कम होते होते बस १.२ प्रतिशत ही रह गई है| पहले के मुकाबले आज हमारी अर्थव्यवस्था विश्व की अर्थव्यवस्था का बस एक छोटा सा हिस्सा बनकर रह गई है जिसमें उसका योगदान नाममात्र के लिए २.७ प्रतिशत ही है| चाहे सिंगापुर, मलेशिया और हांगकांग जैसे छोटे देश हों, मध्यम आकर के देश दक्षिण कोरिया, ताइवान या जापान हों या चाइना जैसे बड़े देश, सब ही रफ़्तार से तरक्की कर रहे हैं जबकि भारत तरक्की के मामले में लगातार फिस्सडी साबित हो रहा है|

अब वक़्त आ गया है कि हम जिसके योग्य हैं वो हासिल करें| इस सपने को पूरा करने के लिए हमें राजनीतिक साहस और योजनाबद्द तरीके से काम करने की जरूरत है| हमें चाहिए कि हम अपने कमज़ोर हो चुके सरकारी ढाँचे को पूरी तरह से बदल कर रख दें|

२.२ आजादी और सुधार का आह्वान

आज हमें खुद पर गर्व महसूस करने के लिए नए नए कारणों की तलाश करनी पढ़ रही है| अगर हम कोई छोटी सी चीज भी हासिल कर लेते हैं तो उसे बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं

क्यूंकि आज इतने बड़े देश में रहते हुए भी खुद पर गर्व करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं बचा| इससे भी ज्यादा बुरा तब महसूस होता है जब हम उन उपलब्धियों का सहारा लेकर गर्व करने की कोशिश करते हैं जो हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों ने कमाई थीं| और वो भी ऐसी उपलब्धियां जिनका होना न होना भी अभी तक साफ़ नहीं हो पाया है| अब समय आ चुका है कि हम आत्म-सम्मान के लिए पीछे मुड़ मुड़ कर देखना छोडें और ऐसे भारत का निर्माण करें जिसपर हम गौरवान्वित महसूस कर सकें|

अब हमें सिर्फ आजादी की ख्वाहिश करनी चाहिए| हमें एक मकसद तलाशना होगा और अपने देश का कार्यभार अपने हाथों में लेकर उसे तरक्की के रास्ते पर ले जाना होगा|

हम हर एक भारतवासी को इस काम में अपना सहयोग देने के लिए आमंत्रित करते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि:

- ऐसे तानाशाहों से सत्ता का सुख छीन लिया जाए जो शासन के नाम पर भारत को लूट रहे हैं; और
- पूर्ण आजादी, सुशासन और सरकारी जवाबदेही की मांग पर अड़ जाया जाए|

हमें ऐसा भारत चाहिए जहाँ कोई बच्चा, कोई औरत या आदमी भूखा न सोए और जहाँ किसी को भी असुरक्षित न महसूस हो| हमें ऐसा भारत चाहिए जहाँ आजादी हो और अवसरों की कमी न हो| हमें ऐसा भारत चाहिए जहाँ डाली डाली पर सोने की चिड़िया फिर से बसेरा कर सके|

ये सपना साकार करने के लिए हमें सुधारों की जरूरत पड़ेगी न की वादों की|

इस घोषणापत्र में भारत को दोबारा उसी सुख समृद्धि के दौर में ले जाने के लिए ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है| हम चाहते हैं कि हमारे नौजवान इसमें हमारा साथ दें और ऐसे भारत का निर्माण करें जिसपर वो गर्व कर सकें|

२.२.१ सारे विश्व के लिए स्वतंत्रता और समृद्धि का गढ़ बनेगा भारत

हम ऐसे भारत का निर्माण करेंगे जो विश्व के सामने आजादी, न्याय, शान्ति, नवीन पहलों और समृद्धि की मिसाल बनेगा| हम ऐसा भारत बनाने के लिए समर्पित हैं, जहाँ:

- हमारी सरकार को उसके दायित्वों की समझ हो और वो समझती हो कि वो जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता से मिलने वाले पैसों से ही इन जनसेवकों को उनकी आय प्राप्त होती है|
- हमें अपनी ख़ुशी के लिए जो चाहें वो करने की आजादी हो बस उससे किसी दूसरे को नुक्सान नहीं होना चाहिए|
- गैरजरूरी कर कम हों, सरकारी ऋण का दबाव न हो, रुपया निजी करेंसी के मुकाबले मजबूत हो और काले धन को तेज़ी से कम किया जाए|
- भारतीय बिना किसी रूकावट के वैश्विक स्तर पर कारोबार और लेन-देन कर सकें|
- भारत एक आर्थिक बाज़ार हो जहाँ राज्य की सीमा के अन्दर और बाहर कारोबार करने में कोई रोक थाम न हो|
- सबको जल्दी और एक सामान न्याय मिले, सब सुरक्षित महसूस करें और औरतों को इज्ज़त और सुरक्षा प्रदान की जाए|
- सबको तरक्की करने और आगे बढ़ने के सामान अवसर मिलें, बाज़ार में प्रतिस्पर्धा होने से समाज भी इनाम और योगदान देगा| इससे किसी को नौकरशाहों के तलवे चाटने की जरूरत नहीं पड़ेगी|
- गरीब बच्चों को भी उच्च दर्जे के स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करने के अवसर मिलें|
- कोई भी आपातकालीन स्वास्थ सेवाओं से वंचित न रह जाए| अत्यंत गरीब लोगों को भी बुनियादी स्वास्थ सेवाओं के लिए बीमा की सुविधा दी जाए|
- ये सुनश्चित किया जाए कि कोई भी अत्यंत गरीबी में जीवन यापन न करे|
- सिर्फ ईमानदार नागरिक ही हमारे प्रतिनिधि बनने के बारे में सोचें|
- भ्रष्टाचार का पूरी तरह से खात्मा किया जाए और सरकारी कर्मचारियों की जवाबदेही हो|
- सरकार गरीबों की ज़मीन जबरदस्ती हथिया कर बड़े कारोबारियों को न देती हो|
- सरकार नागरिकों को सशक्त करे ताकि वो सडकें, ऊर्जा, बंदरगाह और रेलवे, जन सुविधाएं और दूसरी आधारिक संरचना के लिए जरूरी सुविधाओं के निर्माण में मदद करें|
- टिकाऊ विकास हो क्यूंकि वो जैव-विविधता को संरक्षित रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं|

इस घोषणापत्र में ऐसी और बहुत सी योजनाओं को विस्तार से बताया गया है जिनसे हम ये परिणाम हासिल कर सकते हैं| पर ये भारत की शासन प्रणाली और नीतियों में पूरी तरह से बदलाव लाकर ही संभव हो पायेगा|

झूठे वादों पर चुनाव जीतकर सत्ता हासिल करने वाली सरकार भारत को सिर्फ नुक्सान ही पहुंचाएगी| कभी मुफ्त चावल बांटना तो कभी मुफ्त में जल और बिजली देने के वादें करना और यहाँ तक की वोटर्स को पैसे, शराब, बर्तन और सारियों का लालच देकर वोट जीतना और न जाने ऐसी कितनी ही चालबाजियां करके आजकल सरकारें बनती हैं| पर ये भारत के बचे कुचे सामर्थ्य का मजाक उड़ाना भर है और कुछ नहीं|

हम भारतवासियों को आगे आकर इन समस्याओं से निजात पाने के लिए कारगार समाधान ढूँढने के लिए आमंत्रित करते हैं| इस प्रलेख में हमने भारत की ऐसी कई समस्याओं के लिए उच्च समाधानों के बारे में लिखा है| हम चाहते हैं कि आप इन्हें ध्यान से पढ़ें और इन सुधारों को लागू करने में हमारा सहयोग दें|

२.३ सुधार प्रक्रिया

आज हमारी शासन प्रणाली की जो हालत है उसे देखकर ऐसा लगता है मानो इसे भ्रष्टाचार, अन्याय, अकुशलता और उद्यमों में रोकथाम के लिए ही विशेष रूप से बनाया गया है| इसमें बदलाव लाने के लिए हमें जिन सुधारों की जरूरत है उन्हें दो वर्गों में बांटा जा सकता है: सरकार का कार्यभार अच्छे और ईमानदार नागरिकों को सौंपना और ये सुनिश्चित करना की वो खुद को जनसेवक मानकर अपनी पूरी क्षमता से जनता की सेवा करें|

सरकार में अच्छे लोग लाए जायें जिससे शासन तंत्र और प्रणाली में सुधार हो सके|

- ऐसी शासन प्रणाली बनाई जाए जिससे अच्छे लोगों को राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया जा सके| इसके तहत पार्टियों को जो वोट प्रतिशत मिले उस हिसाब से सरकार उनका चुनाव खर्च वहन करे| नेताओं और नौकरशाहों को पैसा तो दिया जाए पर उसकी जवाबदेही में कोई ढील न छोड़ी जाए|

- वरिष्ठ स्तर के नौकरशाहों की नियुक्तियां अनुबंध के आधार पर हों ताकि अगर कोई नौकरशाह काम में कोताही करता है तो उसे फौरी तौर पर निरस्त किया जा सके|
- राज्य सरकारों को ऐसे अधिकार दिए जाएं जिससे वो उच्च स्तरीय जन सेवाएं मुहैया कराने के लिए सीइओ जैसे नौकरशाहों को खुद नियुक्त कर सकें|

ये सुनिश्चित किया जाए कि सरकार अपने दायित्वों का इमानदारी से पालन करे|

- सरकारी हस्तक्षेप को उन्हीं क्षेत्रों तक सीमित किया जाए जहाँ उनकी आवश्यकता है| उदाहरण के तौर पर, चालू कारोबार में सरकार की कोई भूमिका नहीं है तो वहां से उसका हस्तक्षेप खत्म किया जाए| ऐसे कानून जिनके बलबूते पर अधिकारी लोगों को परेशान कर उनसे पैसा ऐंठते हैं उनको खत्म किया जाए| रक्षा, पुलिस और न्याय को हर हाल में विश्वस्तरीय बनाया जाए| इसके अलावा बुनियादी आर्थिक सुधारों को लागू किया जाए|
- धर्म और शासन व्यवस्था को पूरी तरह से अलग-अलग रखने के लिए सख्त कानून बनाए जाएं|
- चयनियत प्रतिनिधियों को सशक्त कर और विकेंद्रीकरण की मदद से पूर्ण स्वराज हासिल किया जाए (इसमें शामिल प्रतिबंधों को हर स्तर की सरकार पर लागू किया जाए)|
- कर में कटौती कर उसका दायरा बढ़ाया जाए| यही सरकारी कार्य व्यवस्था को सुधारने का एकमात्र तरीका है|
- गरीबों के नाम पर बनी असंख्य योजनाओं और सब्सिडी स्कीमों को खत्म कर एक कार्यक्रम चलाया जाए जो वास्तविक तौर पर गरीबी कम करने में कारगर साबित हो|

२.३.१ संक्रमण काल का प्रबंधन

बदलाव को एकदम से बिना सोचे समझे नहीं लाया जा सकता, इसके लिए योजना की जरूरत होती है| यानि जबतक इस घोषणापत्र में शामिल सभी बदलावों को योजनाबद्ध तरीके से लागू नहीं किया जाता शासन प्रणाली की कमियां कुछ समय तक हमारा पीछा छोड़ने वाली नहीं हैं| इनमें से कुछ बदलाव तो मात्र तीन साल से भी कम समय में लागू

किये जा सकते हैं पर बाकि बड़े सुधारों को लागू करने में इससे ज्यादा वक़्त भी लग सकता है| पर सरकार के पांच साल पूरे होने से पहले इन सभी सुधारों को सफलतापूर्वक शासन प्रणाली के ढाँचे में ढाल दिया जायेगा|

और तब जाकर ऐसा पहली बार होगा जब भारत पूर्ण रूप से एक अलग देश बनकर उभरेगा| वो ऐसा समय होगा जब पूर्ण स्वराज हर भारतवासी के जीवन में झलकेगा|

२.४. सफलता मापने का हमारा मापदंड

सफलता के इस सफ़र में कई मील के पत्थर आयेंगे| उन सबको सही समय पर पहचान कर और उनके अनुसार नई योजना बनाकर ही सफलता पर सही ढंग से निगरानी रखी जा सकती है|

पर हम चाहते हैं कि हर भारतवासी के मन में सफलता का बस एक ही सूचक हो वो होगा भारत से बाहरी मुल्कों में पलायन करने वाले सक्षम लोगों की तादाद में कमी| जब हमारे हजारों बुद्धिमान और समर्थ नौजवान अवसरों की तलाश में भारत छोड़कर दूसरे मुल्कों में जाना बंद कर देंगे और जब दुनिया के कोने कोने से काबिल नौजवान हमारे देश में आकर काम करने पर मजबूर हो जायेंगे, सही मायने में वही हमारी सफलता का दिन होगा| इससे पहले खुद को सफल मानना हमारी बेवकूफी होगी|

वही वो दिन होगा जब भारत सारी दुनिया के सामने सर ऊँचा कर खड़ा हो पायेगा और दुनिया को ये मानने पर मजबूर कर देगा की भारत पूर्ण आजादी और अवसरों की धरती है| इसके बाद भारत की प्रति व्यक्ति आय बाकि देशों के मुकाबले सबसे ज्यादा होगी| और अंत में यही हमारी सफलता है|

३. हमारी विचारधारा: स्वतंत्रता के साथ जवाबदेही

हम एक ऐसी राजनीतिक पार्टी हैं जिसके लिए नागरिकों की हर प्रकार की आजादी और सरकार पर सख्त लगाम बनाए रखना सबसे अहम है| प्राचीन भारत में देशवासियों को व्यक्तिगत जवाबदेही, खुली बहस, सहिष्णुता और अपने विचार प्रकट करने जैसे कई अधिकार मिलते थे| हमारी पार्टी अपने देशवासियों को हर हाल में उस सदी जैसे अधिकार दिलाने के लिए समर्पित है|

हम ऐसी आजादी चाहते हैं जहाँ लोगों को हर छोटी छोटी गलती पर तलब न किया जाए| एक ऐसी राज्य सरकार जो अपने नागरिकों की छोटी सी भूल भी नज़रंदाज़ न कर सके या गलतियाँ करके सुधरने का मौका न दे वो सरकार अपने नागरिकों की आजादी को नुक्सान पहुंचती है| यदि नागरिक कायदे कानून को मानते हुए अपनी गलतियों से सीख कर सुधारना चाहते हैं तो ये राज्य सरकार का दायित्व होना चाहिए कि वो उन्हें ऐसा करने का मौका प्रदान करे|

हमारी पार्टी भारत के संविधान में शामिल मूल सिद्धांतों का समर्थन करती है ख़ास तौर पर वो सिद्धांत जो निजी संपत्ति से जुड़े हैं और कानून के सामने हर भारतवासी के एक सामान अधिकार की बात करते हैं| संविधान के कुछ सिद्धांतों को लेकर गलत धारणाएं भी हैं जैसे कि जाति आधारित आरक्षण जो सिर्फ १० वर्षों के लिए बनाया गया, बोलने और विचार प्रकट करने की पूर्ण रूप से आजादी, नौकरशाहों को विशेष अधिकार देना और अन्य ऐसे संविधान| पर इस सब के बावजूद भी हमारी शुरुआत काफी शानदार थी| ये हमारी बदकिस्मती ही है जो समय समय पर आने वाली सरकारों ने हमारे संविधान के साथ छेड़छाड़ करके हमसे हमारी आजादी का हक छीन लिया| पर हम एक ऐसी पार्टी हैं जो कानून व्यवस्था पर आधारित शासन प्रणाली पर विश्वास रखते हैं| हमारे लिए हर एक नागरिक राज्य से ऊपर है| इसलिए हम अहम संवैधानिक सुधार लाकर ये सुनिश्चित करेंगे कि सरकार अपने सभी दायित्वों को कुशलता से निभाए|

३.१ स्वतंत्रता

हर भारतवासी की अपनी अलग पहचान है| जीवन से लेकर मृत्यु तक हम एक व्यक्ति के तौर पर ही जीते हैं| हम अपनी व्यक्तिगत पहचान को किसी भी तरह से व्यक्त करें पर इस कानून और हक को बदला नहीं जा सकता| इसलिए यदि राष्ट्र का हित किसी तरह से सम्भव है तो वो सिर्फ और सिर्फ उसके नागरिकों का हित करके| एक आज़ाद समाज का निर्माण तभी संभव है जब उसके नागरिकों को आजादी और बेहतर जीवन दिया जाए|

इसी तरह हर इंसान के जीवन का अपना महत्व है क्यूंकि हर किसी की ज़िन्दगी अचरज में डाल देने वाला एक खूबसूरत रहस्य है| और हम यही चाहते हैं कि राज्य सरकार हर इंसान के खूबसूरत जीवन को सुरक्षा प्रदान करे| यदि कोई कोई नागरिक किसी दूसरे

नागरिक को नुक्सान पहुंचाता है या उसका क़त्ल करता है तो उसे इसकी कड़ी सजा मिलनी चाहिए| किसी भी इंसान को ये छूट नहीं है कि वो दूसरों को नुक्सान पहुंचाए|

ऐसा जीवन जीने का क्या फायदा जो आज़ाद ही न हो| पैट्रिक हेनरी का वो कथन तो सबको याद होगा जिसमें वो कहते हैं 'या तो मुझे आजादी दो या ये जीवन ही ले लो'| आजादी की इस मांग को कोई भी दफ़न नहीं कर सकता| ये तो इंसान की अंतरात्मा की पुकार है| गुलामी चाहे दूसरों की हो या सरकार की किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं है|

वैसे तो भारत में आजादी को हमेशा आत्मा के मोक्ष के साथ जोड़ कर देखा जाता है| पर चाहे हम आत्मा के लिए मोक्ष प्राप्त करने का प्रयत्न करें या अपने सपने पूरे करने की ख्वाहिश करें, हमें इस दुनिया में घूमफिर कर अपना रास्ता तलाशने की पूरी आजादी होनी चाहिए| आजादी का मतलब है स्वतंत्र विचार रखने की आजादी और अपने कार्य को खुद निर्देशित करने और नियंत्रित करने की आजादी| जब हर एक नागरिक आज़ाद होगा, अपनी गलतियों से सीख लेकर आगे बढ़ेगा, नए रास्ते तलाश कर उद्यमी बनेगा तभी वो सही मायने में अपने लक्ष्य को हासिल कर पायेगा| हम जिस सुनहरे भारत का सपना देखते हैं उसका निर्माण तभी हो पायेगा जब हर देशवासी को अपने विचार प्रकट करने की आजादी हो, वो जो कार्य करना चाहता हो उसकी आजादी हो, अपना कमाया धन अपने अनुसार खर्च करने की आजादी हो, संपत्ति रखने की आजादी हो और जहाँ सरकार लोगों की सेवक हो उनकी करताधर्ता नहीं|

आजादी का अपना महत्व तो है ही साथ में वो हमारे आर्थिक सामर्थ्य के लिए भी जरूरी है| जिन आज़ाद समाजों में सुशासन का राज होता है वहां ऐसा माहौल बन जाता है जिसमें कारोबार फल फूल सकें| सुशासित समाज में उपभोक्ता की पसंद और सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जाता| जब समाज आज़ाद होगा तो उसके नागरिक अपने पूरे सामर्थ्य से कार्य कर सकते हैं क्यूंकि उन्हें सामान अधिकार और कानून पर यकीन होगा| जब निष्पक्ष फैसले होंगे, सबको एक सामान न्याय मिलेगा तो नागरिक समाज को गरीबी की बेड़ियों से निकालकर समृद्धि की ओर ले जायेंगे|

हालाँकि, व्यक्तिगत आजादी से हमारा मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि राष्ट्र को इसकी कीमत अदा करनी पड़े| राष्ट्र भौगोलिक सरहदों से घिरा एक ज़मीन का टुकड़ा मात्र नहीं होता| हम राष्ट्र के महत्व को समझते हैं इसलिए एक महान राष्ट्र बनाने के इस एजेंडा

में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं| बस हमारा मानना यही है कि राष्ट्र को समृद्ध करते हुए कहीं हमारा कोई भाई पीछे न छूट जाए| एक राष्ट्र तब ही अपने मूल्यों और सिद्धांतों पर आगे बढ़ सकता है जब उसके नागरिक उसके प्रति वफादार हों| और ये वफादारी तब ही संभव है जब हर देशवासी को सच्ची आजादी मिले|

३.२ स्वतंत्रता जवाबदेही से ही संभव है

जब भी आजादी की बात हो तो जवाबदेही को किनारे नहीं रखा जा सकता| दूसरों को नुक्सान पहुंचाने की आजादी किसी को भी नहीं है| हाँ, पर नुक्सान वास्तव में हुआ होना चाहिए न की किसी को फसाने के लिए बढ़ा चढ़ा कर बोला गया झूठ हो|

सब को सामान अधिकार मिले हैं और वही अधिकार हमारे व्यक्तिगत अधिकारों को सीमित कर देते हैं| जब हमारे किसी काम से सामने वाले को दिक्कत हो तो इन्हीं अधिकारों के तहत हम उसके जवाबदेह हो जाते हैं| और इसी जवाबदेही को सुरक्षित रखने के लिए हमें न्याय व्यवस्था की जरूरत पड़ती है| एक आज़ाद समाज को ऐसी न्याय व्यवस्था की जरूरत है जिसके तहत सब नागरिकों पर एक सामान कानून लागू हों और सब को एक तराजू पर तौला जाए| सरकार का काम सिर्फ अंपायर की तरह नागरिकों और उनकी कानून के प्रति जवाबदेही को सुरक्षित रखना है न कि इन कानूनों को बनाना|

३.२.१.१ अन्य जीव जन्तुओं के प्रति जवाबदेही

जानवरों को भी बिना किसी कष्ट के जीने का अधिकार है| हम कोई हक़ नहीं है कि हम किसी भी जानवर के साथ बदसलूकी करें इसमें वो जानवर भी शामिल हैं जिनका हम भोजन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं| भले ही ये बेजुबान जानवर इसके खिलाफ अपनी आवाज़ न उठा सकें, पर ये हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम उनके लिए एक मानवीय समाज का निर्माण करें| स्वर्ण भारत पार्टी वन्यजीवों और पालतू जानवरों की सुरक्षा के प्रति भी समर्पित है| इसके साथ साथ, हमारा ये भी मानना है कि वनस्पति की अनेकता और पर्यावरण का पालन पोषण भी हमारे और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहद जरूरी है|

३.३ मूलभूत स्वतंत्रताएं

आजादी बहुत व्यापक है| इसके तत्वों को एक लिस्ट में शामिल कर पाना मुमकिन नहीं| पर फिर भी हमने आजादी की कुछ बुनियादी जरूरतों का एक खाका तैयार किया है|

३.३.१ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

अपने विचार प्रकट कर पाने की आजादी से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं| इसके बिना किसी भी अन्य प्रकार की आजादी मुमकिन नहीं है|

अमेरिका में जब १२ साल के लिलियन गोबितास क्लोज़ ने अमेरिकी झंडे को सलामी देने के लिए जरूरी प्रतीक प्रार्थना को ये कहकर करने से मना कर दिया कि उसकी अंतरात्मा इसके लिए राज़ी नहीं तो १९४३ में अमेरिकी जज रोबर्ट जैक्सन ने कहा, 'अगर हमारा संविधान एक प्रतिशत भी सत्यता पर मजबूती से खड़ा है तो किसी भी अधिकारी को फिर चाहे वो राजनीति, राष्ट्रयता, धर्म और अन्य मामलों में कितनी भी पुरानी सोच रखता हो उसे कोई हक नहीं है कि वो दूसरे नागरिकों पर अपनी सोच या आस्था का दबाव बनाए'|

जरूरी नहीं की आजादी से बोली गई हर बात हमें पसंद आये| बोलने की आजादी उन लोगों को भी है जो हमें पसंद नहीं या जिनसे हम घर्णा करते हैं| इसलिए कभी कभार आजादी से बोलने वाले लोगों को उन लोगों के मुकाबले ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है जिनको बोलने की आजादी ज्यादा नहीं मिली हुई है| बोलने की सच्ची आजादी उस वक़्त ही मिल सकती है जब जिन लोगों को कोई पसंद नहीं करता या जिसकी खिलाफत की जाती हो वो भी अपने विचार बिना डर के प्रकट कर पाएं|

एक विकासशील लोकतंत्र वही है जो बिना किसी रोकथाम के अपने लोगों को विचार प्रकट करने की पूरी आजादी दे| इसकी मिसाल अगर कहीं मिलती है तो वो अमेरिका के संविधान में शामिल प्रथम संशोधन में| इसमें आजतक किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया| प्रथम संशोधन के अनुसार:

कांग्रेस को इस बात का अधिकार नहीं होगा कि वो किसी धर्म को स्थापित करने हेतु कोई नया कानून बनाए या किसी धर्म का अनुसरण करने से किसी को रोके; या विचार प्रकट करने की आजादी पर कोई अंकुश लगाये या प्रेस की आजादी को नुक्सान पहुंचाए;

या लोगों के शांतिपूर्ण तरीके से एकजुट होने पर कोई रोक लगाए, और किसी अन्याय के खिलाफ सुधार लाने हेतु सरकार को याचिका दे|

अमेरिका का पहला संशोधन नतीजों पर आधारित नहीं है| बोलने की आज़ादी पर अमेरिकी सरकार किसी तरह का रोकथाम नहीं कर सकती फिर भले ही उस पाबंदी के नतीजे कितने ही अच्छे क्यूँ न हों| उनका मानना है कि अगर सरकार को बोलने की आजादी पर रोकथाम करने का अधिकार दे दिया गया तो वो किसी भी प्रकार के फायदे के मुकाबले कई गुना ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है| अमेरिका में कभी भी नाज़ी और फ़ासिस्ट सत्ता में नहीं आ सकते| और ऐसा इसलिए नहीं क्यूंकि अमेरिका में नस्लवाद या तानाशाही नहीं है बल्कि इसलिए क्यूंकि वहां पर लोगों को पूरी आजादी है कि वो ऐसे मामलों पर खुलेआम राय मशवरा कर सकें| हमें ये याद रखना चाहिए कि जब किसी विचार को दबाया जाता है तो वो उतनी ही ताक़त के साथ सर उठाता है|

और बस भारतीय संविधान में भी हमें ऐसा ही कोई संशोधन चाहिए था जिससे लोगों को बिना किसी पाबंदी के बोलने की आजादी मिल पाती| पर ऐसा न हो सका| बल्कि बीते वक़्त में तो आजादी से बोलने के अधिकारों को इतना नुक्सान पहुँचाया गया है कि अब हमारे पास ऐसे सार्थक संरक्षण भी नहीं बचे जो हमारे इस अधिकार को सुनिश्चित कर सकें| इसका एक बुरा नतीजा ये भी हुआ कि दुनिया के १८१ देशों की सूची में भारत मीडिया की आजादी के मामले में १४०वें पायदान पर आ खड़ा हुआ है| यानि हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ कोई भी हमारे बोलने के अधिकार पर अंकुश लगा सकता है और जहाँ मीडिया तक अपनी बात रखने के लिए आज़ाद नहीं है|

किसी बात का बुरा मान जाने का मतलब ये नहीं की पूरी व्यवस्था ही बिगाड़ दी जाए| ये किसी एक इंसान की राय है जिससे किसी दूसरे को परेशान नहीं होना चाहिए| और न ही इसे बहाना बनाकर किसी से उसकी बोलने की आज़ादी छीन लेनी चाहिए|

भारत में सबको अपने विचार प्रकट करने की आजादी मिलनी ही चाहिए| हमें इससे कम कुछ भी स्वीकार नहीं करना चाहिए| भले ही यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ़ ह्यूमन राइट्स में शामिल अनुच्छेदों को समझना थोड़ा मुश्किल हो पर उसका अनुच्छेद १९ तो किसी को भी आसानी से समझ आ जायेगा| इस अनुच्छेद में एक बात साफ़ तौर पर कही गई है: 'हर इंसान को सोचने और अपने विचारों को प्रकट करने का अधिकार है, इस अधिकार में

ये भी शामिल है कि व्यक्ति बिना किसी की रोकटोक के विचार विमर्ष कर सके और बिना किसी दखलंदाजी के जिस माध्यम से चाहे उसका प्रयोग करके जानकारी और सूचनाएं प्राप्त कर सके|'

बोलने की आजादी पर सिर्फ एक ही शर्त पर अंकुश लग सकता है जब उसका इस्तेमाल जालसाज़ी(या बेमतलब की गड़बड़ी फैलाने के लिए), झूठी या किसी को बदनाम करने के लिए खबर फैलाने, लूटपाट करने, सेना के राज खोलने या किसी को जान से मारने की धमकी देने या हिंसा भड़काने के लिए किया जाए| पर ऐसा तब ही करना चाहिए जब इनमें से हुई किसी भी घटना को पूरी जांच पड़ताल के बाद साबित कर दिया जाए| और जब बात भाषणों या टीवी पर चलाये जाने वाले किसी प्रोग्राम की हो तो उस पर भी अंकुश लगाया जा सकता है बशर्ते वो किसी विशेष आयु वर्ग को संबोधित करने के लिहाज़ से ही उचित हो|

भारत का इतिहास सुनेहरा था क्यूंकि तब बोलने की आजादी और खुलेआम विचार विमर्ष करने की प्रथा थी| पर जब अंग्रेजों ने हमको अपने अधीन कर लिया तो इस स्वतंत्रता को काफी नुक्सान पहुंचा जिसकी भरपाई आजतक नहीं हो पाई है| भारतीय दंड संहिता के काले कानून जैसे कि १५३ए और २९५ए के दम पर कट्टरवादी हम पर राज करते रहे| इनके अलावा और भी कई काले कानून हैं जैसे कि आईटी एक्ट की धारा ६६ जिसे असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है पर वो आज भी प्रचलन में है| हमें इनसे छुटकारा चाहिए|

सब आजादी से अपने विचार प्रकट कर पाएं इसके लिए स्वर्ण भारत पार्टी नीचे दिए बदलाव लाएगी:

- हम ऐसे संवैधानिक सुधार लायेंगे जिनकी मदद से भारतीय अमेरिका के नागरिकों जैसे ही बोलने के अधिकारों का इस्तेमाल कर पाएं|
- ऐसे कोई भी कानून जो हमसे बोलने की आजादी छीनते हों या उस पर बैन और सेंसरशिप लगाते हों, हम उन सब कानूनों को खत्म करेंगे| राज्यों द्वारा लगाई गई सेंसरशिप भी हिंसा का ही एक रूप है जो बोलने की आजादी को क्षति पहुंचाता है| प्राचीन समय में देशद्रोह और ईशनिंदा के लिए जो कानून प्रचलित थे वो आज के समय के अनुसार सही नहीं हैं| हम भारतीय दंड संहिता के १२४ए

कानून में सुधार करेंगे ताकि सरकारें देशद्रोह के नाम पर अपनी सरकार से असंतुष्ट नागरिकों या विरोधियों के साथ गलत न कर सकें| इस संशोधन में वो अनुच्छेद भी शामिल किया जायेगा जो सुप्रीम कोर्ट ने १९६२ में बनाया था जिसके अनुसार भले ही कोई देशवासी सरकार के खिलाफ कितना भी असंतोष फैलाए पर उसपर देशद्रोह का मुक़द्दमा तब तक नहीं चलाया जा सकता जब तक वो लोगों में हिंसा भड़काने का काम नहीं करता|

- हम किताबों और फिल्मों पर लगने वाले हर बैन को खत्म कर देंगे बशर्ते उस किताब या फिल्म में हिंसा भड़काने वाले तत्व शामिल न हों|
- हम सेंसर बोर्ड को खत्म कर देंगे| हम रेटिंग एजेंसीज जिसमें फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी शामिल होंगे उनका निर्माण करेंगे जिनको ये जिम्मेदारी सौंपी जाएगी कि वो विशेष आयु वर्गों को ध्यान में रखकर फिल्मों की केटेगरी तय करें| सरकार को कोई हक नहीं कि वो तय करे कि समझदार और व्यस्क भारतिय क्या देखेंगे और क्या नहीं| अगर सेंसर बोर्ड में बैठा कोई सरकारी अध्यक्ष किसी फिल्म की समीक्षा करते वक़्त उसे देखकर हिंसक नहीं होता (हिंसा हर हाल में दंडनीय है) तो ये कैसे माना जा सकता है कि समझदार भारतीय जो इन अधिकारीयों की आय का स्त्रोत्र हैं, वो उस फिल्म को देखकर हिंसक हो जायेंगे| सभी भारतीय अपने कार्यों के लिए खुद जवाबदेह हैं और उनके द्वारा की गई किसी भी प्रकार की हिंसा का इल्ज़ाम किसी किताब या फिल्म पर नहीं थोपा जा सकता|
- हम भारतवासियों को इन्टरनेट इस्तेमाल करने की पूरी आजादी दिलवाने के लिए समर्पित हैं| इन्टरनेट की मदद से ऐसी संचार सुविधा प्राप्त होती है जिसमें सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती| इसलिए इन्टरनेट प्रयोगों के रास्ते में आने वाली सभी बंदिशों को खत्म करके हम ये सुनिश्चित करेंगे की सरकार नई टेक्नोलॉजी के रास्ते में कोई रोढ़े न अटकाए| हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे की कोई भी सरकारी व गैरसरकारी संस्थान इन्टरनेट को अपनी निगरानी में रखे|
- हम सरकार को प्रसारण व्यवस्था से पूरी तरह अलग रखेंगे| जो लोग अपना निजी प्रसारण विभाग जिसमें टीवी, रेडियो और इन्टरनेट रेडियो शामिल हैं ऐसे किसी भी विभाग को चलाते हैं उनको अधिकार देंगे कि वो बाज़ार से तय किए मूल्यों पर अपनी सेवाएँ प्रदान कर पाएं|

- राष्ट्रिय प्रतीक चिन्हों और राष्ट्रिय ध्वज से जुड़े जितने भी कानून हैं हम उनकी समीक्षा करेंगे ताकि बोलने की आजादी के साथ उनका भी सामंजस्य बिठा सकें| यदि कोई नागरिक किसी चीज से सहमत नहीं है और उसके खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करना चाहता है तो उनके अधिकारों को सुरक्षित करना बेहद जरूरी है| ये अधिकार उन अधिकारों को सुरक्षित करने से भी ज्यादा जरूरी है जो नागरिकों का चिन्हों के प्रति हैं| प्रतीक चिन्हों के नाम पर विचार विवेक की आजादी नहीं छीनी जा सकती|

३.३.२ संपत्ति का अधिकार

हमारे पास संपत्ति तब ही अर्जित होती है जब हम कर्म करें, मेहनत करें जिसमें हमारे बाप-दादा और शुभचिंतकों की मेहनत भी शामिल है| मतलब हमने सब की मेहनत से इसे न्यायपूर्वक ही हासिल किया है| इसलिए जरूरी है कि इसपर अपना अधिकार बनाए रखने के लिए हमारे पास कानूनी मदद हो| न्याय सारणी में शामिल संपत्ति से जुड़े कानूनों की मदद से हमें इन उलझनों का सामना नहीं करना पड़ता की हमारी कौन सी जायदाद कहाँ से आई है|

अब भले ही संपत्ति न्याय से हासिल की गई है पर बिना संपत्ति के अधिकारों के हम उसपर न्यायपूर्वक दावा नहीं ठोक सकते| और बिना संपत्ति के अधिकार के हम उसका लेन-देन भी नहीं कर सकते यानि सभ्यता का मतलब ही खत्म हो जाता है| इसलिए आज़ाद समाज का निर्माण तब ही संभव है जब सरकार संपत्ति को बनाने व उसे सुरक्षित रखने के कानूनों को स्पष्टता से लागू करे|

राष्ट्रिय सीमाओं के सीमांकन और सरंक्षण हेतु सरकार को हक दिया जाता है कि वो कुछ हिस्से अपने अधिकार में ले सके| पर इसका मतलब ये नहीं कि सरकार को जबरदस्ती निजी संपत्ति हासिल करने का अधिकार मिल जाता है| सरकार को इस ताक़त का इस्तेमाल तब ही करना चाहिए जब उससे जनता की मदद होती हो|

संपत्ति के अधिकारों में जो भी संवैधानिक सुधार जरूरी हैं हम उनको लागू करेंगे और सरकार के तहत आने वाले इलाकों पर सख्ती से रोकथाम रखेंगे| इन सुधारों की मदद से हम ये सुनिश्चित कर पाएंगे की कोई भी जबरदस्ती नागरिकों की संपत्ति न हथिया पाए|

३.३.३ धार्मिक स्वतंत्रता

जीवन जीने, कार्य करने और अपनी आस्था अनुसार उपासना करने की आजादी ही सच्ची आजादी है| जब बात किसी धर्म पर अपनी राय प्रकट करने की, उसे बढ़ावा देने की और उसका पालन करने की हो तो हर व्यक्ति को ऐसा करने की आजादी मिलनी चाहिए| हर इंसान को हक है की वो अपनी समझ अनुसार सच्चाई तलाशे और अपनी आस्था और मन की आवाज़ के अनुसार ही जीवन जिए| अपनी आस्था के अनुसार अगर वो चाहें तो उन्हें गरीबों की मदद करने की, बीमार की सेवा करने की और अपने समाज का उत्थान करने की भी पूरी आजादी होनी चाहिए|

हम किसी भी धर्म को मानें ये हमारा निजी मामला है| कोई भी सरकार जो मूल रूप से जनता की सेवक है उसको ये अधिकार कौन देता है कि वो अपने कर्ताधर्ता के निजी मामले में टांग अड़ा सके?

सरकार और धर्म दो अलग क्षेत्र हैं| एक आज़ाद समाज में रहने वाले नागरिक ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि सरकार उनके धर्म के मामले में हस्तक्षेप करे| धर्म से सरकार का कोई लेना देना नहीं हो सकता| सरकार को पूर्ण रूप से धर्म निरपेक्ष और गैर सांप्रदायिक होना चाहिए| वो अपने लोगों पर उनकी आस्था या जात-पात से जुड़े सवाल खड़े नहीं कर सकती| सरकार अपने नागरिकों में उनके धार्मिक विश्वास के आधार पर न तो कोई भेद-भाव कर सकती है और न ही उसके आधार पर कोई टिप्पणी कर सकती है| यहाँ तक कि सरकार किसी भी धर्म के लिए कोई कानून नहीं बना सकती है| सरकार को किसी भी हाल में कभी भी धर्म, जाति, जनजाति या भाषा के आधार पर अपने लोगों में भेद-भाव करने का कोई हक नहीं है क्यूंकि वो मात्र हमारी संचालक है न कि मालिक|

यदि कोई नागरिक धर्म को सहारा बनाकर किसी भी तरह की हिंसा भड़काने की कोशिश करता है तो ये भी सरकार का दायित्व होगा कि वो बिना पक्षपात के ऐसे लोगों पर अंकुश लगा सके| इसके अलावा किसी भी धर्म को लोगों के बीच बढ़ावा देने का सरकार को कोई अधिकार नहीं होगा| और यदि कोई नागरिक धर्म या किसी और मामले में राज्य की शान्ति को नुक्सान पहुंचाता है तो वो इसके लिए खुद जवाबदेह होगा|

इसी प्रकार से हमारा मत है कि सरकार को धर्म के आधार पर अल्पसंख्यकों को कोई विशेष अधिकार नहीं देना चाहिए क्यूंकि सबको कानून के तहत एक सामान हक मिलने चाहियें| अल्पसंख्यकों को यदि विशेष अधिकार प्रदान किये जाते हैं तो वो हर देशवासी के एक सामान होने पर ऊँगली खड़ी करते हैं| जब हमारी पार्टी द्वारा प्रस्तुत सभी सुधारों को लागू कर दिया जायेगा और कानून का राज्य स्थापित होगा तो हम संविधान में मौजूद ऐसे अधिकारों जैसे की अनुच्छेद २९ और ३० को खत्म कर देंगे|

भारत में धर्म से जुड़ीं ऐसी बहुत सी प्रथाएं हैं जिन्हें सामाजिक जीवन का हिस्सा मान लिया गया है| बहुत से सरकारी कार्यक्रमों के दौरान दिया जलाना, तिलक लगाना और माला पहनाने जैसी कई प्रथाएं आम हो गई हैं| इस तरह की गड़बड़ियों को दूर करने के लिए स्वर्ण भारत पार्टी ऐसे प्रतिनिधियों की नियुक्ति करेगी जो ऐसे कार्यक्रमों में शामिल होने के सख्त खिलाफ हैं| और वो सिर्फ उन्हीं कार्यक्रमों में शिरक़त करेंगे जो राज्य से जुड़े हों| उनको ये अनुमति भी नहीं होगी कि वो जनता के पैसों का इस्तेमाल धार्मिक गतिविधियों में शामिल होने के लिए भी नहीं कर सकेंगे|

३.३.३.१ धर्म परिवर्तन पर स्वर्ण भारत पार्टी का पक्ष

सही मायने में धार्मिक आजादी तब ही प्राप्त हो सकती है जब हर नागरिक को अपनी आस्था अनुसार धर्म परिवर्तन करने की आजादी हो| और जैसा की हर प्रकार की आजादी के साथ होता है वैसे ही धार्मिक आजादी में भी जवाबदेही की अहम भूमिका है| हालाँकि बोलने की आजादी नागरिक को ये अधिकार देती है की वो कानून मान्य तरीकों से लोगों को उपदेश देकर धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रेरित कर सकता है| पर इसके उल्ट लालच या जोर-जबरदस्ती से कराये जा रहे धर्म परिवर्तन के हम सख्त खिलाफ हैं और ऐसी किसी गतिविधि का समर्थन नहीं करते हैं|

पर इसका मतलब ये नहीं की इससे सरकार को ऐसे जोर-जबरदस्ती के मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार मिल जाता है| इस तरह की जालसाज़ी और जोर जबरदस्ती से निपटने के लिए हमारे पास पहले से ही कानून मौजूद हैं| इन मामलों में हस्तक्षेप करने के बजाये हम धार्मिक संस्थानों को प्रोत्साहित करेंगे की वो ऐसे नियम कानून व्यवस्था में लायें जिनसे जबरदस्ती कराये जा रहे धर्म परिवर्तन जैसे मामलों में रोकथाम की जा सके|

ऐसा कोई भी कानून जो धर्म परिवर्तन करने से रोकता हो हम उसे खत्म कर देंगे| फिर भले ही वो परिवर्तन जोर जबरदस्ती, जालसाज़ी या लालच दे कर ही क्यूँ न कराया जाए| हमें ऐसे कानूनों की कोई जरूरत नहीं है क्यूंकि जोर जबरदस्ती करना या बल प्रयोग करने जैसे मामलों से जुड़े कानून हमारे पास पहले से ही मौजूद हैं| क्यूंकि जबरदस्ती धर्म परिवर्तन से जुड़े कानूनों को ज्यादा स्पष्टता से नहीं लिखा गया है इसलिए सरकार उन्हें अपने मतलब अनुसार मोड़ तरोड़ कर मनमानी करती है और अशांति फैलाती है| मान्य धार्मिक संस्थानों द्वारा बनाये नियम कानून इन पेचीदा और संवेदनशील मामलों को ज्यादा बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं| इस तरह से हर भारतवासी की धार्मिक आजादी को सुनाश्चित किया जा सकता है|

हम उन धार्मिक गतिविधियों को लेकर भी चिंतित हैं जिसमें विदेशी संगठनों द्वारा पैसा लगाया जाता है| इससे निपटने के लिए हम फॉरेन कॉन्ट्रिब्यूशन रेगुलेशन एक्ट की समीक्षा करेंगे जिससे 'राजनीति' शब्द का सही तात्पर्य समझ सकें| यदि शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के अलावा विदेशी संगठन किसी और गतिविधि ख़ास तौर पर किसी धार्मिक गतिविधि पर पैसा लागाते हैं तो उसे राजनीति मानते हुए अवैध घोषित किया जायेगा| अगर कोई इन निषेधों के खिलाफ जाने की कोशिश करेगा तो उसपर कड़ी कारवाही होगी|

३.३.३.२ धार्मिक संस्थानों और गतिविधियों को सरकार द्वारा कोई आर्थिक मदद प्रदान नहीं की जाएगी

धर्म और सरकार को इमानदारी से अलग अलग रखने के लिए ये बेहद जरूरी है की सरकार किसी भी धार्मिक गतिविधि को आर्थिक मदद न पहुंचाए| इसका बेहतरीन उदाहरण है दुर्गा पूजा से जुड़ी गतिविधियों जिन्हें सरकार ये कह कर सब्सिडी देती है की इससे पर्यटन बढ़ेगा| इसी तरह से धार्मिक तीर्थ जैसे हज पर सब्सिडी देना या मंदिर में सरकारी अधिकारीयों की नियुक्ति करना ये सब सरकार के अधिकार से बाहर है| आज के समय में यदि मंदिरों की आर्थिक स्थिति बेहाल हो जाती है या उनकी ज़मीन की लीज़ खत्म होने वाली होती है तो सरकार मदद के लिए हाथ आगे कर देती है| हम ऐसे कानून बनायेंगे जो सरकार को धार्मिक संस्थानों से जुड़े मामलों में हस्तक्षेप करने से रोकेंगे|

हम ऐसे कानून लायेंगे जिनकी मदद से मंदिर कोर्ट में याचिका दायर करके प्रबंधक की नियुनक्ति करा सकते हैं बशर्ते वो प्रबंधक सरकारी कर्मचारी न हो| इसके अलावा जैसे अन्य सरकारी जमीनों के साथ होता है की उनकी लीज़ खत्म होने पर वो दोबारा सरकार के हाथों में आ जाती हैं उसी प्रकार से हम उन धार्मिक संपत्तियों को भी अपने कब्ज़े में लेंगे जिनकी लीज़ खत्म हो चुकी हो|

३.३.३.३ धार्मिक संस्थानों द्वारा सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण रोकना

धार्मिक होने का ये मतलब नहीं की हमें कानून तोड़ने की, सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण करने की, आतंकियों और गुनहगारों को पनाह देने की, शांतिपूर्ण तरीके से नाराज़गी जाहिर कर रहे लोगों को धमकाने की, जानवरों को खुला छोडकर, नदियों तालाबों में गन्दगी फैलाकर या गलत समय पर लाउडस्पीकर चलाकर शान्ति भंग करने की आजादी मिल जाती है| कोई भी जो इन सामान्य कानूनों को तोड़ता है उसपर कड़ी कारवाही होनी चाहिए भले ही वो दावा करे की उसे ऐसा करने के लिए भड़काया गया था|

हम अपना पूरा जोर लगाकर ये सुनिश्चित करेंगे की कोई भी संस्थान सार्वजनिक भूमि पर कब्ज़ा न जमा सके| अतिक्रमण कर सार्वजनिक भूमि पर बनाये धार्मिक संस्थानों को या तो नष्ट किया जायेगा या कब्ज़ा मुक्त करने के लिए उनकी नीलामी की जाएगी ताकि तोड़-फोड़ में लगे पैसे को वसूल किया जा सके| इसके अलावा ज़मीन का पूरा पैसा लेकर ऐसे धार्मिक संस्थानों को सौंप दिया जायेगा जो उसे खरीदना चाहते हों| इसी तरह से हम उन धार्मिक या अन्य ऐसे संस्थानों पर कारवाही करने से भी नहीं चूकेंगे जो ध्वनि प्रदुषण से जुड़े नियमों का उल्लंघन करते हों|

३.३.४ व्यापार एवं लेन-देन की आजादी

हमें ऐसे बाज़ार की जरूरत है जहाँ नागरिक अपनी इच्छा से कारोबार कर सकें, वस्तु विनिमय कर सकें और जहाँ उन्हें अपनी पसंद का व्यवसाय चुनने की आजादी हो| बाज़ार ऐसा होना चाहिए जहाँ नागरिक खुद मांग और आपूर्ति को समझ कर अपने सामान और सेवाओं का मूल्य तय कर सकें| अपने फायदे के लिए विक्रेता सामान की मांग को देखते हुए उसे वहां ले जाकर बेचें जहाँ उसके दाम सबसे ऊँचे हों| बिना सरकार के संज्ञान में लाये वो अपने संसाधनों की अच्छी कीमत वसूल कर सकते हैं|

क्यूंकि सरकार हर सौदे की स्थानीय जानकारी नहीं रख सकती इसलिए वो सामान का मूल्य तय करने में सक्षम नहीं है| अपनी इच्छा से लेन-देन करने पर बाज़ार में किसी का नुक्सान नहीं होता बल्कि ज्यादातर लोग फायदे में ही रहते हैं| यानि हर एक लेन-देन हमारे समाज को फलने फूलने में मदद करता है और ये समृद्धि आजादी से लेन-देन होने का नतीजा ही है|

कोटे के बल पर अर्थव्यवस्था तैयार करने और उन गतिविधियों को अपने अधिकार में लेने की बजाए जो बाज़ार का हक है सरकार को बस लेन-देन के नियम-कानूनों को बनाना चाहिए और इस बात की निगरानी करनी चाहिए की लोग उन्हें मानें| जालसाज़ी और नियमों में खिलवाड़ न हों इसके लिए सरकार को पूरे नियंत्रण के साथ स्वतंत्र बाज़ार की मदद करनी चाहिए| क्यूंकि किसी भी नागरिक को इस बात की आजादी नहीं है की वो दूसरों को नुक्सान पहुंचा सके इसलिए स्वेच्छा से लेन-देन करते वक़्त उन्हें अनुबंध और जवाबदेही से पीछे नहीं हटना चाहिए| इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम हर नागरिक को कारोबार करने की आजादी देंगे| और यदि किसी कारोबार में संशय होता है तो हम इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि उसे करते हुए सामाजिक शिष्टाचार और व्यावसायिक सुरक्षा बनी रहे| लेन-देन और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए सरकार जितना हो सके आधारिक संरचना सुधारने में उतनी मदद करेगी|

हजारों सालों तक भारत श्रमिकों, माल, सेवाओं और पूँजीपतियों के लिए एक आज़ाद बाज़ार रहा| सारी दुनिया यहाँ कारोबार करने आती थी| पर आजादी के बाद से ही सरकार ने हमारे अर्थशास्त्र में शामिल इन सभी जरूरी तथ्यों की अनदेखी शुरू कर दी| यहाँ तक की सरकार ने कुछ बड़े पूंजीपंतियों की सुरक्षा के नाम पर व्यवसाय और लेन-देन पर पूरी तरह से रोकथाम लगा दी है और खुद कई व्यवसायों को अपने अधिकार में ले लिया है| इन तरीकों से राष्ट्र का आर्थिक तौर पर कमज़ोर होना तय है| यही कारण है जो वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक की विश्व आर्थिक सूची में भारत इतने निचले पायदान पर है|

जो देश ग्लोबल रैंकिंग में सबसे ऊपर हैं वहां उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए स्थिर, पारदर्शी और कारगर संस्थान हैं| ये संस्थान सुनिश्चित करते हैं कि उनके नागरिकों को वित्तीय मामलों में कोई समस्या न हो, कर प्रणाली सरल हो, बुनियादी ढांचा और संयोजकता शानदार हो, शिक्षा प्रणाली बेहतरीन हो, श्रम बाज़ार लचीला बना रहे,

व्यापारिक शिष्टाचार उत्कृष्ट हो और नवीनता के लिए विशिष्ट क्षमता बनी रहे| इससे ये साफ़ हो जाता है की आजाद लेन-देन और उद्यम सुनिश्चित करने के लिए सरकार के पास और बहुत से तरीके हैं| उसे सीधे तौर पर कारोबार में हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं| हमें सिर्फ भारत से बाहर व्यवसाय करने की आजादी नहीं चाहिए बल्कि भारत के अन्दर भी आजादी से कारोबार करने की पूरी आजादी मिलनी चाहिए| सरकार को स्वतंत्र लेन-देन के मामले में हस्तक्षेप करने का अधिकार सिर्फ एक ही शर्त पर होना चाहिए जब माल को उसके लागत मूल्य से कम पर ठिकाने लगाया जाए| पर ये किस प्रकार तय होगा की किसी माल को ठिकाना लगाया जा रहा है खुद में एक बड़ा मुद्दा है| क्यूंकि किसी भी हाल में लेन-देन के मामले में रूकावट खड़ी करना एक खराब पालिसी है| भारत में एक सशक्त प्रतिस्पर्धा की मदद से ही यहाँ के लोगों को समृद्ध बनाया जा सकता है|

३.३.५ कानून के तहत हर भारतवासी के साथ एक समान व्यवहार

सब को एक समान आजादी मिलनी चाहिए| और ये अधिकार सबको एक बराबर बिना किसी भेद-भाव के मिलना चाहिए| जब नागरिकों का सवाल हो तो सरकार को किसी भी तरह का भेदभाव नहीं रखना चाहिए| और आज़ाद समाज का सबसे मूलभूत सिद्धांत यही है कि सरकार किसी भी उद्योग को सब्सिडी या समुदाय को विशेष सहायता प्रदान न करे| इसी तरह से जब बात नौकरी देने या पदोन्नति की हो तब भी सरकार को जन्म या सामाजिक लक्षणों के आधार पर निश्चय नहीं करना चाहिए|

अब सवाल ये उठता है की क्या गरीबों के लिए बनाई गई सामाजिक बीमा योजना जिसके तहत उन्हें उपरी आमदनी दी जाती है वो गलत है? ये योजना एक सामान्य और नियम-आधारित बीमा पालिसी है| ये अत्यंत गरीबी से जूझ रहे सभी नागरिकों के लिए है| इसलिए ये सबके समान अधिकार वाले कानून को कोई क्षति नहीं पहुंचाती|

समान व्यवहार से जुड़ी एक अहम शर्त भी है जिसके अनुसार ये कानून सिर्फ सरकार और शासन प्रणाली पर लागू होता है| ये कानून नागरिकों को एक दुसरे के साथ समान व्यवहार करने के लिए बाधित नहीं करता| वो अपनी इच्छानुसार लेन-देन, सौदा, लोगों को उनके लक्षण के आधार पर नौकरी देने और नौकरी से निकालने के लिए आज़ाद हैं| नागरिकों के भेद-भाव करने या न करने पर बाज़ार उनके साथ जो भी व्यवहार करे उससे

सरकार को कोई सरोकार नहीं होना चाहिए| वो अपने निजी क्षेत्र में भेद-भाव करके आजादी से जुड़े किसी भी कानून को नहीं तोड़ते हैं|

३.३.६ अवसरों की उचित समानता

सही मायने में देशवासियों को स्वतंत्रता तब ही प्राप्त होगी जब आजाद समाज में जितना हो सके सबको आगे बढ़ने के एक समान अवसर प्राप्त हों| सबको हर हाल में एक समान अवसर प्रदान करना तो मूल रूप से संभव नहीं है क्यूंकि हर मनुष्य की बुद्धिमत्ता और योग्यता अलग-अलग होती है| और कोई कितना योग्य है ये उसकी जैविक गतिविधियों पर आधारित होता है| इसलिए अगर सरकार की मदद से किसी प्रकार की सामाजिक अपंगता को खत्म किया जा सकता है तो सरकार को जरूर हाथ बढ़ाना चाहिए|

एक आज़ाद समाज में सबको समान अवसर प्रदान करने के लिए बस इतना ही किया जा सकता है कि हर किसी को शिक्षा दी जाए, गरीबों को स्वास्थ्य सम्बन्धी मदद दी जाए और अत्यंत गरीबी को जड़ से खत्म किया जाए|

हम सरकार की सबसे अहम् जरूरतों जैसे कि रक्षा, पुलिस और न्याय को उचित पैसा लगाकर पूर्ण रूप से सुधारने के बाद ऐसी सामाजिक बीमा योजना लागू करेंगे जिससे हर भारतीय को आर्थिक मदद मिल सके| वो भारतीय जो अत्यंत गरीबी से जूझ रहे हैं इस योजना की सहायता से अपना आत्म-सम्मान वापिस हासिल कर पाएंगे और अपने बच्चों को अच्छे विद्यालयों में भेज पाएंगे| पर इस बीमा योजना के तहत सिर्फ इतनी ही आर्थिक मदद दी जाएगी जिससे लोगों को मुफ्तखोरी की आदत न पड़ जाए| ये किसी भी मायने में पुनर्वितरण योजना नहीं होगी| हमारा इरादा ये कतई नहीं है कि जनता ने अपनी गाढ़ी कमाई से जो कर दिया है हम उसे ऐसे लोगों में बाँट दें जो काम करने के लायक तो हैं पर आलस में नहीं करते| ये आर्थिक मदद बहुत ही कम होगी| एक इंसान को घरबार बसाने के लिए जितने रुपयों की जरूरत होती है उससे कई गुना कम| और आर्थिक मदद करने से पहले हम इस बात की अच्छे से पड़ताल करेंगे की योजना का लाभ उठाने वाला इसके योग्य है या नहीं|

३.४ परिवार, समाज और राष्ट्र

हमारी विचारधारा का केंद्र है- व्यक्ति, हर व्यक्ति समाज का अभिन्न अंग होता है जिसका समाज से रिश्ता सिर्फ भौगोलिक सरहदों तक सीमित नहीं होता| इसलिए हमने अपनी विचारधारा में परिवार, समाज और राष्ट्र तीनों को अहम भूमिका दी है|

३.४.१ परिवार

परिवार ही वो प्रथम संस्थान है जहाँ व्यक्ति जीवन के मूल्यों को सीखता है| एक अच्छे समाज का निर्माण तब ही मुमकिन है जब उसमें बसने वाले परिवार सिद्धांतो का महत्व समझते हों| एक सफल विवाह और उससे उपजा परिवार ही सफल समाज का निर्माण करते हैं और आने वाली पीढ़ियों का अच्छे से पालन-पोषण करते हैं| कई अध्ययनों से पता चला है की शादीशुदा व्यस्क लम्बी आयु प्राप्त करते हैं, स्वस्थ रहते हैं और ज्यादा कमाते भी हैं| भले ही हम महान समाज के निर्माण में माँ, बहनों और बेटियों की भूमिका पर ज्यादा जोर देते हों पर वास्तविकता यही है की समाज के निर्माण में हर नागरिक का योगदान होता है|

३.४.२ समाज

एक आज़ाद समाज का निर्माण तब ही मुमकिन है जब लोगों में समाज को आगे ले जाने की प्रेरणा जाग्रत हो| ये इस बात पर आधारित है कि नागरिक अपनी इच्छा से आगे आकर दान और समाज कल्याण से जुड़े सामाजिक समुदायों और संस्थानों की मदद करें| आज़ाद समाज में ऐसी अनगिनत सामाजिक संस्थाएं होती हैं जो सामाजिक जीवन के किसी न किसी पहलु को बेहतर बनाने के लिए कार्यरत होती हैं|

स्वर्ण भारत पार्टी के व्यक्तिगत सदस्य होने के तौर पर हम समाजिक समानता और कानून द्वारा प्रदान की गई समानता के प्रति वचनबद्ध हैं| इसका मतलब हमारे लिए सभी भारतवासी एक समान हैं और हम हर प्रकार के भेद-भाव की खिलाफत करते हैं जिसमें जात-पात भी शामिल है| हम में से ज्यादातर सदस्य अपनी क्षमता अनुसार जितना हो सकेगा हम हर भारतीय को उसका समान अधिकार दिलाने के लिए लड़ते रहेंगे| हमारे कुछ सदस्य धर्म से जुड़े मामलों पर काम करेंगे| (सरकार को किसी भी सामाजिक या धार्मिक सुधार करने का अधिकार नहीं है|)

३.४.३ राष्ट्र: समग्र भारत

भारत एक सभ्यता है जो १९४७ के बाद से एक संयुक्त राष्ट्र बन चुका है| पर व्यावहारिक कारणों के चलते इसकी स्थापना एक क्षेत्र के रूप में की गई है| अगर हम भौतिक क्षेत्र में बंधे न हों और हर नागरिक साथ मिलकर अपनी सरहदों की सुरक्षा न करे तो देश पर आक्रमण का खतरा बन जायेगा| इसलिए राष्ट्र का सशक्त और कारगर होना बेहद जरूरी है| हमारी पार्टी भारत की अखंडता का समर्थन करती है और उसकी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है| अपने लोगों में एकता बनाए रखना हम अपना दायित्व समझते हैं|

अब बात करते हैं हमारी पृथ्वी की जिसपर सदियों से निर्दयी लोग दर्जनों विचारधारायें लागू करते आ रहे हैं| समय हो गया है कि इसको भी नैतिकता के रास्ते पर ले जाया जाए| भारत की दार्शनिक प्रथाएं जैसे आजादी, अनेकता के प्रति सहनशक्ति और विचारों की विविधता की सराहना पर टिकी हुई हैं| इन्हीं प्रथाओं से पृथ्वी का कल्याण भी संभव है| हमारा मनना है की एक शांतिपूर्ण दुनिया को बनाने और उसको सुचारू रूप से चलाने में भारत अहम भूमिका निभा सकता है|

४. आज़ाद समाज में सरकार की भूमिका

हम इस घोषणापत्र में शुरू से ही इस बात पर रौशनी डालते आ रहे हैं की आज़ाद समाज में सरकार की क्या भूमिका होनी चाहिए| एक वाक्य में कहें तो सरकार का दायित्व है जीवन और आजादी का सरंक्षण और निजी मामलों में हस्तक्षेप न करना|

ये कोई छोटी भूमिका नहीं है|

जीवन और आजादी का बचाव करना एक बहुत बड़ा दायित्व है जिसमें कई पेचीदा गतिविधियाँ और संस्थागत इंतज़ाम शामिल हैं| सिर्फ यही दायित्व सरकार को हर ३६५ दिन के चौबीसों घंटे काम में व्यस्त रख सकता है| इस काम को करने में ही सरकार का सारा समय और शक्ति लग जाएगी| मतलब सरकार के पास इतना फालतू समय नहीं बचेगा की वो कपड़े या ब्रेड बनाना, बसें, होटल या एयरलाइन्स चलाने जैसे गैरजरूरी काम अपने हाथ में ले|

इस बात का संशय भी कभी नहीं टलता कि हमने सरकार को जिस कार्य के लिए चुना है वो खुद को उससे भी ज्यादा दायित्वों के लिए निर्वाचित कर ले| दुनिया की लगभग हर

सरकार के साथ ऐसा देखा गया है कि वो धीरे धीरे अपने आकार और पहुँच को फैलाती चली जाती हैं| ये वाग्नेर का नियम कहलाता है| ऐसा इसलिए होता है क्यूंकि सरकारी अधिकारियों, उससे जुड़े समुदायों और नौकरशाहों को जनता के पैसों पर अपनी ताक़त बढ़ाने का बहुत शौक होता है| वो खुलेआम शक्ति प्रदर्शन करते हैं और अपनी जवाबदेही भी नहीं समझते| पर सरकार पर रोकथाम करना आसान नहीं है| बाज़ार की विफलता से ज्याता हानिकारक है सरकार की विफलता वो भी जब उसका कारण खुद सरकार का गैरजरूरी तौर पर फ़ैल जाना, असमर्थता और भ्रष्टाचार हो| नेताओं को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता की वो जनता के पैसे को कहाँ बरबाद कर रहे हैं जिसका एक अच्छा उदारहण भारत सरकार भी है|

हमें एक ऐसी सरकार की जरूरत है जो बस वही कार्य करे जिसके लिए उसे सत्ता दी गई है| उसे बाकी सारी बातें अपने मालिक यानि जनता पर छोड़ देनी चाहियें|

ये कार्य असमर्थ लोगों के बस की बात नहीं है इसलिए स्वर्ण भारत पार्टी ने खुद ऐसा कर दिखाने का ज़िम्मा उठाया है|

४.१ सरकार के कार्य (इसमें वो कार्य भी शामिल हैं जो सरकार को नहीं करने चाहिएं)

अर्थशास्त्र के गड़बड़ाने की वजह से सरकार की विफलता आसानी से प्रत्यक्ष हो जाती है और कई बार तो ये बाज़ार की विफलता से भी ज्यादा बुरी होती है| इसलिए सरकार का रुख तब ही करना चाहिए जब बाज़ार की असफलताएँ काफी बड़ी और जल्दी न खत्म होने वाली हों| जब बात सैन्य और पुलिस बल, न्यायपालिका, भयंकर प्रदुषण से समाज को बचाने और अपने देश के अभागे लोगों की मदद करने की हो तो इन सब में सरकार की अहम भूमिका होनी चाहिए| (इसके लिए निजी सहायताएं मौजूद हैं पर वो काफी नहीं हैं|) पर जब बाज़ार की विफलताएं छोटी और अस्थायी हों, जैसा की एकाधिकार होने की परिस्थितियों में या ग्राहक की अज्ञानता का फायदा उठाते वक़्त होता है, तो सरकार को इस मामले में जितना हो सके उतना कम हस्तक्षेप करना चाहिए| वो ऐसा एंटी-ट्रस्ट पॉलिसीस बनाकर और ग्राहक को अपने फैसले खुद करने का अधिकार दे कर हासिल कर सकते हैं|

आज़ाद समाज में सरकार को जो कार्य करने चाहिएं हमने उनका विवरण किया है:

४.१.१ पहले दर्जे के कार्य

इसमें शामिल हैं:

- रक्षा: कोई भी कार्य करने से पहले सरकार के लिए जरूरी है कि वो जनता को कारगार सुरक्षा प्रदान करे| नागरिकों का भी दायित्व बनता है कि वो अपनी इच्छा से आगे आयें और राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित करें| (हम सेना में बलपूर्वक भरती का सहयोग नहीं करते हैं बशर्ते कोई बुरे हालात न पैदा हो जायें|)
- कानून व्यवस्था, आतंरिक सुरक्षा; पुलिस: सरकार का दूसरा जरूरी दायित्व है- पुलिस| ये भी सुरक्षा के दायरे में ही आता है और उतना ही जरूरी है| इसकी आवश्यकता आतंरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए है| इसमें आपातकाल प्रबंधन के तहत बचावकार्य और राहत प्रदान करने जैसी गतिविधियाँ भी शामिल हैं|
- न्याय: जब आज़ाद समाज को बाहरी और आतंरिक सुरक्षा प्राप्त हो जाती है उसके बाद उसे जरूरत पड़ती है मजबूत न्याय प्रणाली की| आज़ाद समाज में कानून का राज और नागरिकों की जवाबदेही कायम रखना भी इसमें शामिल है| ऐसे कानून आसान और सरल होने चाहियें और उन्हें नागरिकों की आजादी पर उस हद तक ही अंकुश लगाना चाहिए जब तक वो आज़ाद समाज की विचारधारा को नुक्सान न पहुंचाए|
- स्वतंत्र उद्यम, लोकतंत्र और सहायता का सहयोग: सरकार को बाज़ारों के लिए कुछ नियम कानून बनाने चाहियें जिससे नवीनता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिले और कोई जालसाजी या नुक्सान न हो| सरकार का दायित्व है कि वो लोकतंत्र को मजबूत करे और सहायक और स्थानीय सरकार के सिद्धांत को बढ़ावा दे| और फैसले करने का अधिकार उस स्तर की सरकार के पास हो जो उस मामले के सबसे करीब से जुड़ी हो|

४.१.२ वैकल्पिक (दूसरे दर्जे के) कार्य

जब ऊपर दिए पहले दर्जे के सभी कार्य सरकार कुशलतापूर्वक पूरे कर ले उसे तब ही किसी और चीज में हाथ डालना चाहिए| भौतिक आधारिक संरचना को बढ़ावा देना इसी दर्जे के कार्य में शामिल है| जब अतिमहत्वपूर्ण कार्य सफलतापूर्वक पूरे हो जायें तब ही

सरकार को अपना ध्यान दुसरे कार्यों की और केन्द्रित करना चाहिए| अत्यंत गरीबी हटाना और नागरिकों को जितने हो सके समान अवसर प्रदान करना ऐसे ही कुछ दूसरे दर्जे के कार्य हैं|

४.१.३ गैरजरूरी (तीसरे दर्जे के) कार्य

अतिमहत्वपूर्ण और वैकल्पिक कार्यों के बाद सरकार के लिए अन्य कार्य जैसे की ऐतिहासिक संपत्ति का संरक्षण, खेल-कूद, वैज्ञानिक अनुसंधान और वनस्पति और जीवजन्तु की सुरक्षा गैरजरूरी होनी चाहियें| इन मामलों में सरकार ज्यादा से ज्यादा सामान्य नियम-कानून बना सकती है और जो लोग इन कार्यों के लिए जिम्मेदार हैं उनको मदद पहुंचा सकती है|

४.२ सत्ता की बागडोर संभालना

हम इस मामले को लेकर ज्यादा संजीदा नज़र नहीं आते पर ये समझना कि सरकार हमारी नौकर है मालिक नहीं बहुत जरूरी है| सरकार को सिर्फ वही दायित्व अपने हाथ में लेने चाहिए जिसके लिए जनता ने सत्ता की बागडोर उसे सौंपी है| जैसे की नैतिकता का उपदेश देना, उसका पाठ पढ़ाना या जबरदस्ती लोगों पर नैतिकता थोपना सरकार का काम नहीं है| क्यूंकि सरकार हमारी सेवक है इसलिए बस उसे हमें सुरक्षित रखने और संरक्षण देने का दायित्व ही निभाना चाहिए न की हमारा माई-बाप बनकर बैठ जाना चाहिए|

अगर हम सरकार को सख्ती से उसकी हद में रखेंगे तो हम उसका गैरजरूरी तरीके से फलना-फूलना रोक पाएंगे| हम उसकी तानाशाही खत्म कर उसका ध्यान उसके दायित्वों के प्रति ऐसे ही केन्द्रित कर सकते हैं|

४.२.१ सरकार के खर्चे कम करना और उसकी कार्यक्षमता बढ़ाना

सरकार करदाता की खून पसीने की कमाई पर ही फलती-फूलती है| पर करदाता पर आश्रित ये सरकार आज जनता का इतना फायदा उठाने लगी है और उसका इतना खून चूसने पर तत्पर है कि जिस समाज की सुरक्षा के लिए सरकार सत्ता में आई थी आज उसने उसी जनता का जीना दूभर कर दिया है| हमें हर हाल में सरकार के इस तरह से

फलने-फूलने पर रोक लगानी होगी ताकि करदाता अपनी कमाई अपनी जरूरतों पर भी खर्च कर सके|

इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें जितनी भी गैरजरूरी एजेंसीज हैं उनके ढांचे को नया रूप देकर उनके खर्चों को कम करना पड़ेगा| और बाकि की एजेंसीज को और ज्यादा सक्षम और प्रभावकारी बनाना होगा| हम व्यवस्थित तरीके से हर सरकारी एजेंसी और कार्यक्रमों के वादों की समीक्षा करेंगे और इस बात की जांच करेंगे कि वो पहले दर्जे के सिद्धांतों से संबद्धता रखते हैं या नहीं|

हम कम संसाधनों से ज्यादा काम करेंगे| हम सरकारी मशीनरी की उत्पादकता बढ़ाने के लिए उसकी कार्यक्षमता बढ़ाएंगे ताकि हर साल उत्पादन करना सस्ता पर पहले के मुकाबले ज्यादा प्रभावकारी होता जाए| (और इस वादे के तहत हम सरकार के किसी भी वैद्य कार्य के लिए अधिकारियों की आय या और किसी मदद में इज़ाफा नहीं करेंगे|) हमने इस पर भी इस घोषणापत्र में प्रकाश डाला है|

एक अर्थव्यवस्था के फलने-फूलने का सबसे बड़ा संकेत यही है कि उसकी सरकार का आकार उसकी जीडीपी के अंश के जितना ही छोटा होता चला जाए|

४.२.२ संवैधानिक दबाव और रियायतें

संचालन पर नियंत्रण रखना काफी नहीं है| अनियंत्रित लोकतंत्र जहाँ लोब्बिएस, कल्याण समुदाय और नेताओं को बार बार सत्ता में आ जाने का सुख मिलता हो वहां सरकार का तानाशाह बन जाना आम बात है| इससे सरकार बिना किसी रोकथाम के फलती-फूलती है| ऐसी प्रवृत्तियों पर रोकथाम लगाने के लिए हम संवैधानिक दबाव बनायेंगे|

हम संविधान में मौजूद अधिकारों को द्वारा स्थापित कर ये सुनिश्चित करेंगे कि सत्ता में आने के लिए आवश्यक अधिकतम वोट की जरूरत हो| इसके अलावा हम सरकार के कामकाज की वैद्य सीमा निर्धारित करेंगे ताकि सरकार वही काम करे जिसके लिए सत्ता में आई है|

४.२.२.१ नई संविधान सभा की स्थापना पर विचार

भले ही भारतीय संविधान ने इतने सालों तक हमें सुखी जीवन दिया हो, पर इसके बहुत से मूल सिद्धांतों को नष्ट कर दिया गया है| इसलिए अब समय आ चुका है की पूर्ण आजादी और मर्यादित सरकार को अमली जामा पहनाने के लिए संविधान की समीक्षा कर एक नए दस्तावेज की रचना की जाए| हर पीढ़ी को नए सिरे से संविधान की समीक्षा करने का अवसर मिलना चाहिए| इसी को ध्यान में रखते हुए हम एक नई संविधान सभा का आयोजन करेंगे क्यूंकि हमें पता है एक ऐसी सभा जिसके सदस्य आजादी के सिद्धांतों से पूरी तरह अनजान हों वो समाज को कितना नुक्सान पहुंचा सकती है|

४.२.२.२ संविधान के लिए जरूरी संशोधन

इस दौरान हम जितनी जल्दी हो सके कई सारे संवैधानिक संशोधन संज्ञान में लायेंगे, जिसमें निम्न संशोधन शामिल हैं:

अ) संपत्ति पर अधिकार के लिए एक मजबूत मौलिक अधिकार की व्यवस्था और सीलिंग कानूनों को संरक्षण देने वाले अनुच्छेदों का खात्मा इस संशोधन में शामिल होगा| ये प्रावधान मूल संविधान से किसी भी तरह की कोई सहमति नहीं रखते हैं|

आ) अमेरिकी संविधान के प्रथम संशोधन के नमूने पर आधारित विचार प्रकट करने की पूर्ण आजादी का अधिकार|

इ) अखिल भारतीय सेवा से सम्बंधित सभी कानूनों को रद्द करना| इस तरह से सिविल सेवा को संसद के कानूनों द्वारा नियमित किया जा सकेगा और जेनेरिक लेबर कानून भी लोकसेवकों पर लागू किया जायेगा| हालाँकि जेनेरिक लेबर कानून में भी कई सुधार किये जायेंगे|

ई) संविधान के ४२वें संशोधन को भी खत्म किया जायेगा जिसके आधार पर प्रस्तावना में सोशलिस्ट शब्द जोड़ा गया है| हमें सोशलिस्ट पार्टी से कहीं अधिक चिंता अत्यंत गरीबी में जीवन काट रहे देशवासियों की है| ऐसी सोशलिस्ट पार्टियाँ गरीबों के नाम पर अपना ही फायदा देखती हैं| हमारी पॉलिसीस की मदद से हम तीन साल के अन्दर अन्दर अत्यंत गरीबी को जड़ से उखाड़ फेकेंगे और हर भारतवासी को एक समृद्ध जीवन जीने का मौका देंगे| हम ऐसे समाजवाद का विरोध करते हैं जहाँ सरकार सत्ता पर अपना मालिकाना हक समझती हो और अर्थव्यवस्था अपने हाथ में रखती हो| जन प्रतिनिधि कानून की सबसे बड़ी जरूरत

जिसके तहत हर राजनैतिक पार्टी को समाजवाद की शपथ ग्रहण कराई जाती है, इस कानून को भी खत्म किया जायेगा|

उ) सरकार चलाने की नीतियों से जुड़े नीति निदेशक सिद्धांतों को भी रद्द किया जायेगा| हम इस विचारधारा का विरोध करते हैं जिसके तहत हमरा संविधान जिसे नियम कानून और आजादी की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध किया गया है उसमें नीति अभिस्ताव शामिल हो| किसी भी नीति का हमारी आजादी पर क्या फर्क पड़ेगा इसका बड़े पैमाने पर मूल्यांकन करने के बाद ही उसका लोकतान्त्रिक तरीके से निर्धारण करना चाहिए|

पिछले सालों में हमारे संविधान में कई संशोधन शामिल किये गए हैं जिनका उद्देश्य तो सराहनीय है परन्तु ढांचा असमर्थ जैसे दलबदल निरोधक कानून| इन प्रावधानों की समीक्षा की जाएगी, और जैसा सही समझा जायेगा उस हिसाब से इनमें या तो सुधार किया जायेगा या इन्हें पूरी तरह से रद्द कर दिया जायेगा| और जब सरकार कानून व्यवस्था को सुचारू कर देगी उसके उपरांत संविधान में शामिल अनुच्छेद २९ और ३० को खत्म कर दिया जायेगा| इसके बाद ही सही समय होगा एक नई संविधान सभा के आयोजन का जिसका लक्ष्य आसान और सरल संविधान का निर्माण होगा|

४.२.२.३ संवैधानिकता के लिए कानूनों की न्यायिक ताकतों द्वारा समीक्षा

भारत नीति कार्यालय से समन्वय बिठाकर कानून व्यवस्था की समीक्षा के अलावा हम न्यायिक ताकतों की भी जांच करेंगे और उनके द्वारा कानूनों की समीक्षा करेंगे ताकि आजादी का पालन हो सके| जरूरत पड़ने पर हम ऐसी ताक़तों को और मजबूत करेंगे| हम चाहते हैं की हमारी शासन प्रणाली को पूरा अधिकार हो कि वो ऐसे कानूनों को संविधान से निकाल बाहर करे जो नागरिकों की आजादी को खतरे में डालते हों|

४.२.२.४ राज्यों को सब्सिडी और विकेंद्रीकरण के अधिकार

अगर हम चाहते हैं कि सरकार के अनावश्यक विस्तार पर रोक लगे तो हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी मामले में निर्णय लेने का अधिकार उसी सरकार को दिया जाये जो उससे सब से करीबी से जुड़ी हो या उसे हल करने के लिए सबसे समर्थ हो| हमारी ओर से स्थानीय जानकारी रखने वाले सार्वजनिक प्रतिनिधि ऐसे निर्णय लेने के लिए

उत्तम हैं| पूर्ण स्वराज तब ही हासिल हो सकता है जब सरकार के स्थानीय कामकाज प्रभावी तरीके से पूरे करने के लिए गाँव और मौहल्लों के स्तर पर प्रतिनिधि काम करें| हम स्थानीय संस्थानों को समर्थ बनायेंगे ताकि वो जवाबदेही के साथ खुद कर लागू कर उसे जमा करें| वो इस राजस्व का इस्तेमाल स्थानीय जरूरतों और आधारिक संरचना के लिए कर सकते हैं|

इसी तरह से केंद्र और राज्य के रिश्ते भी आज के समय में कुछ ज्यादा ही केंदिकृत हो चुके हैं| इसका परिणाम ये हुआ कि राज्यों कि स्थिति पोस्ट ऑफिस जैसी हो गई है जिनको नीतिगत आजादी भी नहीं मिलती| हम सुनिश्चित करेंगे कि संविधान में राज्यों और केंद्र को जो अधिकार दिए गए हैं उनका आदर किया जाए| हम राज्यों और स्थानीय सरकारों की ताक़तों की समीक्षा कर उन्हें और बढ़ाएंगे| हम संयुक्त सूची के ज्यादातर क्षेत्रों से केंद्र सरकार को अलग करेंगे ताकि प्रतियोगी संघवाद को सुनिश्चित कर सकें| इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ सहयोगी कार्यों को सुरक्षित करना होगा| हमें ये सुधार बहुत गहरे स्तर पर करने होंगे जो सिर्फ सारे देश में करों और कानूनों की एकरूपता के बल पर ही मुमकिन है| ऐसा करने पर ही भारत एक आर्थिक बाज़ार के रूप में उभर पाएगा| ताक़तवर सरकार होने के बावजूद भी हम ये नहीं चाहते कि राज्य और स्थानीय सरकार वो काम करें जो उनके दायित्व नहीं हैं| पर निचले स्तर पर काम करने का मतलब ये नहीं कि सरकारों को आजादी खत्म करने का लाइसेंस मिल जाता है|

हालाँकि कुछ मामलों में ऐसा नहीं हो सकता| इसका एक उदारहण है दिल्ली जिसकी वर्तमान व्यवस्था एकदम सही है| दिल्ली में पुलिस राज्य नहीं बल्कि केंद्र सरकार के अन्दर काम करती है| और ये जरूरी भी है क्यूंकि दिल्ली हर भारतवासी की है और करोड़ों भारतीय साल भर यहाँ आते जाते रहते हैं| दिल्ली में होने वाले स्थानीय मामले दिल्ली में सुलझने चाहियें पर उनसे राष्ट्र पर कोई बुरा असर नहीं पड़ना चाहिए|

४.२.३ जवाबदेही और पारदर्शिता में इजाफा

सरकार पर उचित रोकथाम करने के दुसरे रास्ते भी हैं जैसे पारदर्शिता और सरकार की जवाबदेही में मजबूती|

४.२.३.१ सरकार में खुलापन: कर्तव्य प्रकाशित हों

सरकार को राष्ट्र के बोर्ड ऑफ़ ट्रस्टी की तरह माना जाना चाहिए| सरकार जो भी काम करे उसमें पारदर्शिता हो और वो खुद को उसके लिए जवाबदेह समझे| ये राष्ट्रिय सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है| सरकार को सारी अहम जानकारी इन्टरनेट पर प्रकाशित करनी चाहिए| हम सरकार से जुड़ा ज्यादातर डाटा लोगों की पहुँच के लिए इन्टरनेट पर प्रकाशित करेंगे| सरकार के ठेकों और खर्चों का पूरा ब्यौरा भी अलग से प्रकाशित किया जायेगा|

हम ऐसा कानून बनायेंगे जिसके तहत राज्यों के राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों के अलावा किसी भी अन्य डाटा को सरकारी रहस्य घोषित नहीं किया जायेगा| जैसे की किसी भी नागरिक की लोकतान्त्रिक राजनीतिक गतिविधि को सरकारी रहस्य नहीं माना जायेगा| पर ऐसे किसी भी राज़ को उजागर करना जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ जाये कानूनन जुर्म होगा जिसकी कड़ी सजा दी जाएगी|

हम सूचना अधिकार कानून यानि आरटीआई में भी सुधार करेंगे| हमारे संशोधन का मकसद होगा इस अधिकार का इस्तेमाल करके किसी भी मामले में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल कर पाना बशर्ते वो जानकारी निजी, व्यापारिक गोपनीयता या राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों से न जुड़ी हो| इस कानून के तहत हर नागरिक को सशक्त किया जायेगा कि वो सरकार द्वारा इकट्ठी की गई देशवासियों की जानकारी पैसे की अदायगी पर प्राप्त कर सके| बस वो जानकारी किसी नागरिक का निजी रहस्य नहीं होना चाहिए|

प्रकटीकरण कानूनों में सुधार किया जायेगा जिससे कैबिनेट और और बाकि दस्तावेजों को तीस साल बाद सार्वजनिक करना जरूरी कर दिया जायेगा| इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े दस्तावेज भी शामिल होंगे बशर्ते अब उन दस्तावेजों की गोपनीयता बनाये रखने की आवश्यकता न हो या अब उनका मकसद हल हो गया हो- जो भी पहले हो जाये| इसका मतलब सरकार के ज्यादातर गोपनीय दस्तावेज तीस साल से पहले पहले आराम से सार्वजनिक किये जा सकते हैं|

४.२.३.२ स्थानीय बोर्ड्स की मदद से नागरिक सरकार पर सीधे निगरानी रखेंगे

जवाबदेही और पारदर्शिता को और मजबूत करने के लिए हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हर सरकारी कार्यालय चाहे वो डिपार्टमेंट हो, एजेंसी हो या पुलिस स्टेशन हो खुद का स्थानीय

बोर्ड स्थापित करेंगे जिसे हर साल योग्य मतदाताओं के वोट्स के आधार पर चुना जायेगा| ये जज चुनने जैसा ही होगा| स्थानीय बोर्ड उस सार्वजनिक कार्यालय की गतिविधियों पर नियंत्रण रखेगा| इस बोर्ड के पास अधिकार होगा कि वो कार्यालय के रिकॉर्ड और कार्यप्रणाली का निरक्षण कर सके| परन्तु जो रिकार्ड्स निजी कानून, सरकारी गोपनीयता कानून या कैबिनेट और व्यापारिक गोपनीयता के तहत सुरक्षित हैं उनका निरक्षण करने का अधिकार इस बोर्ड को नहीं होगा| इस बोर्ड के अन्य दायित्व होंगे कार्य के समय पर पूरा न होने की स्थिति में, असक्षमता की स्थिति में और भ्रष्टाचार होने पर वो इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों या मीडिया से भी कर सकता है|

ये सब बदलाव लागू करके ही भारत के कर्ताधर्ता यानि हम नागरिक सरकार को नियंत्रित कर पाएंगे| ऐसी शासन प्रणाली से ही जनसेवक अपने कर्तव्य समझ पाएंगे| सिर्फ नियुक्त किये गए प्रतिनिधि ही सरकारी मशीनरी की निगरानी नहीं रखेंगे अपितु नागरिकों में से चुनी गई न्यायिक समितियां भी ये कार्य करेंगी| यही वो पूर्ण स्वराज है जो हम भारत में लाना चाहते हैं|

इसके अलावा हम नागरिक समुदायों के साथ भी सक्रियता से कार्य करेंगे ताकि भारत में सच्चा प्रजातंत्र और जवाबदेही ला सकें| ये नागरिक समुदाय नई टेक्नोलॉजी से लैस होंगे ताकि सरकार का अच्छे से संचालन कर सकें| वो उसकी मदद से सार्वजनिक सेवाओं और नेताओं और नौकरशाहों पर भी नज़र बनाये रखेंगे| हम ऐसी संस्थाओं को अधिकृत करने के लिए भी कानून लायेंगे जिससे वो बिना डरे गुमनाम तरीके से ऐसे कार्यालयों की असक्षमता या भ्रष्टाचार की खबर सरकार को दे सकें| इससे सरकार जरूरत पड़ने पर उनकी जांच करवा सकती है| हम ऐसे कानून को भी लागू करेंगे जिससे यदि ऐसी नागरिक सामाजिक संस्थाएं सरकारी अध्यक्षों से कोई जानकारी हासिल करना चाहती हैं तो वो कानून उन अध्यक्षों को उस गुजारिश को मानने के लिए प्रतिबद्ध करता हो|

जब हम सरकार की पूर्ण जवाबदेही की बात करते हैं तो मतलब हम ये कर के भी दिखायेंगे|

४.३ प्रोत्साहन के अनुकूल और नतीजों पर केन्द्रित शासन प्रणाली

जैसे ही हम सरकार के अनावश्यक विस्तार पर रोक लगा देंगे, उसके कार्य और आकार को सही मायने में निर्धारित कर देंगे और नागिरकों को सरकार की निगरानी में लगा देंगे, तो हमारा दायित्व होगा ये सुनिश्चित करना की वो इन्हीं हदों में रहकर काम करे| प्रभावी तरीके से सरकार चलाने के लिए ये बेहद जरूरी है कि उसकी व्यवस्था को पेशेवर और योग्य ढंग से बनाये रखा जाए और उसके सभी कार्य कम से कम लागत पर शानदार तरीके से पूरे किये जायें| हमें छोटी पर बहुत मजबूत और बेहद काबिल सरकार की जरूरत है|

ये पहलु हमें राजनीतिक सिद्धांत से दूर अर्थशास्त्र और नए सार्वजानिक प्रबंधन की तरफ ले जाता है| इन सिद्धांतों से हम जान सकते हैं कि नेताओं और जनसेवकों को किस तरह प्रोत्साहित किया जा सकता है और वो कौन से तरीके हैं जिनसे सरकार को ज्यादा सक्षम बनाया जा सकता है|

इसकी शुरुआत तभी मुमकिन है जब हम एक बात अच्छे से समझ लें कि कहीं न कहीं हर कोई अपना फायदा तलाशता है| हमें ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी जिसमें अच्छा और प्रभावी कार्य करने वाले सरकारी कर्मचारियों को उसके अनुसार प्रोत्साहन मिले और उन्हीं को नतीजों के लिए जवाबदेह भी माना जाए| मतलब उन्हें दिए काम को सही से करने पर उन्हें मुआवजा मिले| सही मुआवज़े के बल पर हम हर पीढ़ी के प्रतिभावान लोगों को विधानसभाओं, न्यायिक और निजी सेवाओं में आने के लिए लुभा सकते हैं| इस तरह से हम योग्य लोगों को प्रेरित भी कर पाएंगे कि वो अपने देश भारत को आगे ले जाने के लिए जी-जान लगा दें|

यदि हम अपने प्रतिनिधियों और कर्मचारियों को कम पैसा देंगे तो असमर्थ और भ्रष्ट लोग ही सरकार बनाने के लिए आगे आएंगे| ये गलती बहुत महंगी साबित होगी जिसे पिछले ६७ साल से भारत भुगतता आ रहा है| इसके नतीजे तो हमें साफ़ तौर पर दिख ही रहे हैं| इसके अलावा ये गलती काफी खतरनाक भी साबित हो सकती है| अगर हमारी शासन प्रणाली प्रोत्साहन को लेकर व्यवस्थित न हुई तो ये हमारी ज़िन्दगी और राष्ट्रीय सुरक्षा को हलके में लेना होगा|

४.४ अच्छे शासन के दो स्तम्भ

शेष घोषणापत्र में हमने सिस्टम में जरूरी सुधारों को विस्तार से समझाया है| हम इन सुधारों की मदद से प्रोत्साहित करने वाली शासन प्रणाली को लागू कर भारत को समृद्ध बनायेंगे| इन सुधारों को हमने दो भागों में बाँट दिया है|

४.४.१ स्तम्भ १: सरकार में योग्य लोगों को लाना

इसके तहत हमारी कोशिश होगी सरकार में अच्छे और योग्य लोगों को लाना| हमारे नेता और नौकरशाह दोनों ही ईमानदार और अतिसक्षम होने चाहियें| ऐसा करने के लिए अच्छे से विचार-विमर्श करना होगा न कि नादानी में जन लोकपाल या राईट तो रिकॉल जैसी मांगे उठानी होंगी| अर्थशास्त्र के नियम सब पर हर वक़्त एक समान तरीके से लागू होंगे| हमारी शासन प्रणाली का बचकाना मॉडल हमेशा उसे अंधकार की खाई में ही गिराएगा|

४.४.२ स्तम्भ २: ये सुनिश्चित करना की सरकार सिर्फ अपने जरूरी दायित्व ही पूरे करे

जब सरकारी मशीनरी काबिल लोगों के हाथ में आ जाएगी तो हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि वो सिर्फ अपने दायित्वों पर ही ध्यान दें| सरकार की इस भूमिका के बारे में हम पहले भी बता चुके हैं| हालाँकि ऐसा करने के परिणाम व्यापक होंगे जिन्हें हमने इस घोषणापत्र में आगे विस्तार से समझाया है|

स्तम्भ १: शासन किसको करना चाहिए? अच्छे नेताओं और नौकरशाहों को|

५. ईमानदार नेता सरकार में लाना

हमारे देश में लोकतंत्र का पश्चिमी मॉडल प्रचलन में है इसके तहत भारत ने भी वोटिंग का यही तरीका अपना रखा है जहाँ सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले प्रतिनिधि को पद मिलता है| फर्स्ट पास्ट द पोस्ट (एफपीटीपी) जैसी वोटिंग व्यवस्था ने कई देशों में सराहनीय काम किया और कई देशों में तो ये व्यवस्था सैकड़ों सालों से चलती चली आ रही है| एफपीटीपी व्यवस्था प्रभावी और कारगर ही साबित होती है बशर्ते ये अच्छे प्रोत्साहन ढाँचे पर टिकी हो|

भारत ने अपनी अपरिपक्वता या शायद ढोंग की आदत के चलते मुआवज़े की व्यवस्था को बुरी तरह ध्वस्त कर दिया है| यहाँ तक कि समझदार लोग जो हमेशा विचार विमर्श के बाद ही निश्चय करते हैं, वो भी ये मानने लगे हैं की हमारी समस्या खुद एफपीटीपी

व्यवस्था ही है| उनकी सलाह है की हम इस एफपीटीपी व्यवस्था को उसके भ्रष्ट नेताओं सहित जड़ से उखाड़ फेंके| पर हमें जिसकी जरूरत है वो है प्रोत्साहन की व्यवस्था में सुधार| इसके लिए विस्तृत और सोची-समझी योजना की जरूरत होगी और इसकी मदद से यही व्यवस्था दोबारा कुशलता से कार्य करने लगेगी| पर हमारी अयोग्य शासन प्रणाली का ढांचा कारगर सुधार योजनायें बना पाने में समर्थ नहीं है|

कोई भी भारतवासी जन्म से भ्रष्ट नहीं होता| जब अंग्रेज़ भारत आये तब भारतियों को उनकी अखंडता के लिए जाना जाता था| यहाँ तक कि आज भी विदेशों में भारतियों को उनके चरित्र के लिए माना जाता है| ये हमारी खराब शासन प्रणाली ही है जहाँ गलत अवसर और प्रोत्साहनों के गलत इस्तेमाल ईमानदार भारतीयों को भी भ्रष्ट बनने पर मजबूर कर देते हैं| मतलब इसमें गलती भारतीयों की नहीं बल्कि हमारे शासन की है|

पर आख़िरकार इतने सारे भारतीयों ने भ्रष्टाचार का रास्ता क्यूँ चुना? इस जवाब की दो तह हैं| हमारे शासन की गलतियाँ:

अ) **भ्रष्टाचार के अवसर:** हमारी सरकार सीधे तौर पर कारोबार में हस्तक्षेप करती है जो सरकार का काम कतई नहीं है| सरकार खुद आधारिक संरचना और सेवाओं के निर्माण और प्रबंधन में जुटी रहती है| जबकि उसे इन कार्यों का निजीकरण करके इन्हें ठेकों पर देना चाहिए| सरकार बिना मतलब के ज्यादातर व्यावसायिक, उत्पादन और लेन-देन के मामलों में हस्तक्षेप करती है| ऐसी व्यवस्था जहाँ सरकार अपनी मर्जी से हर निजी कार्य में दखलंदाजी करती हो उसके नेता और नौकरशाह ऊंचे दर्जे के भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं| इसका परिणाम ये होता है कि सारा देश ही भ्रष्ट होता चला जाता है|

आ) **भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन:** हमारी निर्वाचन व्यवस्था का ढांचा बेहद खराब है जिसके तहत जब नेता चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें पैसा पानी की तरह बहाना पड़ता है| अब जब वो चुनाव जीत जायेंगे तो ये प्रकृति का नियम ही है की वो उस पैसे को सूद समेत वापिस वसूलना चाहेंगे| इसके अलावा हमारे देश में नेताओं और नौकरशाहों की आय भी कुछ ख़ास नहीं है|

मतलब भ्रष्टाचार के अवसर बनाने और उसे बढ़ावा देने के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं| और इसके बाद हम नेताओं को भ्रष्ट होने का ताना मारते हैं|

हमें लगता है मुआवज़े से जुड़ी चुनौतियाँ आसान तरीकों जैसे जन लोकपाल से हल हो जाएँगी| हाँ, भ्रष्टाचारियों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान एक हद तक तो काम कर सकता है पर सिर्फ सजा पूरी शासन प्रणाली को बदलने के लिहाज़ से एक बहुत छोटा कदम है| प्रोत्साहन की बदौलत हमें न सिर्फ प्रतिनिधियों परन्तु पूरे शासन को बदलना होगा| और सबसे जरूरी है भ्रष्टाचार के अवसरों का खात्मा करना| ऐसे बहुत से देश हैं जहाँ लोकपाल नहीं है पर फिर भी वहां इतना भ्रष्टाचार नहीं होता| कड़ी सजा का प्रावधान तभी सफल होगा जब पहले भ्रष्टाचार के अवसर खत्म हों और काम के लिहाज़ से सही मुआवजा दिया जाए|

५.१ भ्रष्टाचार के अवसरों को कम करना

भारत की व्यवस्था को सुधारने का पहला हल है भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करना| इसके लिए जरूरी है भ्रष्टाचार के अवसरों को जितना हो सके कम करना क्यूंकि इन्हें एकदम से पूरी तरह उखाड़ फेंकना मुमकिन नहीं है| अवसर कम करने की तरफ जो पहला कदम है वो है सरकार के जरूरी कार्यों का निर्धारण करना और आज़ाद बाज़ार का अच्छे से बिना सरकारी हस्तक्षेप के नियंत्रण करना| हमारी पार्टी भ्रष्टाचार के अवसरों को कैसे कम करेगी इस योजना को हमने दुसरे स्तम्भ के अन्दर विस्तृत तौर पर शामिल किया है|

५.२ सरकार में अच्छे लोग लाने और भ्रष्ट और अपराधियों को बाहर रखने के लिए मुआवज़े का प्रबंध

इसका दूसरा हल है सक्षम और ईमानदार लोगों को पारिश्रमिक देना जो नेताओं के चुनावों में हो रहे खर्चे को कम करके और उन्हें अच्छी आय देकर किया जा सकता है| इसके बावजूद भी जो लोग भ्रष्टाचार का रास्ता चुनते हैं उनपर जुर्माने और सजा का प्रावधान होना चहिये|

५.२.१ सकारात्मक प्रोत्साहन: अच्छे लोगों के लिए दरवाज़े खोलना

५.२.१.१ प्रतिनिधियों को मिले मतों के आधार पर स्टेट फंडिंग की जाए

चुनावों में जीत उसमें किये जाने वाले खर्च से निर्धारित नहीं होती है| फिर भी ऐसे बहुत से अच्छे प्रतिनिधि होते हैं जो सिर्फ इसलिए हार जाते हैं क्यूंकि उनके अपराधी प्रतिद्वंदी करोड़ों के हिसाब से काला धन खर्च करते हैं| कुछ लोगों ने उम्मीदवारों की स्टेट फंडिंग

पर सवाल खड़े किये हैं और राजनीति को सामाजिक सेवा बताया है| ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि चुनावी प्रतिनिधि जो हमें अपनी सेवाएं देने के लिए आगे आते हैं उन्हें पहला अपनी जीवन भर की कमाई चुनाव जीतने के लिए खर्च करनी पड़ती है| और तब जाकर वो हमारा प्रतिनिधित्व कर पाते हैं जिसके लिए हम उनका शुक्रिया भी अदा नहीं करते| वर्तमान चुनावी प्रणाली ईमानदार लोगों को चुनाव लड़ने से रोकती है क्यूंकि वो अपनी सारी पूँजी चुनाव लड़ने में खर्च नहीं कर सकते|

हालाँकि कुछ देशों में इससे निपटने की भी एक कामयाब तरकीब इस्तेमाल की जा रही है| उन देशों में मतदाता चुनाव लड़ने के खर्चे को समझता है और अपने वोट के आधार पर उम्मीदवारों को एक छोटी से आर्थिक मदद प्रदान करता है| हमारी पार्टी ने हर वोट पर १५ रूपये देने का प्रस्ताव रखा है जिसके तहत हर उम्मीदवार को अधिकतम ७० लाख रूपये की मदद दी जाएगी| एक सामान्य लोकसभा क्षेत्र में करीब १५ लाख मतदाता होते हैं जिसमें से जिस उम्मीदवार को आधे से ज्यादा या करीब ६५% वोट मिलते हैं उन्हें ही इस ७० लाख रूपये की आर्थिक मदद मिलेगी| ये आंकलन बदल सकता है पर इसका सिद्धांत यही रहेगा|

इसके अलावा जमानत राशि को भी बढ़ाया जायेगा जिससे सिर्फ संजीदा उम्मीदवार ही चुनाव लड़ने के लिए आगे आयें|

इससे अच्छे उम्मीदवार राशि उधार लेकर भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जायेंगे क्यूंकि उन्हें ये भरोसा होगा कि चुनावी खर्चे का एक बड़ा हिस्सा वो इस व्यवस्था के तहत वापिस वसूल पाएंगे| हालाँकि इससे भ्रष्ट प्रतियोगियों को बेतहाशा खर्च करने से तो नहीं रोका जा सकता और वो फिर भी ईमानदार उम्मीदवारों से ज्यादा ही खर्च करेंगे (जवाबदेही में मजबूती लाकर हम ऐसे अपराधियों को चुनाव लड़ने से रोकेंगे) पर कम से कम इस व्यवस्था से ईमानदार उम्मीदवारों को दिवालिया होने से तो बचाया ही जा सकता है| क्यूंकि अच्छे प्रतियोगियों को ये यकीन रहेगा की हारने के बावजूद उनका सारा पैसा नहीं डूबेगा तो वो बढ़ चढ़ कर चुनावों में हिस्सा लेंगे| इस सुधार की मदद से अर्थशास्त्र की सबसे बड़ी जरूरत 'भागीदारी का प्रतिबंध' लागू हो पायेगा|

भले ही आज हम उम्मीदवारों को ये आर्थिक मदद न देकर कुछ पैसा बचा लेते हों पर इसके नतीजे से जो भ्रष्ट और असमर्थ नौकरशाह सरकार में आते हैं उसकी भारी कीमत

भी हमें ही चुकानी पड़ती है| ये कीमत कुछ रूपए बचाने से कई ज्यादा है| अगर हम कुछ रूपए देकर ईमानदार उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं तो हम आसानी से भ्रष्ट नेताओं का सफाया कर पाएंगे| इस व्यवस्था की मदद से चुनावों में न सिर्फ ईमानदार उम्मीदवार खड़े होंगे बल्कि नियंत्रण और संतुलन के जरिए भारत की संसदों में सक्षम और ईमानदार प्रतिनिधियों की संख्या में भी इज़ाफा देखने को मिलेगा|

५.२.१.२ कार्य प्रदर्शन के अनुसार निर्वाचित प्रतिनिधियों को ज्यादा वेतन

निर्वाचित प्रतिनिधियों, न्यायाधीशों और जनसेवकों को कम आय देने के बाद उनसे ये आशा करना की वो लालच से ऊपर उठकर बेहतरीन शासन प्रदान करें बेवकूफी होगी|

चाणक्य को ये बात अच्छे से पता थी| ऊँचे पदों पर ऐसे लोगों की जरूरत है जिनके पास ज्ञान और अच्छी न्यायिक क्षमता हो| ऐसे पदों पर सिर्फ प्रतिभावान लोगों की ही आवश्यकता है| इसलिए अर्थशास्त्र में ये साफ़ तौर पर लिखा है की उच्च स्तर के जनसेवकों की आय निचले दर्जे के कर्मचारियों से ८०० गुना ज्यादा होनी चाहिए| इस बात के लिए ये कहावत कितनी सही है कि यदि आप मूंगफली डालोगे तो बन्दर ही आएंगे न|

हमारे प्रतिनिधियों पर निजी क्षेत्र में काम कर रहे एग्जीक्यूटिव से भी कई बड़ी और ज्यादा जिम्मेदारियां होती हैं क्यूंकि वो देश को चलाते हैं और नियम कानून को व्यवस्थित रखते हैं| पर उनकी आय इन एग्जीक्यूटिवस के मुकाबले बहुत कम होती है| इसी का नतीजा है जो निपुण लोग निर्वाचित प्रतिनिधि बनने के बजाए निजी क्षेत्र में कोई अच्छी नौकरी तलाश कर सुखी जीवन जीना ज्यादा पसंद करते हैं|

सरकार में आते ही हमारा सबसे पहला कदम होगा निर्वाचित प्रतिनिधियों के वेतन में बड़ा इज़ाफा| पर इसके अलावा हम उन्हें मिलने वाली अन्य सुविधाएं जैसे कि मुफ्त सफ़र, फ़ोन, फर्नीचर, वाहन और लोन को पूरी तरह से खत्म कर देंगे| विधायकों को भविष्य में मिलनी वाली पेंशन योजनाओं को भी हम पूरी तरह से रद्द कर देंगे| पर जो पिछले वादे हैं उनको सम्मानपूर्वक पूरा किया जायेगा|

हालाँकि इस सवाल से जुड़े सभी पहलुओं का ढंग से विचार-विमर्श किया जा रहा है या नहीं ये सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र जन प्रतिनिधि प्रोत्साहन आयोग की स्थापना की जाएगी| ये आयोग इस बात का ध्यान रखेगा कि सभी प्रतिनिधियों को उनकी कार्यक्षमता

के अनुसार दिए जाने वाली क्षतिपूर्ति के लिए क्या जरूरी है| उदाहरण के तौर पर हम एमपी और एमएलए को इस बात पर प्रोत्साहन दे सकते हैं कि उन्होंने राष्ट्रीय आर्थिक बढ़त और अखंडता के कार्यों को कितनी कुशलता से पूरा किया है या नहीं|

५.२.१.३ अभिव्यक्ति की आजादी और खातों का प्रकटीकरण

भारत की आबादी और विधानसभा क्षेत्रों के भौगोलिक विस्तार के चलते अपना सन्देश मतदाताओं तक पहुँचाना काफी महंगा पड़ सकता है| पर निर्वाचन खर्च की सीमाएं जो ऐसे खर्चों को नियंत्रित करती हैं वो लोकतंत्र और बोलने की आजादी के मूल अधिकार को नुक्सान पहुंचाती हैं| अगर किसी नागरिक को अपनी विचारधारा पर यकीन है तो उसे आजादी होनी चाहिए कि वो उस विचार को दूसरों तक वैधानिक तरीके का इस्तेमाल कर पारदर्शिता से पहुंचा सके|

हम ऐसे किसी भी प्रावधान के विरुद्ध हैं जो भारतीयों को उनकी सोच के प्रति समर्पित होने से रोकता हो| हमें मतदाताओं पर यकीन है कि वो सभी प्रतियोगियों के सन्देश सुनकर खुद तय कर सकते हैं कि उनके लिए क्या सही है|

बंदिशें लगाने से पार्टियाँ गुप्त तरीके से खर्च करने लगती हैं| ऐसी बंदिशों को भी एक कारण माना जा सकता है जो चुनाव लड़ने में काले धन का इस्तेमाल इतने जोर-शोर से होता है| प्रतिभागी दूसरे गलत तरीकों की तरफ रुख कर लेते हैं जैसे की अपनी पार्टी का विज्ञापन देने के बजाए दूसरे प्रतिभागी की गोपनीय खबर को हेडलाइन बना देना| ऐसी जालसाजी से वोटर्स भटक जाते हैं और भ्रष्टाचार अपना फन उठाता चला जाता है|

इसके अलावा भी हमारे कानून में कई खोट हैं| राजनीतिक पार्टियों से खड़े उम्मीदवार बिना किसी रोक-थाम के चुनाव लड़ने के लिए पैसा पानी की तरह बहाते हैं क्यूंकि राजनीतिक पार्टियाँ बिना किसी सीमा के पैसा खर्च कर सकती हैं| जबकि निर्दलीय उम्मीदवारों पर इस मामले में कई प्रतिबंध हैं| ये उस कानून के विरुद्ध है जिसके तहत हर नागरिक के साथ समान व्यवहार होना चहिये| हमें इसे रोकना ही होगा|

हम चुनाव खर्च की सीमा को पूरी तरह मिटा देंगे| इसके बजाए हमारा ध्यान जवाबदेही और खर्चों के पूरे ब्योरे पर होगा ताकि हम ये सुनिश्चित कर सकें कि चुनाव लड़ने के

लिए काले धन का इस्तेमाल न हो| जबतक हमारा कानून और निर्वाचन प्रक्रियाएं ही ईमानदार नहीं होंगी तो संसद में ईमानदारी कहाँ से आयेगी|

५.२.१.४ यूनियन और कंपनियों द्वारा राजनीतिक चंदा

हम यूनियनों को आगे लायेंगे ताकि वो राजनीतिक कार्यों का खर्चा उठाएं जो कि राजनीतिक पार्टियों को चंदा देकर मुमकिन हो सकता है| इसको मान्य करने के लिए यूनियन के सदस्य औपचारिक वोट डालेंगे और इसके लिए कंपनी के शेयरहोल्डर की सहमति भी जरूरी होगी|

५.२.१.५ चुनावी खर्चे का सख्ती से ऑडिट

जब चुनावी खर्चे की बात हो तो सबसे बड़ा मुद्दा है उसे जनता से सार्वजनिक न करना| वर्तमान समय में उम्मीदवार चुनावी खर्चे का झूठा ब्यौरा दायर कर देते हैं| हम चाहेंगे कि निर्वाचन आयोग ऐसे चुनावी खर्चों का सख्ती से ऑडिट करे, और यदि किसी उम्मीदवार ने झूठी रसीदों के जरिये गलत खर्चों का एलान किया हो तो उसे जेल की सजा हो| अगर वो चुना जा चुका है तो उससे उसकी सीट छीन ली जाये|

हम निर्वाचन आयोग को ये अधिकार भी देंगे कि वो ऐसी राजनीतिक पार्टियों को अमान्य घोषित कर सके जिन्होंने अपने चंदों और खर्चों का विस्तृत ब्यौरा नहीं दिया हो| यदि कोई पार्टी विदेश से चंदा लेती है तो उसपर भी जुर्माना लगाया जाए या उसे अमान्य घोषित किया जाए| कमज़ोर सजा के प्रावधान जैसे इंडियन पेनल कोड के सेक्शन १७१-ह जिनके तहत अवैध चुनावी खर्चों पर सिर्फ ५०० रुपय का जुर्माना लगता है, इन प्रावधानों को और मजबूत करेंगे| इसके अलावा ऐसे प्रावधानों को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) को दंड व्यवस्था से जोड़ा जायेगा|

५.२.१.६ निर्वाचित प्रतिनिधियों की संपत्तियों को सार्वजनिक करना

सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों को चुने जाने के तीस दिन के अन्दर अन्दर अपने पिछले पांच सालों के आयकर विवरण और अपने परिवार की संपत्तियों का पूरा ब्यौरा प्रकाशित करना होगा| इसके अलावा उन्हें आय और संपत्ति के सालाना लाभ को भी सार्वजनिक करना होगा| निर्वाचन आयोग को ये दायित्व सौंपा जायेगा कि वो निर्वाचित प्रतिनिधियों की बताई हुई संपत्ति की जांच करे और इस बात की पुष्टि करे कि उस प्रतिनिधि की

संपत्ति में जो इजाफा हुआ है वो उसकी आय और निवेश के अनुसार है या नहीं| अगर निर्वाचित प्रतिनिधि की दी जानकारी गलत साबित होती है तो उससे स्पष्टीकरण माँगा जायेगा| जुर्म साबित होने पर उसपर जुर्माना लगाया जायेगा या उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी| इसके अलावा उसका पद भी छीना जा सकता है|

५.२.१.७ उम्मीदवारों के लिए चुनावी खर्च कम करना

विधानसभा क्षेत्र में उम्मीदवारों के बीच होने वाले विडियो-डिबेट जो बाद में हर गाँव और शहर में स्थानीय चैनल, डीवीडी या मोबाइल टीवी वैन द्वारा प्रसारित किये जाते हैं, इनका औचित्य क्या है हम इसका भी निरक्षण करेंगे| इसकी मदद से उम्मीदवार अपने मतदाताओं तक आसानी से पहुँच बना पाएंगे और इसके लिए उन्हें हर एक बूथ पर नहीं जाना पड़ेगा| इसका परिणाम ये होगा कि जिन उम्मीदवारों के पास ज्यादा फंड्स नहीं हैं उनके खर्चे में कमी आयेगी| इससे लोगों के पास अच्छे विकल्प बढ़ेंगे|

५.२.२ नकारात्मक प्रोत्साहन: बेईमान लोगों के लिए सरकार के दरवाजे बंद करना

राजनीति को विवेक और कुशलता का सागर बनाने के लिए हमें भारत की राजनीति में फल-फूल रहे अपराधी और भ्रष्ट लोगों को आज ही उखाड़ फेंकना होगा| हम ऐसे लोगों को सरकार में आने से कैसे रोक सकते हैं, इसके लिए जो उपाय किये जाने चाहियें वो हमने यहाँ बताये हैं:

५.२.२.१ सांसदों के खिलाफ भ्रष्टाचार और अपराध के मामले निपटाने के लिए फ़ास्ट-ट्रैक कोर्ट्स का गठन होगा

जब हमारे कानून बनाने वाले बुद्धिजीवियों पर ही कानून तोड़ने के आरोप लगे हों तो हमारी संवैधानिक प्रणाली अपनी चमक खो देती है| फिर भले ही कई साल बाद उनमें से कई सांसद निर्दोषी साबित हो जाते हैं पर उनका नाम तो खराब हो जाता है| इसलिए हम आरओपी एक्ट में सुधार लायेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि एमपी और एमएलए के खिलाफ जो भ्रष्टाचार और अपराध के मामले चल रहे हैं उनको फ़ास्ट-ट्रैक कोर्ट में जल्द से जल्द निपटाया जाये| ऐसा उन सांसदों के नियुक्त होने के एक साल के अन्दर ही किया जायेगा|

भारत के निर्वाचन आयोग को भी इस काम में लगाया जायेगा कि निर्वाचित सांसदों के खिलाफ जो केस चल रहे हैं वो उसमें सहयोग करें| सुप्रीम कोर्ट के अनुसार आगे बढ़ते हुए उन्हें ये सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे मामलों को प्राथमिकता दी जाए और कोई नतीजा न निकलने तक बिना रुके उनकी सुनवाई हो| निर्वाचन आयोग को सभी संसाधन दिए जायेंगे जिनका इस्तेमाल वो छानबीन और न्यायिक प्रक्रिया के दौरान जरूरत पड़ने पर कर सकते हैं| आयोग को ऐसे अधिकार भी दिए जायेंगे जिनकी मदद से वो ये सुनिश्चित कर सकें कि सुनवाई तय समय सीमा के अन्दर ही निपट जाए| वो सीधे तौर पर ऐसे अधिकारियों को दण्डित भी कर पाएंगे जो बेवजह सुनवाई में देर कर रहे हों|

५.२.२.२ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के लिए लोकपाल और स्वतंत्र सीबीआई

इस पूरी सुधार प्रणाली का लोकपाल एक अहम हिस्सा बन सकता है| हालाँकि, हम लोग लोकपाल का ध्यान वरिष्ठ नेताओं और जनसेवकों की ओर केंद्रित करेंगे जिसमें सीबीआई और प्रधानमंत्री भी शामिल हैं|

आरोपों की स्वतंत्र छानबीन सुनिश्चित करने के लिए सीबीआई को स्वायत्त केन्द्रीय अन्वेषण आयोग (सीआईसी) में रूपांतरित किया जायेगा| इस आयोग का प्रधान लोकपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा और बाकि के कर्मचारियों को वही नियुक्त प्रधान चुनेगा| भारत की सभी संस्थाओं और नागरिकों के लिए ये जरूरी होगा कि लोकपाल और सीआईसी को छानबीन के दौरान हर जानकारी से अवगत करें|

५.२.२.३ उच्च स्तर पर हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त सजा

भारत में भ्रष्टाचार ऊपर से शुरू होता है| इसलिए हम ऐसे कानून बनायेंगे जिनसे यदि कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के मामले में दोषी साबित होता है तो उसे मृत्युदंड की सजा होगी| जब जनता के हित की सुरक्षा करने वाले खुद ही जनता के पैसे मारेंगे तो राष्ट्र को उन्हें सख्त से सख्त सजा देने का पूरा हक है| इसके अलावा यदि आम नेता और अन्य वरिष्ठ अधिकारी रिश्वत के मामले में दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें कम से कम पांच साल की जेल की सजा का प्रावधान होगा| जिन अधिकारियों को भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जायेगा उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी|

५.२.२.४ उम्मीदवारों की अपराधिक प्रष्ठभूमि को सार्वजनिक करना

इस कानून को और भी सर्वांगी सुधारों के साथ लागू किया जायेगा|

जब तक कोई नागरिक सही मायने में दोषी करार न दे दिया जाए तब तक वो निर्दोष ही माना जायेगा| सिर्फ आरोप के लग जाने से कोई नागरिक अपराधी नहीं हो जाता इसलिए जबतक कोई नागरिक किसी घिनौने अपराध में शामिल न हो या उसका अपराध सिद्ध न हो जाए उसे निर्वाचित प्रतिनिधि बनने से कोई नहीं रोक सकता|

हालाँकि, जिन कोर्ट्स में फैसले जनमत से होते हों वहां न्याय हर संभवता को बराबर मात्रा में तौल कर किया जाता है| पर इसके बावजूद जनता किसी भी प्रतिनिधि के साथ कोई रिस्क न उठाए इसलिए उन्हें अपने प्रतिनिधि पर लगे सभी आरोपों को जानने का पूरा हक है|

हम हर उम्मीदवार के लिए ये आवश्यक कर देंगे कि उनपर चल रहे आरोपों को सार्वजनिक किया जाए ताकि वोटर्स सोच समझ कर सही फैसला कर पाएं| ये उनके नामांकन पत्रों में घोषित अपराधिक मामलों को रिटर्निंग ऑफिसर्स द्वारा सार्वजनिक करके संभव हो पायेगा| यदि कोई प्रतिनिधि जीत कर नियुक्त हो जाता है और उसने इन मामलों में कुछ भी गोपनीय रखा होगा तो उससे उसका पद छीन लिया जायेगा| इसके अलावा उसे चुनाव लड़ने के लिए जो भी आर्थिक मदद मिली होगी वो लौटानी पड़ेगी|

५.२.२.५ मतदान केन्द्रों की विडियो निगरानी

बूथ कब्ज़ा करना और मतदाताओं को डराने-धमकाने जैसी हरकतों पर शिकंजा कसने के लिए हम सभी मतदान केन्द्रों पर क्लोज्ड टीवी सर्किट द्वारा नज़र रखेंगे| पर इससे मतदान की गोपनीयता को कोई खतरा नहीं पहुंचेगा| जो भी लोग कानून तोड़ते नज़र आयेंगे उनपर जुर्माने और सजा का प्रावधान होगा| भविष्य में ऑडिट के लिए मतदान के दिन रिकॉर्ड हुई विडियो को संभाल कर रखा जायेगा| ऐसी प्रक्रिया से किसी भी संदेहास्पद घटनाओं या भेस बदल कर मतदान करने जैसी हरकतों की जानकारी फ़ौरन जवाबदेह अधिकारियों तक पहुँच सकेगी|

५.२.२.६ सभी राजनीतिक दलों को RTI के अधीन लाना

सभी पंजीकृत राजनीतिक दल 'सूचना का अधिकार' के तहत बनाए नियमों का पालन करें इसके लिए हम लोक-प्रतिनिधित्व अधिनियम में सुधार लायेंगे| इसके बाद हम सारे खर्चे

सार्वजनिक करने जैसे कानून पर भी काम करेंगे| इसके तहत सारे राजनीतिक दलों को अपनी वेबसाइट पर अपने खर्चों का सारा ब्यौरा प्रकाशित करना पड़ेगा|

५.२.२.७ स्वर्ण भारत पार्टी के सदस्य उच्चतम मानकों का पालन करेंगे

स्वर्ण भारत पार्टी के चुने गए सभी प्रतिनिधि सबसे उत्कृष्ट आचार संहिता का पालन करेंगे| वो किसी भी प्रकार के उपहार के लेन-देन के सख्त खिलाफ हैं और आपस ,में असहमति के चलते जनता का कोई नुक्सान नहीं होने देंगे|

५.३ चुनावी लोकतंत्र में सुधार करके उसे मजबूत करना

ऊपर दिए बुनियादी सुधारों के अलावा, भारत की एफपीटीपी प्रणाली को दिशा देने और मजबूत करने के लिए भी कई कदम उठाने होंगे|

५.३.१ अभाव-विरोधी कानून

निम्नलिखित अंग्रेजी निति का हिंदी में अनुवाद शिग्रह हे किया जायेगा

Refining the anti-defection law

Our understanding of defection should be framed by the understanding that in a democracy, the people are the masters (principal) and MPs and MLAs their agents (representatives). At the same time, we must defend freedom of speech for legislators, as enshrined in Article 105 of the Constitution.

The people of India are given two options while voting: either pick an independent candidate or pick a political party candidate. Where they elect a political party candidate, an implicit sovereign contract comes into place between them and their representative that limits the legislator's freedom of expression and power to defect.

While independent candidates should have full speech rights, these rights must be reasonably curtailed for political party candidates. Unfortunately, the current anti-defection provisions are too harsh and empower a High Command culture in political parties. The party whip can be issued on virtually any matter. As a result, instead of legislatures being a forum for serious debate, meaningless aggression and shouting has become the norm. With the final outcome known in advance, speeches on the floor of the house have lost their importance.

The anti-defection law needs to be amended in two ways. First, freedoms under Article 105 must prevail for political party candidates except in the case of a motion of confidence, no-confidence and money bills, as suggested by the Dinesh Goswami Committee on Electoral Reform. Second, the sovereign contract with the master – the people – must be recognised and no party legislator should be able to violate these motions without forfeiting his seat.

५.३.२ प्रत्येक मत के महत्त्व को एक बराबर अहमियत

प्रजातंत्र में एक व्यक्ति- एक वोट इस ढाँचे की बुनियाद है| इसलिए इसमें हर वोट को बराबर मान्यता मिलनी चाहिए| हालाँकि, २००४ में, जिस संसदीय चुनाव क्षेत्र में सबसे अधिक उम्मीदवार थे वहां ३३,६८,३९९ वोट पड़े जबकि जहाँ सबसे कम उम्मीदवार थे वहां सिर्फ ३९,०३३ वोट| कुछ पहाड़ी इलाकों के अलावा, बाकि हर क्षेत्र में हर मत को बराबर अहमियत मिलनी चाहिए, जहाँ वोटों की संख्या प्रति उम्मीदवार के अनुसार बराबर होनी चाहिए| उम्मीदवारों और मतदाताओं की संख्या ध्यान में रखते हुए प्रत्येक दस साल में इसमें संशोधन किये जाने चाहियें|

५.३.३ नागरिकों को किसी भी राज्य में चुनाव लड़ने की अनुमति

फिलहाल लोक-प्रतिनिधित्व अनुच्छेद के सेक्शन ५ (सी) के तहत उम्मीदवार जिस राज्य से चुनाव लड़ना चाहता है उसे उस राज्य की किसी भी विधानसभा का मतदाता होना जरूरी है| आज का शिक्षित वर्ग अपने काम के चलते भारत के भिन्न भिन्न राज्यों में जाकर बसता है| इस अनुच्छेद के तहत वो चाहकर भी अपने वर्तमान विधान सभा क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ सकता| इसलिए सत्ता में आते ही हम इस कानून में संशोधन लायेंगे ताकि भारतवासी किसी भी राज्य से चुनाव लड़ सकें| क्यूंकि हर नागरिक भारत का पंजीकृत मतदाता है इसलिए उसे किसी भी राज्य से चुनाव लड़ने की आजादी होनी चाहिए|

५.३.४ राजनीतिक दलों द्वारा किये गए वादों की लागत आंकी जाएगी

सभी राजनीतिक दलों को अपनी नीतियाँ चुनाव से पहले विस्तार में प्रकाशित करनी होंगी और उनकी लागत तय करने के लिए स्वछन्द एजेंसी का गठन होगा| हम ऐसा कानून बनायेंगे जिसके तहत सभी पंजीकृत राजनीतिक पार्टियों ने जो वादे किये हैं उनकी लागत फ्रीडम मिनिस्ट्री के तहत आने वाला इंडिया पालिसी ऑफिस तय करेगा| हालाँकि इस प्रकार का कोई भी प्रतिबंध निर्दलीय उम्मीदवारों पर लागू नहीं होगा क्यूंकि उनके पास विस्तृत पालिसी एजेंडा होने की संभावना लगभग जीरो है| यदि फिर भी निर्दलीय उम्मीदवार चाहें तो अपनी नीतियों का आंकलन फ्रीडम मिनिस्ट्री से करवा सकते हैं| इस

प्रक्रिया की मदद से मतदाताओं को पता रहेगा कि कौन सी पार्टी उन्हें क्या देगी और उसके लिए अपने वादे पूरे करने हेतु पैसे कहाँ से आयेंगे|

५.३.५ सांसदों और विधायकों के प्रदर्शन पर निगरानी

हम राजनीतिक दलों के लिए कई सारी ऐसी प्रणालियाँ लेकर आयेंगे जिनसे उनके प्रदर्शन की निगरानी और रिपोर्टिंग हो सके| इसकी शुरुआत हम सांसदों और विधायकों के वोटिंग रिकार्ड्स को विधेयक पर प्रकाशित करके करेंगे, जिससे नागरिक ये तय कर सकें कि जिस काम के लिए उन्होंने उम्मीदवार को अपना प्रतिनिधि चुना था वो उसमें सफल साबित हुआ या नहीं| ये उन पार्टियों के लिए बेहद जरूरी है जो अपने सदस्यों को अपनी मर्ज़ी से वोट देने का अधिकार देती हैं|

५.३.६ सभी योग्य नागरिकों को मतदान दिलवाना

कई बार ऐसा होता है कि योग्य भारतीय नागरिक जिनके पास वैध्य वोटर आईडी कार्ड्स मौजूद हैं या जो पहले भी मतदान कर चुके हैं उनके नाम वोटिंग लिस्ट में गायब हो जाते हैं| गलत वोटर लिस्ट लोकतंत्र में सबसे बड़ा अवरोध है| हमसे जितनी व्यवस्थाएं लागू हो पाएंगी हम करेंगे ताकि हर नागरिक को मतदान का अधिकार मिल सके| ऑनलाइन पंजीकरण और वोटिंग जैसी सुविधाएं देकर हम ये सुनिश्चित करेंगे की भारत का हर एक योग्य नागरिक मतदान करके अपना प्रतिनिधि चुने|

५.३.६.१ पुलिस और रक्षा बलों के लिए ऑनलाइन वोटिंग की सुविधा

सुरक्षा बल चुनाव व्यवस्था संभालने के चलते कई बार मतदान करने से वंचित रह जाते हैं| इसलिए हम पोस्टल बैलट के अलावा दूसरे विकल्प तलाशेंगे जिनसे ये सुनिश्चित हो सके कि उन्हें हर हाल में मतदान करने का मौका मिले| वैसे भी ये पोस्टल बैलट समय रहते रिटर्निंग ऑफिसर्स तक नहीं पहुँच पाते| इसलिए हम सुरक्षित ऑनलाइन वोटिंग प्रणाली की व्यवस्था करेंगे|

५.३.६.२ अप्रवासी भारतीयों को मताधिकार

विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिकों को भी राष्ट्रीय चुनाव में हिस्सा लेने का वही अधिकार है जो भारत में रह रहे नागरिकों को| हम कोई ऐसी व्यवस्था शासन में लायेंगे

जिससे विदेशों में रह रहे भारतीय भी बिना ज्यादा लागत के सुरक्षित मतदान कर सकें| अगर आवश्यकता हुई तो हम शुल्क आधारित वोटिंग प्रक्रिया लागू करेंगे जिससे चुनाव में हुए अतिरिक्त खर्चे की पूर्ती हो सके|

५.३.६.३ अपाहिज और बुजुर्गों को मतदान बैलट तक पहुंचाना

भले ही हर बुज़ुर्ग और अपाहिज के लिए बैलट तक आना संभव नहीं हो सकता पर फिर भी हम ऐसे तरीके इजात करेंगे जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैलट की उपलब्धिता सुनिश्चित की जा सके| इसके लिए कहीं भी जा सकने वाले पोलिंग बूथ, निर्धारित तिथि से पहले मतदान, पोस्टल बैलट और अन्य ऑनलाइन सुविधाओं का इन्तेजाम किया जायेगा|

५.३.७ वापस बुलाने के अधिकार की पड़ताल

कुछ लोगों की तत्परता के चलते प्रतिनिधियों को वापस बुलाने का अधिकार प्रचलन में तो आ गया है, पर इसका उपयोगी तरीके से इस्तेमाल कैसे किया जाये ये किसी को नहीं पता| यहाँ तक की ये भारत की वर्तमान चुनाव प्रणाली में मौजूद सबसे बड़ी और बुनियादी समस्या का भी हल नहीं निकाल पाया जो मुआवज़े से जुड़ी है| हम सत्ता में आते ही इसके लिए एक आयोग का गठन करेंगे जो इस कानून को सफलतापूर्वक लागू करने के उपायों पर काम करेगा| यह आयोग हमारी आजादी को ध्यान में रखते हुए इस कानून को लागू करने के कारगर और कम लागत वाले तरीके ढूँढेगा|

५.३.८ वैकल्पिक मतदान प्रणाली की पड़ताल

राजनीति से जुड़े बहुत से विचारकों का मनना है कि हमारी खामियों की सबसे बड़ी ज़िम्मेदार है एफपीटीपी प्रणाली| पर ये सरासर गलत है| इसलिए हम एक आयोग का गठन करेंगे जो प्रतिनिधित्व की वैकल्पिक प्रणालियाँ जैसे कि राष्ट्रपति प्रणाली और समानुपातिक प्रतिनिधित्व की पड़ताल करेगी| ये आयोग ज़िन्दगी और आजादी की सुरक्षा से जुड़े जरूरी पहलुओं को जानेगी और इन्हीं कसौटियों पर अलग अलग प्रणालियों की कार्य क्षमता का आंकलन करेगी| इस आयोग का दायित्व विभिन्न देशों की ऐसी ही प्रणालियों और हमारी प्रणाली की समानताएं पता करना नहीं बल्कि इन प्रणालियों के

बुनियादी ढांचों की बारीकियों पर ध्यान देना होगा| जब शासन की बात होती है तब बारीकियों और मुआवज़े को अहमियत देना सबसे जरूरी है|

६. सभी स्तरों पर ईमानदार और सक्षम सरकार

बहुत से ईमानदार और सक्षम जनता सेवक भी हमारी सरकार में मौजूद हैं जो खराब तरीके से लिखे और बिना अर्थ वाले कानूनों के प्रति पूरी निष्ठा से काम करते हैं| हम ऐसे लोकसेवकों की निष्ठा और काम की सराहना करते हैं| हम ऐसे शिक्षकों, पुलिस बल, अग्निशमन कर्मचारियों और अलग अलग तरह से जनता की सेवा में लगे अधिकारियों के बारे में भी जानते हैं जो दयनीय हालातों में भी सीमित संसाधनों का इस्तेमाल कर जनता की भलाई में लगे हुए हैं|

इस सब की बड़ी वजह है भारत की शासन प्रणाली का कमज़ोर ढांचा जिसकी बनावट में कई खामियां हैं| शासन प्रणाली को बेहतरीन बनाने के लिए उसमें कई सुधारों की आवश्यकता है| भारत में सर्वोच्च शासन प्रणाली लागू करने हेतू हम उन कर्मचारियों और अधिकारियों की पूर्ण जवाबदेही सुनिश्चित करेंगे जिनकी आय जनता के दिए करों से ही आती है| हम इस बात से अनजान नहीं है कि ज्यादातर अधिकारी अपना कार्य कुशलता से नहीं करते हैं और उनमें से कई अधिकारी तो पूर्ण रूप से भ्रष्ट हो चुके हैं| हालाँकि हम सरकार के सत्ता में आते ही उन भ्रष्ट कर्मचारियों को ढूँढने और भ्रष्टाचार की घटनाओं की पड़ताल में नहीं जुट जायेंगे (भ्रष्टाचार की बड़ी घटनाओं की जांच पड़ताल सत्ता में आते ही शुरू हो जाएगी)| हमारा पहला लक्ष्य होगा ऐसे सख्त कानून लाना जिससे हर अधिकारी के मन में भ्रष्टाचार से दूर रहने और कुशलता से अपना काम करने का डर बैठ जाये| हम व्यवस्था और शासन प्रणाली में सुझाये सुधार सत्ता की बागडोर हाथ में आते ही शुरू कर देंगे और जो भी व्यक्ति या लोकसेवक इस व्यवस्था के खिलाफ जाता नज़र आयेगा उसपर कड़ी कारवाही चलाई जाएगी|

६.१ सरकार के सभी दायित्वों की पूर्ती हेतू नया ढांचा

अगर हमारी पार्टी सत्ता में आती है तो हम अपनी लक्ष्य प्राप्ति से जुड़ी बारीकियों पर न सिर्फ कड़ी निगरानी रखेंगे अपितु तरक्की की तरफ बढ़ाये हर कदम को जनता से साझा

करेंगे| इसमें शासन प्रणाली में किए गए सुधार भी शामिल होंगे| शासन व्यवस्था में सुधार लाने के लिए जिन सख्त क़दमों को उठाये जाने की जरूरत है वो निम्न हैं:

६.१.१ चरण १: स्वतंत्रता विभाग

सत्ता में आने के दस दिन के अन्दर ही हम एक स्वतंत्रता विभाग का गठन करेंगे| इस विभाग को प्रधानमंत्री की सहायता के लिए बनाया जायेगा और यदि इसके लिए स्वतंत्र प्रभार कायम किया जाता है तो इसकी बागडोर स्वतंत्रता मंत्री को सौंपी जाएगी| स्वतंत्रता मंत्री को प्रधानमंत्री के बाद दूसरा अहम दर्जा दिया जायेगा| इस विभाग में एक राज्य मंत्री भी निर्वाचित किया जायेगा जिसे कैबिनेट सचिव रिपोर्ट करेगा| इस विभाग के जिम्मे निम्न कार्य होंगे:

- लोगों की व्यक्तिगत आजादी सुनिश्चित करना
- इस घोषणापत्र में किये गए वादों को समय पर पूरा किया जा रहा है या नहीं, इसकी निगरानी करना
- कर्मचारियों और अन्य वरीय नियुक्तियों की भर्ती और उनसे जुड़ी नीतियाँ तय करना
- आर्थिक, वित्तीय और सामाजिक पालिसी और नियमन ढांचा तैयार करना और उसका अनुपालन करवाना
- कैबिनेट को सलाह और सुझाव देना कि उनके द्वारा लागू किए गए कानून और नियम आजादी के अनुकूल हैं या नहीं

ऐसे मामले जो एक से ज्यादा विभाग द्वारा देखे जाते हैं वो इस विभाग को सौंपे जायेंगे और इनके अलावा वो सभी मामले जो किसी भी विभाग को निर्धारित नहीं किये गए हैं इस विभाग द्वारा संभाले जायेंगे|

इस घोषणापत्र में किए गए वादों की पूर्ती कुशलता से हो रही है या नहीं इस बात की रिपोर्टिंग जनता को समय समय पर की जा सके इसके लिए ये विभाग 'की परफॉरमेंस इंडीकेटर्स (KPI)' स्थापित करेगा|

क्यूंकि इस एजेंडा का लक्ष्य आजादी पर लगी बेवजह रोक थाम को हटाना होगा, फ्रीडम मिनिस्टर ऐसे दल का गठन करेगा जिसमें पूर्ण आजादी के प्रति वचनबद्ध विचारक

शामिल होंगे| ये दल आजादी से जुड़े हर नियम कानून की समीक्षा करेगा और ऐसे किसी भी कानून को खत्म करने का प्रयास करेगा जो लोगों की व्यक्तिगत आजादी छीनता हो|

और जैसा की हमने प्रस्ताव रखा है कि स्वतंत्रता विभाग प्रधानमंत्री की सहायता हेतू बनाया जायेगा इसलिए प्रधानमंत्री कार्यालय स्वतंत्रता विभाग के अधीन ही काम करेगा|

६.१.१.१ भारत नीति कार्यालय

स्वतंत्रता विभाग के तहत भारत नीति कार्यालय (IPO) की स्थापना की जाएगी| इस कार्यालय में नीति विशेषज्ञों की नियुक्ति की जाएगी जिनमें इतना सामर्थ्य हो कि वो नीतियाँ बनाते उनका हमारी स्वतंत्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा और उनके आर्थिक प्रभाव क्या होंगे इसको समझ सकें|

IPO खुली प्रतियोगिता कराकर नए समीक्षकों की भर्ती कराएगा जिसमें वो भारतीय शामिल होंगे जो वर्तमान समय में दुनिया के जाने-माने विश्वविद्यालयों में अर्थशास्त्र और वित्त जैसे विषय पड़ा रहे हैं| शुरुआत में उन्हें अल्प या मध्यम अवधि के अनुबंध पर रखा जायेगा और विदेशों में मिलने वाली आय से कई अधिक तनख्वाह दी जाएगी| शासन व्यवस्था की गहरी समझ रखने वाले एक अनुभवी अर्थशास्त्री को इस विभाग का नेतृत्व सौंपा जायेगा| ये विभाग उनके ही सुझाव पर चलेगा|

६.१.१.२ भ्रष्टाचार के स्तर का सर्वे

फ्रीडम मिनिस्टर ऐसी स्वतंत्र निजी संस्थाओं द्वारा सर्वे करवाएगा जो नागरिकों के भ्रष्टाचार के प्रति नजरिये और अनुभव को विश्वसनीयता के साथ जान सके| वो इस सर्वेक्षणों द्वारा विभिन्न विभागों और एजेंसीज की गुणवत्ता का भी आंकलन करेंगे| इन सर्वेक्षणों में आये नतीजों की मदद लेकर प्रधानमंत्री मंत्रियों और सचिवों की कार्य कुशलता की समीक्षा कर पाएंगे| यदि किसी मंत्री या सचिव का कार्य अपेक्षा के अनुकूल नहीं होगा तो उससे उसका पद छीन कर किसी और कुशल मंत्री या सचिव को दे दिया जायेगा|

६.१.२ चरण २: संस्थागत और नीतिगत पुनरवलोकन

नई सरकार के सत्ता में आने के सौ दिन के अन्दर ही फ्रीडम मिनिस्टर पहले चरण की समीक्षा का संचालन पूरा करेंगे जिससे तीन सालों में इस नई सरकारी तंत्र को कौन से सुधार लाने है ये साफ़ हो सके| इस समीक्षा की मदद से सरकार बेहतरीन योजना लागू कर सकेगी|

६.१.२.१ कामकाज की समीक्षा

आधुनिक शासन प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए एक शानदार योजना की आवश्यकता है| इसलिए हम सरकार के सभी जरूरी कामकाजों की समीक्षा करेंगे और जो भी गैर-जरूरी चीजें हैं जैसे कि अनावश्यक मंत्रीगण, विभाग और संस्थाएं उन्हें खत्म करेंगे| हालाँकि इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि इस समीक्षा से किसी भी कर्मचारी का अनहित न हो| जो भी विभाग या संस्थाएं बंद की जाएँगी उनके कर्मचारियों को दूसरे जरूरी कार्य जो सुरक्षा, न्याय और आधारिक संरचना से जुड़े हैं उनमें नियुक्ति दी जाएगी|

६.१.२.२ सरकार को २० मंत्रालयों और १० विभागों में समेटना

हमारा ऐसा मानना है कि इस समीक्षा की मदद से भारत सरकार के विभागों की गिनती कम करके १० तक लाई जा सकेगी| इसमें करीब २० कैबिनेट मंत्री और २० राज्य मंत्री शामिल होंगे| जैसे ही हमारी पार्टी सरकार बनाएगी हम बिना वक़्त गंवाए पहले चरण की समीक्षा कराकर नया ढांचा तैयार करेंगे और तीन साल के अन्दर अन्दर कई नई और बारीक समीक्षाएं कराकर शासन व्यवस्था को पूर्ण रूप से दुरुस्त कर देंगे|

सभी मंत्रालय दस में से किसी न किसी एक विभाग के अधीन होंगे| भारत सरकार के सचिवों की गिनती भी कम करके दस कर दी जाएगी| स्वतंत्रता विभाग की स्थापना के अलावा बारीकी समीक्षा करने के बाद और भी कई विभागों का निर्माण किया जायेगा, वो विभाग निम्न हैं:

२. सुरक्षा

३. न्याय और आन्तरिक सुरक्षा (इसमें पुलिस, उपभोक्ता संरक्षण और न्यायपालिका को समर्थन शामिल हैं)

४. विदेश मामले

५. सार्वजनिक वित्त

६. मुक्त उद्यम (कृषि, उद्योग और वाणिज्य का नियमन भी)

७. आधारभूत संरचना (इसमें परिवहन, ऊर्जा, जल, टेलिकॉम और इन्टरनेट सुविधा शामिल है)

८. सामाजिक संरचना (जैसे कि नागरिकों का स्वास्थ्य, ऋणात्मक आयकर से गरीबी हटाना और शिक्षा सम्बन्धी और चिकित्सा से जुड़ी सुविधाओं की निगरानी इस विभाग में शामिल होंगी)

९. सामाजिक पूँजी और समुदाय (दान से जुड़े कार्यक्रमों के लिए आगे आना और उनका पंजीकरण करवाना, समुदाय में सामाजिक रिश्ते और राष्ट्रीय एकीकरण की भावना बढ़ाने के लिए खेल-कूद, पुरातत्व विज्ञान, संग्रहालयों, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहलुओं को बढ़ावा देना)

१०. निरंतरता (प्राकृतिक संसाधन और वातावरण)

६.१.३ संविधान में दिए अधिकारों से ज्यादा ताक़त रखने वाली संस्कृति का खात्मा

जैसा कि हमारे देश में होता आ रहा है जहाँ नौकरशाह संविधान में दिए अधिकारों से ऊपर उठकर अपने आप को सबसे ताक़तवर समझते हैं| ये किसी भी शासन प्रणाली के लिए गलत है| हालाँकि मोदी सरकार ने प्लानिंग कमीशन का ढांचा बदलकर उसे नीति आयोग के रूप में जो नया जामा पहनाया है उससे संविधान में दिए अधिकारों से ज्यादा ताक़त के इस्तेमाल पर रोक लगी है| इसके बावजूद भी जो थोड़ी बहुत कमी पेशी रह गई है हम उसे भारत नीति कार्यालय द्वारा पूरी तरह खत्म कर देंगे|

६.१.४ वरीय पद पर नियुक्तियां स्थायी न होकर अनुबंध के आधार पर होंगी

हमारी सरकार बनने के सौ दिनों के अन्दर, जब ढांचागत समीक्षा चल रही होगी हम सचिव-श्रेणी के सभी अधिकारियों जैसे आइएएस, आइपीएस, आइएफएस (सेना के अफसरों को छोड़कर) को अपने पद से इस्तीफ़ा देने के लिए कहेंगे| उन्हें तीन साल के अनुबंध पर

नियुक्ति के लिए प्रेरित किया जायेगा क्यूंकि तीन साल बाद सचिव पदों को कम करके सिर्फ १० पदों में सीमित कर दिया जायेगा| जो अधिकारी इस कानून की खिलाफत करेंगे उन्हें या तो सेवानिवृत्त कर दिया जायेगा या शुरुआत में 'होम कैडर' जैसी व्यवस्था में रख दिया जायेगा| इस व्यवस्था को कैसे लागू किया जायेगा हम इसका ब्यौरा बाद में देंगे| पर तीन साल के अन्दर अन्दर संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के सभी अधिकारियों की भर्ती वैश्विक मुक्त बाज़ार से होगी| सचिव श्रेणी से नीचे के सभी पदों पर स्वयं सचिव या उसका प्रतिनिधि नियुक्तियां करेगा| प्रतिस्पर्धा सिर्फ सुरक्षा, न्याय, आतंरिक सुरक्षा और विदेशी मामलों से जुड़े विभागों के लिए लागू होगी|

जिस प्रकार से प्राइवेट कम्पनियों में काम करने वाले वरीय अधिकारियों को ज्यादा वेतन दिया जाता है उसी प्रकार हम भी अनुबंध पर रखे वरीय कार्यकारियों के लिए काफी अच्छी आय सुनिश्चित करेंगे| और यदि अधिकारी शानदार परिणाम देने में असफल रहते हैं तो उन्हें बिना नोटिस के सेवानिवृत्त किया जायेगा| अधिकारियों के विभाग में हुए भ्रष्टाचार के मामले या अधिकारी की कार्य कुशलता पर शक होने के चलते भी उसे उसके पद से निरस्त कर दिया जायेगा| ऐसे मामलों में अधिकारियों को चार महीने की तनख्वाह पहले ही दे दी जाएगी|

धीरे धीरे संविधान में पूर्णतय सुधार लाने हेतू निश्चित काल या अनुबंध पर अधिकारी नियुक्त करने वाली प्रक्रिया को भी पूरी तरह समाप्त कर दिया जायेगा| हम इसकी जगह ऐसी व्यवस्था बनायेंगे जहाँ हर समर्थ और सक्षम नागरिक को ऐसे पदों पर आने का मौका मिलेगा|

६.१.५ सभी स्तरों पर तय तनख्वाह और कार्यकुशलता के लिए मुआवजा

सरकारी कर्मचारियों की वेतन नीति उदार होनी चाहिए ताकि जो अधिकारी अपना लोहा मनवाएं उनको प्रोत्साहन दिया जा सके| कोई भी कर्मचारी यदि कुछ नया करता है, उपरी खर्च कम करता है, विभिन्न सरकारी प्रक्रियाओं को सरल बनाता है या लालफीताशाही को कम करता है तो उसे इसका पारिश्रमिक अवश्य मिलना चाहिए| इसका मतलब है लोकसेवकों को भी निजी क्षेत्र में उनके समान स्तर पर काम कर रहे कर्मचारियों के बराबर ही वेतन मिलना चाहिए| वेतन के एक हिस्से को कार्य सक्षमता के आधार पर अनुबंध में बाँध देना चाहिए और इस अनुबंध में एक और शर्त भी सम्मिलित होनी

चाहिए| वो शर्त है कार्य कुशलता से न कर पाने की स्थिति में सेवा से निरस्त करना| सारे नौकरशाहों के वेतन की समीक्षा की जाएगी और पांच सालों के अन्दर उनके वेतन को निजी क्षेत्रों में काम कर रहे कर्मचारियों के बराबर लाया जायेगा| सभी लोकसेवक एक समान श्रम कानून के अधीन होंगे और सरकारी कर्मचारियों के लिए इसके तहत कोई विशेष वर्ग नहीं बनाया जायेगा|

६.१.६ नौकरशाही को अधिक स्वतंत्रता

नए नियम लागू किये जायेंगे जिसके तहत जनसेवकों को इस बात की पूरी आजादी होगी कि वो शासन पर होने वाली बहस में हिस्सा ले सकें और खुल कर उसपर अपनी राय प्रकट कर सकें| हालाँकि जिन क्षेत्रों के लिए वो खुद जिम्मेदार हैं उन पर होने वाली बहस में वो हिस्सा नहीं ले पाएंगे| इसके अलावा यदि कोई नौकरशाह चुनाव लड़ने का इच्छुक है तो उसे ऐसा करने की पूर्ण आजादी होगी| हम उसे बिना वेतन के तीन महीने की छुट्टी देंगे जिससे वो आने वाले चुनाव की तैयारी कर सके| इसके बाद वो पुनः नौकरी पर लौट सकते हैं| हालाँकि इस छुट्टी को उन्हें मिलने वाले सेवा लाभ में नहीं जोड़ा जायेगा| इसके अलावा और भी सुधार किये जायेंगे जिसमें पेंशन खत्म कर उसकी जगह लोगों से 'पब्लिक सेवानिवृत्ति स्कीम' के तहत अंशदान लिया जाना भी शामिल होगा| परिवर्तन करते समय ऐसी कई व्यवस्थाएं लागू की जाएँगी जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि जिसे जो मिल रहा है वो उससे वंचित न रह जाये|

६.१.७ धांधली की खबर देने वालों को इनाम

हम ऐसे किसी भी राजनीतिक दबाव के खिलाफ हैं जो अधिकारियों को अपने कर्तव्य ईमानदारी और बिना पक्षपात के करने से रोकते हों| लोकसेवकों को सशक्त किया जायेगा ताकि यदि उन्हें किसी मंत्री या वरीय अधिकारी द्वारा की जा रही किसी धांधली या भ्रष्टाचार की खबर हो तो वो उसे बिना किसी डर के लोकपाल तक पहुंचा सकें| और यदि लोकपाल सभी आरोपों को सच पाता है तो उसे पूरा अधिकार होगा कि वो खबर देने वाले अधिकारी या कर्मचारी को उसका प्रोत्साहन दे|

६.२ नौकरशाही में भ्रष्टाचार को पूर्ण रूप से खत्म करना

जैसे ही हमारी स्वर्ण भारत पार्टी जनता का दिल जीतकर सत्ता में आती है तो हमारा पहला कदम होगा भ्रष्टाचार का सफाया| इस कदम को मजबूत बनाने के लिए हम सरकार के पहले सौ दिनों में अनुबंध पर सचिव नियुक्त करेंगे जिनका दायित्व होगा अपने विभागों से असमर्थता और भ्रष्टाचार का पूरी तरह सफाया| इस घोषणापत्र में भ्रष्टाचार हटाने के लिए जरूरी राजनीतिक क़दमों को दर्शाया गया है|

६.२.१ भ्रष्टाचार के अवसर कम करना

जैसा की हम पहले भी इस घोषणापत्र में बता चुके हैं कि राजनीतिक और नौकरशाही से जुड़े भ्रष्टाचार के अवसर कम करने के लिए सबसे जरूरी है नागरिकों की जिंदगियों में बेवजह का सरकारी हस्तक्षेप कम करना| हमने इस घोषणापत्र में उन नीतियों और सिद्धांतों का भी वर्णन किया है जिनकी मदद से सरकारी हस्तक्षेप कम किया जा सकता है|

६.२.२ भ्रष्टाचार कम करने के लिए प्रोत्साहन

६.२.२.१ पुरस्कार

नौकरशाहों को भ्रष्टाचार करने से रोकने के लिए उन्हें प्रतिस्पर्धात्मक वेतन देने के अलावा अच्छे कार्य करने पर प्रोत्साहन देना भी बहुत जरूरी है| जब लोगों को दिखेगा कि बिना भ्रष्टाचार किये भी वो अच्छा पैसा कमा सकते हैं तो गलत काम की तरफ उनका झुकाव कम होगा| इसके अलावा जो कर्मचारी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ शिकायत करेंगे उनको भी इनाम देकर अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित किया जायेगा|

६.२.२.२ सज़ा

अनुबंध पर नियुक्ति मिलने के छह महीने के अन्दर यदि सचिव अपने विभाग से भ्रष्टाचार का नामोंनिशान मिटाने में असफल रहते हैं तो उन्हें सेवा से निरस्त किया जायेगा| और जैसे जैसे अनुबंध पर नियुक्ति करने की ये व्यवस्था आने वाले तीन सालों में बढ़ कर सभी वरीय सचिवों तक पहुँच जाएगी, तो हमारी शासन प्रणाली में सिर्फ ईमानदार लोग ही राज करेंगे| एक बार जब लोकसेवकों को संविधान से मिल रही सुरक्षा को पूरी तरह से खत्म कर दिया जायेगा तब हम छोटे स्तरों पर कार्यरत कर्मचारियों को भी कार्य कुशलता के आधार पर आसानी से सेवानिवृत्त कर पाएंगे| इसके बाद ही सब

कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ एक समान व्यवहार वाला कानून सही मायने में लागू हो पायेगा फिर भले ही वो निजी क्षेत्र से हों या सरकारी कर्मचारी हों| और हमारे सख्त कानून ये भी सुनिश्चित करेंगे कि यदि कोई कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाये|

६.२.३ नागरिकों द्वारा सरकार का ऑडिट और निगरानी

जैसा कि हम पहले भी इस घोषणापत्र में बता चुके हैं कि हम सरकार पर निगरानी बढ़ाएंगे| लोकल बोर्ड्स लगाना, अपने किये कार्य को प्रकाशित करना और ऑनलाइन वेबसाइट बनाकर अपने काम का विवरण देना जैसे कई कदम उठा कर हम सरकार पर निगरानी बढ़ाएंगे| जब जनता हर कदम पर सरकार के कामों की निगरानी रखेगी तो हम भ्रष्टाचार को काफी हद तक कम कर पाएंगे|

६.३ पेशेवर स्थानीय सरकारी संस्थाएं: पूर्ण स्वराज

पूर्ण स्वराज का मतलब है लोकतंत्र में अपना उत्तरदायित्व और जवाबदेही समझना| पर ये तब ही मुमकिन हो सकता है जब एक निपुण सहायक प्रणाली हमारे देश में सक्रीय हो| जिन शहरों का प्रबंधन निजी संस्थाओं के हाथ में है उन्हें छोडकर बाकि जो भी परिषद और नगरपालिकाएं हैं हम उनका आधुनिककरण करेंगे| हम ऐसी स्थानीय सरकारी संस्थाओं को नया रूप देने के लिए एक नया 'स्थानीय सरकारी कानून' लागू करेंगे| इस कानून के तहत कई सुधार किये जायेंगे, जो निम्नलिखित हैं:

६.३.१ सीईओ और बाकि कर्मचारियों की पूर्ण जवाबदेही

राज्य सरकार की बजाए पारषद स्वयं सीईओ नियुक्त करके स्थानीय सरकारी कर्मचारियों को चुने हुए प्रतिनिधियों के प्रति जवाबदेह बनायेंगे| इन सीईओ को अनुबंध पर नियुक्त किया जायेगा और बाज़ार के अनुसार ही वेतन दिया जायेगा| शासन प्रणाली में हमने जो सुधार प्रस्तावित किये हैं उनसे पारषदों में नियुक्त सीईओ को सशक्त किया जायेगा ताकि वो कर्मचारियों की भर्ती और उनको निरस्त कर सकें| इससे निर्वाचित निकायों की परिणाम के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित हो सकेगी|

६.३.२ व्यवस्थित आकार

कई नगरपालिकाएं और प्राधिकरण काफी बड़े होते हैं इसलिए राज्यों को पैसा दिया जायेगा ताकि वो इन स्थानीय पारषदों के ढांचे में तब्दीली लाकर उनको व्यवस्थित आकार दे सकें| अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिन मानकों का पालन किया जा रहा है उन्हें ध्यान में रख कर ही नया अनुपात तय किया जायेगा| ये अनुपात नागरिकों और चयनियत प्रतिनिधियों के बीच होगा| उदहारणस्वरुप, दिल्ली में करीब ६० स्वछन्द पारषदों के लिए ३०० प्रतिनिधियों की आवश्यकता होगी जिसमें मेयर और प्रधान शामिल होंगे| इसके बाद ऐसी सभी ऑथोरिटीस जैसे कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी को निरस्त कर दिया जायेगा जो अपनी जवाबदेही नहीं समझतीं|

६.३.३ कुछ राज्य स्तरीय कार्यों का ट्रान्सफर

राज्य स्तर की कुछ जिम्मेदारियां जैसे खाद्य निरिक्षण और शहरी योजना में हिस्सा, इन सब को पारषदों को सौंप दिया जायेगा| पारषद इन जिम्मेदारियों को एक नए नज़रिए से पूरा करने के लिए तत्पर रहेंगे| इन बदलावों की मदद से स्थानीय निरीक्षक चुने जायेंगे जो गिनती में भले ही कम हों पर कई अधिक सक्षम होंगे|

६.३.४ स्थानीय कराधान

स्थानीय सरकार अपने क्षेत्र में बेहतरीन सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगी| साफ़ सफाई, जल निकास, सड़क, पार्क और स्थानीय पुस्तकालय और कम्युनिटी हॉल की देखरेख ये सब स्थानीय सरकार के दायित्व होंगे| पारषदों को सशक्त किया जायेगा जिससे वो प्रोपर्टी के दामों का मूल्यांकन कर पाएंगे और अपनी सेवाओं के लिए खुद शुल्क तय कर पाएंगे| इलाके की आधारभूत संरचना के विकास और पारषद के आधुनिककरण के लिए उन्हें विशिष्ट परियोजनाओं के तहत अनुदान भी दिया जायेगा| इन विशेष योजनाओं के लिए उन्हें प्रति व्यक्ति के हिसाब से पैसा देय होगा|

हम ये भी सुनिश्चित करेंगे कि नागरिकों की सुरक्षा में हुई किसी भी चूक जैसे खुले नाले या सड़क पर बड़े बड़े गड्ढों के लिए पारषद ही कानूनी तौर पर जवाबदेह होंगे| इन गलतियों से न सिर्फ नागरिकों का स्वास्थ्य खतरे में पड़ता है बल्कि उनकी सुरक्षा भी जोखिम में पड़ती है| ऐसी नागरिक या आपराधिक लापरवाहियों के लिए जिम्मेदार पारषदों पर मुकदमा दायर किया जायेगा|

पारषदों को आजादी होगी कि वो खुद तय कर सकें उन्हें अपने इलाके में किस स्तर की सुविधाएं उपलब्ध करानी हैं| मसलन, अगर किसी पारषद को रहीस निवासी आकर्षित करने हैं तो वो अच्छी आधारभूत संरचना पर जोर देकर उनके लिए अधिक शुल्क ले सकते हैं| इससे लोगों को ज्यादा से ज्यादा मतदान की प्रेरणा मिलेगी ताकि वो बेहतर पारषदों की ओर रुख कर सकें|

६.३.५ पारषद प्रबंधन की क्षमता

पारषदों की आपसी प्रतिस्पर्धा के चलते लागत काफी कम रखी जाएगी| कौन सी पारषद कितना पैसा किन सुविधाओं पर खर्च कर रही है इसका पता लगाने के लिए मूल्य नियामक की भी आवश्यकता होगी| ये मूल्य नियामक इस मुद्दे पर भी अपनी राय देगा कि किसी सुविधा के लिए लागत बढ़ाने की आवश्यकता है या नहीं| पारषदों को प्रोत्साहित किया जायेगा कि वो विश्व-स्तरीय प्रक्रियाएँ अपनाएं और सिंगापुर जैसा मॉडल अपनाकर अपने कार्यों को जितना हो सके उतना प्रायोगिक बनाएं| इस तरह से भारत के हर शहर में विश्व-स्तरीय सुविधाएं कम मूल्य पर मुहैय्या कराई जा सकेंगी|

६.३.६ पंचायतों की भूमिका

पारषदों का सारा कार्यभार गाँव पंचायत प्रणाली द्वारा किया जायेगा और छोटे मामलों में गाँव पंचायत ही निर्णायक की भूमिका भी निभाएगी| गाँव पंचायतों को अधिकार दिए जायेंगे जिससे वो छोटे मोटे नागरिक और आपराधिक न्यायिक मामलों में अपना फैसला सुना सकेंगे| हालाँकि, उनके इन अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाये जायेंगे जिससे वो ताक़त का गलत इस्तेमाल न कर सकें| हम पंचायतों को स्थानीय बोर्ड्स से जोड़ेंगे ताकि सरकार द्वारा किये जा रहे हर काम की ज़मीनी स्तर पर निगरानी रखी जा सके|

गाँव की सूरत सुधारने के लिए यदि बहुत छोटे स्तर पर अंदरूनी सडकें या सार्वजनिक शौचालय बनाने हैं तो पंचायतों को अधिकार दिए जायेंगे कि वो जनता से आने वाले शुल्क में वृद्धि कर सकें| उदारहण के तौर पर हम गुजरात के राज समाधिय गाँव की बात कर सकते हैं जो शायद भारत का सबसे साफ़ गाँव है| वहां का कोई भी नागरिक सड़क पर कूड़ा करकट नहीं फेकता और न ही ज़मीन और पानी को गन्दा करता है| और ऐसा इसलिए क्यूंकि वहां मुआवज़े का प्रचलन है| वहां सिंगापुर जैसा कानून लागू किया

गया है जिसके तहत कूड़ा फेंकने वाले पर रू १००० का जुर्माना लगता है| हम सत्ता में आने पर ऐसे ही व्यवस्था लागू करने के लिए स्थानीय पंचायत को प्रोत्साहित करेंगे और उन्हें ऐसा करने के अधिकार भी देंगे|

६.४ [उदाहरण] स्वच्छ और चमकदार भारत

मोदी सरकार ने भारत को स्वच्छ करने के लिए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की है| हालाँकि, उनके अभियान में शासन प्रणाली में संशोधन करने के कोई उपाय नहीं हैं| यही कमी है जो इस अभियान को सफल होने से वंचित करेगी| भारत को पूर्ण रूप से स्वच्छ करने के लिए निम्न सुधारों की आवश्यकता पड़ेगी, इन्हें हमने इस घोषणापत्र में आगे विस्तृत तौर पर बताया है:

चरण १: प्रणाली में बुनियादी सुधार

स्वच्छ भारत के लिए जरूरी सुधार निम्न हैं, हालाँकि ये सुधार यहीं तक सीमित नहीं हैं:

- चुनाव प्रणाली में सुधार करके ये सुनिश्चित किया जाये कि हर स्तर पर ईमानदार नेता कार्यरत हैं| अगर ऐसा नहीं होता तो ये भ्रष्ट नेता हर योजना और अवसर पर अपना पेट भरते रहेंगे|
- नौकरशाही पद्धति में सुधार ताकि हर स्तर पर जवाबदेह और सक्षम नौकरशाह भर्ती हों| नौकरशाह चाहे किसी भी स्तर पर कार्यरत हों उनका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होगा| उनकी कार्य कुशलता को देखते हुए उन्हें अनुबंध पर नियुक्त किया जायेगा|
- स्थानीय सरकार में सुधार करेंगे ताकि चयनियत पारषदों को सीईओ की नियुक्ति और निवृत्ति का अधिकार मिल सके| उनको अपने कार्य पूरे करने के लिए शुल्क बढ़ाने के भी अधिकार दिए जायेंगे|

ये बुनियादी सुधार हैं जिनके बिना स्वच्छ भारत का हमारा सपना अधूरा ही रह जायेगा| एक कारगर स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत करने के लिए इन सुधारों को अपनाना बेहद जरूरी है| इनके बिना हमारी सारी कोशिशें बेकार होती रहेंगी जैसे पिछले ६७ सालों से होता आ रहा है|

चरण २: ये सुनिश्चित करना कि नगरपालिकाओं के सीइओ से किए अनुबंधों में सफाई एक 'की परफॉरमेंस इंडिकेटर' KPI होगा

भारत को भ्रष्टाचार के अँधेरे से बाहर लाने के बाद जब हर स्तर पर हम सक्षम और योग्य कर्मचारी सुनिश्चित कर लेंगे तो हमारा अगला लक्ष्य होगा सफाई| हम सीइओ के अनुबंधों में सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता रखना एक महत्वपूर्ण विषय बना देंगे| इसके बाद अधिकारियों को स्वयं नए तरीके इजात करके अपने इलाकों में स्वच्छता रखनी होगी| उनके लिए KPIs प्राप्त करना जरूरी होगा वरना उनके पद खतरे में भी पड़ सकते हैं|

चरण ३: स्थानीय सरकारों को अपने क्षेत्रों के लिए रचनात्मक नीतियों का गठन करना होगा

नई योजनाओं के चलते जो नीति सीइओ को अपनी योजना में जरूर शामिल करनी चाहिए वो है रचनात्मक हल तलाशना:

- सुनिश्चित करना कि कूड़ेदान सोच समझकर सही स्थानों पर लगाए जायें और उन्हें नियमित तौर पर साफ़ किया जाये|
- सुरक्षा कर्मियों को कैमरा आदि चीजों से लैस किया जाये ताकि अगर कोई शख्स शहर में कचरा फैलाते पाया या पकड़ा जाता है तो उससे फ़ौरन जुर्माना लिया जा सके| आज भी ऐसे जुर्मानों का प्रावधान तो है पर वो सिर्फ किताबों तक ही सीमित है| लोग कूड़ा कचरा फैलाकर चलते बनते हैं और उन्हें रोकने टोकने वाला कोई नहीं| जुर्माना लगाने का एक उदहारण जो नज़र आता है वो है गुजरात का गाँव राज समाधिय|
- गलियों और सड़कों की सफाई के लिए पेशेवर सफाई कर्मी भर्ती किये जायें| इन कर्मियों को खुले टेंडर पर काम दिया जाये और यदि ये अपने निर्धारित इलाकों में स्वच्छता बनाये रखने में नाकाम साबित होते हैं तो अपनी जवाबदेही के चलते उन्हें जुर्माने का भुगतान करना पड़ेगा|
- कचरे को डंप करने से पहले पुन: उपयोग में आ सकने वाले तत्वों को अलग करने के लिए और कचरे का सही तरह से निपटारा करने के लिए रीसाइक्लिंग फैक्ट्री में निजी निवेश को प्रोत्साहन दिया जायेगा|

- भूमिगत पानी को प्रदूषण से बचाने के लिए कचरे को डंप करने से पहले ये सुनिश्चित किया जायेगा कि उनका निपटारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तय मानकों के अनुसार हो|

ये बस हमने एक खाका तैयार किया है| इससे ये साफ़ हो जाता है कि यदि व्यवस्था में इन सुधारों को शामिल कर लिया जाये तो भारत फिर से एक स्वच्छ और खूबसूरत देश बन सकता है| यहाँ तक की सिर्फ भारत के सुन्दरीकरण अभियान की मदद से हम इतनी नौकरियां पैदा कर सकते हैं जितनी इतिहास में कभी नहीं की गईं|

६.४.१ खुले में शौच का अंत

खुले में शौच करने के मामले में भारत दुनिया के सभी देशों से आगे है| इस तरह की प्रथा से न सिर्फ बिमारियों का खतरा रहता है बल्कि औरतों पर भी यौन शोषण के मामले सामने आते रहते हैं| इस दृश्य को बदलने के लिए हमें लोगों को जागरूक करना होगा| हर ग्राम पंचायत को खुले में शौच करने की प्रथा पर पूरी तरह से बैन लगाना होगा| ये बैन भी उसी तरह का होगा जैसा शहर या गाँव में कचरा फैलाने पर| स्थानीय सरकारें जैसे कि पंचायतें निजी कम्पिनियों द्वारा संचालित सार्वजनिक शौचालय बनाने के लिए जमीन लीस पर दे सकती हैं|

हालाँकि हमारी सरकार लोगों को घरों में निजी शौचालय बनाने के लिए सब्सिडी नहीं देगी| ऐसा इसलिए क्यूंकि जब तक लोग खुद जागरूक होकर अपना पैसा शौचालय बनाने में नहीं लगाते वो उसका इस्तेमाल भी नहीं करेंगे|

६.४.२ स्ट्रीट वेंडर्स

स्वर्ण भारत पार्टी का मानना है कि हर नागरिक को रोज़ी-रोटी कमाने का अधिकार है| पर ये अधिकार सिर्फ तब ही तक वैध है जब तक नागरिक अपनी निजी संपत्ति का इस्तेमाल कर रोटी कमाएं| पर अगर कोई नागरिक सार्वजनिक संपत्ति का इस्तेमाल अपना सामान बेचने के लिए करता है तो उसे कुछ शुल्क देना होगा| ये प्रक्रिया दुनिया भर की स्थानीय सरकारों द्वारा अपनाई जाती है जहाँ वो अपने नागरिकों को व्यापार करने के लिए सार्वजनिक स्थान देते हैं पर उसके लिए कुछ शुल्क देय होता है|

स्वर्ण भारत पार्टी का मानना है कि ये फैसला करने का अधिकार स्थानीय सरकार को होना चाहिए| हम चाहेंगे कि वो व्यापार बढ़ाने के लिए उचित सार्वजनिक स्थान बनाएं और उन स्थानों को इच्छुक व्यापारियों को किराये पर दें| अगर किसी व्यापार के साथ किराये पर उसके सामने का फूटपाथ भी देना अनिवार्य हो तो इस बात का ध्यान रखा जाये कि ऐसा कम ट्रैफिक वाले घन्टों में किया जाये| लागत वसूली के आधार पर अनुमति देने की एक उचित व्यवस्था बनाई जाये| ऐसी व्यवस्था से जो भी पैसा इकठ्ठा होगा उसका इस्तेमाल उस इलाके की साफ़ सफाई रखने, पार्किंग की व्यवस्था करने और बाकि की व्यवस्थाओं में किया जायेगा|

६.५ शासन का सिद्धांत, ढांचा और प्रोत्साहन तंत्र

नागरिकों, व्यापारियों और कर्मचारियों सब के लिए नियम बेहद जरूरी हैं| ये नियम ही सुनिश्चित करते हैं कि हम एक दूसरे की जिंदगी और आजादी का हर पल ध्यान रखें| इन नियमों की बदौलत ही हम अपना काम करते हुए भी दूसरे के अधिकारों को समझ और उनका सम्मान कर पाते हैं| पर ये नियम सरल और आसान होने चाहियें ताकि सबको समझ आ सकें| अगर ये नियम जटिल और मुश्किल होंगे तो इनका पालन तो दूर लोग इन्हें समझ भी नहीं पाएंगे| जैसा कि जेम्स मैडिसन ने कहा है: अगर कानून बहुत जटिल होंगे और उन्हें पढ़ना भी एक समस्या लगेगी या वो आम आदमी की समझ से परे होंगे तो वो लोगों के किसी काम नहीं आयेंगे| वर्तमान में कानून व्यवस्था से जुड़े नियम कानून और उससे संबंद्धित संशोधन, नियम, उपनियम, अध्यादेश और अधिसूचनाएं काफी लम्बे-चौड़े और बिखरे-बिखरे से हैं| यहाँ तक कि कभी कभी तो विशेषज्ञ भी कई मामलों में विश्वासपूर्वक कुछ नहीं कह सकते| तो फिर हम ये कैसे मान लें की आम आदमी को ये कानून समझ आते होंगे और वो इनका पालन भी करते होंगे?

ज्यादातर व्यवसायों की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि सुरक्षा और गुणवत्ता के मामले में उनकी प्रतिष्ठा कैसी है| इसलिए व्यापारियों के लिए ये बेहद जरूरी है कि वो अपने सामान की गुणवत्ता और सुरक्षा का बेहतरीन इंतज़ाम खुद करें| अगर देखा जाये तो दुनिया भर के बड़े बड़े खाद्य व्यापारी अपनी खाद्य सामग्री की सुरक्षा और गुणवत्ता का उतना ख्याल रखते हैं जितना शायद कोई सरकारी निरक्षक भी नहीं रखता होगा| हालाँकि,

कुछ मामलों में खुद नियम तय करना और उनका पालन करना काफी नहीं होता| ऐसे मामलों के लिए औपचारिक नियम अति आवश्यक हैं|

पर जैसा की सभी निजी नीतियों के साथ होता रहा है सिर्फ अच्छे इरादों से शानदार नतीजे नहीं निकलते| भले ही नियम कानून अच्छे इरादों से क्यूँ न बनाये गए हों, पर यदि उनका ढांचा सही तरीके से तैयार न किया जाये या उसमें कई ज्यादा लम्बे-चौड़े नियम हों तो नौकरियों को बड़ा नुक्सान पहुँच सकता है| हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि अगर यही नियम कानून हद से ज्यादा बढ़ जायें तो किसी भी व्यवसाय को नुक्सान पहुंचा सकते हैं| ऐसे बहुत से व्यापार होते हैं जो बिना नियमों के भी काफी अच्छा कर सकते हैं| हर नियम और कानून का अन्धानुकरण भी कभी कभार समाज के लिए काफी हानिकारक होता है| अगर इन नियमों का अत्यधिक इस्तेमाल करके टैक्स चोरी या और ऐसे मामलों की बेवजह रिपोर्टिंग की जाती है तो इसके परिणाम उपभोक्ताओं को ही भुगतने पड़ते हैं|

भारत में हर जगह ही नियम कानूनों का बोल बाला है| ये अति-नियमन ही वजह है जो भारत में इन नियमों का पालन कराने में बेहिसाब खर्चा आता है जिसका आंकलन भी मुश्किल है| पश्चिमी देशों में नियमों का पालन कराने में उनके जीडीपी का लगभग ४ प्रतिशत या उससे थोड़ा ज्यादा खर्च आता है| ये भारत के मुकाबले बहुत कम है| भारत सरकार का हर मामले में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप है| और ये हस्तक्षेप कार्य कुशलता, जोखिम या मुआवज़े से नहीं बल्कि बेमतलब के निर्देशों से जुड़ा है| पहले किसी व्यवसाय को शुरू करने के लिए यहाँ लाइसेंस, परमिट और निरक्षण जरूरी होता है जिसमें अधिकारी अपनी मन-मानी करते हैं| यही वजह है जो भारत में हर स्तर पर कानून व्यवस्था की धज्जियाँ उड़ रही हैं| आम आदमी के हाथ में कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से वो हर वक़्त अनिश्चितता की स्थिति में रहता है| हमारे देश में भ्रष्टाचार की स्थिति ऐसी गंभीर हो चुकी है कि नौकरशाह और नेता भी इन नियमों का फायदा उठाके व्यापारियों और नागरिकों को ब्लैकमेल करते हैं| इसका नतीजा ये होता है कि दोनों पार्टियों के बीच कभी न खत्म होने वाली मुकदमेंबाजी चलती है जिसमें काफी खर्चा और झंझट होता है|

ये भारत की बदनाम लालफीताशाही ही है जिसने हमारे देश को व्यापार करने की आसानी के मामले में १८९ देशों की सूची में १४२ वें स्थान पर ला खड़ा किया है| और व्यापार शुरू करने के मामले में तो हमारी हालत और भी बुरी है क्यूंकि इस सूची में हमारा स्थान है १६६| एक रिपोर्ट की मानें तो हमारे देश में एक गोदाम बनाने के लिए करीब ३५ तरह की मंजूरियां लेनी पड़ती हैं और अनगिनत प्रक्रियाओं से गुज़रना पड़ता है| इसके बाद जाकर कहीं एक गोदाम बनाने का काम १६८ दिनों में पूरा हो पाता है| छोटे व्यवसाय शुरू करते वक़्त भी ऐसी कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है| मसलन अगर हमें महाराष्ट्र में कोई बार खोलना हो या रेस्टोरेंट खोलना हो तो करीब ३८ तरह के लाइसेंस की जरूरत पड़ती है| इनमें से कई लाइसेंस तो अंग्रेजों के ज़माने के हैं और आज के समय के हिसाब से बिल्कुल बेतुके हैं|

आखिर व्यापार शुरू करना इतना मुश्किल क्यूँ है? हम सब ही अपना वातावरण सुरक्षित रखना चाहते हैं और अपने आस पास सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहते हैं| पर इसका मतलब ये नहीं कि इन बातों को हर मामले में बहाने की तरह इस्तेमाल किया जाये| हमारे देश में अधिकारी ऐसे बहाने बनाकर कई प्रोजेक्ट्स को टालते रहते हैं| ऐसी बेमतलब परमिशन और लाइसेंस की जरूरतों को खत्म करना हमारी बहुत बड़ी मजबूरी बन गया है| हमें एक निश्चित समय सीमा तय करनी ही होगी जिसके अन्दर अधिकारियों को सभी प्रोजेक्ट्स को अनुमति प्रदान करना आवश्यक होगा| अगर सारे कागज़ात ठीक हों और फिर भी कोई अधिकारी या नौकरशाह प्रोजेक्ट और लाइसेंस को टालते हैं या अनुमति देने में बेवजह का समय लेते हैं तो उनपर जुर्माना लगाया जायेगा| ये सारी व्यवस्था ऑनलाइन और पारदर्शी होनी चाहिए| व्यापार शुरू करने में किसी प्रकार की कोई देरी नहीं होनी चाहिए और जैसे ही जरूरी दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड किये जायें तो उस व्यापार का नाम फ़ौरन ही उपलब्ध हो जाना चाहिए|

अगर हम दिल से चाहते हैं कि हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया बन सके तो हमें नियमों में थोड़ी ढील देनी होगी खासकर लघु व्यवसायों में| हमें सिर्फ तब ही नियमों का अनुपालन कराना चाहिए जब जरूरी हो, वरना नहीं|

६.५.१ विश्व-स्तरीय नीति और नियामक ढांचे

एक आज़ाद समाज और देश के वासी होने के नाते हमें इस बात का पूरा अधिकार है कि हम सरकार द्वारा बनाई नीतियों और नियमों का सही मकसद जान सकें| सिर्फ इतना काफी नहीं की सरकार एक आदेश जारी कर दे और सोचे कि सभी नागरिक उसका पालन करेंगे| हर आदेश के नीचे एक मजबूत और उचित आधार होना जरूरी है| कोई भी नई नीति और नियम बनाने से पूर्व हमें उसके प्रभावों पर विचार विमर्ष करके उनका प्रकाशन करना होगा| इन प्रभावों में उसको लागू करने में होने वाली लागत भी शामिल होगी|

भारत नीति कार्यालय इस तरह के ढांचों को तैयार कर उन्हें लागू करेगा| इन आदेशों से किसी की आजादी खतरे में न पड़े और ये जरूरत से ज्यादा सख्त न हों इस बात को सुनिश्चित करना भी IPO का दायित्व होगा| उदारहण के तौर पर सभी नीति घोषणाओं से जुड़े निम्न सवालों का विस्तृत जवाब देना होगा:

प्र.१.	सरकार की भूमिका न होने पर क्या होगा?
प्र.२.	बुनियादी तौर पर क्या समस्याएं हैं उन्हें पहचाना जाये और जवाब दिया जाये कि ये समस्याएं क्यूँ हैं?
प्र.३.	पहले सैद्धांतिक परीक्षा (क्या सरकार के थोड़े बहुत हस्तक्षेप की भी जरूरत है?)
प्र.४.	सरकार इन समस्याओं के बारे में क्या कर सकती है?
प्र.५.	आजादी की परीक्षा (इस नीति से कहीं हमारी आजादी को तो खतरा नहीं?)
प्र.६.	रणनीति की परीक्षा
प्र.७.	सरकार की विफलता की परीक्षा
प्र.८.	वास्तविक अनुभव परीक्षा
प्र.९.	लागत की परीक्षा
प्र.१०.	बदलाव पथ

इन सवालों से जुड़ी और विस्तृत जानकारी यहाँ उपलब्ध है:
http://sonekichidiya.in/publications/policy-framework/

६.५.१.१ नियामक और पुनरवलोकन संस्था

हम उत्पादकता परिषद को एक स्वतंत्र नीति निरक्षण व कुशलता आयोग में तब्दील कर देंगे| इस आयोग का काम होगा भारत सरकार द्वारा बनाई सभी नीतियों का विश्लेषण

करके उनके प्रभावों के बारे में फ्रीडम मिनिस्टर को सूचित करना| ये आयोग भारत नीति कार्यालय के तहत काम करेगा| राज्य सरकारों को भी पैसा दिया जायेगा ताकि वो भी ऐसे आयोग का गठन करें या ऐसी ही किसी प्रक्रिया को शुरू कर नीतियों और उनके प्रभावों पर नज़र रखें|

६.५.१.२ व्यवसायों में होने वाले नियामक खर्चों को ५० प्रतिशत तक कम करना

हम भारत सरकार द्वारा देशवासियों पर लगाई बेमतलब की लालफीताशाही को कम करेंगे| इस प्रथा को पांच सालों के अन्दर अन्दर करीब ५० प्रतिशत तक कम किया जायेगा जिसमें व्यापार और NGO भी शामिल होंगे| ऐसे मामलों में बेवजह के कानून और नियम न सिर्फ प्रशासनिक और अनुपालन से जुड़ी लागत को बढ़ाते हैं पर प्रोजेक्ट्स को टालने का भी काम करते हैं| लालफीताशाही को खत्म करने के लिए पहला कदम अप्रत्यक्ष आर्थिक लागत को खत्म करके किया जायेगा| लालफीताशाही किस हद तक उचित है और किन मायनों में जरूरी है इस बात को 'रेगुलेटरी चेंज मेज़रमेंट' के नियम के तहत आँका जायेगा| इसका विश्लेषण और नतीजों को प्रकाशित करना नीति निरक्षण व कुशलता आयोग के जिम्मे होगा|

६.५.१.३ लाइसेंसिंग का निरक्षण: उद्यम और व्यवसाय सबका अधिकार हों

हमारे देश में लाइसेंसिंग और अनुमति का जो प्रचलन है उसमें बदलाव की जरूरत है| हर किसी को उद्यम शुरू करने या व्यापार करने का अधिकार होना चाहिए बशर्ते वो ऐसा कानून के दायरे में रहकर कर रहा हो| उन्हें व्यापार शुरू करने के लिए किसी प्रकार की लाइसेंसिंग की जरूरत नहीं होनी चाहिए| अगर व्यवसाय शुरू करने के लिए कोई चीज महत्वपूर्ण होनी चाहिए तो वो है एक सर्टिफिकेट जो इस बात की पुष्टि करता हो कि ये व्यापार कानून के दायरे में रहकर किया जा रहा है| और हमारी सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि इस तरह के सर्टिफिकेट जारी करने में अधिकारियों की तरफ से कोई देरी न की जाये| नागरिकों को अधिकार दिया जायेगा कि वो अपनी संपत्ति पर कुछ भी बनाएं और नया व्यापार शुरू करें| इसके लिए बस उन्हें सरकार को सूचित करना होगा और सभी बुनियादी कानून और नियमों का पालन करना होगा| सरकार के लिए एक निर्धारित समय सीमा तय की जाएगी जिसके अन्दर उसे व्यवसाय शुरू कर रहे नागरिक को बताना होगा कि वो ये कार्य सही तरीके से कर रहा है या नहीं| अगर नागरिक ने कोई

कानून तोड़ा हो या उसके व्यापार से जुड़ी और कोई खामी होगी तो वो सरकार को इस तय समय सीमा में ही बतानी होगी| इस तरह से अनगिनत प्रोजेक्ट्स का टलना रुक जायेगा और विलम्ब के कारण होने वाला खर्च बचाया जा सकेगा| और क्यूंकि अब किसी प्रोजेक्ट को रोकना अधिकारी या नौकरशाहों के हाथ में नहीं होगा तो इससे भ्रष्टाचार में भी कमी देखने को मिलेगी|

६.५.१.४ कम शब्दों का इस्तेमाल कर कानूनों को सरल भाषा में लिखा जायेगा और अनावश्यक कानूनों को खत्म किया जायेगा

सभी केन्द्रीय कानून जिसमें टैक्स सम्बन्धी कानून भी शामिल हैं का निरक्षण किया जायेगा| इन कानूनों के निरक्षण के बाद इन्हें सरल भाषा में दोबारा लिखा जायेगा ताकि आम आदमी भी इन कानूनों को पढ़ और समझ सकें| डेफिनिशन एक्ट या कानून से संलग्न कोई लिंक या उसकी तालिका को अलग ही रखा जायेगा| आगे चलकर और भी कई कानूनों को सरल बनाया जायेगा| हम इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे|

हम ऐसे नियम लायेंगे जिनसे लोग अपना नुक्सान भांप कर खुद ही उसमें हाथ न डालें| इसके अलावा मुआवजों और नया ढांचा तैयार करने पर भी विचार किया जायेगा| भारत नीति कार्यालय इन समीक्षाओं पर निगरानी रखेगा और उनको उन कानूनों से जोड़ने की जिम्मेदारी भी इस संस्था पर ही होगी जो अलग से शामिल किये जा रहे हैं|

नियम कानूनों को सरल करते वक़्त इस बात का भी ख्याल रखा जायेगा कि ऐसे कानून जो किसी काम के नहीं हैं, ईमानदार नागरिकों को परेशान करते हैं या अपराधियों को बच निकलने का मौका देते हैं खत्म किये जायेंगे| इसके अलावा अगर कानूनों के अनुपालन में अनावश्यक खर्च आता है तो उन नियमों की समीक्षा करके ऐसे खर्चों को भी कम किया जायेगा| सबसे पहले जैन कमीशन में की गई सिफारिशों की समीक्षा की जाएगी जिसके तहत करीब १३०० से ज्यादा केन्द्रीय कानूनों को खत्म किया जायेगा जिसमें ११ कानून ब्रिटिश राज के हैं| इसके अलावा राष्ट्रीय न्यायिक आयोग द्वारा सिफारिश किए गए कई कानूनों को भी खत्म करने की पहल की जाएगी|

जो नियम अत्यंत आवशयक हैं जिनके बिना कोई प्रोजेक्ट या प्रक्रिया की शुरुआत नहीं हो सकती उन्हें सरल बनाया जायेगा| हमारी कोशिश होगी कि जरूरी मंजूरियों के लिए

नागरिकों को दर दर न भटकना पड़े और वो एक ही खिड़की पर सारे जरूरी काम करवा सकें| ऐसे कदम उठाकर ही भारत को उस सूची में ऊपर लाया जा सकता है जो देशों को वहां व्यापार करने की आसानी के आधार पर आंकती है|

६.५.२ हर १० सालों में नियमों को खत्म करना और कानूनों को ३० साल में बदलना

ऐसे कानून जो पुराने और बेकार कानूनों पर बार बार विचार करने का दबाव डालते हैं उन्हें खत्म करना हमारा पहला लक्ष्य होगा| किसी भी कानून को तीस साल के बाद बेवजह नहीं खींचा जायेगा और तीस सालों के अन्दर अन्दर उन्हें खत्म कर दिया जायेगा| इसके अलावा जो नियामक या सहायक कानून हैं उनकी अवधि मात्र १० साल रखी जाएगी| इसके बाद वो स्वत: ही अमान्य होंगे| यदि कोई कानून जरूरी हैं तो उनमें समय के साथ सुधार किया जायेगा| ये वर्तमान के सभी कानूनों पर लागू होगा जिसके चलते आने वाले सालों में कई कानून खुद ही खत्म हो जायेंगे| फ़िलहाल हम इन सब कानूनों को पांच साल का वक़्त देंगे जिस दौरान प्रथम सिद्धांतों से इनकी समीक्षा होगी और जरूरत पड़ने पर इन्हें नए तरीके से बनाया जायेगा|

६.५.३ अन्य बेहतरीन ढाँचे

हम नई और शानदार शासन प्रणालियों को अपने सरकरी तंत्र में लागू करेंगे| इसका एक उदहारण है मजबूत प्रतिस्पर्धा नीति जो व्यापार के आकार पर ध्यान न देकर उसको शुरू करते वक़्त आने वाली दिक्कतों को खत्म करने पर केन्द्रित होगी| इस नीति के तहत हम ये सुनिश्चित करेंगे कि बाज़ार पर किसी एक का राज न हो बल्कि सबको व्यापार करने और उसे बढ़ाने के समान अवसर प्राप्त हों| निष्पक्ष प्रतियोगिता, जीवन चक्र प्रबंधन, ढांचागत सुविधाओं का निर्माण और निजी क्षेत्र की लागत का नियंत्रण करना: ये सब भी सरकारी तंत्र को मजबूत करने के काम आएगा|

सरकार की भूमिका प्रबंधन, कमीशन और सत्यापन के मामलों में बढ़नी चाहिए| सरकार को उचित लक्ष्य और उसके लिए सही मुआवज़े तय करके परिणाम हासिल करने चाहियें| उसे सार्वजनिक, निजी और नॉन-प्रॉफिट सभी क्षेत्रों से हाथ मिलाकर बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित करनी चाहियें| जब प्रोवाइडर्स बेहतरीन सुविधाएं देंगे तब ही सरकार कम लागत में बेहतर परिणाम हासिल कर पायेगी|

६.५.४ ई-गवर्नेंस

आज के समय में नेशनल इन्फार्मेटिक्स सेंटर द्वारा प्रदान की जा रही ई-गवर्नेंस सुविधाएं बहुत ही खराब गुणवत्ता की हैं| हम सरकार बनाते ही इन सुविधाओं का सख्ती से नियंत्रण करेंगे| इस सेंटर की अपरिपक्व वेबसाइट और सुविधाएं बहुत ही खराब होती हैं| इसलिए हम ज्यादातर ई-गवर्नेंस जरूरतों को विश्व-स्तरीय भारतीय कंपनियों के आईटी विभाग से पूरा कराएँगे| इससे हम नागरिकों को जरूरत की सुविधाएं मुहैया करा पाएंगे| इन्हीं तरह के प्रोजेक्ट्स की बदौलत हम नागरिकों की सरकार बनाने में सफल हो पाएंगे| जब सरकार पर जनता निगरानी रखेगी तब ही उसकी जवाबदेही सुनिश्चित हो पायेगी|

हम ऐसे मंच तैयार करेंगे जहाँ जनता को सरकार से जुड़ने में कोई दिक्कत न हो| वो सरकार से जुड़ने के लिए अपने अकाउंट का निर्माण कर सकें जहाँ उनकी कॉल्स का जवाब उन्हें फ़ौरन मिलेगा| नागरिकों को अपनी जरूरत के हिसाब से किसी विशेष सरकारी एजेंसी का पता नहीं लगाना होगा अपितु सिर्फ एक ही मंच पर उनकी सारी समस्याओं का समाधान उपलब्ध कराया जायेगा|

हम ई-गवर्नेंस के सफल मॉडल्स जैसे की एस्तोनियन मॉडल का विश्लेषण करेंगे| ये मॉडल पब्लिक-प्राइवेट साझेदारी पर निर्भर है| ऐसे मॉडल्स से सीख लेकर हम बेहतरीन ई-गवर्नेंस सुविधाएं सुनिश्चित कर सकेंगे| हम ऐसे स्मार्टफोन एप के इस्तेमाल का प्रोत्साहन करेंगे जिससे सरकार से जुड़ा जा सके और आस पास हुए किसी भी प्रकार के अपराध को रिकॉर्ड करके उसके बारे में रिपोर्ट की जा सके|

बेहतर ई-गवर्नेंस सुविधाओं के लिए हम 'इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ़ सर्विसेज बिल, २०११' और 'राईट ऑफ़ सिटीजन्स फॉर टाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ़ गुड्स एंड सर्विसेज एंड रिहर्सल ऑफ़ देएर ग्रिएवन्सेस बिल, २०११' का समर्थन करते हैं| हम इनसे सम्बंधित कानूनों में सुधार लायेंगे और इन्हें दोबारा परिभाषित करेंगे| हम इन कानूनों को हमारे पूर्ण स्वराज और विश्व-स्तरीय शासन प्रणाली के लक्ष्य के साथ लेकर चलेंगे|

स्तंभ २: एक अच्छी सरकार को क्या करना चाहिए?

बाकि के घोषणापत्र के लिए हम ये मान कर चलेंगे कि हमारे द्वारा ऊपर प्रस्तावित किये गए राजनीतिक सुधार और नौकरशाही प्रणाली में संशोधन सफलतापूर्वक लागू कर दिए गए हैं| ऐसे ही सुधार बेहतरीन शासन प्रणाली के आधार बन सकते हैं वरना बढ़ता भ्रष्टाचार और असमर्थता अच्छी नीतियां लागू करने की सभी उम्मीदें खत्म कर देगा| इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि नीति कितनी बेहतरीन और उपयोगी है| अगर भ्रष्टाचार और असक्षमता को कम नहीं किया गया तो सभी नीतियां असफल होती रहेंगी| अगर भ्रष्टाचार को नियंत्रित नहीं किया गया तो हमने आने वाले भागों में जो सुधार प्रस्तावित किये हैं वो सब असफल हो जायेंगे या शायद उनका नतीजा ही कुछ और निकाल आये| इन सब सुधारों को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए पहले शासन व्यवस्था में प्रस्तावित सुधार करने होंगे| हम इन सुधारों के बिना निजीकरण का भी समर्थन नहीं करते हैं|

७. न्यूनतम कर, खर्चों पर सख्त नियंत्रण और मजबूत वित्त-व्यवस्था

हमें सरकारी खर्चों को लगाम लगानी होगी ताकि पैसे का इस्तेमाल सिर्फ जरूरी खर्चों पर हो और बेमतलब के खर्च पर रोक लगाई जा सके| भारतीयों की समृद्धि पूरी तरह से अच्छी नीतियों पर निर्भर करती है (इस घोषणापत्र में नीतियों को विस्तृत रूप से समझाया गया है)| इन नीतियों में बेहतर वित्त व्यवस्था भी शामिल है जिसके तहत नागरिकों से कम कर लिया जाये, मुद्रास्फीति की दर न्यूनतम हो और कर्ज आने वाली पीढ़ी को अच्छी अर्थव्यवस्था देने के लिहाज़ से हो| जब ऐसी वित्त व्यवस्था हमारे देश में लागू हो जाएगी तो लोग उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित होंगे जिससे ढेरों नौकरियां उत्पन्न होंगी और हमारा देश समृद्ध बनेगा|

७.१ संतुलित बजट और कम कर्ज

बहुत सी राजनीतिक पार्टियों का मानना है कि देश में होने वाली सभी समस्याओं का बस एक ही हल है- पैसा| उन्हें लगता है सरकार द्वारा ज्यादा पैसा खर्च करवाकर या और सब्सिडी देकर वो सभी समस्याओं का समाधान निकाल लेंगे| विगत कई वर्षों से भारत सरकार अपने सामर्थ्य से भी कहीं अधिक खर्च करती आ रही है| और सबसे ज्यादा दुःख

इस बात का है कि इसमें से ज्यादातर पैसा सिर्फ बरबाद होता आया है| इसी का नतीजा है जो स्वतंत्रता के बाद से लगातार रूपए की कीमत बुरी तरह नीचे गिरती जा रही है| इसने हमें इस हाल पर लाकर खड़ा कर दिया है कि आज हमने अपने देश के बच्चों और नौजवानों पर जीडीपी का करीब ५० प्रतिशत कर्जा चढ़ा दिया है|

स्वर्ण भारत पार्टी का ऐसा मानना है कि सरकार पर भी वैसे ही सिद्धांत लागू होने चाहियें जैसे निजी क्षेत्रों में काफी सूझ-बूझ के साथ लागू होते हैं| अच्छे राजस्व प्रबंधन के लिए संतुलित बजट और फ़ालतू का खर्च रोकना बेहद जरूरी है| हम कर्ज की खिलाफत नहीं करते हैं पर हमारा विश्वास है कि कर्ज तभी लेना चाहिए जब उसके सिवा कोई दूसरा रास्ता न नज़र आये| अगर किसी खर्चे से समाज का बहुत बड़ा फायदा होता है तो हम कर्ज उठाकर वो खर्च करने के लिए तैयार हैं|

भले ही सरकार के प्रथम कोटि के कार्यों के लिए लागत कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही हो पर हम पहले दिन से ही इसके खिलाफ जंग का ऐलान करेंगे| अपनी सरकार बनने के चार साल के अन्दर ही हम खर्चों को नियंत्रित करके राष्ट्रीय कर्ज को जीडीपी के २० प्रतिशत तक लेकर आयेंगे| और बजट को संतुलित करने के लिए मध्यम टर्म में कुछ इस प्रकार से कर्ज कम करेंगे:

- राजस्व पटल का विस्तार;
- सरकारी जमीन का उपयोग बढ़ाना और फ़ालतू ज़मीन की बिक्री| दिल्ली और अन्य शहरों में बड़ी-बड़ी एकल और दो मंजिला सरकारी इमारतों की जगह बहु-मंजिला और निजी इमारतों को काम में लाया जायेगा| अगर जरूरत पड़ेगी तो हम इमारतों को सरकारी काम-काज के लिए किराये पर चढ़ा देंगे| प्रबंधन प्रणाली में सुधार लाने के बाद सरकार का किसी भी आवासीय संपत्ति पर कोई मालिकाना हक नहीं होगा| सरकारी कर्मचारियों को प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे कर्मचारियों की तरह किराये पर घर लेने होंगे|
- सार्वजनिक क्षेत्र की बिक्री बाज़ार के भाव पर होगी;
- प्राइवेट एंटरप्राइज को आधारभूत संरचना में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा;

- हमारी सरकार के तीन साल पूरे होने तक हम हर तरह की सब्सिडी खत्म कर देंगे| हम एक लक्ष्य-केन्द्रित नकारात्मक आयकर योजना लागू करेंगे जिसका उद्देश्य होगा देश से गरीबी हटाना| इस तरह की योजना से गरीबी हटाओ प्रक्रिया में कोई अपव्यय नहीं होगा|

इन ठोस क़दमों के बल पर रूपए को भी मजबूती मिलेगी|

७.२ राजस्व सम्बन्धी सिद्धांतों पर एक नज़र

एक आज़ाद देश के नागरिक होने के नाते हमें जिन भी सुविधाओं की जरूरत होती है हम उसके लिए सरकार को कर (टैक्स) देते हैं| पर इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि हमारी जटिल और बेढंगी शासन प्रणाली इस मामले में भी असफल होती नज़र आती है|

७.२.१ कर-वसूली से जुड़े सिद्धांत

७.२.१.१ कर की कुल राशि जीडीपी के २५ प्रतिशत से ज्यादा न हो

कर की प्रकृति ही ऐसी है कि वो बोझ लगते हैं और नागरिकों की आजादी को कहीं न कहीं नुक्सान पहुंचाते हैं| नागरिकों पर सिर्फ जरूरी करों की कम से कम राशि ही देय होनी चाहिए| सरकार जो भी कर लागू करती है वो बस इस हिसाब से होने चाहियें कि राज्यों के जरूरी कार्यों का वहन बिना रुके होता रहे| इसका मतलब है सिर्फ उन कार्यों के लिए पैसा लेना जो अत्यंत आवश्यक हैं| सरकार को कर इसलिए नहीं लागू करने चाहियें कि उनसे अनावश्यक कार्यक्रमों का आयोजन हो सके या उस राशि को आय के रूप में पुन: वितरित किया जा सके| एक बार जब हमारी सरकार इन सुधारों को लागू करके गरीबी को जड़ से मिटा देगी और हर नागरिक को रोज़ी-रोटी कमाने के समान अवसर प्राप्त होने लगेंगे तब बचे कुचे पुन: वितरण कार्यक्रमों को भी समाप्त कर दिया जायेगा| अगर लोगों की मदद करनी भी होगी तो वो समाज के समपन्न लोग खुद चैरिटी के कार्य करके करेंगे|

हम हर स्तर पर यानि केन्द्रीय, राज्य और स्थानीय सरकरों द्वारा लागू करों पर करीब से निगरानी रखेंगे| इससे हम ये सुनिश्चित कर पाएंगे कि कोई भी सरकार जीडीपी के २५ प्रतिशत से अधिक कर-वसूली न करे| भले ही वर्तमान में कर का स्तर इसी के आस पास हो पर वो दिशाहीन और न्याय के विरुद्ध हैं|

कर-वसूली को सही दिशा में लाते हुए हम इससे जुड़े नए कानून लागू करेंगे या राज्य और स्थानीय सरकारों के करों पर लगाम लगाने के लिए सरकारों के बीच आपसी सहमती सुनिश्चित करेंगे| राज्य सरकारों को हर प्रकार के व्यापार को कर-मुक्त करना होगा| अगर ऐसा नहीं होता है तो भ्रष्टाचार और हानिकारक पूंजीवाद का राज कभी समाप्त नहीं हो पायेगा|

७.२.१.२ आसान कर प्रणाली

कर प्रणाली का न्यायिक, आसान, पारदर्शी और निष्पक्ष होना अति आवश्यक है| किसी भी कर की वजह से नए काम या उद्यम का नुक्सान नहीं होना चाहिए| ज्यादातर मामलों में हम करों की मार्जिनल दरें भी कम कर देंगे| न्यूनतम टैक्स दरों और आसान कर नियमों की मदद से टैक्स आधार को विस्तृत किया जायेगा| जब कर नियम सहज और टैक्स दर कम होगी तो लोग टैक्स देने से पीछे नहीं हटेंगे जिसकी बदौलत भ्रष्टाचार में भी कमी देखने को मिलेगी|

हम कॉर्पोरेट आयकर छूट में भी कमी लायेंगे और उसको सिर्फ चैरिटी कार्य या शोध एवं विकास के कार्यों तक सीमित कर देंगे| इसके अलावा जनता के हित में किये जा रहे कार्यकलापों को भी इससे बाहर किया जायेगा|

यहाँ पर शिशु सदनों का जिक्र करना भी बेहद अहम है लेकिन सिर्फ उन्हीं सुविधाओं का जो नियम कानून के तहत चलाई जा रही हैं| ये शिशु सदन हमारे बहुत काम आते हैं| इन्हीं सदनों की वजह से आज लड़कियों की पढ़ाई सिर्फ इसलिए नहीं रोक दी जाती ताकि वो घर पर रहकर अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करें| इनके रहते आज हर क्षेत्र में औरतों का योगदान बढ़ रहा है वो बिना किसी रूकावट के घर से बाहर निकलकर काम कर रही हैं| इसलिए हम ऐसी संस्थाओं को बढ़ावा देने के लिए इनपर लगने वाले हर प्रकार के कर को खत्म कर देंगे|

७.२.१.३ ईमानदारी से विवरण देना

कर प्रणाली की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए हम आधार संख्या की सार्वजनिक घोषणा को अनिवार्य कर देंगे| बिना ऐसा किये नागरिकों को 'परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN)' जारी नहीं किये जायेंगे| हम इस पर और विचार विमर्ष करेंगे ताकि इन दोनों को

आपस में लिंक करने से इनकी गोपनीयता पर कोई खतरा न मंडराए| हमारा मानना है कि समर्थ नागरिकों द्वारा की जा रही टैक्स चोरी रोकने के लिए जितने कदम उठाने पड़ें उठाने चाहियें|

७.२.१.४ विस्तृत कर-पटल: हर नागरिक को कर भुगतान करना चाहिए

भारत में रहने वाला हर नागरिक जो समर्थ है और देश को चलाने में अपना सहयोग दे सकता है उसे कभी पीछे नहीं हटना चाहिए| वर्तमान में, हमारी जनसँख्या का सिर्फ तीन प्रतिशत हिस्सा ही अपनी आय को कर लगाए जाने योग्य बताता है| इसलिए हम ऐसे अवसरों पर अपना ध्यान केन्द्रित करेंगे जिनकी मदद से ज्यादा से ज्यादा लोगों को कर प्रणाली से जोड़ा जा सके| अवैतनिक कृषि क्षेत्र और लघु उद्योगों को सख्ती से आयकर व्यवस्था के अंतर्गत लाया जायेगा| हम हर नागरिक के लिए वार्षिक आयकर रिटर्न दायर करना अनिवार्य कर देंगे| फिर चाहे उनकी वार्षिक आय कुछ भी हो| इस रिटर्न को बहुत सरल रखा जायेगा क्यूंकि ये निषेधात्मक कर प्रणाली का एक अहम हिस्सा है जो गरीबी हटाने में मददगार साबित हो सकता है|

७.२.१.५ कर भुगतान बिना परेशानी के हो इसके लिए निजी संस्थाओं को काम पर लगाया जायेगा

सरकार की निगरानी में काम करने वाली निजी संस्थाओं को ये काम सौंपा जायेगा कि वो अनपढ़ और गरीब लोगों को उनकी आयकर से जुड़ी जानकारी भरने में मदद करें| जरूरत पढ़ने पर हम इस बात के फोटोग्राफिक प्रमाण भी उपलब्ध कराएँगे कि हमने इस काम के लिए कितने लोगों को नियुक्त किया है, चल-स्टॉक की गिनती क्या है या आवासीय क्षेत्रों में इसको लेकर क्या काम चल रहा है| इस तरह से जगह जगह जाकर वो हर नागरिक की आय की जानकारी प्राप्त कर पाएंगे और उसे ऑडिट के लिए जमा कर सकेंगे|

७.२.१.६ टैक्स आय और लाभ के आधार पर वसूला जाये न कि सौदों के आधार पर

एक सीधा सिद्धांत ये होना चाहिए कि कर व्यापार में हुए लाभ पर देय हो न कि संपत्ति पर| सौदों पर लगने वाले कर व्यापार के लिए हानिकारक साबित होते हैं इसलिए हम इस तरह के करों में कमी लायेंगे|

७.२.१.७ अधिक फायदेमंद करों का इस्तेमाल

सबसे अधिक फायदेमंद या सक्षम कर वो हैं जो काम से मिलने वाले मुआवजों या उत्पादन के अन्य पहलुओं को निर्धारित करने वाली व्यवस्था को कम से कम नुक्सान पहुंचाएं| इसलिए हमें ऐसे करों को ही लागू करना चाहिए| करों के प्रशासन और संचालन में जबरदस्ती थोपी गई लालफीताशाही की जो लागत आती है उसे भी समाज के नुक्सान के साथ जोड़ कर देखना चाहिए| देखा जाये, तो भूमि पर लगने वाला कर सबसे प्रभावकारी है| इसलिए हम सरकार में आते ही भूमि-कर व्यवस्था को मजबूत बनायेंगे और इस कर को राज्य सरकारों, केंद्र-शासित प्रदेशों और स्थानीय सरकारों के सुपुर्द किया जायेगा| ऐसा करने से इन सरकारों की केन्द्रीय करों पर जो निर्भरता है उसे काफी हद तक कम किया जा सकेगा|

७.२.१.८ दोहरे-कराधान का प्रावधान समाप्त होगा

कर व्यवस्था सुधारने के लिए दोहरे कराधान का प्रावधान सिरे से खत्म किया जायेगा| एक बार जिस आय पर कर लग चुका है उस आय पर दोबारा कोई कर न लगाया जाये| इसका मतलब ये हुआ कि हम एस्टेट ड्यूटी को खत्म कर देंगे क्यूंकि वो कई कारणों से हमारे देश के लिए हानिकारक हैं|

७.२.१.९ पूर्वव्यापी कराधान का प्रावधान समाप्त होगा

हम इस घोषणापत्र में वादा करते हैं कि हम किसी भी कर या कानून में पूर्वव्यापी संशोधन नहीं लायेंगे| हम पहले भी देख चुके हैं कि पूर्वव्यापी कानून की वजह से बेमतलब की मुकदमेबाजी बढ़ जाती है| इससे न सिर्फ राष्ट्रीय संपत्ति बल्कि नागरिकों की खुशहाली भी बर्बाद हो जाती है| हो सकता है टैक्स व्यवस्था में कोई ऐसी बहुत बड़ी गड़बड़ हो जिसको सही करने के लिए हमें इस कानून का इस्तेमाल करना पड़े| पर ऐसा शायद ही कोई अवसर आएगा और अगर आता भी है तो हम इस कानून को न्यायोचित तरीके से पुरानी धाराओं या दफाओं के साथ लागू करेंगे|

७.२.१.१० लागत वसूली और उपभोक्ता अदायगी सिद्धांत

हम ऐसी व्यवस्था लागू करेंगे जिसके चलते सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाने वाले उपभोक्ता को उस सुविधा की लागत के हिसाब से एक तय शुक्ल देय होगा| अगर कोई

सरकारी व्यवस्था ऐसी है जो प्राइवेट सेक्टर में भी उपलब्ध है तो उसके लिए बाज़ार का भाव वसूला जायेगा| लागत वसूली या बाज़ार के भाव पर वसूली के लिए लगाया जा रहा शुल्क हर परिस्थिति में देय होगा| ये नियम सामुदायिक लाभों पर लागू नहीं किए जायेंगे|

७.२.१.११ कर अनुपालन के लिए टैक्स चोरी करने वालों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी

हम टैक्स से जुड़े कानूनों का अनुपालन कराने के लिए वचनबद्ध हैं| हम हर हाल में भारत की कर अनुपालन क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं| इसमें मनी-लॉनडरिंग की रोक थाम भी शामिल है| हम टैक्स चोरी को अपराध मानेंगे और चोरी करने वाले नागरिक को कड़ा दंड दिया जायेगा जिससे बाकि नागरिकों को कर भुगतान की असली कीमत समझ आ सके| जितने भी बड़े टैक्स चोर हमारे देश में छुपे बैठे हैं हम उनके लिए जेल की सजा अनिवार्य करेंगे| इसमें वो लोग भी शामिल होंगे जो अपना पैसा कर से बचाने के लिए विदेशों में भेज देते हैं| काले धन को सीधे सीधे राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करके जब्त कर लिया जायेगा| किसी भी टैक्स चोर को ये अवसर नहीं दिया जायेगा कि वो जुर्माना भरके अपना काला धन सफ़ेद कर सके|

भारत में टैक्स चोरी

भारत का ज्यादातर काला धन यहीं हमारे देश में ही है| वो संपत्ति, सोने और नकद के रूप में आज भी सबकी नज़रों से छुपा हुआ है| हम ऐसे तंत्र का निर्माण करेंगे जिससे भारत में छुपे कालेधन से पर्दा उठ सके| हम भू-हस्तांतरण में हो रही गड़बड़ियों को सामने लायेंगे (ये कैसे होगा इसके बारे में आगे समझाया है) क्यूंकि इसकी मदद से भूमि का इस्तेमाल करके जो कालाधन जोड़ा जा रहा है उसमें कमी आयेगी| हम इस पर भी विचार विमर्ष करेंगे कि क्या आधार और PAN को भूमि और व्यापार से सम्बंधित रिकार्ड्स से जोड़ने पर कर अनुपालन को मजबूती मिल सकती है या नहीं|

इसके अलावा कालेधन के एक बड़े हिस्से की भारत के बाहर तस्करी की जाती है| २००८ में ग्लोबल फाइनेंनसियल इंटीग्रिटी ने रिपोर्ट किया था कि भारत को आज़ादी से लेकर अब तक करीब $२१३ बिलियन की धनराशी का नुक्सान पहुंचा है| इसमें से ज्यादातर पूँजी को मनी-लॉनडेरिंग के जरिये भारत में वापिस लाया जाता है| भारत में FDI (फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट) का करीब ४० फीसदी धन मॉरिशस के रास्ते बाहर निकाला जाता है

जो एक जाना माना टैक्स-हैवन है| हम सरकार में आते ही ये सुनिश्चित करेंगे कि बिना कर चुकाए कोई भी नागरिक अपना पैसा इन टैक्स हैवन या अन्य ऐसी जाली संस्थाओं के जरिये भारत से बाहर न ले जा सके| बैंकिंग से जुड़े गोपनीयता के नियमों में संशोधन लाकर हम ऐसे खातों की जानकारी हासिल करेंगे जिनकी मदद से भारत का कालाधन विदेशी टैक्स हैवन में जमा कराया जाता है| हम विदेशी मुल्कों के साथ कर-सम्बंधित समझौते करेंगे ताकि यदि कोई भारतीय अपना पैसा विदेशों में जमा कराता है तो वो देश इस बात की जानकारी फ़ौरन हमारे कर अधिकारियों तक पहुंचा दे|

विदेशों में टैक्स चोरी

बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किये जा रहे 'मूल्य-हस्तांतरण' घोटालों की वजह से बहुत बड़ी धनराशी भारत से बाहर जा रही है जो वास्तव में कर के रूप में हमारे देश में रहनी चाहिए| इस समय आयकर विभाग को कोई अधिकार नहीं है कि वो दूसरे देशों के अधिकारियों द्वारा प्रदान किये गए आवासीय प्रमाणपत्र पर कोई सावल उठा सके| पर हमारी सरकार आते ही किसी को भी जांच-पड़ताल से छूट नहीं दी जाएगी| टैक्स इंवरशन के तहत बहुराष्ट्रीय कंपनियों में कार्यरत नागरिकों को अपना आवास वैध रूप से विदेश में दिखाने की छूट मिल जाती है| इससे आर्थिक गतिविधि में तो लगभग कोई फर्क नहीं आता पर कंपनियों पर देय कर-शुल्क जरूर कम हो जाता है| हम इस तरह के हथकंडों का पता लगायेंगे और इनपर कड़ी कार्यवाही चलाएंगे| हम 'डबल टैक्सेशन अवोईडेंस कन्वेंशनस' में शामिल उन कानूनों का खात्मा करेंगे जिनकी मदद से निवेशक टैक्स हैवन में नकली कंपनियां निर्मित कर लेते हैं| इन झूठी कंपनियों की मदद से उनको अपनी आय कर-मुक्त करने में आसानी हो जाती है| ऐसी कंपनियां न सिर्फ उस टैक्स हैवन में कर देने से बच जाती हैं बल्कि उनको भारत में भी कोई कर नहीं देना पड़ता|

७.२.२ आयकर

७.२.२.१ प्रगतिशील आयकर

वैसे तो सिद्धांत कहते हैं कि हर नागरिक को सार्वजनिक सुविधाएं इस्तेमाल करने के अनुसार ही बराबर कर देना चाहिए| हालाँकि, ज़मीनी स्तर पर ऐसा होना संभव नहीं है| समान कर या जिसे व्यक्ति-कर भी कह सकते हैं उचित नहीं है क्यूंकि इस कर को उस

स्तर पर वसूला जाता है जिसपर गरीब से गरीब नागरिक भी आसानी से कर भुगतान कर सके| अगर गरीबों के हिसाब से कर तय किये जायेंगे तो सरकार को इतना राजस्व नहीं मिलेगा कि वो राष्ट्र की सुरक्षा भी कर पाए और नागरिकों को आधारभूत संरचना के साथ साथ और अन्य सुविधाएं भी प्रदान कर सके| इसलिए एक आज़ाद समाज में कर नागरिकों का सामर्थ्य देख कर तय किये जाते हैं|

न्यूनतम आयकर की एक तय धनराशी हालाँकि एक बेहतर कर व्यवस्था है| इससे कार्य क्षमता के अनुसार मिलने वाले प्रोत्साहनों में ज्यादा गड़बड़ी नहीं आती| इसलिए हम समान कर व्यवस्था लागू करेंगे जिसमें प्रगति के चिन्ह भी दिखते हों| इससे धीरे धीरे राजस्व में काफी बढ़ोत्तरी देखने को मिलेगी और सभी भारतवासी समृद्ध होंगे|

जहाँ तक हो सकेगा हम एक परिवार को एक इकाई मान कर चलेंगे| वैसे तो हमारे शासनकाल में मुद्रा-स्फीति के बढ़ने की उम्मीदें काफी कम हैं पर यदि ऐसा होता भी है तो जहाँ संभव होगा आयकर की दरों और छूट को मुद्रा-स्फीति के साथ संयुक्त किया जायेगा|

७.२.२.२ मान्य छूटें (स्टैण्डर्ड डिडक्शन)

हम अप्रैल २००५ से खत्म कर दी गईं मान्य छूटों को फिर से लागू करेंगे| ऐसा करके हम सामान्य करदाताओं और व्यापारी या पेशेवर करदाताओं के साथ एक जैसा व्यवहार कर पाएंगे| अभी व्यापारी या पेशेवर करदाता को अपनी आय के खिलाफ खर्चे दिखाकर छूट प्राप्त करने का अधिकार मिलता है| हम ऐसी अनावश्यक छूटों की समीक्षा करके उनको कम करने का प्रयास करेंगे|

७.२.३ कॉर्पोरेट आयकर

भारतीय व्यापारियों को दुनिया में सबसे अधिक कॉर्पोरेट आयकर का सामना करना पड़ता है| इसका बड़ा दुष्परिणाम ये होता है कि उनकी वैश्विक प्रतिस्पर्धा में कमी आ जाती है और वो भारत में निवेश करने के स्थान पर विदेशों में पैसा लगाना ज्यादा पसंद करते हैं| अब ऐसे व्यापारियों के विदेशों में निवेश करने से हमारे देश में नौकरियों की कमी आ जाती है, भारतीयों को कम तनख्वाह पर काम करना पड़ता है और इससे लोग कर-भुगतान से बचते नज़र आते हैं| इसलिए हम कॉर्पोरेट आयकर की दरों में महत्वपूर्ण कमी

लायेंगे| पर इस प्रक्रिया को अवस्था अनुसार पूरा किया जायेगा ताकि हमारी कारपोरेशनस में प्रतिस्पर्धा बनी रहे|

इसी तरह से हम ये भी सुनिश्चित करेंगे कि विदेशों से जो निवेशक भारत में आकर लाभ कमाते हैं वो भी कर-भुगतान करें| इससे भारत की कर वसूली में काफी इज़ाफा देखने को मिलेगा और भारत के सभी व्यवसायों को बढ़ने और प्रगति करने के समान अवसर प्राप्त होंगे|

७.२.३.१ अंकन लाभांश (फ्रंकिंग डिविडेंडस)

लाभांश को दोहरे-कराधान से बचाने के लिए हम अंकन की प्रक्रिया लागू करेंगे| ऐसा इसलिए होगा क्यूंकि लाभांश प्रस्तुत करने वाली एक कंपनी पहले ही अपने कॉर्पोरेट आयकर का भुगतान कर चुकी है| लाभांश पर देय कर कर-दोषारोपण के अनुसार ही कम होता जायेगा|

७.२.३.२ टर्नओवर टैक्स पर विचार विमर्ष

हम एक और बिंदु पर विचार विमर्ष करेंगे जिसके तहत हम कॉर्पोरेट टैक्स की जगह टर्नओवर टैक्स को लागू करने के फायदे समझेंगे| इस कानून की मदद से कर-भुगतान से बचने वाले और कर कानूनों के साथ खिलवाड़ करने वालों पर नकेल कसी जा सकती है| इस कानून की मदद से व्यापारियों के बही-खातों का प्रबंधन और उनपर निगरानी रखना दोनों आसान हो जायेंगे| यहाँ तक कि कंपनियां भी कम राजस्व दिखाना पसंद नहीं करेंगी क्यूंकि उनके मन में इस बात का डर बैठ जायेगा कि इससे उनके बाज़ार पूंजीकरण को नुक्सान पहुंचेगा|

७.२.४ प्रगति को नुक्सान पहुँचाने वाले अप्रत्यक्ष करों में कमी

अप्रत्यक्ष कर जैसे कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST, जिसे VAT भी कहते हैं), उत्पाद कर, आयात कर और बिक्री कर ये सब ही प्रगति को नुक्सान पहुँचाने वाले कर हैं| जैसा कि एंजेल के कानून से समझा जा सकता है कि जैसे जैसे संपत्ति बढ़ती है वैसे वैसे उसे उपभोग करने की साझेदारी में कमी आती जाती है| इसलिए अगर हमारे देश में निर्धनता होगी तो गरीबों पर उपभोक्ता-कर बढ़ता ही जायेगा| गरीबों पर ये अनावश्यक कर कम करने के लिए हमें अपने देश को संपन्न बनाना होगा| सबसे बड़ा पहलु है शिक्षा और

स्वास्थ्य को उपभोक्ता-कर से मिलने वाली छूट| हालाँकि अगर देखा जाये तो तनख्वाह बढ़ने के साथ साथ लोग इन सुविधाओं का ज्यादा उपभोग करने लगते हैं| इसलिए जब समाज संपन्न हो रहा हो तो ऐसे में उपभोक्ता कर से आने वाले राजस्व की विश्वसनीयता कम हो जाती है| इसके उल्ट अप्रत्यक्ष करों से उपभोग और निवेश से जुड़े फैसलों में कोई खामी नहीं आती| जबकि बाकि कर इन फैसलों को विकृत कर देते हैं| हालाँकि, अप्रत्यक्ष कर एक आज़ाद समाज में कहीं कहीं इस्तेमाल किये जा सकते हैं|

७.२.४.१ जीएसटी/वैट

हम अखिल भारतीय उपभोग का १० से १५ प्रतिशत जीएसटी कर के रूप में लगायेंगे| इसमें बदलाव लाने के बाद वैट से जो लाभ होंगे उनको भी शामिल किया जायेगा| इससे ये सुनिश्चित हो सकेगा कि कर वसूली में कोई कमी देखने को न मिले| राजनीतिक पार्टियाँ विगत कई वर्षों से सरल एवं प्रभावशाली जीएसटी को लागू करने में विलम्ब करती आई हैं| अप्रैल २००५ में जब राज्यों ने अपने विशेष बिक्री कर को बदल कर वैट लागू किया था तब उसकी शुरुआत बहुत अच्छे से हुई थी| वैट का मकसद था पूरे देश में समान कर दर लागू कराकर टैक्स पर लगने वाले टैक्स को खत्म करने के लिए निवेश कर ऋण क्रियाविधि जैसी प्रक्रिया की शुरुआत करना और करों को आसान बनाना| हालाँकि, राज्यों ने अब वैट की दरों में काफी इज़ाफा कर दिया है और निवेश कर ऋण को या तो कम कर दिया है या उसपर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है| इसे राज्यों के बीच खरीददारी के ऊपर भुगतान किये गए करों पर ऋण मुहैया करने के इरादे से लागू किया गया था जो अब पूरी तरह से ढह चुका है| भारत का एक बाज़ार होना जरूरी है जहाँ राज्यों के आधार पर बाज़ारों में कोई बंटवारा न हो| अगर हम भारत को प्रगति के मार्ग पर अग्रसर करना चाहते हैं तो हमारे लिए राज्यों के बीच व्यापार की सरलता सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है|

हम सुधारों की मदद से वैट को दोबारा उसी दिशा में लेकर आयेंगे जिसके लिए उसे लागू किया गया था| जीएसटी लागू करने में जो मुश्किलें आ रही हैं या जो काम अधूरे रह गए हैं हम उन्हें पूरा करके जल्द से जल्द जीएसटी लागू करेंगे| अलग अलग राज्यों की कर दरों, नियम-कानूनों और प्रक्रियाओं में एकरूपता लाकर भारत को एक राष्ट्रीय बाज़ार बनायेंगे|

अप्रत्यक्ष करों ने भारत में जो भी मुश्किलें खड़ी की हैं हम उनको जीएसटी की मदद से खत्म कर देंगे| सभी अप्रत्यक्ष कर जैसे की राज्य बिक्री कर, केन्द्रीय बिक्री कर, उत्पाद कर, सेवा कर, प्रवेश कर आदि न जाने कितने करों को हटा कर उसकी जगह सिर्फ एक कर यानि जीएसटी लागू करेंगे| क्यूंकि ये कर सिर्फ हर चरण की योगात्मक राशि पर लगेगा इससे व्यापारी नकद भुगतान करने से बचेंगे| कोई भी नहीं चाहेगा की भुगतान किये गए करों पर मिलने वाले ऋण से वो वंचित रह जाये| इसका नतीजा ये होगा कि कर भुगतान करने वाले नागरिकों की संख्या में वृद्धि होगी, राजस्व बढ़ जायेगा, कालेधन में कमी आएगी और लोगों की नैतिकता भी बढ़ेगी|

७.२.४.१ कर भुगतान के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने हेतू रिसीप्ट पर लौटरी स्कीम

ज्यादा से ज्यादा लोग कर भुगतान करने के लिए आगे आयें इसके लिए हम ताइवान में प्रचलित एक स्कीम को लागू करेंगे| इस स्कीम के तहत कर भुगतान की रिसीप्ट रखने वाला हर नागरिक एक लौटरी स्कीम का हिस्सा होगा| हर रिसीप्ट पर एक अधिकारिक संख्या छपी होगी और जिस शख्स की संख्या उस स्कीम में चुनी जाएगी वो ईनाम का हक़दार होगा| जब हर नागरिक अपनी अधिकारिक संख्या लेने के लिए जागरूक होगा तो भ्रष्टाचार अपने आप काम होता चला जायेगा|

७.२.५ अन्य कर

७.२.५.१ सिन कर

हम ऐसे अवसरों की तलाश करेंगे जिनसे सिन कर का अधिक से अधिक इस्तेमाल हो सके| सिन कर में वो कर शामिल हैं जो लौटरी, रेस और सट्टेबाजी पर लगाए जाते हैं| हम इन करों का इस्तेमाल अवश्य करेंगे पर ये भी सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी गतिवधियों का समाज पर कोई दुष्प्रभाव न पड़े| हम ऐसी किसी भी गतिविधि के खिलाफ नहीं हैं बशर्ते वो कोई नुकसान न पहुंचाए और सही ढंग से की जायें|

७.२.५.२ संपत्ति करों की समीक्षा

हम वर्तमान में लागू संपत्ति करों की समीक्षा करेंगे क्यूंकि हमारा उद्देश्य भूमि-करों को मुख्य साधन बनाकर संपत्ति भाव-सम्बंधित अप्रत्याशित लाभों पर कर लगाना है| अत्यंत अमीर लोगों पर लगने वाले ऐसे कोई भी अतिरिक्त संपत्ति कर जो भूमि कर से ज्यादा हैं

उनपर विचार विमर्ष किया जायेगा और यदि वो देश के हित में हैं तो हम उनके बारे में जरूर कुछ सोचेंगे| पर हमारा मुख्य उद्देश्य दोहरा कराधान टालना और पूँजी पलायन से जुड़े जोखिमों को कम करना होगा|

इस मामले में हम अमीरी रेखा वाली सामाजिक विचारधारा का खंडन करते हैं| हम किसी नागरिक की संपत्ति या दौलत की ऊपरी सीमा तय करने वाले कानून के सख्त खिलाफ हैं| ऐसी विचारधारा आजादी के बुनियादी ढाँचे का उलंघन करती है| अगर पूँजी को न्यायिक और उचित ढंग से कमाया गया है तो आज़ाद समाज में ऊपरी सीमा का कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए| ये सरकार का दायित्व है कि वो नागरिकों की पूँजी की भी उसी प्रकार सुरक्षा करे जैसे अन्य निजी संपत्तियों की करती है| हम किसी भी प्रकार के पुन:वितरण की खिलाफत करते हैं|

७.३ व्यय से जुड़े सिद्धांत और जवाबदेही

करों को कम करने की ओर सबसे पहला कदम होगा व्यय को सख्ती से नियंत्रित करना| जहाँ तक सार्वजनिक व्ययों की बात है तो हम उसमें समझदारी से किये खर्च को बढ़ावा देते हैं| हम सरकार के पैसों को उसी तरह से व्यय करेंगे जैसे हम अपने निजी पैसों को करते हैं| सभी चीजें सोचने समझने और उनके फायदे और नुक्सान जानने के बाद ही हम स्कीमों और सुविधाओं पर खर्च करेंगे| इसका एक महत्वपूर्ण भाग होगा अनावश्यक खर्चों को कम करना और सरकार की भूमिकाओं में कमी लाना|

७.३.१ सरकारी खर्चों के प्रकटीकरण के विश्व-स्तरीय सिद्धांत

सरकार किन स्कीमों और सुविधाओं पर कितना खर्च कर रही है इस बात का विवरण विस्तार में दिया जायेगा| और व्यय का विवरण देने के लिए हम विश्व-स्तरीय तरीकों को इस्तेमाल में लायेंगे| इसके अलावा पर्यावरण से जुड़ी संपत्ति का मूल्यांकन अलग से किया जायेगा ताकि उसकी देख रेख सही से हो सके|

७.३.२ सरकार के वित्त और प्रदर्शन का सख्ती से ऑडिट

हम ऑडिट प्रणालियों की अच्छे से समीक्षा करके उनको और मजबूत करेंगे ताकि कर भुगतान करने वाले नागरिकों को पता रहे कि उनके द्वारा दिया पैसा कहाँ खर्च किया जा रहा है| खासतौर पर हम सरकारी कार्यों के प्रदर्शनों की ऑडिट प्रणाली को मजबूत करेंगे

ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि सरकार ने जो लक्ष्य निर्धारित किये हैं वो प्राप्त हो सकें|

७.४ पर्याप्त धन: मुद्रास्फीति के टैक्स को ख़त्म करना

मजबूत अर्थव्यवस्था के लिए एक सुदृण मौद्रिक नीति का होना बेहद जरूरी है| जब बिना सोचे समझे धन की आपूर्ति में बेतहाशा बढ़ोत्तरी होती है तो इससे रुपय की ताक़त में कमी आती है और मुद्रास्फीति बढ़ जाती है| इस तरह की प्रक्रिया बेहद नुकसानदायक होती है खासकर गरीबों के लिए जिनको ये सबसे ज्यादा नुक्सान पहुंचाती है| इसके अलावा मध्यम वर्ग और सीमित आय वाले नागरिकों को भी इसके दुष्परिणाम झेलने पड़ते हैं| पैसों को गरीबों से उनकी पूँजी छीनकर अमीरों को देने का ज़रिया नहीं बनाना चाहिए|

अगर सरकार को पर्याप्त पूँजी का लक्ष्य प्राप्त करना है तो उसे बुनियादी सुधारों का रुख करना होगा| पैसा विनियम का साधन है इसलिए इसका प्रत्यक्ष अर्थव्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए| एक आज़ाद समाज में नागरिकों को इस बात का पूरा अधिकार होना चाहिए कि वो विभिन्न तरीकों से ये निर्धारित कर पाएं कि कौन सा पैसों का विनियम माध्यम उनके लिए उचित है| इस तरह के परीक्षण वर्तमान में सरकार द्वारा प्रतिबंधित हैं| इस वजह से केन्द्रीय बैंक और सरकारों को खुद पैसा उपार्जन करने के लिए सशक्त किया गया है| हम चरणबद्ध तरीके से पैसा उपार्जन के परीक्षणों पर लगे संकुचित प्रतिबंधों को खत्म कर देंगे|

हम तीन चरणों में मुद्रास्फीति टैक्स और पैसों के उपार्जन में आने वाली समस्याओं को समाप्त करेंगे|

७.४.१ चरण १: अधिकतम ३ प्रतिशत मुद्रास्फीति के लिए वित्तिय नियम

पहले चरण में हम सुनिश्चित करेंगे कि रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया RBI एक वित्तिय नियम का पालन करे जिससे मुद्रास्फीति को अधिकतम तीन प्रतिशत पर नियंत्रित किया जा सके| पैसों के निजीकरण के लिए जरूरी विकल्प और केन्द्रीय बैंकिंग व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक समीक्षा की शुरुआत की जाएगी| हम ये भी सुनिश्चित करेंगे कि RBI प्लास्टिक के नोट छापे|

इसके साथ साथ रुपय को भी फ्लोटेड रखा जायेगा ताकि विनियम दर को बाज़ार की मांग और आपूर्ति के हिसाब से निर्धारित किया जायेगा| इसके समर्थन के लिए हेजिंग पर लगे सभी प्रतिबंधों को खत्म कर दिया जायेगा| हालाँकि इन सुधारों को लागू करने से पहले हम इसमें लगने वाले समय और जोखिमों की समीक्षा कराएँगे| इस समीक्षा के बाद जो सबसे उचित संशोधन होगा उसे लागू किया जायेगा|

७.४.२ चरण २: अधिकतम १ प्रतिशत मुद्रास्फीति के लिए वित्तिय नियम

दूसरे चरण के लिए हम मुद्रास्फीति दर को कम करके १ प्रतिशत पर ले आयेंगे| जहाँ तक समीक्षा की बात है और उसको देखते हुए नियामक प्रणाली को तय करने की तो विकास इस प्रकार से किया जायेगा कि बाज़ार को प्रतिस्पर्धात्मक बनाया जाये| हालाँकि हमारा उद्देश्य होगा कि ऐसी प्रतिस्पर्धात्मक बाज़ारों को सोने से मजबूत किया जाये पर हम इसके और विकल्प भी तलाशेंगे|

७.४.३ चरण ३: प्रतिस्पर्धी निजी करेंसी का सोने द्वारा समर्थन

हमारे आखिरी चरण में हम पैसे की आपूर्ति के लिए एक व्यवस्थित प्रणाली की स्थापना करेंगे| नागरिकों और निजी बैंकों को पैसे का उपार्जन करने का अधिकार होगा पर वो ऐसा सिर्फ सख्त नियमों का अनुसरण करते हुए ही कर पाएंगे| शुरुआत में हम आरबीआई को भी इस प्रतिस्पर्धा का हिस्सा बनायेंगे पर जैसे जैसे बाज़ार में स्थिरता आने लगेगी हम आरबीआई को दी पैसा उपार्जन की ताक़त खत्म करते जायेंगे|

इन उपायों से हम ये सुनिश्चित कर पाएंगे कि जो एजेंसिया इस प्रतिस्पर्धा का हिस्सा हैं उनके पास स्थिर क्रय शक्ति हो| इसके अलावा ब्याज दर भी पूरी तरह से बाज़ार द्वारा निर्धारित किया जायेगा| ऐसे कदम उठाने से ही हम उचित उत्पादन और उपभोग से जुड़े फैसले कर पाएंगे| यही सही फैसले भारत की अर्थव्यवस्था को विकास के रास्ते पर ले जाकर समृद्ध करेंगे|

८. मजबूत रक्षा और प्रभावकारी विदेश नीति

राष्ट्र के निर्माण के पीछे हमारा मुख्य उद्देश्य है बाहरी आक्रमण से अपने इलाके की सुरक्षा करना| इसलिए सरकार का सबसे जरूरी कार्य है हमारे देश और इसकी सरहदों की जी जान से सुरक्षा करना| जो नागरिक भारतीय सुरक्षा दल का हिस्सा बनकर हमारी सरहदों की, हमारे जीवन और आजादी की रक्षा करते हैं वो बाकि नागरिकों से ज्यादा महत्वपूर्ण और देश की असाधारण सेवा करते हैं| देश की सुरक्षा में हमारे सैनिकों की जो विलक्षण भूमिका है हम उसका तहे दिल से सम्मान करते हैं| हम भारत की सरहदों की रक्षा में अपने प्राण कुर्बान कर देने वाले वीर सैनिकों को नमन करते हैं|

राष्ट्रीय सुरक्षा में हमारे राष्ट्र को सुरक्षित करने के हर पहलु को शामिल किया जाता है जिसमें अर्थव्यवस्था भी शामिल है| भारत को हर हाल में सभी देशों को अपनी प्रतिभा से आकर्षित करना होगा और आने वाली सदी में एक सामर्थ्यवान देश बनकर उभरना होगा जिससे सभी देश कारोबार करने की इच्छा करें| हम अपनी सुरक्षा और विदेश नीतियों पर विस्तार से विचार विमर्ष करेंगे और इन दोनों का आतंरिक सुरक्षा के साथ बेजोड़ सामंजस्य बिठाएंगे|

८.१ सुरक्षा एवं राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंडा

हमारा मानना है कि पिछली सरकारों ने राष्ट्रीय सुरक्षा की ओर प्रभावी कदम नहीं उठाये हैं| हमारे पड़ोस में ही न्यूक्लिअर शक्ति आँख गढ़ाए बैठी हुई है| इसलिए हमें हर प्रकार की आकस्मिक परिस्थिति के लिए तैयार रहना होगा| भारत या विदेशों में बसे भारतीय नागरिकों को नुक्सान पहुँचाने के प्रयासों को कुचलने के लिए हम दुनिया के सबसे शक्तिशाली सुरक्षात्मक मिलिट्री दल का गठन करने के लिए बाध्य हैं| हम मजबूत न्यूक्लिअर शील्ड बनायेंगे और सुरक्षा तंत्र का गठन करेंगे जो किसी भी प्रकार के हमले का मुंह तोड़ जवाब दे पाने में सक्षम हो|

८.१.१ श्वेत पत्र

अगर इस दुनिया के सभी देश आजादी और शान्ति के लिए वचनबद्ध हों तो इस दुनिया में कभी कोई लड़ाई ही न हो| पर अफ़सोस की वर्तमान समय में परिस्थितियां ऐसी नहीं हैं| हमारे पड़ोसी देशों की ही सरकारें हमारी सरहदों पर अशांति फैलाने का काम कर रही हैं ताकि हमारा ध्यान जरूरी मुद्दों से भटक जाये और हम आंतरिक शासन व्यवस्था

सुधारने के स्थान पर बस अपनी सरहदें सुरक्षित रखने में ही लगे रहे| हम भारतीय सीमा में पड़ोसी देशों से होने वाली घुसपैठ से अत्यंत हताश और निराश हैं| इसमें LOC में आंतकियों को घुसपैठ में मदद करने वाले पाकिस्तान की भी हरक़तें शामिल हैं| पाकिस्तान में तो सरकार द्वारा की गई हिंसा और धर्म के नाम पर होने वाले आतंकी हमलों में अब कोई फर्क ही नहीं रह गया है|

हमारे आसपास का रणनीतिक मौहोल तेज़ी से बदल रहा है और हमें इस बात का एहसास भी है| खासकर जब बात चाइना की एक शक्तिशाली देश के रूप में उभरकर सामने आने की हो| हम चाइना की मजबूत होती अर्थव्यवस्था का समर्थन करते हैं पर जिस प्रकार से वो आक्रामक रुख अपना रहा है और अपने लोगों की स्वतंत्रता का दमन कर रहा है ये बात हमें परेशान कर रही है| किसी भी देश का अपने लोगों की आजादी छीनना नैतिक और कानूनन रूप से गलत है|

इसके अलावा अनैतिक अधिनायकों के शासन में आने और न्यूक्लिअर टेक्नोलॉजी तक पहुँच बनाने से दुनिया भर के शांतिप्रिय लोगों का जीवन खतरे में आ रहा है| नई और खतरनाक युद्ध टेक्नोलॉजी जैसे कि साइबर युद्ध, जैविक आतंकवाद और दूसरे गैर-पारंपरिक युद्ध के तरीकों में आ रही वृद्धि दुनिया के लिए घोर संकट की स्थिति उत्पन्न कर रही है| इस सबका दमन करने के लिए एक व्यापक हल की आवश्यकता है न कि छोटे मोटे असफल कदम उठाने की|

हम दुनिया के सभी देशों के साथ स्वतंत्र रूप से शांतिवार्ता चाहते हैं न कि दूसरे देशों की मैत्री की मदद से| जब कई देश मैत्री करके दूसरे देश से शांतिवार्ता करते हैं तो हमें अपनी सूझ बूझ से फैसला करने और अपनी बात रखने का मौका नहीं मिल पाता| हालाँकि हम ऐसी मैत्रियों का सहयोग करते हैं जिनसे नागरिकों की आजादी की सुरक्षा सुनिश्चित होती हो|

सुरक्षा से जुड़े और मामलों पर भी हम विचार विमर्ष करेंगे| भारत को भविष्य में आने वाली सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार करना होगा और ऐसा करने के लिए हम सुरक्षा पर एक विस्तृत श्वेत पत्र तैयार करेंगे|

८.१.२ हमारी सेना और गुप्तचर एजेंसियों को संसाधन मुहैया कराना

भारत की सरहदों और आजादी की सुरक्षा में जुटे हमारे सुरक्षा दल और गुप्तचर एजेंसियों को जिस भी अधिकार और संसाधनों की आवश्यकता है हम वो उन्हें हर हाल में मुहैया कराएँगे| सरकार के सभी खर्चे रोके जा सकते हैं पर बात जब सुरक्षा की हो तो उसमें कोई देर नहीं होनी चाहिए| हम सरकारी खर्चे में सुरक्षा के लिए रखे गए बजट को और बढ़ाएंगे ताकि हमारे सुरक्षा दलों को नए संसाधन जुटाने में किसी मुश्किल का सामना न करना पड़े| सुरक्षा कर्मियों के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए हम इस सेवा में बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित करेंगे ताकि कुशल और सक्षम नागरिक इस सेवा में भर्ती होने के लिए आकर्षित हों| हम सुरक्षा कर्मियों की कुशलता बढ़ाने के लिए उन्हें उचित हथियारों और टेक्नोलॉजी से लैस करेंगे| उपकरणों के आधुनिकरण को काफी समय से टाला जा रहा है| हम सत्ता में आते ही पहले इस मामले को निपटायेंगे| संसाधनों में वृद्धि करके हम आधुनिकरण में आ रही बाधाओं को दूर करेंगे और अपने सुरक्षा दलों को नई टेक्नोलॉजी से लैस कराएँगे|

हालाँकि इसका मतलब ये नहीं है कि हम बेकार के उपकरणों और संसाधनों पर अनावश्यक पैसा खर्च करेंगे| हमें एक सक्षम, बेहतरीन और छोटा युद्ध तंत्र बनाना है| हम इस बात से वाकिफ हैं कि यदि सुरक्षा पर ही सारा पैसा बेवजह खर्च कर दिया जायेगा तो हमारी आधारभूत संरचना और बाकि जरूरतों के लिए और पैसा कहाँ से आएगा| नई सिविल सेवा तंत्र में लागू होने वाले सार्वजनिक प्रबंधन को भी सुरक्षा ताकतों में उचित रूप से शामिल किया जायेगा|

८.१.२.१ सुरक्षा दलों और गुप्तचर एजेंसियों में सेवा देने पर सम्मान महसूस करना

देश की सुरक्षा में सेवा देना बाकि किसी की भी नौकरी बजाने से लाखों गुना अच्छा है| सुरक्षा दल में सेवा देकर जो गर्व महसूस होता है वो किसी और नौकरी में कभी नहीं हो सकता| आखिर ये सुरक्षा दल ही हैं जिनकी बदौलत हम अपने घरों में सुरक्षित आजादी से जीवन व्यतीत कर रहे हैं| ये कितने बड़े दुर्भाग्य कि बात है कि जिस देश में नौजवानों की संख्या इतनी ज्यादा है वहां भी सेना के अधिकारियों की भर्ती में कमी आ रही है| हम सरकारी नौकरियों से भी कहीं ज्यादा शानदार अवसर सेना में जाकर करियर बनाने के देंगे| हम हमारे नौजवानों को सेना में जाने के लिए प्रेरित करेंगे और इसके लिए सेना में भर्ती, प्रशिक्षण और मानव संसाधन विकास से जुड़ी प्रक्रियाओं की समीक्षा करेंगे| क्यूंकि

सुरक्षा सेवाओं से अधिकारी काफी कम उम्र में ही रिटायर हो जाते हैं इसलिए हमारा उद्देश्य होगा रिटायरमेंट के बाद अधिकारियों को नौकरी के बेहतर अवसर प्रदान कराना|

अगर हम हर भारतवासी को सही मायने में स्वतंत्रता देना चाहते हैं तो हमें मजबूत सुरक्षा बल की आवश्यकता है| भारत को सुरक्षा बलों में कुशल नौजवानों को आकर्षित करने के लिए जो हो सके करना होगा| हमारे सुरक्षा बल बेहतरीन होंगे तभी तो हमारे देश को दुश्मनों से सुरक्षित रखा जा सकेगा|

सत्ता में आते ही हम सुरक्षा बलों के लिए अलग से एक पे-कमीशन लेकर आयेंगे जो सुरक्षा कर्मियों को दिए जाने वाले वित्तिय अनुदान की कर्ताधर्ता होगी| इस कमीशन का काम ये तय करना होगा कि सैनिकों को इतना अनुदान दिया जाये कि सबसे कुशल नौजवान भी सेना में भर्ती होने के सपने देखें| पदोन्नति के मामले में भी योग्य नौजवानों को चुनने हेतू हम बेहतर चयन प्रक्रिया सुनिश्चित करेंगे| निजी क्षेत्रों में काम करने वाले वरिष्ठ अधिकारियों से भी ज्यादा वेतन हम सुरक्षा बलों में कार्यक्रत वरिष्ठ अधिकारियों को देंगे| हालाँकि सुरक्षा बल और सार्वजनिक क्षेत्र के वेतन में कोई सम्बन्ध नहीं होगा क्यूंकि सार्वजनिक क्षेत्र में सभी वरिष्ठ नियुक्तियां अनुबंध पर होंगी और उनको जरूरत और कार्य के अनुसार ही वेतन दिया जायेगा|

सेना में जाने की इच्छा रखने वाले नौजवानों को जो बात सब से ज्यादा अखरती है वो ये कि सेना से रिटायरमेंट मिलने के बाद उनका क्या होगा| सुरक्षा बलों से आमतौर पर नौजवानों को काफी जल्दी रिटायर कर दिया जाता है| हमारी स्वर्ण भारत पार्टी का मानना है कि नौजवानों को जवानी से ही पेंशन दे देना सही नहीं है, बल्कि हमें उन्हें दोबारा नौकरी देनी चाहिए ताकि वो खुद अपने बुढ़ापे के लिए पैसे जोड़ सकें|

इस तरह की बचत सुनिश्चित करने के लिए हम कर्मचारियों के लिए ऐसे नियम बनायेंगे जिसके तहत उन्हें अपने वेतन का १० प्रतिशत या अगर चाहें तो उससे ज्यादा सेवानिवृत्ति कोष में जमा कराना ही होगा| कर्मचारी अपने मन मुताबिक इस कोष का संचालन कर सकेंगे| जब तक कोई आकस्मिक परिस्थिति उत्पन्न नहीं होती या सेवानिवृत्ति की तय उम्र यानि ६० साल पूरे नहीं होते किसी भी कर्मचारी को उस कोष से पैसे निकालने की अनुमति नहीं होगी|

स्वर्ण भारत पार्टी नई भर्तियों के लिए सख्त नियम कानून लागू करेगी जिनके चलते किसी भी कर्मचारी को निश्चित पेंशन न देकर रोजगार के दौरान किये गए उनके योगदान के आधार पर वार्षिक भत्ता दिया जायेगा|

हालाँकि युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवाओं को एक तय व निश्चित पेंशन दी जाएगी| इसके अलावा जो सुरक्षा कर्मी रिटायर हो चुके हैं उन्हें किसी भी नौकरी में जाने की खुली छूट होगी| वैसे भी जैसा कि हम पहले ही वादा कर चुके हैं हर नौकरी सभी नागरिकों के लिए खुली होगी| इसलिए रिटायर्ड सुरक्षा कर्मी भी अनुबंध पर सिविल सेवाओं या बाकि दूसरी नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं| सेना से रिटायर होते ही उन्हें कोई पेंशन देय नहीं होगी परन्तु अगर कई प्रयासों के बावजूद भी उन्हें दूसरी नौकरी नहीं मिलती है तो उन्हें सेवानिवृत्ति अनुदान दिया जायेगा|

क्यूंकि हम सभी सुरक्षा कर्मियों की भर्ती एक समान पेंशन मॉडल के तहत करना चाहते हैं इसलिए हम पेंशन प्रणाली को एक समान बनायेंगे| हम सुरक्षा दलों के लिए 'वन रैंक वन पेंशन' प्रभाव में लायेंगे| हालाँकि ये समानीकरण अन्य सरकारी नौकरियों या PSU की परिभाषित पेंशन स्कीम पर लागू नहीं होगा|

हम ये जानते हैं कि OROP मॉडल सरकारी खर्चों में काफी इजाफा लायेगा पर फिर भी हम इस मॉडल का समर्थन करने के लिए आगे आयेंगे| ये समस्या विगत कई वर्षों से बनाई जा रही खराब नीतियों का परिणाम है और इसको फ़ौरन पेंशन समानीकरण लागू करके प्रभावी तरीके से नहीं सुधारा जा सकता| पर जैसा कि हम देख रहे हैं कि बीजेपी सरकार ने इस मामले में अपना फैसला ले लिया है| हम सरकार पर विश्वास करके ये मानते हैं कि वो इस नीति के लिए जरूरी पूँजी का भी इन्तेजाम कर लेंगे| हम OROP का समर्थन इस आशा के साथ करते हैं कि शायद इसको समर्थन देने वाले अन्य लोग शासन प्रणाली में आवश्यक सुधारों का साथ देंगे| इन सुधारों में सबसे अहम हैं IAS जैसी सिविल सेवा और अन्य निश्चित कार्यकाल वाली सेवाओं का खात्मा, नई भर्तियों के लिए पेंशन समाप्त करना और सुरक्षा बलों के ढाँचे को मजबूत करना| सुरक्षा बल के मामले में हमरी सोच प्रगतिशील है इसलिए हमारा मानना है कि निचले स्तर पर सैनिकों की भर्ती कम करके हमें ऐसे कुशल लोगों की नियुक्ति करनी चाहिए जो टेक्नोलॉजी की अच्छी

समझ रखते हों और रोबोटिक्स, ड्रोन जैसे अन्य उच्च श्रेणी के उपकरणों का इस्तेमाल बखूबी कर सकें|

८.१.३ चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ

रक्षा नीति सरकार के जरिये लोगों के निर्देशों के अधीन होनी चाहिए| उच्च स्तरीय नीतियां और लक्ष्य तय करने के लिए सरकार को सुरक्षा रणनीति बनाने से पूर्व रक्षा बलों से विचार विमर्ष करना चाहिए| रणनीति तैयार होने के उपरांत रक्षा बलों को पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो उन नीतियों और रणनीति की सीमा में रह कर अपनी मर्ज़ी से कार्य कर सकें|

जब बात स्वतंत्रता से रणनीति पर काम करने की आती है तो हम कारगिल रिव्यु समिति द्वारा रखे गए प्रस्तावों का समर्थन करते हैं| इस समिति के अनुसार एक 'चीफ ऑफ़ डिफेंस स्टाफ' की नियुक्ति होनी चाहिए और इंटीग्रेटेड आर्मी कमांड भी लागू होनी चाहिए| हम थल सेना, वायु सेना और जल सेना को CDS के अधीन करेंगे ताकि भूतकाल में जो इनके साथ काम न कर पाने से गलतियाँ होती आई हैं उन्हें भविष्य में न दोहराया जाये| इस तरह से तीनो ही सुरक्षा बल एक चीफ के अधीन काम करेंगे| साथ मिलकर काम करने से हमारी ताक़त हजारों गुना बढ़ जाएगी क्यूंकि एकता में सबसे ज्यादा ताक़त होती है|

CDS को राज्यमंत्री का दर्जा दिया जायेगा जो कि डिफेन्स मिनिस्टर को जवाबदेह होगा| आर्मी, नेवी और एयर फ़ोर्स के तीनों सेनाध्यक्षों को कैबिनेट सेक्रेटरी के बराबर का दर्जा प्राप्त होगा| स्टाफिंग संचालन सम्बन्धी मामला है| हम ये सुनिश्चित करेंगी कि CDS के अलावा सुरक्षा बलों के किसी भी पद पर वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति में कोई राजनीतिक हस्तक्षेप न किया जाये| हम एक निष्पक्ष चयन प्रक्रिया लागू करेंगे जिससे चुन कर आये नागरिकों को नियुक्त करने के लिए सरकार बाध्य होगी|

८.१.४ सुदृण गुप्तचर एजेंसियां

हम रिसर्च एंड एनालिसिस विंग RAW को सशक्त करेंगे ताकि वो उच्च स्तरीय खबरों तक अपनी पहुँच बना सके| इस तरह से रक्षा व विदेश नीति के मामले में भी हमारे पास ज्यादा सूचनाएं और विकल्प होंगे| हम देश और विदेश दोनों ही जगह गुप्तचरों की संख्या

में वृद्धि करेंगे| विभिन्न प्रकार के खतरे जो इस वक्त हमारे देश पर मंडरा रहे हैं उनसे सक्षमता से लड़ने के लिए हम अपनी तकनीकी और साइबर युद्ध क्षमता को और मजबूत करेंगे|

इस अनिश्चित और खतरनाक दुनिया में हम चाहते हैं कि हमारे नेता और मिलिट्री को हर बात की पूरी और गहरी जानकारी हो| इसके लिए हम मजबूत गुप्तचर तंत्र का निर्माण करेंगे और दुनिया भर में अपने गुप्तचरों की संख्या में वृद्धि करेंगे| अपने राष्ट्र की महत्वपूर्ण सूचनाओं और गतिविधियों को सुरक्षित रखने के लिए हम गुप्तचर एजेंसियों की जवाबदेही बढ़ाएंगे| अलग अलग एजेंसियों की भूमिका औपचारिक रूप से अंत:स्थापित करने के लिए भी हम कानून लागू करेंगे ताकि किसी एजेंसी को अपने दायित्वों को लेकर कोई भ्रम न रहे|

८.१.५ रक्षा उपकरणों का उत्पादन

भारत के लिए स्वदेशी उत्पादन करके बेहतरीन उपकरण और सुरक्षा तंत्र बनाना बेहद जरूरी है| हम 'डिफेन्स रिसर्च डेवलपमेंट आर्गेनाइजेशन DRDO' के नेतृत्व में घरेलू निजी सेक्टर को प्रोत्साहित करेंगे ताकि वो डिफेन्स रिसर्च और डेवलपमेंट में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और शानदार टेक्नोलॉजी का उत्पादन करें| जब डिफेन्स उपकरणों का निजी उत्पादन होगा (DRDO की निगरानी में) तो सरकार को ज्यादातर सार्वजनिक सेक्टर का निजीकरण करने में सहायता मिलेगी|

भविष्य में सुरक्षा दलों के बीच रोबोटिक्स की बहुत बड़ी भूमिका होगी| इसलिए इसकी भविष्य में होने वाली मांग को देखते हुए हम उन भारतीयों को भारत वापिस आने के लिए प्रेरित करेंगे जो विदेशों में रहकर रोबोटिक्स के क्षेत्र में काम कर रहे हैं| हम चाहते हैं कि वो भारत आकर सुरक्षा और व्यापार के क्षेत्र में काम आने वाले रोबोट्स का उत्पादन करें| क्यूंकि हमारे नीतिगत ढाँचे में निजी क्षेत्र की अहम भूमिका है इसलिए हम ऐसे कुशल लोगों को निजी क्षेत्र में कार्य करने के अवसर देकर भारत आने का प्रलोभन देंगे|

८.१.६ सुरक्षा उपकरणों का प्रबंध

वर्तमान में जब भी हमें सुरक्षा उपकरणों की खरीद करनी होती है तो बहुत लम्बी और थका देने वाली प्रक्रिया से गुज़ारना पड़ता है| सुरक्षा दल दर्ज़नों परीक्षणों और तकनीकी स्वीकृतियों के बाद कहीं जाकर कोई सौदा आगे बढ़ता है| इसके बाद इस सौदे को नौकरशाहों और नेताओं के पास भेजा जाता है जहाँ पैसों से जुड़ी बातचीत होती है| इस क्रय प्रक्रिया का भ्रष्टाचार बढ़ाने में बहुत बड़ा हाथ है| इसलिए हम इस तरह की खरीद फरोख्त के लिए अलग निर्धारण समिति का गठन करेंगे और इनसे जुड़े आदेशों को पारित करने के लिए एक अलग समिति बनाई जाएगी| इसके अलावा एक समिति का और गठन किया जायेगा जो रसीदों और उपकरणों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगी| उपकरणों की खरीद में ईमानदारी के साथ कोई समझौता न किया जा सके इसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति को प्रभाव में लाया जायेगा जिसके अधीन खरीद फरोख्त से जुड़ी सभी समितियों कार्य करेंगी| चूँकि नेताओं को उपकरणों से जुड़ी कोई ख़ास जानकारी नहीं होती है इसलिए उनको इस प्रक्रिया से कोसों दूर रखा जायेगा|

८.१.७ सीमा से जुड़ी सडकें और रक्षा संचार

हम ये सुनिश्चित करेंगे कि पर्यावरण से सम्बंधित अनुमति देने में तेज़ी लाइ जाये| इसके अलावा सीमा से लगी सड़कों और पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरीय व केन्द्रीय क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेल लाइनों के लिए जरूरी फंड का जल्द से जल्द आवंटन हो सके| जहाँ मुमकिन होगा हम निजी क्षेत्रों के द्वारा सड़कों और रेल लाइनों से जुड़ा काम कराएँगे| हम सुरक्षा बलों को सर्वोत्तम संचार सुविधाएं उपलब्ध कराने का भी समर्थन करते हैं|

८.१.८ आतंरिक सुरक्षा में लगे रक्षा बलों की तैनाती में कमी

हम अपने ही देशवासियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की तैनाती करने का समर्थन नहीं करते हैं| जब तक किसी इलाके में आंतरिक सुरक्षा को ऐसा खतरा न हो जो स्थानीय प्रशासन या पैरामिलिटरी दल द्वारा संभाला न जा सके हम वहां सुरक्षा दल को तैनात नहीं करेंगे| और यदि किसी इलाके में सुरक्षा दल की तैनाती जरूरी है तो हम ये सुनिश्चित करेंगे की उनपर सिविल अधिकारियों द्वारा कोई मुक़दमा न चलाया जा सके क्यूंकि सुरक्षा दल की जवाबदेही एक अलग प्रणाली को है| आर्म्ड फ़ोर्स नियम के तहत आतंरिक जवाबदेही उसी प्रकार लागू रहेगी|

८.१.९ पूर्णकालिक सेना की सहायता के लिए स्वयंसेवक

हम पार्ट टाइम स्वयंसेवक दल को सशक्त करेंगे और अधिकारियों और सैनिकों की एक मजबूत टुकड़ी बनायेंगे| ऐसे दलों को और शक्तिशाली बनाने के लिए हम अच्छे से अच्छे परिक्षण और संसाधनों का प्रबंध करेंगे| हम औरतों को भी प्रोत्साहित करेंगे ताकि वो ज्यादा से ज्यादा तादात में इन दलों में भर्ती हों|

८.१.१० भूतपूर्वक सैनिकों और उनके परिवारों को सम्मान व सहायता

हम भूतपूर्व सैनिकों का उनके योगदान के लिए आभार व्यक्त करते हैं और उन्हें और उनके परिवारों को सुरक्षा और सम्मान प्रदान करने के लिए वचनबद्ध हैं| हमारे देश के लिए लड़ने वाले सभी सैनिक स्वयंसेवक हैं क्यूंकि वो अपने देश की सेवा करना अपना कर्तव्य समझते हैं| इसलिए हमारा मुख्य उद्देश्य उन्हें स्वास्थ्य, शिक्षा, अपंगता व ग्रह ऋण उपलब्ध कराना और उनकी मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार का जिम्मा उठाना|

तनख्वाह में भेदभाव, युद्ध में अपंग या शहीद हुए सैनिक की विधवा की अवहेलना से जुड़े मुद्दों को हम हौलिस्टिक पद्धति से हल करने की कोशिश करेंगे| हमारे घायल सैनिक चाहे वो सेवा में हों या सेवानिवृत्त हो चुके हों, ये उनका हक है कि उनको बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हों| पूर्व सैनिकों व सेना के मानसिक स्वास्थ्य की देखरेख के लिए हम विश्व-स्तरीय चिकिस्ता सुविधाएं उपलब्ध कराएँगे इसमें PTSD, कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण और आँखों व सदमे के इलाज शामिल होंगे| जिन सैनिकों ने देश की रक्षा के लिए अपनी जान की क़ुरबानी दी हम उनके परिवार को आर्थिक सहायता देंगे|

हम सेना से रिटायर हो चुके सैनिकों को दोबारा नौकरी प्राप्त करने में मदद करेंगे ताकि मिलिट्री सर्विस खत्म होने के बाद भी वो खुद कमा सकें| ये नौकरी पूर्व सैनिक के लिए मात्र कुछ आय कमाने का जरिया नहीं होगी| बल्कि ये उन सैनिकों के लिए नया लक्ष्य होगा, समाज में सुधार लाने के लिए दी गई एक नई पद्धति| हम निजी क्षेत्र से अनुरोध करेंगे कि वो अपनी कंपनियों में भर्ती करते वक़्त पूर्व सैनिकों को प्राथमिकता दें| हम इस बात की भी समीक्षा करेंगे कि क्या उन्हें करों में छूट देने की कोई गुंजाइश है या नहीं|

८.१.११ राष्ट्रीय रक्षा बल संग्रहालय

हमारा मानना है कि हमारे योद्धाओं ने जो कुछ भी हासिल किया है उसका सम्मान होना चाहिए इसलिए उससे जुड़े दस्तावेजों को आगे आने वाली पीढ़ी के लिए संरक्षित करना अत्यंत आवश्यक है| हम सरकार में आते ही विश्व-स्तरीय राष्ट्रीय रक्षा बल संग्रहालय का निर्माण करेंगे जहाँ हर युद्ध का ब्यौरा और उससे जुड़ी अन्य सामग्रियों का व्यापक संग्रह होगा| इस तरह से हमारे देश के नागरिक उस संग्रहालय में जाकर अपने योद्धाओं का स्मरण कर पाएंगे|

८.२ एकीकृत रक्षा व विदेश नीति

स्वर्ण भारत पार्टी का मत है कि विदेश नीति को देश का हित ध्यान में रखकर बनाना चाहिए और उसका रक्षा नीति के साथ मजबूती से समन्वय बिठाना चाहिए| हमारे सरकार में आने पर विदेश नीति कैसी होगी ये हमने निम्न बिन्दुओं में विस्तार से बताया है:

८.२.१ मुख्य सिद्धांत व प्रक्रियाएँ

एक दूसरे के प्रति सम्मान व व्यापार के जरिये विश्व भर के लोगों से शांतिपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करना ही हमारी प्राथमिकता होगी| यही हमारे पारस्परिक संबंधों का आधार होगा|

८.२.१.१ सुरक्षा

आतंकवाद को खत्म करने और अपराधियों के प्रत्यर्पण के लिए हम मित्र राष्ट्रों के साथ मिलकर काम करेंगे| जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं कि हम मजबूत राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र कायम करेंगे और जरूरत पड़ने पर अन्य देशों के साथ सुरक्षा संधि करेंगे|

यदि अमित्र देश खुद पर नियंत्रण करने में नाकाम होते हैं और अपनी क्रूर हरकतों से बाज नहीं आते तो हम उनसे न कोई आग्रह करेंगे और न चेतावनी देंगे| हमारे सैनिकों का सर काटने वाले दुश्मनों को चेतावनी देने से कुछ नहीं होगा| अवसर आने पर हम अपनी सभी ताकतों का इस्तेमाल कर दुश्मन और उसका नेतृत्व कर रहे नेता सब का सफाया कर देंगे|

हम चाहते हैं कि दुनिया का कोई भी देश हथियार का समर्थन न करे| पर इसके बावजूद भी हमारा मानना है कि भारत के पास न्यूक्लिअर हथियारों का पर्याप्त शस्त्रागार होना

चाहिए| जब हमारे पास हथियारों का पर्याप्त जखीरा होगा तब ही हम आपसी निरस्तीकरण की वकालत कर पाएंगे और न्यूक्लिअर हमलों को रोक पाएंगे| हम अपने न्यूक्लिअर हथियार पूरी तरह से खत्म करने को भी तैयार हैं बशर्ते बाकि देश भी ऐसा ही कदम उठाएं और अपनी न्यूक्लिअर ताक़त का पूर्ण रूप से खात्मा करने को तैयार हो जायें|

८.२.१.२ दूसरे देशों से संधियाँ

हमारा मानना है कि कोई भी देश आपस में स्थायी रूप से दोस्त या दुश्मन नहीं होता| इसलिए हम सभी देशों को एक समान सम्मान देने में यकीन रखते हैं| जैसा व्यवहार दूसरे देश हमारे साथ करेंगे उसी बात पर ये निर्भर करेगा कि हमारे उनके साथ सम्बन्ध कैसे रहेंगे| हम तब तक किसी और देश के अंदरूनी मामलों में टांग नहीं अड़ाएंगे जब तक कि वो मामला आपसी हित या सुरक्षा से न जुड़ा हो| यदि कोई ऐसा असाधारण मामला सामने आता है जिसके चलते कोई देश अपने ही नागरिकों का सफाया कर रहा हो तो हम उस जनसंहार को रोकने के लिए बीच में जरूर पड़ेंगे| हमें अपने मैत्री देश बहुत सोच समझकर चुनने चाहियें और उनके साथ संधियाँ भी हर पहलु पर गौर करने के बाद ही करनी चाहियें| हमारी किसी भी संधि से हमारे विचारों की आजादी या प्रभुसत्ता को कोई नुक्सान नहीं पहुंचना चाहिए|

८.२.१.३ खुला व्यापार और आर्थिक सहयोग

हमारी आर्थिक और विदेश नीति का आधार होगा खुला व्यापार और निवेश| खुले व्यापार से न सिर्फ दामों में कमी आती है बल्कि उपभोक्ताओं के लिए विकल्पों की संख्या भी बढ़ जाती है| जब दो देशों के बीच पारस्परिक आर्थिक हित जुड़े होंगे तो उनमें युद्ध की संभावना काफी हद तक कम हो जाएगी| हम हर देश में पूर्ण आजादी का समर्थन करते हैं| मानवाधिकारों का हनन करने वाले या क्षेत्रीय प्रसार की भावना रखने वाले देशों से संबंध बनाते वक़्त हम सतर्क रहेंगे|

जहाँ जहाँ मुमकिन होगा हम अपनी तरफ से व्यापार संबंधी सारे बंधन खत्म कर देंगे| भले ही सामने वाला देश ऐसा कर रहा हो या नहीं| कम से कम हम बहुपक्षीय व्यापार समझौते को जोर देंगे और जिन देशों से इस प्रकार के अग्रीमेंट मुमकिन नहीं हो पाएंगे

उनसे हम द्विपक्षीय या FTA अग्रीमेंट समझौता करेंगे| ये समझौता खासतौर पर हम बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव्स और म्यांमार जैसे देशों से करेंगे| हम भारत को विश्व भर की प्रतिभा के लिए खोल देंगे जहाँ कोई भी निवेश कर सकेगा, खासकर एशिया से|

हम पड़ोसी देशों के साथ जल मार्गों में सहयोग से काम करेंगे ताकि दोनों ही देशों के हित पूरे हो सकें| उनके साथ मिलकर हम ऐसी आर्थिक परियोजनाएं बनायेंगे जिससे की भारत के विकास में उनका भी योगदान शामिल हो सके| जब बात आपसी हित की होगी तो हम इसमें अंतर्देशीय जलमार्ग और सीमाओं को पार करने वाले रास्तों का इस्तेमाल करेंगे|

८.२.१.४ विदेशी अनुदान स्वीकार नहीं

हम विदेशी अनुदान स्वीकार करने का समर्थन कतई नहीं करते हैं| दूसरे देशों से आये चंदे या अनुकंपा के सहारे भारत कभी प्रगति नहीं कर सकता| विगत कई वर्षों से भारत की इन्हीं नीतियों ने हमें नुक्सान पहुँचाया है इसलिए हम इन नीतियों को सुधारने की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं| हम विदेशों के स्वयंसेवी संगठनों द्वारा भारत में जो विकास का कार्य किया जा रहा है उसके विरुद्ध नहीं हैं| पर विदेशी सरकारों द्वारा राजनीतिक या धार्मिक कार्यक्रमों के नाम पर जो चंदा भारत आता है उसके सख्त खिलाफ हैं|

८.२.१.५ राजनायिक ताक़त का सशक्तिकरण

भारत का विदेश विभाग दुनिया में सबसे छोटा है जिसमें करीब १८०० कर्मचारी कार्यरत हैं| जबकि चाइना का विदेश विभाग इससे तीन गुना बड़ा है और अमेरिका के विदेश विभाग में लगभग २०००० कर्मचारी कार्यरत हैं| शासन तंत्र में सुधार करते वक़्त हमारी पार्टी न सिर्फ राजनायिक ताक़त बढ़ाने पर जोर देगी बल्कि इस विभाग के हर स्तर पर नई भर्तियाँ करेगी| हम भारतीय नागरिकों को इन पदों पर कार्य करने के लिए आमंत्रित करेंगे| हमारी कोशिश होगी कि शैक्षणिक और अन्य ऐसे क्षेत्रों से जुड़े नागरिकों को इन पदों पर लाया जाए| हम सत्ता में आते ही सार्वजनिक प्रबंधन के नए सिद्धांत लागू करेंगे और वरिष्ठ नियुक्तियों को अनुबंध के आधार पर ही अंजाम देंगे| अनिश्चित काल तक एक ही पद पर कार्यरत रहने वाले सिद्धांतों को हम खत्म करेंगे|

८.२.१.६ अंतर्राष्ट्रीय संगठन

बहुत से अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने गैर-जिम्मेदार नौकरशाहों के दम पर अनुचित भूमिकाएं अपना ली हैं| हम ऐसे संगठनों के भारत में काम करने से चिंतित हैं| अकसर ऐसा देखा गया है कि इस प्रकार के संगठन स्वतंत्रता को नुक्सान पहुंचाते हैं जैसे की बोलने की स्वतंत्रता को| हम अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे की यूनाइटेड नेशनस एंड द कामनवेल्थ ऑफ़ नेशनस में हिस्सा लेंगे पर काफी सावधानी से| हम खोखले वादों, तानाशाहों और ऐसे अनैतिक नेताओं से चौकन्ने रहेंगे जो दुनिया को ये सिखाते फिरते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं|

हालाँकि जब तक यूनाइटेड नेशन का कोई विकल्प सामने नहीं आ जाता हम भारत की स्थायी सदस्यता और सुरक्षा परिषद में वीटो पॉवर की मांग करते रहेंगे|

८.२.१.७ विदेशों में रह रहे भारतीयों को समर्थन

जो भारतीय नागरिक विदेशों में रह रहे हैं या काम कर रहे हैं हम उनके हितों की सुरक्षा के लिए काम करेंगे| इसके अलावा भारत मूल के विदेशी नागरिकों से करीबी संबंध स्थापित करेंगे| इसमें से ऐसे कई विदेशी नागरिक भी हैं जो विदेशों में रहते हुए भी नये भारत के निर्माण का सपना पूरा करने के लिए लगातार परिश्रम कर रहे हैं| हमारा मानना है कि प्रवासी भारतीय देश का संबल हैं| उन्हें बाहरी दुनिया की अच्छी समझ और जानकारी है और वो बाहरी देशों में अच्छे से बसे हुए हैं| हम उन्हें भी भारत को सफलता के पथ पर अग्रसर करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे|

८.२.१.८ दोहरी नागरिकता

भारत की प्रगति में अप्रवासी भारतीयों के योगदान को देखते हुए हम चाहते हैं कि जो भारतीय नागरिक विदेशों में रह रहे हैं या काम कर रहे हैं उनके कौशल से भारत को लाभ मिले| इसलिए हम ऐसी राजनीतिक प्रक्रियाएं सुनिश्चित करेंगे जिससे उन भारतीयों को अपने कौशल से भारत में कुछ कर दिखाने का मौका मिले| हम OCI के जरिये उनको दोबारा भारतीय नागरिकता जारी रखने का अवसर देंगे| सुरक्षा कारणों हेतू OCI प्राप्त करने के लिए उन्हें एक बार $10000 का शुल्क चुकाना होगा| इसके बाद वो बिना अपनी वैकल्पिक नागरिकता गंवाए भारतीय नागरिकता भी जारी रख पाएंगे|

८.२.२ विशिष्ट राष्ट्रों के साथ संबंध

भारत के अन्य मुल्कों के साथ संबंध ही हमारे अंतर्राष्ट्रीय हित तय करेंगे| हम सार्क देशों. कॉमनवेल्थ देशों, जापान, रूस, अमेरिका और एशिया के अन्य देशों के साथ कैसे रिश्ते बना पाते हैं वही हमारी अंतर्राष्ट्रीय छवि तैयार करेंगे| हमने कुछ विशिष्ट देशों के साथ संबंध कैसे होने चाहियें इसकी व्याख्या नीचे की है|

८.२.२.१ अमेरिका

हम अमेरिका के साथ मजबूत रिश्ते कायम रखने के लिए वचनबद्ध हैं क्यूंकि ये दुनिया भर में आजादी और लोकतंत्र को बढ़ावा देने और उसे मजबूत करने के लिए जरूरी है| दोनों देशों के बीच संबंध और घनिष्ट हों इसके लिए हम उम्मीद करते हैं की अमेरिका उन देशों को हथियार मुहैया कराना बंद करेगा जिनसे भारत को खतरा है|

८.२.२.२ जापान

विज्ञान व निर्माण के क्षेत्र में हम जापान के साथ साझेदारी को और प्रगाढ़ बनायेंगे| जापान को भारत में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया जायेगा| और ये हमारे द्वारा लाई गई नयी नीतियों, नियमों और अच्छी शासन प्रणाली के तहत किया जायेगा| एशिया-प्रशांत महासागर क्षेत्र में हम जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ सुरक्षा साझेदारी को भी और मजबूत करेंगे|

८.२.२.३ चाइना

भारत चाइना के लोगों के साथ शानदार व्यापारिक और सांस्कृतिक रिश्ते चाहता है| हालाँकि, चाइना द्वारा भारत के इलाके पर किये गए किसी भी दावे के हम सख्त खिलाफ हैं| इसमें जम्मू-कश्मीर के इलाके पर किया गया चाइना का कब्ज़ा भी शामिल है| हमारा मानना है कि चाइना तिब्बत को और स्वायत्तता देकर वहां कई ज्यादा रचनातमक भूमिका निभा सकता है| तिब्बत को उसका ऐतिहासिक विशेष मुल्क का दर्जा प्राप्त होना चाहिए| हम ये भी चाहते हैं कि चाइना अपने लोगों की आजादी की सुरक्षा करे और उन्हें अपनी बात रखने का और लोकतान्त्रिक तरीके से वोट डालने का अधिकार दे| चाइना के इस तरह के कदम उठाने से दुनिया के दो सबसे बड़े देशों को समृद्धि और वैश्विक शांति की ओर साथ में काम करने का अवसर प्राप्त होगा|

८.२.२.४ रूस

रूस के साथ सदियों से चली आ रही अपनी दोस्ती को हम ऐसे ही कायम रखेंगे| रूस ही वो देश है जिसने हमें सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराये थे जब बाकि देश ऐसा करने में हिचकिचा रहे थे| हम आशा करते हैं कि रूस अपने नागरिकों को बोलने का अधिकार देगा और बाकि विश्व के साथ सक्रियता से साझेदारी करेगा क्यूंकि वैश्विक व्यापार और शांति में हर देश का हित निहीत है|

८.२.२.५ पाकिस्तान

पाकिस्तान के संबंध में आजतक जो नीतियां बनाई गई हैं हम उनका समर्थन करते हैं| पाकिस्तान के साथ दुरुस्त व्यापार और सांस्कृतिक रिश्ते बनाने का हमारा हर संभव प्रयास पाकिस्तान द्वारा निभाई जा रही दुश्मनी के रहते मिट्टी में मिल जाता है| अगर पाकिस्तान अपना आक्रामक रवैया त्यागता है तो इन रिश्तों में सुधार लाया जा सकता है पर पाकिस्तान के इतिहास को देखते हुए ये नामुमकिन ही लगता है| हमें लगता है कि पाकिस्तान की अंदरूनी परिस्थितियां कुछ समय तक ऐसे ही खतरनाक रहने वाली हैं|

पाकिस्तान की ओर से हमारी सरहदों में घुसपैठ रोकने के इरादे से हम पाकिस्तान के साथ इस बारे में बातचीत करके कुछ सख्त कदम उठाएंगे| यदि पाकिस्तान अपनी आतंरिक शासन प्रणाली में बदलाव लाकर सरहद पर स्थायी शान्ति का वादा पूरा कर दिखाता है तो हम LOC को स्थायी राष्ट्रीय सरहद घोषित करने पर विचार विमर्ष कर सकते हैं| एक बार यदि दोनों देशों के बीच शांति स्थापित कर ली गई तो हम सरहदों को पहले से ज्यादा व्यापार और आपसी रिश्तों में सुधार के लिए खोल सकते हैं| और धीरे धीरे खुली सरहदों द्वारा व्यापार में वृद्धि के चलते हम हमेशा के लिए शांति सुनिश्चित करने में सफल हो पाएंगे|

जब दोनों ही देशों के बीच शांति स्थापित करने का सपना पूरा हो जायेगा तो हम पाकिस्तान के साथ मिलकर ईरान और सेंट्रल एशिया तक हाईवेस बनाने में भी साझेदारी करेंगे|

८.२.२.६ बांग्लादेश

बांग्लादेश के साथ जारी हमारे मजबूत व्यापारिक और सांस्कृतिक रिश्तों को इसी तरह बरकरार रखने के लिए हम वचनबद्ध हैं| हालाँकि भारत में बांग्लादेश से हो रही गैर-कानूनी घुसपैठ के साथ लड़ने के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं| हम इस बात को मानते हैं कि अप्रवासन में कमी आई है पर गैर-कानूनी तरीके से हमारे देश में घुसे बांग्लादेशियों को वापिस भेजने में अभी भी कई अड़चनों का सामना करना बाकि है| हम बांग्लादेश के साथ इकरारनामा लेकर आने की ओर कार्य करेंगे ताकि इस गैर-कानूनी घुसपैठ पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सके|

८.२.२.७ नेपाल

भारत सरकार २००४ से नेपाल में मौजूद माओवादियों का सहयोग करती आ रही है| हम माओवादियों को दिए जा रहे समर्थन के सख्त खिलाफ हैं और नेपाल में आजादी, लोकतंत्र और अच्छा शासन सुनिश्चित करने की ओर कार्य करने का वादा करते हैं|

८.२.२.८ श्रीलंका

हमारी स्वर्ण भारत पार्टी श्रीलंका के साथ अच्छे रिश्ते और व्यापार के लिए वचनबद्ध है| सबको सच्चा लोकतंत्र और पूर्ण आजादी देने के लिए हम श्रीलंका के साथ मिलकर काम करेंगे| हम श्रीलंका में बसे तमिल लोगों को भी एक समान व्यवहार का अधिकार प्राप्त हो ऐसा चाहते हैं| व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए हम श्रीलंका के साथ साझेदारी कर Palk Strait को जोड़ने वाले पुल पर काम करेंगे|

८.२.२.९ दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ कॉरिडोर

हमारा उद्देश्य थाईलैंड तक एशियाई त्रिकोणीय राजमार्ग और कालादान मल्टी-मोडाल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को पूरा करने में मदद करना होगा| हम चेन्नई को म्यांमार के दावेई और थाईलैंड तक जोड़ने वाले बंदरगाह पर काम करेंगे| दक्षिण-पूर्व एशिया से जोड़ने वाले जितने ज्यादा यातायात के रास्ते उपलब्ध होंगे, दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों के साथ हमारे रिश्ते उतने ही ज्यादा मजबूत होने में मदद मिलेगी|

८.२.२.१० मिडिल ईस्ट के साथ समुद्र के रास्ते ऊर्जा कॉरिडोर

पश्चिमी भारत के आयल टर्मिनल्स को तेल के स्त्रोतों जो ईरान, क़तर और अन्य मिडिल ईस्ट देशों में उपलब्ध हैं से जोड़ने के लिए हम एक अंडर सी एनर्जी कॉरिडोर बनाने के रास्ते तलाशेंगे| हम मिडिल ईस्ट के बहुत से राष्ट्रों में बढ़ रही कट्टरवादिता को लेकर चिंतित हैं क्यूंकि वो लगातार विविधता, बोलने के अधिकार और लोकतंत्र का हनन करते आ रहे हैं| हम इन राष्ट्रों के साथ साझेदारी बढ़ा कर उन्हें प्रोत्साहित करेंगे कि वो अपने नागरिकों को और वहां रहने और काम करने के इच्छुक विदेशियों को समान अधिकार दें|

९. प्रभावी पुलिस फ़ोर्स, आपातकालीन व्यवस्था और आतंरिक सुरक्षा

अपराध और सामाजिक उत्पीड़न कम करने में सबसे अधिक प्रभावशाली ताक़त है मजबूत परिवार और देखभाल करने वाले समुदाय| परन्तु सर्वश्रेष्ठ सामाजिक परिस्थितियों में भी कारगर और परीक्षित कानून व्यवस्था का होना अत्यंत आवश्यक है|

नियम कानून लागू करवाना सरकार का सबसे अहम दायित्व है| पर दुर्भाग्य से भारत में आज कानून व्यवस्था की हालत पूरी तरह चरमरा चुकी है| गुंडाराज, आतंकवाद और अन्य प्रकार के लड़ाई झगडे आज भारत में सर उठाकर खड़े हैं| राजनीतिक अपराधियों के गैर-कानूनी अधिदेशों और अपराधी राजनेताओं के चलते प्रशासन तंत्र में इन्हीं के द्वारा बनाये नियम कानूनों का बोलबाला है| सांप्रदायिक और जातिवादी लोगों ने गैर-कानूनी हरक़तों को भी यथार्थ का जामा पहना दिया है| भ्रष्टाचारी लोगों की भर्ती होने से, VIP सुरक्षा में पुलिस के लगाये जाने से और अपराधियों के राजनेताओं के साथ संबंधों ने पुलिस व्यवस्था को बुरी तरह से नुकसान पहुँचाया है|

नागरिकों को पुलिस से सेवा, अखंडता और प्रभावशाली सुरक्षा की उम्मीद होती है| पर वर्तमान में पुलिस और नागरिकों के बीच के इस विश्वास को काफी गहरी चोट लगी है| पुलिस नागरिकों के प्रति अपनी जवाबदेही मानना ही नहीं चाहती और कभी कभार तो भारत के पुराने विदेशी क्रूर शासकों की तरह व्यवहार करती है| पुलिस बल को सुधारने और उसके आधुनिकरण में काफी मशक्क़त करनी पड़ेगी|

जैसा कि भारत की सभी सरकारी प्रणालियों में होता है ठीक उसी प्रकार पुलिस व्यवस्था में भी दिक्कत पुलिस के सदस्यों की वजह से नहीं बल्कि खुद पुलिस व्यवस्था में है| उन्हें अपर्याप्त संसाधनों के साथ ही खराब परिस्थितियों में काम करना पड़ता है| यहाँ

तक कि अपराधी भी पुलिस से ज्यादा उपकरणों से लैस हैं| हमें पुलिस को आधुनिकरण के सभी जरूरी उपकरण और नई टेक्नोलॉजी के लिए पैसे उपलब्ध कराने होंगे|

९.१ पुलिस और पुलिस प्रणाली में सुधार

पुलिस प्रणाली में सुधार कई मायनों में सामान्य नौकरशाही के सुधारों के समान होंगे| वरिष्ठ स्तर के पुलिसकर्मियों को उनकी संविदात्मक नियुक्तियों से जुड़े प्रदर्शन के साथ खुले बाजार से भर्ती किया जाएगा (कुछ विशेषज्ञों को विश्व स्तर पर भर्ती किया जा सकता है)| इन अधिकारियों को संचालन में महत्वपूर्ण स्वतंत्रता के साथ बल के अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिए सशक्त किया जाएगा| लेकिन उच्च परिणाम की पूरी जवाबदेही उनके कन्धों पर होगी|

राष्ट्रीय पुलिस आयोग की उन सिफारिशें को लागू किया जाएगा जो आज़ादी के साथ स्पष्ट रूप से सुसंगत हैं और सही प्रोत्साहन प्रदान करती हैं| ट्रेनिंग में काफी सुधार किया जाएगा| ये उपाय पुलिस की क्षमता, जवाबदेही और मनोबल को बढ़ाएगा|

हम पुलिस बल के आकार में महत्वपूर्ण वृद्धि करेंगे और अगले दस वर्षों में पुलिस / जनसंख्या अनुपात को वर्तमान 106 प्रति लाख से बढ़ाकर संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रस्तावित 222 प्रति लाख तक ले आयेंगे|

आतंकवाद और उग्रवाद रोधी आपरेशनों के लिए पुलिस बल के साथ हमारे अर्धसैनिक बलों का तालमेल सर्वोपरि है| अर्धसैनिक बलों को सशस्त्र बलों के प्रशिक्षण के लिए मान्य गुणवत्ता के अनुरूप ही प्रशिक्षण दिया जायेगा। अर्द्धसैनिक बलों में उच्च प्रशिक्षित सशस्त्र बल जनशक्ति को शामिल करने से नागरिकों को एक दूसरे कैरियर विकल्प के रूप में भी लाभ होगा। जैसे ही इस तरह की क्षमता स्थापित हो जाएगी, हम आंतरिक सुरक्षा खतरों के लिए सशस्त्र बलों के प्रयोग को बंद कर देंगे।

खुफिया ब्यूरो को औपचारिक किया जायेगा और यह सुनिश्चित करते हुए कि, देश के नागरिकों के अधिकार पूरी तरह संरक्षित हैं, उसका विनियमन किया जायेगा ताकि राष्ट्र को सबसे अच्छे संभव सुझाव प्राप्त हो सकें।

अन्य सुधारों में शामिल हैं:

• अपराधियों के रेकॉर्डों का कम्प्यूटरीकरण

• प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) को इंटरनेट पर दर्ज कराना संभव बनाया जायेगा

• "थर्ड डिग्री" तरीकों का उपयोग या उसका समर्थन करने वाले पुलिस अधिकारियों पर मुकदमा चलाना और उन्हें सज़ा दिलवाना। हम इतर न्यायिक हत्याओं तथा पुलिस और ऐसी ही अन्य संस्थाओं द्वारा बल के अत्यधिक उपयोग के बारे में चिंतित हैं। हम पुलिस से उम्मीद करते हैं कि वह आतंकवाद सहित सभी अपराधों को हल करने के लिए न्यायिक प्रणाली का उपयोग करेगी। जब तक नागरिकों (या पुलिस कर्मियों) के जीवन के लिए कोई प्रत्यक्ष और तत्काल खतरे वाली परिस्थिति पैदा न हो गई हो, 'मुठभेड़' को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। झूठी मुठभेड़ दिखाकर किसी की हत्या करने पर कठोर से कठोर सजा का प्रावधान होगा|

• पुलिस वालों के सार्वजनिक कर्तव्यों के प्रदर्शन पर नज़र रखने के लिए उनके शरीर पर लगाए गए कैमरों का उपयोग किया जायेगा| ये पुलिस की किसी भी ज्यादती या घूसखोरी को रोकने और अपराधियों की पहचान करने में मदद कर सकते हैं। हालांकि, इसके कुछ प्रतिकूल नतीजे भी देखने में आये हैं, अतः हम ध्यान से इस पूरे साहित्य की समीक्षा करेंगे और किसी भी प्रतिकूल प्रभाव के लिए सावधानियां बरतते हुए जहां उपयुक्त होगा, शरीर के कैमरों के प्रयोग को कानूनी मान्यता देंगे। हम सार्वजनिक संपर्क में आने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों को (नौकरशाहों सहित) इसी प्रकार के कैमरे उपलब्ध कराएँगे| इन कैमरों की मदद से स्वतंत्र रूप से उनकी बातचीत का ऑडिट करने का प्रयास किया जायेगा और हम सुनिश्चित कर पाएंगे कि वे नागरिकों के साथ सम्मान से व्यवहार करें।

९.२ आपातकालीन प्रबंधन

प्राकृतिक और अन्य बड़े पैमाने पर घटित आपदाओं का आपातकालीन प्रबंधन व रोकथाम करना और ऐसी आपदाओं से जल्द रिकवरी सुनिश्चित करना सरकार का एक मुख्य कार्य है। ऐसा करने में, हम न केवल यह सुनिश्चित करेंगे कि विश्व की सर्वोत्तम प्रक्रियाओं का पालन करें बल्कि साथ ही विकलांग लोगों जैसे की आपातकालीन सायरन सुन सकने या बाहरी सहायता के बिना आश्रय लेने में असमर्थ की विशेष जरूरतों को पूरा करने के लिए भी हम आवश्यक कदम उठाएंगे।

९.२.१ पुलिस और एम्बुलेंस के लिए एक हेल्पलाइन

हम पुलिस और एम्बुलेंस के लिए एक आम आपातकालीन नंबर लागू करेंगे। लोग किसी भी आपात स्थिति के दौरान इस नंबर पर कॉल करने में सक्षम होंगे और ये हेल्पलाइन कॉल को रिकॉर्ड करेगी और उचित व्यक्ति को वहां भेजेगी| कभी कभी परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए पुलिस और एम्बुलेंस दोनों को वहां भेज दिया जायेगा|

९.३ विशिष्ट आतंरिक सुरक्षा नीतियां

९.३.१ आत्म-रक्षा समेत किसी भी प्रकार की हिंसा के अधिवक्ताओं पर मुकदमा चलाया जाएगा

हम उन व्यक्तियों या संगठनों के साथ कठोरता से पेश आएंगे जो किसी धार्मिक या राजनीतिक उद्देश्य के लिए हिंसा के उपयोग की वकालत करते हैं। इसमें वे संगठन भी शामिल हैं जो केवल एक विशिष्ट समूह या समुदाय के लिए सशस्त्र आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। आत्मरक्षा एक इकाई के रूप में पूरे देश के लिए प्रासंगिक है, अतः केवल सरकार इस तरह का प्रशिक्षण प्रदान कराएगी| इसके लिए वो एनसीसी, होमगार्ड और अन्य समावेशी संगठनों के माध्यमों का इस्तेमाल करेगी। हम किसी भी गैर- सरकारी संगठन द्वारा नागरिकों का सशस्त्र प्रशिक्षण बर्दाश्त नहीं करेंगे| बिना हथियार के प्रशिक्षण जैसे मार्शल आर्ट में कोई बुराई नहीं है उनपर कोई रोकथाम नहीं की जाएगी|

९.३.२ जम्मू-कश्मीर

हम जम्मू-कश्मीर में शांति और समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध हैं (इसमें वे लोग भी शामिल हैं, जो आजादी के समय वहाँ रह रहे थे और अब पाकिस्तान या चीन के अवैध कब्जे वाले क्षेत्र में रहते हैं)। हम सशस्त्र बल अधिनियम (विशेष अधिकार) को बदलने के लिए जस्टिस जीवन रेड्डी समिति की 2005 की सिफारिशों की पुनर्समीक्षा करेंगे और एक अधिक मानवीय दृष्टिकोण के साथ मानव अधिकारों व सुरक्षा के बीच संतुलन साधने का कार्य करेंगे। तात्कालिक आधार पर, हम कश्मीरी पंडितों सहित सभी विस्थापित व्यक्तियों की घर वापसी के लिए प्रतिबद्ध हैं बशर्ते वे इसके लिए इच्छुक हों।

हमारा मानना है कि जम्मू-कश्मीर राज्य भारत का अभिन्न हिस्सा है और हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 का निराकरण करने के लिए प्रतिबद्ध हैं| ये अनुच्छेद एक ही

राष्ट्र के भीतर संप्रभुता की दोहरी परत बना रहा है। यह बात सिरे से गलत है कि कश्मीरी भारतीय भारत के किसी भी हिस्से में बसने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन अन्य भारतीय कश्मीर में ऐसा नहीं कर सकते। हालांकि यह सुधार कहीं और वर्णित अन्य सुधारों की एक श्रृंखला के माध्यम से इस प्रकार किया जाएगा जो कि सभी भारतीयों के लिए स्वतंत्रता का आश्वासन देने के साथ-साथ भारत में हर जगह सुशासन भी स्थापित करेगा। सभी भारतीयों के लिए समान अवसरों के साथ-साथ कानून का शासन लाने के बाद ही हम जम्मू-कश्मीर संविधान सभा से इस संशोधन पर विचार करने का अनुरोध करेंगे (संविधान के अनुच्छेद 370 (3) द्वारा अपेक्षित)। सद्भावना और जम्मू-कश्मीर के लोगों की सहमति के बिना, इस तरह का संशोधन लोकतंत्र और स्वतंत्रता की भावना का उल्लंघन होगा।

९.३.३ आधार कार्ड (नागरिक आईडी)

आधार कार्ड के कानूनी आधार की गहन समीक्षा के बाद और सभी गोपनीयता या अन्य मुद्दों, जिनमें सरकारी पदाधिकारी द्वारा संभावित दुरुपयोग भी शामिल है, के निराकरण के बाद ही हम यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक नागरिक को अपना एक अद्वितीय ID प्राप्त हो। यह ID बैंक खाते या विभिन्न टैक्स सम्बन्धी लेनदेन के लिए उनकी पहचान करने में मदद करेगा और उन्हें मिलने वाले किसी भी सरकारी लाभ (उदाहरण के लिए- एनआईटी) पर नज़र रखेगा, जिससे पहचान में होने वाली धोखाधड़ी को रोकने में मदद मिलेगी।

वर्तमान में आधार कार्ड नागरिकता की अवधारणा से संबंधित नहीं है, जबकि संवैधानिक रूप से अवैध प्रवासियों के लिए इसे जारी नहीं किया जाना चाहिए। हम आधार कार्ड के अगले चरणों में नागरिकता की जाँच को ज़रूरी करते हुए गैर नागरिकों के लिए इसे बंद कर देंगे। हम अंतर-पीढ़ीगत जैविक निशानियों (जैसे डीएनए) की व्यवहार्यता का अध्ययन करेंगे, जो भारत में अवैध प्रवास को खत्म करने में मदद कर सकती हैं।

९.३.४ अयोध्या मंदिर

सामान्य रूप से सरकार का सीधे तौर पर प्राचीन स्मारकों के मुद्दों से निपटना वांछनीय होता है| खासकर ऐसे स्मारक जो विनियामक निरीक्षण के तहत निजी संपत्ति के रूप में

लोगों को वापस सौंप दिये जाने चाहियें। जहाँ संपत्ति के अधिकार कानून से दृढ़ता से नहीं बंधे हैं, वहाँ इस तरह के विवादों के चलते रहने की अपार संभावनाएं होती हैं।

इस विशेष विवाद की प्रकृति को देखते हुए, हमारा मानना है कि अयोध्या मंदिर के मसले को अदालत के फैसले पर छोड़ दिया जाना चाहिए।

९.३.५ नक्सलवाद

नक्सली अब नेपाल से आंध्र प्रदेश तक के बड़े इलाके में 140 से भी अधिक जिलों में फ़ैल चुके हैं। नक्सली मुद्दे काफी हद तक अल्प विकास और केंद्र और राज्य सरकारों के भ्रष्टाचार का परिणाम हैं। हम मार्गदर्शन और प्रोत्साहन के माध्यम से नक्सलियों को मुख्यधारा में वापस लाएंगे जिसमें पारदर्शी स्पष्टीकरण और बातचीत भी शामिल है। हालांकि जो भी नक्सली डकैती, संपत्ति के विनाश, हमला या हत्या में लिप्त रहे हैं, उन्हें पूरी छानबीन के बाद दण्डित किया जाएगा| इस बात का फैसला नक्सलवाद को मिले राजनीतिक प्रोत्साहन को देखते हुए किया जायेगा|

९.३.६ उत्तर पश्चिम

पूर्वोत्तर भारत के भौगोलिक अलगाव को दूर करने के लिए विशेष प्रयास करने की जरूरत है| इन प्रयासों में बेहतर परिवहन और सुरक्षा सेवाएं उपलब्ध कराना भी शामिल है। राष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यकताओं के अंतर्गत जहां तक संभव होगा हम ल्हासा तक के पुराने सिल्क रूट को खोल देंगे और म्यांमार के साथ संयुक्त रूप से यांगून (पूर्व में रंगून) के लिए एक विश्व स्तरीय सड़क का निर्माण कराएँगे। इससे यह क्षेत्र भारत के पड़ोसी देशों के साथ व्यापार में संलग्न होने और रोजगार के अवसरों का विस्तार करने में सक्षम हो पाएगा।

बांग्लादेश से उत्तर-पूर्व और भारत के अन्य भागों में अवैध आप्रवास लम्बे समय से चली आ रही एक गंभीर समस्या है। हालाँकि हाल के सालों में इसमें कुछ कमी दर्ज की गई है| आप्रवासियों के अपनी पहचान छुपाने का ढंग चतुर है जिसमें तत्कालीन स्थानीय निवासियों, जो अन्य स्थानों पर चले गए हैं या मर चुके हैं, के नामों को अपना लेना निश्चित तौर पर शामिल है। लंबे समय से मृत लोगों के हस्ताक्षर के साथ राइस पेपर पर टाइप किये और रबर स्टांप लगे हुए नाम, वंश या शिक्षा के असली और नकली

रेकॉर्डों में अंतर कर पाना किसी के लिए भी अत्यंत चुनौतीपूर्ण रहा है। हम अवैध आप्रवासियों की पहचान करने में पुलिस की मदद करने के लिए नागरिकों की स्वतंत्र समितियों की स्थापना करेंगे। प्रासंगिक अनुभव के साथ सेवानिवृत्त अधिकारियों की सेवाओं का इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसा करने में, हालांकि, यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि भारत के किसी नागरिक को कोई परेशानी न हो।

१०. सक्षम एवं प्रभावशाली न्याय प्रणाली

किसी भी प्रकार की आजादी जवाबदेही के साथ ही संभव है| हम जो चाहें वो करने के लिए आज़ाद हैं बशर्ते इससे किसी और नागरिक या जानवर को नुकसान न पहुंचे| दुरुस्त न्याय प्रणाली ही हर नागरिक की जवाबदेही सुनिश्चित करने में सक्षम है| यदि हम किसी को कोई क्षति पहुंचाते हैं तो न्याय प्रणाली को फ़ौरन उचित न्याय करना चाहिए ताकि सब उसी अनुसार अपनी आने वाली ज़िन्दगी में आगे बढ़ सकें| पर वर्तमान में करीब ३.८० करोड़ से भी अधिक विलंबित/ बकाया/ अनसुलझे मामले सालों से लटके हुए हैं| ये मामले न सिर्फ बहुत से नागरिकों को न्याय से वंचित करते हैं बल्कि जीवन और स्वतंत्रता के उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन भी करते हैं।

१०.१ न्याय प्रणाली की जड़ से समीक्षा

अपनी 117 वीं रिपोर्ट (1986) में विधि आयोग ने पाया: "भारतीय न्यायिक प्रणाली मूल रूप से पुराने ज़माने से प्रेरित और विदेशी संरचना वाली है। आजादी के बाद के पिछले चार दशकों में अपनी विधा, काम, पदनाम, भाषा, दृष्टिकोण या विवादों को हल करने की विधि में परिवर्तन की एक भी झलक के बिना, यह सिस्टम पूरी तरह विदेशी शासकों द्वारा स्थापित है।''

हम न्याय प्रणाली के सिद्धांतों की पहली समीक्षा करने के लिए आयोग की स्थापना करेंगे, जो दो साल के भीतर अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। इस बीच हम तत्काल आवश्यक सुधारों की एक नियमावली का कार्यान्वयन भी शुरू करेंगे। अपनी समीक्षा के दौरान जिन मुख्य प्रश्नों के उत्तर हम तलाशेंगे वो निम्न हैं:

१०.१.१ राज्य स्तर पर निर्वाचित न्यायाधीशों के विकल्प की परीक्षा

हम राज्य उच्च न्यायालयों तक के सभी स्तरों पर निर्वाचित जजों के विकल्प की जांच के लिए न्यायिक प्रणाली की पड़ताल करेंगे। इससे लोग अपने छोटे-मोटे न्यायिक निर्णयों के लिए किसी न्यायाधीश की उपयुक्तता का मूल्यांकन करने में समर्थ होंगे।

१०.१.२ बर्खास्तगी की शक्ति के साथ अनुबंध पर नियुक्तियां

हम न्यायिक प्रणाली की समीक्षा समिति को ऐसे विकल्पों पर विचार करने के लिए कहेंगे जिनके द्वारा ज्यादा से ज्यादा न्यायिक नियुक्तियां अनुबंध पर मुमकिन हो सकें। KPI को पूरा करने में विफल रहने पर रोजगार अनुबंध को समाप्त कर दिया जायेगा। इस सुधार के लिए निश्चित रूप से सावधानी से विचार करने और एक या अधिक संवैधानिक संशोधनों की आवश्यकता होगी।

१०.२ न्याय व्यवस्था में भ्रष्टाचार कम करने के लिए तत्काल कदम

एक न्यायपालिका को बोर्ड के ऊपर और संदेह से परे होना चाहिए। न्यायपालिका को पूरी तरह से ईमानदार, निष्पक्ष, और जवाबदेह माना जाना चाहिए। एक न्यायाधीश जो निष्पक्ष नहीं है, उससे बढ़कर स्वतंत्रता पर आघात करने वाला जघन्य अपराधी कोई नहीं हो सकता। रिश्वत लेने वाले न्यायाधीश न्याय की पूरी अवधारणा को ही पलट देते हैं।

दुर्भाग्य से, जैसा कि जुलाई २०१३ में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पी. सतशिवम द्वारा भी उल्लेख किया गया था, भारतीय न्यायपालिका भ्रष्टाचार से अछूती नहीं है। हम जानते हैं कि प्रभावशाली लोग 'न्याय' प्रणाली में हेरफेर करके जेल से बचने में सक्षम हैं। बेकसूरों को सजा मिलती है और दोषी बच जाते हैं। अमीर और प्रभावशाली लोगों की याचिकायें दिनों (घंटे) के भीतर सुन ली जाती हैं जबकि गरीब और दुर्बलों से संबंधित मामले सालों लटकते रहते हैं और अक्सर पूरा जीवन बीत जाने पर भी ख़त्म नहीं होते। रिश्वत और झूठी गवाही ने न्याय को नष्ट करके इसे न्याय प्रणाली की जगह 'मैच फिक्सिंग' प्रणाली बना दिया है।

हालांकि हम न्यायाधीशों को रिश्वत देने वालों और उस रिश्वत को स्वीकार करने वाले न्यायाधीशों - दोनों ही के लिए मौत की सजा को लागू करना चाहेंगे, फिर भी उससे पहले हम उन प्रणालीगत कारणों को समाप्त करेंगे जो इस तरह के प्रोत्साहनों को बल देते हैं। हमारा मानना है कि इस गिरावट के दो प्रमुख कारण हैं: (क) प्रोत्साहन: निजी वकीलों

की तुलना में न्यायाधीशों का अपेक्षाकृत कम वेतन; और (ख) अवसर: भारत में निर्णय देने का काम निर्णायक मंडल नहीं न्यायाधीश करते हैं; जिससे उनके हाथ में ज्यादा अधिकार आ जाते हैं।

भ्रष्टाचार के अवसर पैदा करने वाले इन मूल कारणों को तत्काल संबोधित किये जाने की जरूरत है। इस संबंध में मुख्य सुधार नीचे दिए गए हैं तथा अन्य सुधारों की विस्तृत जानकारी आगे दी गई है।

१०.२.१ जजों के पारिश्रमिक के लिए स्वतंत्र समिति

न्यायाधीशों को सरकार में काम करने के लिए निजी प्रैक्टिस की तुलना में कम तनख्वाह मिलती है जो भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलने का एक बड़ा कारण है। हम सत्ता में आने के पहले साल के भीतर ही न्यायाधीशों के पारिश्रमिक के लिए एक स्वतंत्र आयोग स्थापित करेंगे जो कि न्यायपालिका के लिए एक बाजार तुलनीय मुआवज़े ढांचे पर सरकार को सलाह देगा।

पारिश्रमिक की रूपरेखा में गुणवत्ता, सटीकता और तुरंत निर्णय के लिए प्रोत्साहन और KPI वितरित करने में विफलता के लिए दंड शामिल होने चाहियें। अगर किसी जज का प्रदर्शन ख़राब होता है तो नौकरी से बर्खास्त करने के अलावा उसपर जुर्माना लगाने के विकल्पों का भी पता लगाया जाएगा। ईमानदारी और कुशलता से काम करने में विफल न्यायाधीशों का केवल वेतन बढ़ा देने से वांछित परिणाम प्राप्त नहीं किये जा सकते। जब तक ऐसे जजों को बर्खास्त करने का कानून व्यवस्था में नहीं आता ये जज सक्षमता से काम करने वाले नहीं हैं|

हम आयोग की प्रारंभिक सिफारिशों को बजटीय क्षमता की हद तक स्वीकार करेंगे क्यूंकि हम सरकार के अन्य सभी मुख्य कार्यों के वित्त पोषण में लगातार वृद्धि करने के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। भारत के लोग न्याय जैसे जीवन-मरण के मामलों में मूर्खता बर्दाश्त नहीं कर सकते।

१०.२.२ सभी आपराधिक मामलों के लिए जूरी व्यवस्था

एक जूरी प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें लोग फैसला करते हैं और यह पूरी तरह साक्ष्यों पर आधारित होती है। न्यायाधीश प्रक्रिया की अध्यक्षता करता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सबूतों पर निष्पक्ष रूप से विचार किया गया है या नहीं।

उचित न्याय तभी संभव है जब नागरिक अपने आवंटित समय में साक्ष्य की समीक्षा करके एक मान्य निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। जूरी में तथ्यों का आकलन करने वाले अनेक सदस्यों के होने के कारण यह निर्णय एक अकेले जज द्वारा दिए गए निर्णय की अपेक्षा अधिक स्वतंत्र होता है। एक संभावित पक्षपाती जूरी का जोखिम एक भ्रष्ट जज के जोखिम की तुलना में कहीं कम है। इस तरह के जोखिम को जूरी का चयन करने के लिए एक अच्छी प्रक्रिया के माध्यम से आसानी से कम किया जा सकता है। इसके अलावा जूरी परीक्षण में सुनवाई की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। इस तरह की व्यवस्था में बिना किसी स्थगन के सबूत प्रस्तुत होते रहते हैं और सुनवाई चलती रहती है| इससे भी भ्रष्टाचार की गुंजाइश कम होती है।

हम दो साल के लिए नाबालिग आपराधिक परीक्षणों में प्रासंगिक कानून के साथ जूरी प्रणाली की शुरुआत करेंगे और फिर उचित विधायी परिवर्तन के माध्यम से इसका आगे और विस्तार करेंगे। विधायी परिवर्तन की आवश्यकता को देखते हुए इस सुधार के कार्यान्वयन को शुरू करने में एक साल तक का समय लग सकता है।

हम महत्वपूर्ण नागरिक मामलों (जैसे परिवाद मामले) के लिए भी एक जूरी प्रणाली लागू करने पर विचार करेंगे, विशेष रूप से बुनियादी स्वतंत्रता के हनन के मामले, जैसे कि भाषण की स्वतंत्रता।

१०.२.३ सरकारों द्वारा जजों को रिश्वत देना दंडनीय होगा

सरकार कई मामलों में वादी हो सकती है जिसमें आपराधिक मामले भी शामिल हो सकते हैं जहाँ सरकार एक प्रतिवादी होती है| कई ऐसे उच्च प्रोफ़ाइल मामले हुए हैं, जहां सरकारों ने अत्यधिक रियायती भूमि और अन्य प्रकार की रिश्वतें जजों को दी हैं। हमारा मानना है कि एक न्यायाधीश को अच्छी तरह से भुगतान किया जाना चाहिए, लेकिन केवल अपने सरकारी वेतन और हकों तक - इससे अधिक नहीं। हम ऐसा कानून बनाएंगे कि अगर कोई भी सरकार किसी न्यायाधीश के अनुबंधात्मक देय वेतन और हकों के

अलावा उसे आर्थिक लाभ प्रदान करती है, तो इसे एक अपराध की श्रेणी में रखा जायेगा और प्रासंगिक सरकार के मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के लिए मौत की सजा का प्रावधान होगा।

१०.३ एक ईमानदार और कुशल न्याय व्यवस्था के लिए जरूरी सुधार

स्वर्ण भारत पार्टी न्यायिक व्यवस्था में निम्न सुधार लागू करेगी:

१०.३.१ झूठी गवाही के लिए सजा का प्रावधान अनिवार्य होगा

झूठी गवाही के प्रति बहुत से न्यायाधीशों का लचीला रवैया न्याय की अखंडता को नष्ट कर देता है। लोग दण्ड से मुक्ति पाने के लिए झूठे हलफनामे प्रस्तुत करते हैं क्योंकि न्यायाधीशों को इसकी कोई परवाह नहीं है। झूठे बयान और सबूत अक्सर न्यायाधीशों की नाक के नीचे दर्ज किये जाते हैं। पेशेवर 'गवाह' या आपराधिक परीक्षण एक ही न्यायाधीश के सामने कई मामलों में दिखाई देते हैं। नतीजतन, ईमानदार लोग अदालत जाने से डरते हैं।

मामलों की वर्तमान स्थिति पर भारत भर में निराशा की गहरी भावना है।

हम झूठी गवाही के सभी मामलों के लिए न्यूनतम दो साल की जेल की सजा के साथ कठोर दंड लगाए जाने को गैर विवेकाधीन बनाने के लिए कानून लागू करेंगे। अगर कोई न्यायाधीश झूठी गवाही के लिए अनिवार्य दंड लागू नहीं करता है तो हम उसके लिए दो वर्ष की न्यूनतम सजा के साथ अपराध का प्रावधान लागू करेंगे|

१०.३.२ जजों की नियुक्ति और स्थानान्तरण में पारदर्शिता

उच्चतर न्यायपालिका की नियुक्तियों की मौजूदा प्रणाली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीशों के एक कॉलेजियम के माध्यम से गंभीर कमियों से ग्रस्त है।

१०.३.२.१ संसद द्वारा सभी सुप्रीम कोर्ट जजों की नियुक्ति

हम सुप्रीम कोर्ट जजों की नियुक्ति संसद से हो सके इसके लिए एक संवैधानिक संशोधन प्रस्तुत करेंगे| इतने वरिष्ठ पदों पर जजों की नियुक्ति की उपयुक्तता का निर्धारण करने

का अधिकार भारत के लोगों को मिलना चाहिए| न्याय व्यवस्था को हर समय भारतवासियों के प्रति अपनी जवाबदेही समझनी चाहिए|

१०.३.२.२ अंतरिम सुधार

संवैधानिक संशोधन में जो अंतरिम सुधार लंबित हैं उनके लिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के साथ न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रणाली में सुधार करने के अवसरों की पहचान करने के विकल्पों पर चर्चा करेंगे। यदि आवश्यक हुआ तो हम तत्काल सुधारों के माध्यम से जैसे न्यायिक नियुक्ति आयोग विधेयक और न्यायिक मानक और जवाबदेही से इन सुधारों को लागू करेंगे| सभी न्यायिक नियुक्तियों के लिए एक उम्मीदवार की ईमानदार प्रतिबद्धता होनी चाहिए जिसमें अभिव्यक्ति की आज़ादी भी शामिल हो।

१०.३.२.३ आंतरिक समीक्षा: समय पर न्याय के लिए जवाबदेही

हम सुप्रीम कोर्ट के साथ न्यायाधीशों के खिलाफ शिकायतों और उनके द्वारा की जा रही किसी भी अनावश्यक देरी से निपटने के लिए एक आंतरिक समीक्षा प्रणाली लागू करने के विकल्पों पर चर्चा करेंगे।

१०.३.२.४ वकील के रूप में पर्याप्त अनुभव के बिना कोई भी जज नहीं बनेगा

वर्तमान समय में जिला अदालतों में जज बनने के लिए न्यूनतम अभ्यास की कोई निर्धारित सीमा नहीं है। लोग अपनी कानून की डिग्री लेने के बाद सीधे जज बनने के लिए परीक्षा दे सकते हैं। हम एक जज बनने की परीक्षा देने से पहले वकालत के पर्याप्त अभ्यास की आवश्यकता को एक ज़रूरी शर्त के रूप में लागू करने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट से सलाह करेंगे।

१०.३.२.५ न्याय की गुणवत्ता और दक्षता में सुधार के लिए प्रशिक्षण

एक ओर जहाँ न्यायिक नियुक्ति प्रणाली में प्रस्तावित प्रभावशाली सुधारों से न्यायाधीशों की गुणवत्ता में काफी सुधार आएगा, वहीं अंतरिम उपाय के रूप में हम कानून में परिवर्तनों और अदालत की सबसे अच्छी अभ्यास प्रक्रियाओं पर ध्यान देते हुए न्यायाधीशों की प्रशिक्षण प्रणाली को अपग्रेड करेंगे, जैसे:

- सबूत इकट्ठे होने के बाद सुनवाई प्रक्रिया तुरंत होनी चाहिए, क्योंकि इसमें लम्बे अंतराल के बाद होने वाली सुनवाई की अपेक्षा कम समय लगेगा (77 वें विधि आयोग की सिफारिश के अनुसार);
- सुनवाई अदालतों के निर्णय संक्षिप्त होने चाहियें और न कि सीखने का एक शो, और साथ ही उन्हें सबूतों के मूल्यांकन, प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों और सीधे असर वाले अधिकारियों द्वारा असुविधाजनक दलीलों और महत्वपूर्ण तर्कों से निपटना भी आना चाहिए;
- आदेश 17 नियम 1, सीपीसी (जो तीन बार से अधिक के स्थगन की अनुमति नहीं देती) का पालन किया जाना चाहिए और टालमटोल रणनीति जैसे बार-बार स्थगन, दस्तावेज दाखिल करने में देरी, सेवा में देरी या सेवा से बचने को मजबूती से रोका जाना चाहिए;
- निर्णय 30 दिनों के भीतर (आदेश 20 नियम 1, सीपीसी) और फरमान 15 दिनों के भीतर स्पष्ट किया जाना चाहिए,
- और अनावश्यक विवरणों जैसे अति-साबित आरोपों या गवाहों की अनावश्यक प्रपंची परीक्षाओं और पार परीक्षाओं पर एक समय सीमा लागू की जानी चाहिए।

१०.३.३ सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधिकार को सीमित करना

हम गैर-संवैधानिक मामलों को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आने से कम करने के लिए कानून बनाएंगे। अगर कोई कानून असंवैधानिक महसूस होता है तो उसको चुनौती दी जा सकती है जिसके चलते उसको उच्च न्यायालय से परे लागू नहीं किया जा सकेगा। इस कानून के तहत सिर्फ एक मामले में छूट मिलेगी जहाँ उच्च न्यायालयों द्वारा मौत की सजा सुनाई गई हो।

१०.३.४ फ्रीडम मिनिस्टर को न्याय की गति और गुणवत्ता के आधार पर भुगतान किया जाएगा

न्याय मंत्री को भी अन्य मंत्रियों की तरह आंशिक रूप से परिणामों के आधार पर भुगतान किया जाएगा। मंत्री के लिए KPI मामलों में बैकलॉग को हल करने के लक्ष्य के अलावा उसकी न्याय देने की गति और गुणवत्ता को भी संकेतक माना जायेगा।

१०.३.५ स्वतंत्र अभियोजन एजेंसी

हम एक स्वतंत्र अभियोजन एजेंसी की स्थापना करेंगे| इस एजेंसी का दायित्व ये सुनिश्चित करना होगा कि आरोप पत्र दाखिल करने से पहले पुलिस और जांच एजेंसियों ने दोष को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त सबूत जुटाने और सभी संभावनाओं पर विचार करने का कार्य कर लिया है या नहीं। यह सिविल मामलों में सरकार की ओर से दायर मामलों पर भी लागू होगा और अनावश्यक सरकारी मुकदमेबाजी को कम से कम करने में मदद करेगा। इसकी प्रक्रियाओं और प्राप्त शिकायतों की आंतरिक समीक्षा और इसके प्रदर्शन का ऑडिट मौजूदा अन्य शासन प्रक्रियाओं का भी समर्थन करेगा जिससे इस संगठन की अखंडता और सक्षमता सुनिश्चित होगी।

१०.४ सबको तय समय सीमा में प्रभावी और उचित न्याय प्राप्त हो

१०.४.१ आपराधिक मामलों में लगातार सुनवाई

जूरी व्यवस्था लागू होते ही लगातार सुनवाई की प्रक्रिया खुद ही लागू हो जाएगी| फिर भी हम लगातार सुनवाई को सभी आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए जरूरी कर देंगे|

१०.४.२ अंडर ट्रायल कैदियों के मामलों का तेजी से निपटान

ये कितने शर्म की बात है कि हजारों ऐसे नागरिक दस साल से भी अधिक समय से जेलों में सड़ रहे हैं जिनका अपराध आज तक सिद्ध नहीं हुआ है। हम अंडर ट्रायल कैदियों के सभी मामलों की समीक्षा करेंगे। व्यक्ति के खिलाफ कथित अपराधों के अलावा, उन्हें या तो जमानत पर रिहा किया जाएगा या अगर उनका जेल में बिताया समय उनकी अधिकतम वैधानिक सज़ा की अवधि के आधे से अधिक है, तो उन्हें रिहा कर दिया जायेगा।

१०.४.३ जजों की संख्या में बड़ी वृद्धि

वर्तमान में भारत में हर दस लाख लोगों के लिए 13.5 न्यायाधीशों का अनुपात है। जबकि विकसित देशों में हर एक लाख लोगों के लिए 130-135 न्यायाधीश होते हैं। एक जज को एक केस का फैसला करने से पहले सबूत और कानून की गहराई में जाने की जरूरत होती है। गुणवत्ता वाले न्याय में समय लगता है। जजों की संख्या नाटकीय रूप से

बढ़ाये बिना हम भारत के लोगों को समय पर उचित न्याय नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट ने एक अधीनस्थ याचिका में प्रति दस लाख लोगों पर न्यायाधीशों की संख्या को 50 तक बढ़ाने का निर्देश दिया है। हम मानते हैं कि यह एक अहम प्रशासनिक सुधार है। हम तीन साल के भीतर न्यायाधीशों की ताकत प्रति दस लाख पर कम से कम 50 तक बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस के लिए फंड का इंतज़ाम न्याय प्रणाली की लागत में कमी लाकर किया जाएगा जो उचित फीस और कर प्रणाली को युक्तिसंगत बनाने से ही संभव है|

१०.४.३.१ न्याय पर होने वाले खर्च को तीन साल में तिगुना करना

कोरिया अपने GDP का ०.२% से भी अधिक, सिंगापुर १.२ % और अमरीका १.४ % न्याय पर खर्च करते हैं। जबकि भारत ने सन २००० में न्याय पर GDP का केवल ०.०१ % खर्च किया। इस से अधिक बेतुकी बात और क्या हो सकती है कि सरकार के एक मुख्य कार्य के लिए यहाँ की सरकारों द्वारा इतना कम पैसा दिया गया है? अनावश्यक कार्यों पर खर्चों में कटौती करके हम अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में, जिनमें न्याय भी शामिल है, उस बचत को प्रयोग करेंगे। न्याय प्रणाली पर खर्च में क्वांटम वृद्धि पर विचार किया जाएगा और तीन साल के भीतर मौजूदा खर्च को कम से कम तीन गुना और भविष्य में इससे भी अधिक किया जायेगा।

१०.४.४ फ़ास्ट-ट्रैक विकल्प

१०.४.४.१ सांसदों के खिलाफ भ्रष्टाचार/आपराधिक आरोपों से निपटने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें

इस नीति का पहले भी वर्णन किया गया है| इसके तहत यह सुनिश्चित करना कि केवल अच्छे लोग निर्वाचित प्रतिनिधि बनने में सक्षम हों हमारी प्रतिबद्धता का अहम हिस्सा है।

१०.४.४.२ नागरिकों के खिलाफ अपराधों के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें

हम नागरिकों के खिलाफ किये गए अपराधों के लिए एक फास्ट ट्रैक प्रणाली का निर्माण करेंगे| इन अदालतों में फैसले के लिए अधिकतम समय सीमा रिपोर्ट दर्ज कराने की तारीख से 12 महीने तक की होगी तथा जांच के लिए अधिकतम सीमा छह महीने की

होगी। इस समय-सीमा में छूट देने के लिए एक न्यायिक आयोग द्वारा जांच की जाएगी और केवल असाधारण मामलों में ही इसे बढ़ाया जायेगा। अनावश्यक देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को दंडित किया जाएगा। आतंकवादियों और जो देश के लिए एक गंभीर खतरा हैं, ऐसे केसों को विशेष अदालतों के माध्यम से और अधिक तेजी से निपटाया जायेगा।

१०.४.४.३ अन्य मामले जिनमें फ़ास्ट-ट्रैक कोर्ट की जरूरत है

हम सुप्रीम कोर्ट से अपने सामान्य प्राथमिकता तंत्र को मजबूत करने के लिए अनुरोध करेंगे। तत्काल प्राथमिकता की आवश्यकता वाले मामलों को तेजी से निपटाया जाना चाहिए। इसमें मौत की सजा से जुड़े मामलों; बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं; जहां अन्य कार्यवाही या रिमांड के आदेश के खिलाफ स्टे आर्डर पास किया गया है,; वरिष्ठ नागरिकों (न्याय के लिए जिनके पास समय निश्चित तौर पर कम है) से जुड़े मामलों; बच्चों की कस्टडी को प्रभावित करने वाले मामलों; और मोटर वाहन दुर्घटनाओं को शामिल किया जा सकता है।

१०.४.५ न्याय देने में आने वाली देरियों को कम करने के लिए कदम उठाये जायेंगे

हम न्याय प्रणाली में आने वाली देरी और लागत को कम करने के लिए कई सुधार लायेंगे| जरूरी सुधार निम्नलिखित हैं:

१०.४.५.१ मुकदमेबाजी से पूर्व के उपाय

सिविल प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) की धारा 89 में (एडीआर) वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र का प्रावधान है। मुद्दे तैयार होने के बाद मामले उपयुक्त एडीआर के पास भेजे जा सकते हैं। इस प्रक्रिया के सरलीकरण से समय और न्याय की अन्य लागतों को कम किया जा सकता है।

हम मुकदमेबाजी शुरू करने से पहले दोनों पार्टियों को आपसी विचार-विमर्श के लिए प्रेरित करके इस प्रक्रिया को बढ़ावा देंगे| ऐसा खासकर तब किया जायेगा जब समझौते के लिए गुंजाइश हो। सामान्य रूप में, दो या दो से अधिक सरकारी एजेंसियों / विभागों के बीच सभी मामलों को अदालत के बाहर या अंतर-सरकारी तंत्र के माध्यम से निपटा लिया जाना चाहिए।

हम छोटे मुद्दों के लिए एक नियामक व्यवस्था का निर्माण करेंगे, जो कि किसी भी निजी ऑनलाइन विवाद समाधान की पहल का समर्थन करती है। एक प्रतिस्पर्धी बाजार में, इस तरह के सिस्टम सरकारी प्रणालियों की तुलना में सस्ते और तेज़ साबित होंगे।

१०.४.५.२ याचिका पर सौदेबाज़ी

दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) का अध्याय 21 'ए' सात साल तक की कैद की सजा सुनाये गए छोटे-मोटे अपराधों के लिए फैसले के पूर्वक्रय का विकल्प प्रदान करता है| ऐसा परस्पर संतोष पर आधारित प्रबंध के तहत किया जा सकता है जहां अदालत आरोपी को पीड़ित व्यक्ति को एक मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश दे सकती है, या आरोपी को प्रोबेशन पर रिहा कर सकती है या अपराध के लिए निर्धारित न्यूनतम सजा को आधा कर सकती है।

दुर्भाग्य से, स्थानीय अदालतों में दलील-सौदेबाजी शायद ही कभी प्रयोग की जाती है। हम याचिका सौदेबाजी के उपयोग की समीक्षा करेंगे और औरतों या चौदह साल से कम उम्र के बच्चों के खिलाफ अपराधों को छोड़कर बाकी सभी अपराधियों के लिए इसे कारगर बनायेंगे। इससे इसके उपयोग में काफी वृद्धि होगी।

१०.४.५.३ बेमतलब की मुक़दमेबाज़ी और निवेदनों के लिए सख्त सजा

न्याय प्रणाली में देरी के लिए सरकार का भी बहुत बड़ा हाथ है। उन मामलों में, जहां सरकार एक पार्टी है, वहां यह बहुत आम है कि कानून के स्पष्ट रूप से दूसरी पार्टी के पक्ष में होने पर भी वह नोटिसों से बचने की कोशिश करती है, बिना सोचे-समझे उनका जवाब देती है और अनावश्यक रूप से अपीलें करती है। पैसे वाली पार्टियां भी ऐसे शातिर और तुच्छ मामलों और अपीलों से, जिनमें से प्रत्येक वे अंततः हार जाते हैं, ढेर सा न्यायिक समय बर्बाद करती हैं।

विधि आयोग (2005) की 192 वीं रिपोर्ट ने अफ़सोसनाक वादी की अवधारणा को रेखांकित किया और एक मसौदा विधेयक, ''अफ़सोसनाक याचिका निवारण विधेयक'' का प्रस्ताव रखा। हम तुच्छ मुकदमेबाजी में उलझाने वाले दलों पर यह सारा खर्च लागू करने के लिए मजबूत कानून बनायेंगे। विशेष रूप से, हम अफ़सोसनाक मुकदमेबाजी के लिए

जिम्मेदार पाए जाने वाले सबसे वरिष्ठ सरकारी पदाधिकारियों को दंडित करने के लिए कानून बनाएंगे।

इस तरह के दंड उन पुलिस अधिकारियों के लिए भी लागू होंगे, जिनके पार्किंग या अन्य टिकट कोर्ट ने खारिज कर दिए हैं|

१०.४.५.४ कभी खत्म न होने वाली अपीलों की रोकथाम

न्यायिक कार्रवाई सुस्त होने के कारण, भारत में अक्सर केस असली मुद्दे पर निर्णय लिए बिना ही निपटा दिए जाते हैं। इसका परिणाम होता है- अंतहीन अपीलें। वकीलों को भी अदालत में हर पेशी के आधार पर भुगतान किया जाता है, जिससे वे मामलों को हल करने के बजाय लटकाते रहते हैं। प्रक्रिया संबंधी कानून ग्राहकों के वकीलों को, जो एक मामले के समाधान का विरोध करते हैं, अंतहीन बातचीत की अपील दाखिल करने की अनुमति देते हैं। हम सिविल और आपराधिक प्रक्रियाओं की समीक्षा करके उनको कारगर बनाएंगे ताकि न्याय प्रक्रिया को इस अन्धे कुएं से निकाला जा सके। हम कानूनी फीस को विनियमित करेंगे ताकि प्रत्येक मामले के लिए घोषित लागत पर ढक्कन लगाया जा सके और वकीलों को कार्यवाही को लंबा खींचने के लिए कोई कारण न बचे।

१०.५ न्यायिक व्यवस्था के संरचनात्मक सुधार

१०.५.१ सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच को और सुलभ बनाना

सालों से लंबित तथा नए केसों की भारी संख्या को देखते हुए और साथ ही दूर के राज्यों से दिल्ली आने वाले वादियों के भारी खर्चों और समय की बर्बादी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट का विकेंद्रीकरण एक अच्छा आईडिया है। 2009 के कानून आयोग ने सिफारिश की है कि उच्च अदालत के फैसले से उत्पन्न सभी अपीलीय काम निपटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को नई दिल्ली में एक संविधान पीठ और चार क्षेत्रों में अपील बेंच में विभाजित कर दिया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे किसी भी कट्टरपंथी पुनर्गठन के बारे में असमर्थन व्यक्त किया है, लेकिन हमें लगता है कि शुरूआती तौर बेंगलुरु में सुप्रीम कोर्ट की एक अतिरिक्त शाखा बनाई जानी चाहिए। अपील न्यायपीठों को नियंत्रित करने की क्षमता के बारे में सुप्रीम कोर्ट की किसी भी चिंताओं को क्लोज सर्किट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग

के माध्यम से संबोधित किया जा सकता है और नियमित रूप से मुख्य न्यायाधीश के साथ निजी बैठकें आयोजित की जा सकती हैं।

१०.५.२ व्यावसायिक मामलों के लिए अदालतें

बड़े व्यवसायों से जुड़े और संविदात्मक मामलों से निपटने में आने वाली लागत और असीमित समय सीमा की गंभीर प्रकृति को देखते हुए (जैसे बौद्धिक संपदा अधिकार, विलय और अधिग्रहण), हम इस तरह की मुकदमेबाजी के फ़ौरन निपटान के लिए, विशेष वाणिज्यिक अदालतों की स्थापना करेंगे| इन अदालतों की फीस काफी अधिक रखी जाएगी। हम तकनीकी रूप से जटिल मामलों के लिए अनुभवी और योग्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी अनुबंध के आधार पर करेंगे। इस तरह के संविदात्मक न्यायाधीशों को दुनिया में कहीं से भी काम पर रखा जा सकता है।

यह कार्य हमारी न्यायिक प्रणाली को सशक्त बनाने के साथ तेजी से मध्यस्थता और लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग के लिए एक वैश्विक हब की भूमिका बनाने के लिए होगा।

१०.५.३ मोबाइल कोर्ट, लोक अदालत और पारिवारिक न्यायालय

अपेक्षाकृत छोटे मोटे सिविल मामलों के लिए, हम मोबाइल अदालतों की स्थापना करेंगे और लोगों को निजी मध्यस्थों की सेवाओं का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। हम लोक अदालतों की संख्या में वृद्धि करके प्रति ५० गांवों पर एक अदालत की न्यूनतम जरूरत तक ले जायेंगे और पारिवारिक न्यायालयों की संख्या में भी वृद्धि करेंगे।

१०.५.४ मामूली सिविल और फौजदारी मामलों के लिए पंचायतें

आज छोटे-मोटे मामले भी न्याय के लिए न्यायाधीशों के समक्ष ले जाए जाते हैं। हम कुछ मामूली सिविल और फौजदारी के मुद्दों और मामूली भूमि विवाद के लिए पंचायतों के उपयोग की शुरुआत करेंगे। यदि यह प्रयोग सफल हो जाता है, तो इसे आगे जारी रखा जायेगा| और यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पंचायतें स्वतंत्रता और न्याय के नियमों का पूरी तरह पालन करें।

१०.५.५ विशेष सिविल मामलों के लिए निजी अदालतें

हम निजी मध्यस्थता(ऑनलाइन सहित) और अदालतों को लागू करने के लिए कानून बनाएंगे। नागरिक शुरुआत से ही गृह-निर्माण जैसे कार्यों के लिए ठेके के ही एक हिस्से के रूप में इस तरह की निजी अदालतों के उपयोग का चयन करने में समर्थ होंगे। एक विवाद को सक्रिय करने पर, हारने वाली पार्टी को उचित कानूनी लागत सहित दंड का भुगतान करना आवश्यक होगा। इससे न्याय के लिए प्रतियोगिता (सरकार अदालतों को जूते की नोक पर रखते हुए) पैदा होगी और अभिनव, त्वरित न्याय को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही सरकारी अदालतों में केसों की संख्या कम हो जाने से, न्याय प्रणाली पर बोझ कम हो जायेगा और करदाताओं के पैसे की काफी मात्रा में बचत होगी।

१०.६ न्याय प्रणाली को और मानवीय बनाना

१०.६.१ उच्च गुणवत्ता वाली मुफ्त कानूनी सहायता

गरीब (जो एनआईटी टाइप के भुगतान के लिए पात्र हैं) भी मुफ़्त उच्च गुणवत्ता वाली कानूनी सहायता के पात्र होंगे| इस काम में आने वाली लागत को आंशिक रूप से हारने वाली पार्टियों पर लगाए गए जुर्माने के माध्यम से पूरा किया जाएगा। कानूनी सहायता प्रणाली द्वारा पार्टी को दोषी पाए जाने पर कोई सहायता प्रदान नहीं की जाएगी।

१०.६.२ जमानत हासिल करने में आसानी

हम सब आरोपों के लिए (व्यक्ति के खिलाफ अपराधों को छोड़कर), जमानत के विकल्प को अनिवार्य और आसान बना देंगे| इससे संभवतः निर्दोष लोगों के अनावश्यक उत्पीड़न को कम किया जा सकेगा।

१०.६.३ कैदियों के पुनर्वास और उनके पुनर्पराधीकरण में कमी के लिए जेलों में सुधार

जेल को एक कैदी द्वारा अपने अपराध का पश्चाताप करने और अपने को सुधारने का स्थान होना चाहिए, ताकि रिहाई के बाद वे समाज के साथ फिर से एकीकृत हो सकें। हम निजी जेलों (उचित विनियामक निरीक्षण के साथ) की शुरुआत करेंगे, जिसके कारण उनके बार-बार अपराधों को दोहराने की प्रवृत्ति में कमी आएगी।

कहीं आने-जाने की स्वतंत्रता न होने के कारण कैद अपने आप में ही एक बड़ी सजा है। कैदियों के साथ आगे और अधिक क्रूर और अपमानजनक व्यवहार किये जाने की कोई

जरूरत नहीं है। हम कैदियों के परिवारों, 'विशेष रूप से उनके बच्चों', की देखभाल के लिए भी कदम उठाएंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके माता-पिता के कारावास में होने के कारण उनकी परवरिश और आत्मविश्वास पर पड़ने वाले बुरे प्रभावों को कम से कम किया जा सके।

१०.६.४ अपराध की रिपोर्टिंग में आने वाली लागत की समीक्षा और उसमें कटौती

बलात्कार जैसे कुछ हिंसक अपराधों की रिपोर्टिंग के प्रभाव मन, कैरियर, शादी की संभावनाओं और शिकायतकर्ता की सामाजिक स्थिति पर अक्सर बहुत भारी पड़ते हैं। इसके कारण पीड़ित को और भी पीड़ा का सामना करना पड़ता है। ये रिपोर्टिंग और सामाजिक बाधायें पीड़ित को अपराध की रिपोर्ट न लिखवाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं, जिससे अपराधियों के हौसले और बुलंद हो जाते हैं।

हम हिंसक अपराधों की रिपोर्टिंग की इस निजी परेशानी की समीक्षा करेंगे और ऐसे कानूनों और समर्थन की एक श्रृंखला को लागू करेंगे, जो रिपोर्ट लिखवाना आसान बनाकर उससे जुड़े तनाव और लागत (जिसमें सामाजिक लागत भी शामिल है, जैसे कि उपयुक्त गोपनीयता बरतते हुए) को कम करने में सहायक होंगे।

१०.६.४.१ गंभीर अपराधों के शिकार पीड़ितों की देखरेख

हम पीड़ितों (और शिकार परिवारों) के पुनर्वास और समर्थन के लिए सिस्टम को मजबूत बनायेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि वे जल्द से जल्द समाज में वापस घुल-मिल जाएँ। ऐसा बड़े पैमाने पर नागरिक समाज संस्थाओं के निर्माण के माध्यम से संभव हो पायेगा|

१०.७ कानूनों का आधुनिकीकरण

हम कानून, विशेष रूप से दंड कानूनों का आधुनिकीकरण करेंगे। मुख्य आधुनिकीकरण मुद्दों में से कुछ नीचे दिए गए हैं। कुछ अन्य, जैसे भाषण की स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार से संबंधित मुद्दों का इसी दस्तावेज़ में अन्यत्र कहीं उल्लेख किया गया है।

१०.७.१ नुकसान का उत्तरदायित्व सरकार का होना चाहिए

हम एक कर्तव्य-तालिका लागू करेंगे, जिसका अपने ग्राहकों के साथ उनकी बातचीत में पालन करना, सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए ज़रूरी होगा। यदि सरकारी कर्मचारियों के

कमीशन या चूक के कृत्यों के माध्यम से जनता या नागरिकों को कोई भी नुकसान पहुंचता है तो उसके हर्जाने के लिए सरकार पर मुकदमा चलाना आसान हो जायेगा।

१०.७.२ अदालत की अवमानना की समीक्षा का प्रावधान

न्यायाधीशों को मर्यादा को लागू करने और न्यायिक प्रक्रिया के हिस्से के रूप में अनुशासन की मांग के लिए शक्तियों की जरूरत है। हालांकि, किसी भी जानबूझकर किये गए दुरुपयोग को सीमित करने के लिए, इन प्रावधानों के अभ्यास पर संवैधानिक रूप से लगातार प्रतिबंध लगाये जाने की भी उतनी ही आवश्यकता है। इसलिए अदालत की अवमानना के प्रावधानों की समीक्षा की जाएगी और इस बात को सुनिश्चित करने के लिए उचित नियम बनाये जायेंगे कि इन शक्तियों को केवल अत्यंत सीमित मामलों में ही प्रदान किया जाए।

१०.७.३ जघन्य अपराधों के लिए मौत की सज़ा

जघन्य अपराधों (बाल उत्पीड़न, बलात्कार और भ्रष्टाचार के गंभीर मामलों सहित) के लिए न्यायाधीशों को एक बार उचित संदेह से परे सबूत पेश किये जाने के बाद मौत की सज़ा के लिए किसी भी अपवाद का औचित्य विशेष रूप से साबित करने की आवश्यकता होगी। ऐसे मामलों में मौत की सज़ा से लोगों में डर पैदा होगा और ऐसे अपराधों में कमी आयेगी।

१०.७.४ एक समान नागरिक संहिता नहीं, सबके लिए न्यूनतम मानक

संविधान के अनुच्छेद ४४ में एक निर्देश सिद्धांत है कि सरकार भारत के हर क्षेत्र के नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगी।

[हम मानते हैं कि एक संविधान में नीति जनादेश शामिल नहीं होने चाहिए। नीति को निर्वाचित सरकारों का विशेषाधिकार बने रहना चाहिए। हम सम्मानपूर्वक इस नीति के प्रति अपनी असहमति प्रकट करते हैं और देश के लिए एक और अधिक परिष्कृत दृष्टिकोण की शुरुआत करेंगे, जो अधिक आज़ादी संगत होगा।]

अनुच्छेद ४४ की मूल सामग्री के संबंध में, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ज्यादातर धर्मों में शादी और तलाक के बारे में एक निर्दिष्ट स्तर पर जानकारी दी गई है। मानव

अस्तित्व की सबसे अंतरंग इकाई से जुड़ा निजी मामला है: परिवार। परिवारों के धार्मिक दायित्व एक सरकार के अधिकार क्षेत्र के दायरे से बाहर हैं। यहाँ तक कि शादी के मामले में गैर धार्मिक व्यक्तिगत व्यवस्था में भी सरकार की कोई भूमिका नहीं है। परिवारों को परिवार के सदस्यों या अन्य लोगों के जीवन या उनकी स्वतंत्रता का उल्लंघन किये बिना खुद की संरचना करने में सक्षम होना चाहिए। शादी का अनुबंध या संस्कार एक व्यक्तिगत पसंद-नापसंद का मामला है, जिस पर कहने के लिए सरकार के पास कुछ नहीं है।

इस संबंध में एक सरकार की भूमिका केवल आदर्श न्यूनतम मानकों की स्थापना तक हो सकती है, जैसे विवाह की न्यूनतम आयु, तलाक होने पर कम से कम गुज़ारे भत्ते और एक वसीयत के अभाव में न्यूनतम विरासत आवश्यकताओं का निर्धारण करना। नागरिकों के लिए सिर्फ इतना आवश्यक है कि वे अपनी व्यक्तिगत धर्मों के जनादेश का पालन करते हुए न्यूनतम कानूनी मानकों का भी पालन करें।

मोटे तौर पर, क्योंकि धर्म के मामले में सरकार की कोई भूमिका नहीं है, हम सभी धार्मिक (जैसे हिन्दू / मुस्लिम) कानूनी पुस्तकों में दिए कानूनों की समीक्षा करेंगे और सभी नागरिकों के लिए लागू जवाबदेही के सामान्य नियमों से इसे बदल देंगे।

१०.७.५ मजबूत जवाबदेही: कैदियों को अपना खर्चा खुद उठाना होगा

हम यह सुनिश्चित करने के लिए कि समाज कैदियों के रखरखाव के लिए अनावश्यक रूप से भुगतान नहीं कर रहा, नए-नए तरीकों और प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करेंगे। मोटे तौर पर, कैदियों को उनके रखरखाव की पूरी लागत खुद चुकानी होगी। अगर उनके पास ज्ञात संसाधन और संपत्ति है, तो जेल से छूटने से पहले उन्हें पूरा भुगतान करना होगा। जिनके पास कोई ज्ञात संसाधन नहीं हैं, ऐसे कैदियों के लिए, पूरी राशि एक ऋण में परिवर्तित कर दी जाएगी और कर प्रणाली के माध्यम से उसे वसूल किया जायेगा। जहाँ भी उपयुक्त होगा, कैदियों ने जिस परिवार या समुदाय को नुकसान पहुंचाया है, उसकी सेवा करना उनके लिए अनिवार्य किया जाएगा।

१०.७.६ सामूहिक-अपराधों और हिंसक यौन-अपराधों के लिए अनिवार्य कारावास

हम सामूहिक अपराधों, बच्चों के प्रति हिंसक या यौन अपराधों, बलात्कार, डकैती, हत्या, और कानून प्रवर्तन अधिकारियों को गंभीर चोट से जुड़े हमलों जैसे सभी मामलों में एक न्यूनतम जेल सजा को अनिवार्य करेंगे। हम बाल-उत्पीडन के सजायाफ्ता दोषियों के लिए एक राष्ट्रीय रजिस्ट्री बनायेंगे, ताकि उनका आसानी से पता लगाया जा सके। खतरनाक या बार-बार अपराध करने वाले खतरनाक अपराधियों के लिए पैरोल अवधि को न्यूनतम किया जाएगा।

१०.७.७ यातना के खिलाफ सख्त कानून

१९९७ में अत्याचार के खिलाफ कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने के बावजूद भारत अभी तक इस बारे में कानून बनाने के लिए अनुबंध को मंजूरी नहीं दे पाया है। हम जल्द से जल्द इस विधेयक को लागू करेंगे।

१०.७.८ पीड़ित हीन अपराध की समीक्षा

विभिन्न अपराध कानूनों के तहत नागरिक तब भी दंड के पत्र होते हैं जब वे सीधे किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे होते हैं। आमतौर पर, इसका सम्बन्ध अवैध दवाओं का व्यापार करने या इन्हें लेने से है। सामान्य तौर पर, हिंसक अपराध के लिए सजा के साथ तुलनीय पीड़ितहीन अपराधों के लिए सजा को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए (यहां तक कि यह मानते हुए कि विश्लेषण ऐसी सजा के मूल्य को दर्शाता है)। हम इन अपराध कानूनों की जरूरत और आवश्यकता के अनुसार इनके सजा के औचित्य के लिए इनकी समीक्षा करेंगे।

१०.७.९ यौन उन्मुखीकरण अपराध नहीं

हमें भारतीय दंड संहिता की धारा ३७७ पर आपत्ति है जिसके तहत समलैंगिकता को अपराध माना जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी यह वर्षों पहले ही प्रमाणित हो चुका है कि समलैंगिकता केवल जैविक या आनुवंशिक कारणों से पैदा हुई एक स्थिति है। इसे अपराध का दर्जा देना एक संकीर्ण और अनजान पूर्वाग्रहों से ग्रस्त आदिम युग में वापस जाने जैसा होगा। हम इसे अपराध की श्रेणी से बाहर निकालेंगे, खासकर इसलिए भी, कि इसमें कोई भी पीड़ित नहीं होता। यह प्रावधान भारत के संविधान द्वारा हर नागरिक को दिए गए बराबरी और आज़ादी के अधिकार का हनन करता है। किसी भी सरकार को कोई

हक़ नहीं कि वह लोगों के शयनकक्षों में झांके या आपसी सहमति से बनने वाले संबंधों में दखलअंदाज़ी करे।

असहमति से किये गए समलैंगिक सम्भोग को सामान्य बलात्कार की ही श्रेणी में रखा जायेगा।

वे लोग जो शादीशुदा जोड़ों की तरह साथ रहना चाहते हैं, उन्हें ऐसा करने का कानूनी अधिकार दिया जाना चाहिए। हालाँकि पारंपरिक विपरीतलिंगी शादियों की तरह इसे 'शादी' की जगह कोई अन्य नाम देना अधिक उचित होगा। ऐसे जोड़ों को बच्चों को गोद लेने और उनका पालन-पोषण करने का अधिकार देना एक गलत कदम होगा। हालांकि स्वर्ण भारत पार्टी साक्ष्य-आधारित दृष्टिकोण में ही विश्वास रखती है और हमारा मानना है कि इस विषय में तथ्यों की पूरी जांच -पड़ताल और ऐसे माहौल में पलने वाले बच्चों के भविष्य के बारे में विस्तृत अध्ययन के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाना चाहिए।

१०.७.१० व्यभिचार अपराध नहीं

भारतीय दंड विधान की धारा ४९७ एक ऐसा प्रावधान है जिसका मसौदा विक्टोरियन युग में तैयार किया गया था| इसके तहत व्यभिचार को एक अपराध माना जाता है और इसके अनुसार केवल पति को अपनी पत्नी के खिलाफ शिकायत का अधिकार है, पत्नी को नहीं। हम व्यभिचार को अपराध की श्रेणी से हटाकर एक नागरिक अपराध की श्रेणी में रखेंगे। व्यभिचार विश्वासघात का एक रूप है और तलाक के लिये आधार अवश्य हो सकता है, लेकिन एक आपराधिक मामला कतई नहीं है। वयस्कों के बीच आपसी सहमति से बने सभी यौन कृत्यों को आईपीसी से हटाया जाएगा।

१०.७.११ बच्चों के संरक्षण, घरेलू हिंसा और दहेज कानूनों में सुधार

भारत में विवाह से संबंधित अधिकांश शिकायतों को प्रकृति में आपराधिक माना जाता है। यह अनुचित है। शारीरिक हिंसा और अपहरण से जुड़े मामलों को छोड़कर अन्य सभी शादी के मुद्दों को सिविल कानून के तहत आना चाहिए।

कई महिलाओं को घर में एक दमनकारी माहौल का सामना करना पड़ता है और घरेलू हिंसा को अवश्य दंडित किया जाना चाहिए, फिर भी इस बात के पर्याप्त सबूत अब जमा हो गए हैं कि आईपीसी की धारा ४९८ ए का अनुच्छेद जो घरेलू हिंसा और दहेज हत्या के

बारे में है, नियंत्रण और संतुलन के अभाव और लिंग भूमिकाओं के बारे में अपनी अंदरूनी पूर्वाग्रही मान्यताओं के कारण, अक्सर दुरुपयोग किया जाता है। लेकिन कानून में अपराध-बोध की कोई धारणा अंतर्निहित नहीं होनी चाहिए। हम से. ४९८ ए के तहत अपराधों को जमानती और संयोजनीय बना देंगे। और उसमें यह प्रावधान करेंगे कि अगर कोई पार्टी झूठा मामला दर्ज करती है, तो उसे तीन महीने की न्यूनतम कैद होगी और उसे केस से सम्बंधित सभी खर्चों को वहन करना अनिवार्य होगा।

चूंकि भारत ने हेग कन्वेंशन के निजी अंतर्राष्ट्रीय कानून पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं, एक विदेशी और भारतीय नागरिक के बीच किसी भी विवाह-संबंधी विवाद को भारतीय कानून के अनुसार निपटाया जाता है। इसके अलावा, जब पति या पत्नी में से कोई एक दूसरे साथी की सहमति के बिना बच्चों को दूर ले जाता है, तो उसके अधिकारों के बारे में भी मौजूदा कानून स्पष्ट नहीं हैं। हम कानूनी तौर पर अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार बच्चे के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन के समर्थन को सुनिश्चित करेंगे।

१०.७.१२ मजबूत पशु संरक्षण कानून

हम पशु संरक्षण के लिए मौजूदा कानूनों की समीक्षा करके उन्हें अधिक मजबूत बनायेंगे। भोजन के रूप में सेवन किये जाने वाले पशुओं को ऐसे तरीके से मारा जाना चाहिये, जिसमें उन्हें कम से कम तकलीफ हो। वर्तमान में बड़े जानवरों को मारने का सबसे अच्छा अंतर्राष्ट्रीय तरीका मारने से पहले उन्हें बेहोश कर देना है। हम सभी बूचड़खानों में मानवीय हत्या को अनिवार्य कर देंगे| इसके अलावा स्थानीय कसाईयों के लिए परिवर्तनशील प्रावधानों की व्यवस्था करेंगे क्यूंकि वर्तमान में वो परंपरागत (अक्सर क्रूर) तकनीकों का उपयोग करते हैं। जानवरों की बार-बार अमानवीय हत्या के लिए जेल की सज़ा भी हो सकती है। ये कानून मंदिरों और अन्य धार्मिक स्थानों के लिए भी लागू होंगे, जिससे आधुनिक तकनीक के द्वारा नहीं की जाने वाली पशु बलि का अंत होगा।

१०.७.१३ पारदर्शिता के समर्थन के लिए कानूनों को सुलभ और स्पष्ट बनाया जायेगा

१०.७.१३.१ लोगों की भाषा का इस्तेमाल

हम आम लोगों की भाषा को अदालतों में आम नागरिक और आपराधिक मामलों में प्रयोग की जाने वाली भाषा के रूप में प्रयोग करने को प्राथमिकता देंगे।

१०.७.१३.२ परिभाषा अधिनियम

सभी कानूनी परिभाषाओं को युक्तिसंगत बनाया जाएगा तथा मौजूदा कानून से अलग करके एक एकल अधिनियम के तहत लाया जायेगा। यह सब कानून में विशिष्ट शब्दों के प्रयोग में निरंतरता सुनिश्चित करेगा। ऐसे सभी शब्दों को कानून के इलेक्ट्रॉनिक संस्करण से लिंक कर दिया जाएगा, ताकि आम नागरिकों को उन्हें जल्दी समझने में आसानी हो।

१०.७.१३.३ जुर्माने, फीस और दंड का सूचीकरण

हम जुर्माने, फीस और दंड को सीपीआइ के लिए सूचीबद्ध करेंगे। ऐसे सभी महसूलों को रुपये के बदलते मूल्य को दर्शाते मौजूदा इकाई मूल्यों के साथ, इकाइयों में परिवर्तित किया जाएगा।

इस प्रक्रिया के एक हिस्से के रूप में, पुरानी दरों पर चल रहे जुर्माने, फीस और दंड को (एक कुशल स्तर पर निर्धारित लागत के साथ) लागत वसूली के सिद्धांतों पर आधारित वर्तमान मूल्यों के अनुसार बढ़ाया जाएगा।

१०.७.१३.४ कानूनों और न्यायशास्त्र का कम्प्यूटरीकरण

पुराने फैसलों तक सीधी पहुँच न्याय की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद कर सकती है। सभी प्रासंगिक कानूनों के कम्प्यूटरीकरण और प्रकाशन के अलावा, सभी प्रासंगिक न्यायशास्त्रों को भी डिजिटल और इंटरनेट पर प्रकाशित किया जायेगा ताकि निर्णयों की गुणवत्ता और गति में सुधार हो सके। इससे ये पूरी तरह खोजा जा सकने वाला बन पायेगा| यह बहस को कम करने और निर्णय में तेजी लाने में सक्षम होगा। अधिक मोटे तौर पर, सक्रिय रूप से न्याय प्रणाली का समर्थन करने के लिए सभी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा।

१०.७.१३.५ संवैधानिक मामलों पर अदालत की कार्यवाही का प्रसारण

राज्य सुरक्षा के मामलों को छोड़कर सुप्रीम कोर्ट को किसी भी संवैधानिक मामले पर अदालत की कार्यवाही का प्रसारण, सामाजिक मीडिया और किसी भी ऐसे निजी टीवी

चैनल पर, जो इसका प्रसारण करना चाहते हों, पर करना आवश्यक हो जाएगा, जिससे भारत के लोग हमारे संविधान की संरचना और ढांचे को बेहतर ढंग से समझ सकें।

१०.७.१४ निरर्थक कानूनों का निरस्तीकरण

भारतीय विधिशास्त्र में अनेकों अप्रासंगिक कानून भरे पड़े हैं। सभी कानूनों, विशेष रूप से १९४७ से पूर्व के कानूनों की प्रासंगिकता के लिए समीक्षा की जाएगी और जहां अनावश्यक पाया गया, तीन साल के भीतर उन्हें निरस्त कर दिया जाएगा।

१०.८ उपभोक्ता संरक्षण

धोखेबाज़ी करना बुरी बात है। 'धोखे की आदत बुरे चरित्र की निशानी है, और धोखा कभी-न-कभी सामने आ ही जाता है, चाहे व्यक्ति कितना भी चालाक क्यों न हो। छल करना बुरी आदत और बुरा कर्म दोनों है। वाणिज्य [इसलिए] शिष्टाचार और ईमानदारी को ऊंचा उठाता है'। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक व्यवसाय के चरित्र के बारे में जानकारी गपशप, समाचार पत्रों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, लीगल केस कानून, या ऐसी जानकारी, जिसके लिए उपभोक्ता भुगतान कर सकते हैं, जैसे उपभोक्ता रिपोर्ट आदि, के माध्यम से समाज में फैलती है। मजबूत व्यापारिक प्रतिस्पर्धा अच्छा व्यवहार को बढ़ावा देता है।

हालांकि, वहाँ ऐसे मामले भी होते हैं, जहां व्यवसायी खरीदारों के लिए नुकसान का कारण बन जाते हैं और या तो इन घाटों की भरपाई से इनकार करते हैं, या उनकी उपेक्षा करते हैं, या खुद गायब हो जाते हैं। इस तरह के मामलों में सरकार द्वारा विशिष्ट कार्रवाई की आवश्यकता होती है। जहां इस तरह के नुकसान अपेक्षाकृत छोटे होते हैं, वहां न्यायिक उपाय हर किसी के लिए महंगा हो सकता है। हम सरकार के नेतृत्व वाली एक उपभोक्ता संरक्षण एजेंसी की स्थापना करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो कारोबार में धोखे के छोटे मामलों और स्पष्ट क्षति के मामलों से निपटने के लिए अनुनय और सार्वजनिक रूप से धोखेबाज़ों को शर्मसार करने की तकनीक का उपयोग करेगी। जहां आवश्यक होगा, हम उपभोक्ताओं की ओर से अदालत में इस तरह के कारोबारों पर मुकदमा भी चलाएंगे।

हम विभिन्न सेवाओं के लिए न्यूनतम संविदात्मक आवश्यकताओं को विनियमित भी करेंगे, ताकि कंपनियां अपनी ऐसी देनदारियों से बचने के लिए 'फ़ाईन प्रिंट' का उपयोग न कर सकें जिनकी जिम्मेदारी उन्हें लेनी ही चाहिए|

११. संपत्ति के मजबूत अधिकार, कानून के तहत समानता और स्वतंत्रता की रक्षा

११.१ अच्छी तरह से परिभाषित और मजबूती से संरक्षित संपत्ति अधिकार

हमारे कार्यों (जिसमें हमारे विचार भी शामिल हैं) और हमारे शुभचिंतकों (माता-पिता सहित) की कार्रवाई के माध्यम से संपत्ति का अर्जन होता है। वह सभी संपत्ति उचित ठहरायी गई संपत्ति है, जो चाहे उपहार में मिली हो (वसीयतों सहित) या खुद अर्जित की गई हो। न्याय की प्रणाली अन्य बातों के अलावा, संपत्ति के स्वामित्व पर भी नज़र रखती है।

राज्य द्वारा संपत्ति के अधिकार की मान्यता के बिना, एक चोर की और वास्तविक हकदार की 'संपत्ति' के बीच भेद नहीं किया जा सकता| जिससे व्यापार की और इस प्रकार पूरी सभ्यता के फलने-फूलने की सभी संभावनायें खत्म हो जाती हैं। मुक्त समाज में राज्य की भूमिका इन अधिकारों को कैसे जिम्मेदार ठहराया जाना है और मान्यता दी जानी है, और इनकी ठीक-ठीक सीमा और गुंजाइश को परिभाषित करने के लिए है।

हम निजी संपत्ति के अधिकार को परिभाषित करेंगे और दृढ़ता से उसकी रक्षा करेंगे। ऐसा करने में मुश्किलों और अन्य नकारात्मक बाहरी समस्याओं से निपटने में बाजार और संपत्ति के अधिकार पर आधारित समाधानों (जैसे कोज प्रमेय के सुझाव के अनुसार पारस्परिक रूप से लाभप्रद सौदे) को लागू किया जाएगा।

पेटेंट को मजबूत किया जायेगा और बौद्धिक संपदा अधिकारों को लागू किया जायेगा। (एक बार सिद्ध हो जाने पर और अगर संभव हुआ तो बड़े पैमाने पर कॉपीराइट उल्लंघन के लिए आरोपित साइटों, जैसे टोरेंट, के लिए भी इसका विस्तार किया जायेगा)। नकली माल को जड़ से समाप्त कर दिया जाएगा। अन्वेषकों को उनके नवीन आविष्कारों को मूर्त रूप देने में सक्षम किये बिना कभी प्रगति नहीं की जा सकती।

संपत्ति के अधिकार को परिभाषित करने और स्पष्ट करने के लिए हम 'लाइसेंस', 'परमिट', 'मंजूरी', 'प्राधिकरण', और 'व्यवस्था' जैसे शब्दों को हटा देंगे (या कम से कम कर देंगे)| ऐसे शब्द भी हटाये जायेंगे जिनसे ऐसा आभास होता है कि सरकार- जो वास्तव में हमारी नौकर है -हमारी संपत्ति की वास्तविक मालिक बनी बैठी है| हमें अपनी संपत्ति का इस्तेमाल करने के लिए, या एक व्यापार या व्यवसाय के काम में लाने के लिए 'परमिट'

दे रही है - जबकि एक स्वतंत्र नागरिक के रूप में यह हमारा मौलिक अधिकार है। (यह सरकार के स्वामित्व वाली संपत्ति पर लागू नहीं होगा।) जहां ऐसी मांगें आवश्यक होंगी और उनको हटाना संभव होगा हम अनुपालन के एक प्रमाण पत्र के साथ उनको प्रतिस्थापित करेंगे|

११.१.१ संपत्ति के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में बहाल करना

१९७८ में ४४ वें संविधान संशोधन के माध्यम से जनता पार्टी द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया था। हमारी सरकार एक पर्याप्त बहुमत के आधार पर पूरी तरह से इस अधिकार को बहाल करेगी और इसे और भी मजबूत बनाएगी।

११.१.२ भ्रष्टाचार रहित भू-अभिलेख प्रणाली को सुनिश्चित करना

भारतीय रियल एस्टेट प्रणाली (जैसे भूमि हस्तांतरण, भूमि अभिलेखों का उत्परिवर्तन, स्टांप शुल्क के भुगतान) भ्रष्टाचार और काले धन में फंस गई है। लगभग सभी लेनदेन काफी कम कीमत पर उद्धृत किये जाते हैं: अक्सर केवल एक तिहाई (या उससे भी कम) मूल्य को घोषित किया जाता है। इसलिए भूमि के बाजार मूल्य के केवल एक छोटे से हिस्से का ही चेक के माध्यम से भुगतान किया जाता है और बाकी सौदा नकद में होता है - जो कभी कभी सैकड़ों करोड़ तक भी हो सकता है। वर्तमान प्रणाली के साथ एक और गंभीर समस्या है: बेनामी स्वामित्व।

अचल संपत्ति उद्योग सिर्फ भ्रष्टाचार का एक स्रोत नहीं है: यह एक अपराध का अड्डा बन गया है। पर यहाँ महत्वपूर्ण विकास की क्षमता मौजूद है| वास्तव में ये रियल एस्टेट माफिया सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों के साथ लीग में उभरा है।

कम घोषित मूल्य इन चीज़ों को कम कर देता है:

1) खरीदार द्वारा देय स्टांप शुल्क। हालांकि, खरीदार, जो अपने काले धन को सफ़ेद करना चाहते हैं, उन्होंने एक मानक भी निर्धारित किया हुआ है। वे एक ऐसा मूल्य पसंद करते हैं, जो उनके काले धन में से कुछ को सफ़ेद करने के लिए भी काफी हो और इतना ज्यादा भी न हो कि उन्हें स्टांप शुल्क का भुगतान करना पड़े। यानि प्रति वर्ष 3 लाख रूपये की आधिकारिक आय (और करोड़ों रुपये की काली आय) वाला एक व्यक्ति

अगर एक करोड़ की संपत्ति खरीदता है, तो वह अपने काले धन में से लगभग 20 लाख को ही सफ़ेद करना चाहेगा, क्योंकि पूरे एक करोड़ कीमत दिखाने पर तो वह आयकर अधिकारियों की नज़र में आ जायेगा;

2) विक्रेता के लिए पूंजीगत लाभ कर। इन दोनों प्रोत्साहनों का संयोजन लोगों को ईमानदारी से प्रणाली के संचालन से रोकता है। यहाँ तक कि ईमानदार लोगों को उनकी संपत्ति की बिक्री पर नकद भुगतान प्राप्त करने के लिए मजबूर किया जा रहा है।

११.१.२.१ संपदा अधिकार प्रणाली के पांच आधार

भारतीय शासन प्रणाली की बड़ी विफलताओं में संपत्ति के अधिकार की एक अच्छी तरह सोची-समझी प्रणाली का अभाव भी शामिल है। एक अच्छी प्रणाली में कई घटक मौजूद होने चाहियें, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण हैं:

1) जमीन के स्वामित्व के स्वतंत्र सर्वेक्षक और रिकार्ड कीपर;

2) स्टांप शुल्क का स्वतंत्र कलेक्टर;

3) सब ज़मीनों के स्वतंत्र दाम लगानेवाला;

4)स्वतंत्र निजी रियल एस्टेट एजेंट, जिसका लाइसेंस ईमानदारी और सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने की शर्तों पर बना है; और

5) (बेशक) सरकार पदाधिकारियों का बाजार आधारित वेतन (और वरिष्ठ स्तर पर संविदात्मक जवाबदेही)। दुनिया भर में सफल भूमि सिस्टम, जहां सही बाजार मूल्य का खुलासा किया जाता है, परिचालित किये जा रहे हैं। हम इस सुधार को शीर्ष प्राथमिकता देंगे और तीन साल के भीतर इस नयी प्रणाली को ले आएंगे, जिससे अचल संपत्ति प्रणाली में काला धन और भ्रष्टाचार पूरी तरह से नष्ट हो जायेगा। इन में से कुछ शुरूआती सुधार नीचे दिए गए हैं:

दुनिया भर में सफल भू प्रणालियाँ सक्रीय हैं जहाँ बाज़ार की सही कीमत हमेशा जाहिर कर दी जाती है| हम इस सुधार को प्राथमिकता देंगे और ऐसी ही प्रणाली तीन साल के अन्दर अन्दर भारत में लागू कर देंगे| हमारी ये कोशिश रियल एस्टेट प्रणाली से पूरी

तरह काले धन और भ्रष्टाचार का सफाया कर देगी| इनमें लागू होने वाला पहला सुधार विस्तार से नीचे बताया गया है|

११.१.२.२ जमीन के स्वामित्व के स्वतंत्र रिकॉर्ड कीपर

एक के बाद एक राज्य सरकारें ज़मीनों के रिकॉर्ड रखने में नियमित रूप से नाकाम रही हैं। भू-राजस्व गिरते-गिरते नगण्य स्तर पर पहुँच गया है, यहाँ तक कि भूमि रिकॉर्ड प्रणाली को चलाने की लागत तक उससे नहीं निकल पाती है, और इसके कारण लापरवाही और भ्रष्टाचार के लिए प्रोत्साहन और अवसर पैदा होते हैं(लोगों को अपनी जमीन राजस्व की रसीद पाने के लिए भी रिश्वत का भुगतान करना पड़ता है)।

प्रणाली के साथ एक प्रमुख समस्या भूमि की पहचान है। भूकर सर्वेक्षण, जिससे उस स्थान, निर्देशांक, मालिकों और ज़मीन के अन्य विवरण की पहचान होती है, एक गांव के त्रिकोणीय जंक्शन से शुरू होने और बंद करने की सीमाओं पर आधारित होते हैं। हालांकि, यह प्रणाली किसी भी राष्ट्रीय संदर्भ प्रणाली से जुडी हुई नहीं है। इसीलिए लैंड पार्सलों को, पृथ्वी की सतह पर आसानी से ढूँढा नहीं जा सकता, जिसके परिणामस्वरूप अतिक्रमण और मुकदमेबाजी होती है और भूमि मालिकों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। भूमि विवाद वर्षों के लिए अदालतों में लटके रहते हैं। राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के लिए एक व्यापक समीक्षा की जरूरत है।

विशेष रूप से हम एक राष्ट्रीय संगठन का निर्माण करेंगे, जो सीधे तौर पर स्थान, निर्देशांक, मालिकों और अन्य विवरण सहित भूमि रिकार्ड और पट्टों के रखरखाव का कार्य (एक कार्य जिसे राज्यों के अधिकार क्षेत्र से हटा दिया जाएगा)करेगा। नियमित रूप से सर्वेक्षण (जैसे जीआईएस, हवाई फोटोग्राफी, जीपीएस, आदि के रूप में डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग सहित) आयोजित किये जाएंगे। हम भूमि पंजीकरण के लिए वर्तमान डीड प्रणाली की जगह एक टोर्रेंस-टाइटल व्यवस्था स्थापित करेंगे। इसलिए हम लैंड-टाइटल विधेयक का समर्थन करते हैं।

इस तरह की भूमि रिकॉर्ड प्रणाली से, निर्णायक पट्टे जारी किए जाना तथा भूमि अधिग्रहण को आसान बनाना, भूमि मालिकों द्वारा क्रेडिट के लिए उचित जमानत प्रदान करना, पर्यावरण प्रबंधन में सहायता और राज्य और स्थानीय सरकारों के लिए सही तरीके

से भूमि और संपत्ति करों को लागू करना संभव हो पायेगा (अलग, स्वतंत्र रूप से संचालित सिस्टम के माध्यम से)।

११.१.३ सार्वजनिक भूमि के अतिक्रमण, विशेष रूप से झुग्गी बस्तियों से निपटना

झुग्गी बस्ती समस्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हमारे किरायेदारी कानून और क्षेत्रीकरण प्रतिबंध के कारण पैदा होता है। किरायेदारी कानून और क्षेत्रीकरण प्रतिबंध, दोनों को ही हटा दिए जाने की जरूरत है। साथ ही संपत्ति के अधिकार को मज़बूत किया जाना भी महत्वपूर्ण है। अतिक्रमण करने वालों को सार्वजनिक भूमि दे देना वांछनीय नहीं है क्योंकि यह महज आगे और अतिक्रमण को प्रोत्साहित करता है।

इसका एक सरल समाधान यह है कि शहरों में या उनके आसपास कोई भी अधिशेष सरकारी जमीन हो ही नहीं। इनकी नीलामी के द्वारा सरकार न केवल अपना राजस्व बढ़ा सकती है, बल्कि और भी कई फायदे प्राप्त कर सकती है, जैसे निजी मालिकों के उनकी ज़मीन की सुरक्षा के लिए प्रोत्साहन पर लगाम लगाकर नई मलिन बस्तियों के विकास को रोकना और आवास के लिए भूमि की आपूर्ति की वृद्धि, जिससे भूमि की कीमतों को कम किया जा सकता है।

जहाँ तक मौजूदा मलिन बस्तियों का सवाल है, हम आवासीय उपयोग के लिए उपयुक्त क्षेत्रीकरण के बाद झुग्गी भूमि की नीलामी (सार्वजनिक) करेंगे, जिसके साथ एक अनिवार्य कॉन्ट्रैक्ट होगा कि खरीदारों (डेवलपर्स) को विस्थापित पंजीकृत स्लम निवासियों को अस्थायी रूप से बसाने के साथ - आधार कार्ड के माध्यम से उचित रूप से पहचान करने के पश्चात - नए अपार्टमेंट का कुछ हिस्सा निर्माण लागत मूल्य (भूमि के बाजार मूल्य को जोडकर) पर निजी इस्तेमाल के लिए उन्हें बेचना होगा। ऐसी भूमि पर निर्माण करने के लिए एक रोलिंग प्रणाली सुनिश्चित करने से तथा इस कार्यक्रम के लिए अनुमति देने से - पांच साल की अवधि में - सार्वजनिक (स्लम) भूमि से काफी पैसे की वसूली के लिए एक दिए गए वर्ष के दौरान अपेक्षाकृत कम झुग्गीवासी विस्थापित होंगे।

११.१.४ केवल अत्यंत सीमित परिस्थितियों के तहत भूमि को जब्त करना

प्रमुख अधिकार-क्षेत्र सरकार को निजी संपत्ति को बलपूर्वक रद्द या जब्त करने का अधिकार देता है। यह मूल रूप से दुर्लभ मामलों में उपयोग के लिए - मुख्य रूप से

सार्वजनिक बुनियादी सुविधाओं के लिए उचित मुआवज़े के साथ जमीन का अधिग्रहण करने के उद्देश्य से - बनाया गया था। हालांकि हमने सरकारों को निजी पार्टियों को प्रदान करने के लिए भूमि को जब्त करते देखा है जो मौलिक संपत्ति अधिकार के उन्मूलन का एक परिणाम है|

हम ऐसे कानून बनायेंगे, जो सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण को सीमित करके स्पष्ट रूप से व्यापक समुदाय (जैसे सार्वजनिक बुनियादी ढांचा या रक्षा)को प्रभावित करेंगे। इस तरह के मामलों में भूमि को बाजार से अधिक मूल्य की पेशकश के द्वारा स्वैच्छिक सहमति के माध्यम से हासिल किया जाना चाहिए। किसी भी गरीब व्यक्ति के लिए, जिसकी भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है, एकमुश्त रकम के बजाय वार्षिकियां प्राप्त करने का विकल्प भी उपलब्ध होना चाहिए। हालांकि, जहां शामिल सार्वजनिक हित व्यापक नहीं है, वहां स्थानीय सरकारों के लिए सार्वजनिक परामर्श तथा संभवतः एक स्थानीय जनमत संग्रह के माध्यम से जनता के हित की प्रकृति को सत्यापित करना आवश्यक होगा। तथापि, इस पूरी प्रक्रिया में छह महीने से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए।

मुआवजा ('राशि') निर्धारित करने की वर्तमान पद्धति आसपास की पंजीकृत बिक्री से प्राप्त आंकड़ों पर आधारित है और त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि इससे बिक्री कीमतों में काफी कमी देखने को मिलती है। हम प्रयोगात्मक अर्थशास्त्र साहित्य और मॉडलिंग द्वारा उचित मूल्यांकन के अभिनव तरीकों को लागू करने पर विचार करेंगे।

हालांकि वर्तमान बाजार मूल्य पर मुआवजा, उन व्यक्तियों के लिए, जिनकी भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है, किसी अन्य जगह पर जाकर बसने की असुविधा और उनके सामाजिक नेटवर्क के नुकसानों की क्षतिपूर्ति नहीं करता है। साथ ही, यह उस अप्रत्याशित लाभ की भी क्षतिपूर्ति नहीं करता, जो कि ऐसी भूमि के मालिक को मिलता, अगर उसकी संपत्ति का अधिग्रहण नहीं किया गया होता। इस प्रकार, उसकी पड़ोसी ज़मीन का मालिक नई बनाई जा रही सड़क (उदाहरण के लिए) से सटे होने के कारण अप्रत्याशित लाभ प्राप्त करता है। इसलिए अधिगृहीत भूमि के मालिकों के साथ इन नई बुनियादी सुविधाओं के लाभ का एक हिस्सा साझा करना मुआवजा पैकेज का एक हिस्सा होना ही चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर वर्तमान मूल्य के हिसाब से नई बुनियादी सुविधाओं से शुद्ध १० रुपये की प्राप्ति हो रही है, तो कम-से-कम ५ रूपये, जिनकी जमीन का जबरन अधिग्रहण

कर लिया गया है, उनके साथ या तो एकमुश्त भुगतान या लंबी वार्षिक किश्तों के रूप में साझा किये जाने चाहियें।

११.१.५ निजी संस्थाओं और संगठनों को सार्वजनिक भूमि के अनुदान पर निषेध

भारत में अक्सर सरकारें निजी व्यक्तियों या संगठनों को, विशेष रूप से प्रभावशाली धार्मिक गुरुओं को, भूमि अनुदान में देती रही हैं। सभी धर्मार्थ संगठन पहले से ही कर कानूनों के माध्यम से महत्वपूर्ण करदाता समर्थन प्राप्त कर लेते हैं। इस तरह सार्वजनिक संपत्ति की ट्रस्टीशिप के साथ सामान्य समर्थन से परे कुछ भी असंगत है। हम एक कानून बनाकर यह सुनिश्चित करेंगे कि सरकारी जमीन किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को उपहार में नहीं दी जाएगी बल्कि पूर्ण बाजार मूल्य पर बेची जाए। हालांकि, शिक्षण संस्थान, जैसे विश्वविद्यालय, को इसमें शामिल नहीं किया जायेगा। हालांकि, इस तरह के विश्वविद्यालयों को किसी भी धार्मिक संगठन या गुरु से संबद्ध नहीं किया जा सकता है और लाभ संगठनों के लिए भी उसका प्रयोग नहीं हो सकता। इसलिए दी गई किसी भी भूमि को शिक्षा के अलावा अन्य किसी भी उद्देश्य के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और विश्वविद्यालय के बंद होने की स्थिति में वह वापस सरकार के पास लौट आएगी।

११.१.६ किराया नियंत्रण और किरायेदारी कानून की समीक्षा कर उसका खात्मा

किराया नियंत्रण कानून किराये की संपत्ति में निवेश को उत्साहहीन बना देता है, जिससे नयी निर्माण गतिविधियां कम हो जाती हैं और भारत के विकास को नुकसान पहुँचता है। ऐसे विकृत कानूनों से मिलने वाले अनिवार्य प्रोत्साहन के कारण, कई मकान मालिक अपने घरों की मरम्मत नहीं कराते, जबकि किरायेदारों (जो किराए के रूप में नगण्य रकम खर्च करते हैं) इन संपत्तियों के रख-रखाव में बड़ी रकम खर्च करते हैं।

हम किराया नियंत्रण और काश्तकारी कानूनों की समीक्षा करके सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी परिस्थिति में स्वामित्व का अधिकार किरायेदारों पर पारित न हो। आगे के विश्लेषण के अनुसार, हम ऐसा नियम बनायेंगे कि अगर किरायेदार कोई मरम्मत करवाता है, और उस पर हुआ खर्च उस रकम से अधिक है, जो उसने किराये के रूप में अन्यथा भुगतान (उचित सबूत के आधार पर) किया होता, तो मकान मालिकों को उस अतिरिक्त खर्च की

भरपाई करनी होगी. इससे उस किरायेदारी को भंग और / या बाजार दर पर रीसेट किया जा सकेगा। सामान्य में, हम चाहते हैं, आगे के विश्लेषण और हितधारकों के साथ परामर्श करने के बाद किराया नियंत्रण कानून को भारत भर में निरस्त कर दिया जाए।

११.२ सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार

किसी भी सरकार से कम से कम इतनी उम्मीद की जाती है कि वह सभी नागरिकों के साथ समानता का व्यव्हार करेगी और यह बात करदाताओं द्वारा वित्त पोषित किसी भी गतिविधि के लिए समान रूप से लागू होती है। किसी सार्वजनिक पद के लिए किसी को नियुक्त करने के लिए मुख्य वैध आधार उसकी योग्यता होता है। कुछ मामलों में राष्ट्रीयता, आयु सीमा, सुरक्षा मंजूरी, या शारीरिक फिटनेस आवश्यक हो सकते हैं। लेकिन सभी अन्य आधार अप्रासंगिक हैं और इन्हें इस समीकरण से बाहर रखा जाना चाहिए। इस तरह के आधारों में शामिल हैं:

लिंग पहचान; धार्मिक विश्वास या गतिविधि; जाति; राजनीतिक विश्वास या गतिविधि; देखभाल और अभिभावकों की स्थिति; विकलांगता (शारीरिक, संवेदी और बौद्धिक विकलांगता, काम से संबंधित चोट, बीमारी की स्थिति, और मानसिक, मनोवैज्ञानिक और सीखने सम्बन्धी असमर्थता सहित); वैध यौन गतिविधि और यौन प्राथमिकताएं; वैवाहिक स्थिति; शारीरिक विशेषताऐं; गर्भावस्था और स्तनपान; नस्ल(रंग, नस्ल और जातीय मूल सहित); और किसी ऐसे व्यक्ति के साथ व्यक्तिगत सम्बन्ध, जिसमें ये व्यक्तिगत विशेषतायें हों या ऐसा माना जाता हो कि उसमें इनमें से कोई विशेषताएं हैं।

दुर्भाग्य से, हर किसी को समान अधिकार मिले इसके लिए कुछ अल्पकालिक फैसले स्वतंत्र भारत के इतिहास में काफी पहले किए गए थे| पर ये फैसले बुनियादी आवश्यकताओं के साथ असंगत हैं (उदाहरण के लिए जन्म विशेषताओं के आधार पर आरक्षण बनाने के लिए और हिंदुओं और मुसलमानों के लिए अलग कानून बनाने के लिए)। इस तरह के कार्यों से आधिकारिक भेदभाव पैदा होता है।

हम भारत के लोगों के बीच आधिकारिक भेदभाव पैदा करने वाले कानूनों का अंत कर देंगे।

११.३ हर संभव तरीके से स्वतंत्रता की रक्षा

स्वतंत्रता के प्रसार के द्वारा नागरिक समाज और सामाजिक पूंजी के विस्तार की सुविधा मिलती है और न केवल समृद्धि बल्कि सामाजिक गतिशीलता की भी प्राप्ति होती है, जिससे धर्म, जाति और अन्य वास्तविक या कथित पूर्वाग्रहों के आधार पर भेदभाव को कम करने (नष्ट नहीं हो तो) में मदद मिलती है। स्वतंत्रता एक समावेशी समाज बनाने में मदद करती है और लोगों के बीच गलतफहमी को कम करके सामाजिक एकता की वृद्धि करती है। एक अच्छी सरकार - पूरी तरह स्वतंत्रता की रक्षा के लिए बनायी गई - लगातार स्वतंत्रता पर नजर रखती है। स्वतंत्रता विभाग भारत में जीवन के सभी क्षेत्रों में स्वतंत्रता में वृद्धि की निगरानी और समन्वय के लिए जिम्मेदार होगा। स्वतंत्रता के कुछ उदाहरण जिन्हें हम बढ़ावा देंगे, इस खंड में रेखांकित किये जा रहे हैं।

११.३.१ महिलाओं, बच्चों और व्यवस्थित रूप से प्रताड़ित समूहों के विशेषाधिकार

हम इस बात से अत्यधिक चिंतित हैं कि एक अनुमान के अनुसार भारत में करीब १४ लाख लोग गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं, जिनमें सेक्स गुलामी भी शामिल है। इसके अलावा १५००० से अधिक लड़कियों का हर साल (ज्यादातर सेक्स उद्योग के लिए) अपहरण कर लिया जाता है। इसके लिए बहुत कठोर कार्रवाई की ज़रुरत है।

हम गुलामी (और तस्करी) के सभी रूपों के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करेंगे और महिलाओं, बच्चों और उत्पीड़ित समूहों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए कदम उठाएंगे। एक बेहतर पुलिस और न्याय व्यवस्था के निर्माण से इन समूहों के खिलाफ अपराधों के अभियोजन और सजा में महत्वपूर्ण वृद्धि की जाएगी। जहाँ उपयुक्त होगा, इस तरह के कुछ मामलों के लिए हम कमरे में कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की स्थिरता को ध्यान में रखते हुए अश्लील साहित्य और अश्लीलता पर कानून की समीक्षा करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि हर किसी को (जैसे बच्चों का अश्लील साहित्य) सभी आवश्यक सीमाओं के बारे में स्पष्ट तरीके से पता हो। विशेष रूप से हम बच्चों की अश्लील फिल्में बनाने के खिलाफ एक सक्रिय अभियोजन प्रणाली का निर्माण करेंगे क्योंकि यह बारीक रूप से मानव तस्करी से जुड़ा मुद्दा है।

११.३.२ गोपनीयता

प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार (और दायित्व) है कि वह चुन सके कि किस तरह से उसका डेटा निजी पार्टियों द्वारा प्रयोग किया जाना चाहिए। उसे यह भी अधिकार है कि वह निजी पार्टियों के लिए स्वेच्छा से अपनी गोपनीयता का त्याग कर दे पर सिर्फ कार्रवाई के प्रभावों पर विचार करने के बाद। जहाँ तक दो निजी पक्षों की गोपनीयता का सवाल है, इसमें सरकार की कोई विशेष भूमिका नहीं है, सिवाय यह सुनिश्चित करने के, कि लोगों के पास हर बात की पूरी जानकारी हो और वे अपने विकल्प चुनने में सक्षम हों।

सरकार द्वारा गोपनीयता पर आक्रमण के खिलाफ कई अतिरिक्त सुरक्षा साधनों की जरूरत है। लोगों को अनुचित खोजों और जब्तियों के खिलाफ अपने घरों, कागजात और प्रभाव में सुरक्षित होने का पूरा अधिकार है। हम हवाई या अन्य साधनों के प्रयोग के माध्यम से किसी भी अनुचित या बिना वारंट के सरकारी घुसपैठ और निगरानी को रोकने के लिए कानून बनायेंगे। कभी कभी सार्वजनिक स्थानों (कुछ कार्यस्थलों सहित) पर आतंकवादी हमलों या असामाजिक व्यवहार को रोकने के लिए निगरानी रखना आवश्यक होता है। हालांकि, इस तरह के किसी भी सुरक्षा उपायों को संवैधानिक स्वतंत्रता के चश्मे से देखा जाना चाहिए। अगर हम सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता का व्यापार करते हैं तो हम दोनों को ही खो देंगे।

कोई भी सरकारी एजेंसी, जो डेटा (सभी सरकारी आंकड़ों को अनिवार्य रूप से एकत्र किया जाता है) एकत्र करती है, उसे सुनिश्चित करना चाहिए कि इस तरह के डेटा को पूरी तरह निजी रखा जाये। हम सरकार द्वारा एक व्यक्ति के डेटा के उपयोग और भंडारण से संबंधित गोपनीयता कानून को मजबूत करेंगे। इंटरनेट पर व्यक्तियों द्वारा साझा किया गया व्यक्तिगत डेटा (जैसे फेसबुक पर पोस्ट) किसी भी सरकारी जासूसी से संरक्षित किया जाएगा, जब तक कि कोई कानूनी अनिवार्यता या किसी अपराध को हल करने की आवश्यकता न पड़े।

११.३.३ जनगणना

हम हर पांच साल में एक जनगणना आयोजित किये जाने की अनुमति देकर जनगणना की व्यवस्था को मजबूत करेंगे| इससे नगर नियोजक और लोगों की जरूरतों के लिए कार्य करने वाला निजी क्षेत्र, बेहतर तरीके से अपनी गतिविधियों की योजना बनाकर अपने

लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेंगे। हालांकि, एकत्र किये गये डेटा में धर्म या जाति जैसी कोई भी व्यक्तिगत विशेषतायें शामिल नहीं होंगी। साफ़ तौर पर कहें तो किसी भी सरकार पत्राचार या फार्म में किसी के भी धर्म या जाति (आरक्षण प्रणाली के उन्मूलन के बाद) के बारे में कोई प्रश्न नहीं किये जायेंगे। हम यह स्पष्ट करने के लिए कानून बनायेंगे कि एक सरकार को लोगों के धर्म या जाति के मामले में अपनी नाक घुसाने का कोई अधिकार नहीं है और अगर ज़रुरत पड़ी तो हम इसके लिए संवैधानिक संशोधन भी लायेंगे।

इस तरह का डेटा सदा ही समाज को विभाजित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, एकता को बढ़ावा देने के लिए नहीं। निजी संगठन अगर चाहें तो इस तरह के मामलों में कोई नमूना सर्वेक्षण करा सकते हैं, लेकिन सरकार की इस मामले में कोई भूमिका नहीं है। हम भारत सरकार द्वारा शुरू की गई जाति जनगणना की निंदा करते हैं और यह सुनिश्चित करेंगे कि इस तरह के सभी रिकॉर्ड स्थायी रूप से नष्ट कर दिए जाएँ।

१२ मुक्त व्यापार की भूमि के रूप में भारत

आजादी के बाद से ही उद्यम विरोधी सरकारों ने भारत को बेड़ियों में जकड़ कर रखा है। हालांकि लाइसेंस राज थोड़ा कम हो गया है, फिर भी भारत में उद्यमियों को सफल होने के लिए दसियों भ्रष्ट सरकारी एजेंसियों और अक्सर, भ्रष्ट मंत्रियों को घूस देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इसके अलावा, भारत में एक के बाद एक सरकारों ने, अनावश्यक नियम थोप-थोप कर, उद्यमी भारतीयों को काम करने से रोका है और भारत को व्यापार करने के लिए दुनिया की सबसे खराब जगहों में से एक बना दिया है। लेकिन भारत उद्यमशीलता और जुगाड़ का देश है। केवल उद्यम को बंधनमुक्त करने के द्वारा ही भारत एक अभिनव और समृद्ध राष्ट्र बनने की उम्मीद कर सकता है।

१२.१ पहला कदम: कारोबार में सरकारी दखल की समाप्ति

एक सरकार का व्यवसाय में कोई काम नहीं है। उसे कमीजों का उत्पादन, हवाई जहाज उड़ाना या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) को नहीं चलाना चाहिए। एक गरीब आदमी अशोक होटल या एयर इंडिया के विमान में प्रवेश नहीं कर सकता, लेकिन इन उपक्रमों के घाटे पूरे करने के लिए उसे भुगतान करना पड़ता है। गरीब आदमी कोयले के आयात के लिए भी भुगतान करता है क्योंकि दुनिया के तीसरे सबसे बड़े कोयला भंडार

पर बैठे होने के बावजूद कोल इंडिया ने अपनी भारी अक्षमता के कारण भारत को दुनिया का सबसे बड़ा कोयला आयातक बना कर रखा है।

हालांकि यह सच है कि (बहुत) कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम उन्हें मिले स्वायत्तता के एक स्तर की वजह से बाजार आमद से अधिक मुनाफा कमा रहे हैं| लेकिन फिर भी लाभप्रदता की परवाह किये बिना सरकार के किसी भी व्यवसाय में संलग्न होने का कोई औचित्य नहीं है।

हम सरकार की सभी वाणिज्यिक या उत्पादन भूमिकाओं को समाप्त कर देंगे क्योंकि लोग इस तरह की सभी गतिविधियों का चालन खुद कर सकते हैं। भारतीय स्वतंत्रता को पुनः प्राप्त करने के लिए निजीकरण कार्यक्रम के केंद्र में होगा। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों जैसे कि होटल (जैसे अशोक), दूरसंचार, मीडिया (टीवी, रेडियो, प्रिंट, जैसे दूरदर्शन), धातु उत्पादन और संबद्ध उद्योगों, बिजली उत्पादन और वितरण, मोटर वाहन, सीमेंट उद्योग, बैंकिंग, बीमा, यात्रा (जैसे भारतीय रेल, एयर इंडिया), उर्वरक उत्पादन, खनन (जैसे कोल इंडिया), भोजन वितरण, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय व्यापार, और पर्यटन आदि को बाजार में बेचा जाएगा। रक्षा उत्पादन के बड़े हिस्सों में भी नियामक नियंत्रण के तहत निजीकरण किया जाएगा।

हालांकि, हम विनिवेश के उन तरीकों से सहमत नहीं हैं जिनमें गुप्त सौदे शामिल होते हैं। अतीत में विनिवेशों को नेताओं द्वारा उचित बाजार मूल्य प्राप्त करने के बजाय भारत के धन को लूटने के लिए इस्तेमाल किया गया है। हम नीलामी डिजाइन सिद्धांतों का उपयोग करते हुए भारत के लोगों के लिए सरकारी व्यवसायों के बिक्री मूल्य को अधिकतम करने के लिए पारदर्शी और व्यक्तिगत फायदा न उठाये जा सकने वाले तरीकों का प्रयोग करेंगे।

१२.२ अच्छी तरह विनियमित मुक्त बाजार

भारत में एक के बाद एक सरकारों ने एक समान स्तर का खेल मैदान बनाकर प्रतिस्पर्धा और उत्पादकता को बढ़ावा देने के बजाय हमेशा राज्य-रक्षित सार्वजनिक और निजी एकाधिकार को समर्थन दिया है और पूँजीवाद को बढ़ावा दिया है। सरकार को केवल प्रतिस्पर्धी बाजार के कामकाज के लिए नियम बनाए रखने, अनुबंध लागू करने, और

धोखाधड़ी के खिलाफ विनियमन स्थापित करने के कार्य करने चाहियें। उसे बाजार का एक तटस्थ अंपायर होना चाहिए।

बाजार एक ऐसी प्रक्रिया है, एक मंच है जहां नागरिक स्वेच्छा से सौदेबाजी, व्यापार और वस्तु विनिमय करते हैं। बाजार हमारे द्वारा उत्पादित सेवाओं और माल का आर्थिक मूल्य (समाज के लिए) निर्धारित करने में मदद करते हैं। ऐसे स्वैच्छिक व्यापार के माध्यम से उससे जुड़े किसी भी व्यक्ति की हालात पहले से बदतर नहीं होती, बल्कि बेहतर होती है,(वरना व्यापार घटित ही नहीं होगा) और इस प्रकार नयी संपत्ति का निर्माण होता है। उच्च गुणवत्ता तथा कम लागत पर उत्पादन के लिए प्रोत्साहन एक प्रतिस्पर्धी बाजार में निहित होते हैं।

भारतीय उद्योग को वैश्विक प्रतिस्पर्धा का हिस्सा बनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है इस क्रूर अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता का सामना करना। हमें सरकार द्वारा बनाए गए झूठे आश्रयों के पीछे छुप कर बैठने के बजाय प्रतियोगी दुनिया का सामना करते हुए आगे बढ़ना होगा। भारत में व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा का एक लंबा इतिहास रहा है और तेजी से बढ़ रहे एशियाई बाजार में प्रवेश करने के लिए भौगोलिक दृष्टि से भी यह बिलकुल उचित स्थान पर है। हमारे कारोबारों को इस चुनौती के लिए उठना चाहिए।

वास्तव में, भारतीय कारोबार जो दुनिया के बाजारों में संचालित किये जा रहे हैं, उन्होंने प्रतिस्पर्धी होना सीख लिया है। हालांकि, जो कारोबार मुख्य रूप से घरेलू बाजार में संचालित हो रहे हैं, सरकार और केंद्रीय नियंत्रण और प्रतिबंधात्मक नीतियों के कारण बड़े पैमाने पर लागत किफ़ायत में अक्षम और आयात में अप्रतिस्पर्धी हैं। इन व्यवसायों को अपने खेल को सुधारने की जरूरत है। हम अच्छी तरह विनियमित मुक्त बाजार बनाने के लिए जिन नीतियों को लागू करेंगे, उनमें से कुछ नीचे दी गई हैं।

१२.२.१ एकतरफा मुक्त व्यापार और लालफीताशाही का उन्मूलन

हम उत्पादन, व्यापार और व्यवसाय पर लगे सभी अनावश्यक नियंत्रण हटा देंगे। आजादी के लगभग सात दशकों बाद भी शिशु उद्योगों का तर्क, कारोबार के आश्रय के लिए कोई बहाना नहीं है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना किए बिना, भारतीय कभी भी विश्व विजेता नहीं बन सकते। हम व्यापार का व्यापक रूप से उदारीकरण करेंगे और किसी भी शेष

सीमा शुल्क और नकारात्मक (प्रतिबंधित) सूची सहित बचे-कुचे आयात प्रतिबंधों को समाप्त करने का प्रबंध करेंगे। संक्षेप में कहें तो हम एकतरफा मुक्त व्यापार को प्रारंभ करेंगे। इस निर्णय के लघु और लंबी अवधि के लाभ अक्षम व्यवसायों द्वारा किए गए किसी भी लघु अवधि के नुकसानों पर भारी पड़ेंगे।

१२.२.२ विनियमन प्रतियोगिता के लिए है न की व्यापार आकार के

एकाधिकार लगभग हमेशा सरकारी जनादेशों द्वारा बनाया गया होता है और यह प्रतियोगिता को कम कर देता है। ज्यादातर बाजारों में बिना रोक प्रवेश की इजाजत देकर और प्रतियोगिता पर ध्यान केंद्रित करके, हम सरकार द्वारा बनाये गए एकाधिकार को कम कर देंगे।

हम एकाधिकार में प्रवेश और प्रोत्साहन की बाधाओं को कम करने के लिए उन क्षेत्रों में एक आर्थिक नियामक को सशक्त बनाएंगे जहां सीधी प्रतिस्पर्धा (जैसे रेलवे, ऊर्जा संचरण या जल वितरण) एक चुनौती बन गई है। हालांकि, व्यापार के आकार या विविधीकरण पर ध्यान केंद्रित करने से बचने के लिए नियामक कानून सावधानी से तैयार किये जाएंगे। उदाहरण के लिए हम उन नियामक विकल्पों से सिद्धान्तिक रूप से सहमत नहीं हैं, जो अखबार मालिकों को टीवी चैनलों या साधारण निजी कंपनियों को बैंकों के मालिक बनने के लिए अनुमति नहीं देते हैं। हमारा मानना है कि एक अर्थव्यवस्था में प्रकटीकरण, पारदर्शिता और जवाबदेही के अधीन प्रतिस्पर्धी तनाव की जितनी अधिक विविधता होती है उपभोक्ताओं के लिए उतने ही बेहतर परिणाम प्राप्त होते हैं।

१२.२.३ एकल खिड़की मंजूरी

लाइसेंस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कमी के अलावा (और कहीं वर्णित) हम अनुमोदन / अनुपालन प्रमाणीकरण प्रक्रियाओं को सरल बनाने और एक अनुकूल कारोबारी माहौल बनाने के लिए एक एकल खिड़की स्थापित करेंगे।

१२.२.४ कीमतों में ढील और उन्हें नियंत्रण-मुक्त करना

अक्सर जब कीमतों में वृद्धि होती है तो व्यापारियों की तरफ से बुरी प्रतिक्रिया मिलती है। कुछ मामलों में ऐसा होना आवश्यक हो सकता है, लेकिन अधिकांश मामलों में, एक

लम्बी अवधि के लिए ऊंची कीमतें आमतौर पर बाजार की शक्तियों को सीमित करने वाली बुरी नीतियों का परिणाम होती हैं।

सरकारों के लिए उचित मूल्य के निर्धारण के लिए आवश्यक विस्तृत जानकारी की तुलना करना बहुत मुश्किल कार्य है(यह रेलवे या पानी जैसे एकाधिकार उद्योगों में नियामकों के लिए भी एक चुनौती है, जहां उन्हें सही लागत निर्धारित करने के लिए सावधानी से तैयार किये गए दृष्टिकोण का सहारा लेने की आवश्यकता होती है)। एक सामान्य नियम के रूप में हम ज्यादातर सरकार प्रशासित कीमतों को ख़त्म करके उन्हें मांग और आपूर्ति की ताकतों द्वारा निर्धारित होने के लिए छोड़ देंगे। उदाहरण के रूप में पेट्रोल और डीजल की कीमतें दिमाग में आती हैं, लेकिन साथ ही गैस, पानी और बिजली को भी सीमांत लागत के नियामकों द्वारा जांच के अधीन बाजार द्वारा निर्धारित किये जाने की जरूरत है। यही बात ब्याज दरों, जो पैसे के इस्तेमाल का मूल्य होती हैं, के लिए भी लागू होती है। जैसा कि विस्तार में कहीं और वर्णित है, हम उधार लेने वालों और उधारदाताओं के बीच बाजार में प्रतिस्पर्धा के माध्यम से ब्याज दरों के पूरे निर्धारण की दिशा में कदम उठाएंगे।

अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) मुक्त बाजार पर एक थोपी गई अवधारणा है| ये कीमतों के भेदभाव को बाधित करती है जो प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण का हिस्सा हैं और देश के हर कोने में उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जरूरी हैं| ऐसे उत्पाद जो गरीबों को सबसे अधिक लाभ देते हैं| एमआरपी को हटाने से सुपरमार्केट की कीमतों में वृद्धि होगी, लेकिन मध्यम वर्ग के लिए कीमतें कम हो जाएँगी। ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में कीमतें छोटे बाजार के आकार और दूरी के अनुसार निर्धारित होंगी। हालाँकि उत्पादक अगर चाहें तो उत्पाद पर एमआरपी लिख सकते हैं, पर ऐसा करना अनिवार्य नहीं होगा।

जैसा कि हमने कहीं और संकेत दिया है कृषि कीमतों के लिए इसे अपवादस्वरुप शुरू किया जाएगा, और धीरे-धीरे, यह सुनिश्चित करने के बाद कि गरीबी विरोधी और फसल बीमा प्रणालियां पूरी तरह से कार्य कर रही हैं, इसे संवर्द्धित रूप से नियंत्रण मुक्त कर दिया जाएगा।

१२.२.५ ओपन प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) - अपवाद के बिना

हम एक राष्ट्र के रूप में भारतीयों की आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियों से निपटने की क्षमता में पूरा विश्वास करते हैं। कई भारतीयों को डर है कि एफडीआई की प्रतिध्वनियां कहीं फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत पर कब्ज़ा कर लेने की घटना का दोहराव न साबित हों। लेकिन आज परिमाण के हिसाब से भारत मुगल साम्राज्य के पतन के उस युग की तुलना में कहीं ज्यादा मजबूत हालत में है। हमें एफडीआई का डर नहीं है। हम इसका स्वागत करते हैं।

हम बिना किसी अपवाद के एफडीआई पर सभी प्रतिबंधों को समाप्त कर देंगे। इसमें भारत में कृषि भूमि सहित कोई भी जमीन खरीदने के लिए विदेशी निवेशकों को सक्षम करना भी शामिल होगा। इसके द्वारा होने वाले विचारों के आदान-प्रदान से भारत को केवल फायदा ही होगा। दुनिया की सबसे अच्छी प्रौद्योगिकियां बजाय हमारे उन्हें महंगी कीमतों पर खरीदने के, खुदबखुद सहर्ष हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए आ जायेंगी।

१२.२.६ मुक्त श्रम बाजार (विनियमित सामूहिक सौदेबाजी के साथ)

हम सभी श्रमिकों सहित हर नागरिक की पार्टी हैं। यह श्रमिक ही हैं, जो अपने परिश्रम और नवाचार के माध्यम से, भारत को धैर्य, योग्यता और महत्वाकांक्षा से परिपूर्ण देश बनाते हैं। दुर्भाग्य से, भारत के 51 केंद्रीय और 170 राज्य श्रम कानून, जिनमें से कुछ स्वतंत्रता से भी पहले के हैं, मुट्ठी भर कर्मचारियों से अधिक लोगों की कंपनियों के लिए कर्मचारियों को नौकरी से निकल देने को बहुत मुश्किल बना देते हैं। हमारे वर्तमान श्रम कानून जीवन भर के रोजगार वाली एक प्रणाली के लिए बने हैं; जिससे कंपनियां स्थायी कर्मचारियों की भर्ती करने से बचती हैं। हमारे लगभग 90 प्रतिशत श्रमिकों को अनौपचारिक श्रम बाजार में काम करना पड़ता है। ये कानून नए निवेश में बाधा डालते हैं, विशेष रूप से श्रम प्रधान उद्योगों में, और कंपनियों को छोटा ही बना रहने के लिए - या इससे भी बदतर, बुरी वित्तीय बाजीगरी और भ्रष्टाचार को शुरू करने के लिए प्रेरित करते हैं, उदाहरण के लिए, कृत्रिम रूप से एक ही फर्म को कई कंपनियों में तोड़ने के द्वारा।

एक मुक्त श्रम बाजार (जहां नियोक्ताओं को कर्मचारियों को रखने या हटाने और उद्योग से बाहर निकलने की पूरी आज़ादी हो) नौकरियों और अर्थव्यवस्था को विकसित करने का

सबसे अच्छा तरीका है। इस तरह के लचीलेपन से नियोक्ता के अन्दर जोखिम लेने, कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने और बाजार की मांग के अनुसार उत्पादन बढ़ाने के लिए विश्वास पैदा होगा। श्रम बाजार के लचीलेपन का समर्थन करने के लिए, हमें एक सुरक्षा तंत्र द्वारा नौकरी से निकले गए श्रमिकों की रक्षा करने की जरूरत होगी, जो हम सामाजिक न्यूनतम (नकारात्मक आयकर) के माध्यम से प्रदान करेंगे।

श्रम कानूनों में सुधार के लिए एक लचीला श्रम बाजार बनाना भारत के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता का मामला है। हम सभी श्रम कानूनों के आधुनिकीकरण के साथ उन्हें दो कानूनों के संयोजन के रूप प्रस्तुत करेंगे: व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा तथा औद्योगिक संबंध। कठोर कानूनों जैसे 'आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम' को किन्हीं भी कठोर प्रावधानों की जरूरत की समीक्षा करने के बाद, औद्योगिक संबंध कानून में सम्मिलित किया जाएगा। हम उद्योग के लिए 'अनिवार्य न्यूनतम मजदूरी' (हालांकि यह सरकारी कार्यक्रमों के लिए अनिवार्य होगा) को एक कम 'वांछित न्यूनतम मजदूरी' प्रणाली से बदल देंगे। भारत के कुशल और अर्ध-कुशल युवाओं को इन सुधारों के माध्यम से सबसे ज्यादा फायदा होगा।

१२.२.६.१ सामूहिक सौदेबाजी

सदियों से श्रमिकों के काम करने की स्थितियां एकतापूर्ण यूनियन गतिविधियों के बजाय बाजार नवीनता, प्रतिस्पर्धा, तकनीकी प्रगति और कट्टरपंथी उदारवादियों द्वारा स्वास्थ्य और सुरक्षा नीतियों के लिए लड़ाई के माध्यम से निर्धारित होती आई हैं। हालांकि श्रमिकों के सामूहिक सौदेबाजी करने का अधिकार बना रहना चाहिए, लेकिन यूनियनों को एक कारखाने के श्रमिकों को ज़बरदस्ती अपने साथ शामिल होने या मालिकों से मोलभाव के दौरान अनुचित आवश्यकताओं को लागू करने के लिए मजबूर करने का कोई अधिकार नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि एक स्वतंत्र औद्योगिक संबंध नियामक, यूनियनों को एकाधिकार शक्ति के अनुचित उपयोग द्वारा मजदूरी की शर्तें थोपने के किन्हीं भी उद्योगव्यापी या देशव्यापी प्रयासों पर भारी पड़ेगा।

१२.२.७ मानकीकरण और गुणवत्ता नियंत्रण

आर्थिक प्रणाली के अंपायर होने के नाते, मापों(बाट और माप) और उद्योग मानकों के सह-विनियमन में एक सरकार की कुछ भूमिका अवश्य हो सकती है। हम उद्योग के मानक निकायों (राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय) के साथ काम करेंगे और नए अभिनव तरीकों को सीमित किये बिना विकास को बढ़ावा देने वाले मानकों का समर्थन करेंगे। उदाहरण के लिए, बिजली के स्विच और दुकानों के लिए मानकों में मौलिक सुधार की जरूरत है -

क्योंकि ये अक्सर गलत तरीके से बनाये गए और ठीक से फिट होने वाले नहीं होते और समाज पर अनावश्यक लागत और सुरक्षा जोखिम थोपते हैं।

१२.३ कोई उद्योग, नवीनता, या छोटे व्यापार की नीति नहीं

हम किसी भी ऐसी विशिष्ट नवीनता या उद्योग नीति को लागू करने के पक्ष में नहीं हैं जो उद्योग के लिए जरूरी सब्सिडी के लिए एक व्यंजना है और प्रतियोगिता से छूट और आश्रय के लिए उद्योग संघों द्वारा जिसकी पैरवी की गई है|

उद्योग के सभी क्षेत्रों में स्थायी रोजगार के लिए अवसर सबसे बढ़िया तरीके से तभी बनाये जा सकते हैं जब आपूर्ति और मांग की ताकतों के बीच निरंतर तनाव हो| एक सरकार के पास न कोई क्षमता है, और न ही कोई कारण, कि वह उद्योग के विकास के लिए विभिन्न विकल्पों के बीच विजेताओं को चुने। सरकार द्वारा जो व्यापक नियम सुनिश्चित किये जा रहे हैं उससे उद्योग बाजार मांग के हिसाब से अपनी इष्टतम गति पर आगे बढेगा।

१२.३.१ लघु उद्योगों के लिए आरक्षण का उन्मूलन

इसका यह भी मतलब है कि हम व्यापार के आकार के आधार पर कोई भी नियामक छूट नहीं देंगे। हम तीन साल के भीतर छोटे उद्योगों के लिए सभी आरक्षणों को खत्म कर देंगे और खादी उद्योगों आदि को मिलने वाले सभी रियायती कार्यक्रमों को समाप्त कर देंगे। श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के मुद्दे बड़े व छोटे उद्योगों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण हैं, अतः श्रम कानूनों को भी व्यापार के आकार की परवाह किए बिना समान रूप से लागू किया जाना चाहिए। हम सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग विकास अधिनियम को समाप्त कर देंगे, ताकि सभी व्यवसायों में एक ही स्तर पर प्रतिस्पर्धा हो और सबसे कुशल व्यवसायों को फलने-फूलने का मौका मिले।

१२.४ समर्थन बाजारों का विकास

१२.४.१ वित्तीय और पूंजी बाजार

एक सरकार को अच्छी तरह विनियमित बाजारों की स्थापना में मदद करनी चाहिए। जैसा कि पहले उल्लिखित है, हम जोखिम के कुशल प्रबंधन के लिए अच्छी तरह विनियमित आधुनिक, वायदा और व्युत्पन्न बाजारों को बढ़ावा देना चाहते हैं। हम आधुनिक और पारंपरिक भारतीय वित्त प्रणाली(जैसे हुंडी) को एकीकृत करने का प्रयास करेंगे। हमारे वित्त की पारंपरिक प्रणाली हालांकि विश्वास संचालित थी, फिर भी विशाल दूरी पार वाणिज्य सुनिश्चित करने में वह काफी प्रभावी रही थी। हालांकि इस तरह की व्यवस्था के लिए नियामक व्यवस्था की ध्यान से समीक्षा करने की आवश्यकता होगी, जहाँ आज भी विश्वास आधारित प्रणाली के लिए पर्याप्त जगह है।

हम सूचीबद्ध कंपनियों और पूंजी बाजार के बिचौलियों की पारदर्शिता और जवाबदेही में वृद्धि करेंगे, ताकि छोटे निवेशकों की विश्वास पूंजी बाजार में फिर से लौट सके। वित्तीय बाजारों को विभिन्न प्रकार के जोखिम उठा सकने वाले निवेशों के लिए सक्षम करके, छोटे व्यवसाय क्षेत्रों सहित, कार्यशील पूंजी और कारोबार की अन्य क्रेडिट की जरूरतों को पूरा किया जायेगा।

१२.४.२ बीमा बाजार

हम प्रूडेंशियल नियमन के अधीन निजी बीमा की सभी श्रेणियों को प्रोत्साहित करेंगे। बीमा क्षेत्र में एफडीआई पर सभी सीमाओं को हटा दिया जाएगा।

१२.५ पर्यावरण न्याय और प्राकृतिक संसाधन

भारत असाधारण सुंदर परिदृश्य का देश है। घने उष्णकटिबंधीय जंगलों और द्वीप समूहों से लेकर दूर तक फैले रेगिस्तानों, विशाल नदियों और डेल्टाओं और दुनिया की सबसे ऊंची बर्फ से ढकी चोटियों में से कुछ तक| ऐसा कुछ नहीं जो भारतीय उप-महाद्वीप में मौजूद न हो। हमारा पर्यावरण हमारी सबसे कीमती संपत्तियों में से एक है, जिसे उचित तरीके से इस्तेमाल और भावी पीढ़ी के लिए संरक्षित किया जाना चाहिए।

लेकिन यह जरूरी तौर पर सरकार के सीधे प्रबंधन का काम नहीं है (इसके बजाय, विनियमन के लिए यहाँ एक स्पष्ट भूमिका है)। लोग अपनी चीज़ों की रक्षा सबसे बेहतर खुद कर सकते हैं। यह प्राकृतिक संसाधनों के लिए भी लागू होता है। कोई कारण नहीं कि क्यों सरकार को सीधे प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण का प्रबंधन करना चाहिए। पर्यावरण के दुरुपयोग के सबसे बुरे उदाहरण आमतौर पर सरकार के सीधे नियंत्रण से होते हैं। सरकार-नियंत्रित जंगलों का अतिक्रमण पशुओं और पेड़-पौधों की अनेक प्रजातियों के विलुप्त होने के कगार पर आ जाने का सबसे आम कारण है। करदाताओं द्वारा उनकी रक्षा के लिए नियुक्त लोगों की मिलीभगत से ही उन्हें लूटा गया है। और सरकार द्वारा प्रबंधित हमारी नदियां गंदगी के कारण मर रही हैं। पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील परिसंपत्तियों का निजी आवंटन ही उनके ईमानदार नेतृत्व और संरक्षण को सुनिश्चित करने का सही और अनुभूत तरीका है।

पर्यावरण का संरक्षण मजबूत आर्थिक वृद्धि से चालित होता है। सबसे गरीब (या कहना चाहिए, आदिम) और उनसे कुछ अमीर देशों में भी एक स्वच्छ वातावरण देखने को मिलता है। अमीर देशों में बेहतर शासन प्रणाली है और वे पर्यावरण की उच्च गुणवत्ता नियमन के लिए भुगतान कर सकते हैं। हम मानते हैं कि किन्हीं भी बुरे प्रभावों की निगरानी करते हुए सबसे अच्छी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तकनीक के इस्तेमाल से पहले ये भी सुनिश्चित करना होगा कि उसके पर्यावरण पर कोई दुष्परिणाम न हों| पुरानी तकनीकों का प्रयोग इस समस्या का जवाब नहीं है। सबसे शक्तिशाली पर्यावरण नीति स्वतंत्रता है।

१२.५.१ प्राकृतिक संसाधनों के मालिकाना हकों का आवंटन

एक संसाधन का निजी मालिक सीधे उनके कार्यों की लागत को वहन करता है और साथ ही उस संसाधन से लाभान्वित भी होता है| इसीलिए उस संसाधन की रक्षा(या उसके जीवन का विस्तार) करने के लिए उसके पास पर्याप्त कारण होता है। पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण सुधारों में से एक संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल के अच्छी तरह से परिभाषित अधिकार द्वारा किया जा सकता है| ऐसा तब तक कर सकते हैं जब तक कि उसकी प्रमुख विशेषतायें संरक्षित की जा रही हैं।

हाल के वर्षों में सरकार नियंत्रित प्राकृतिक संसाधनों की बिक्री सुहृद पूंजीवाद और भ्रष्टाचार का नया मोर्चा बन गया है। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि निजी क्षेत्र के लिए प्राकृतिक संसाधनों के आवंटन की प्रक्रिया को प्रतियोगी और पारदर्शी बनाया जाये।

१२.५.१.१ राष्ट्रीय उद्यानों को नियंत्रित निजी स्थलों में परिवर्तित करना

हम नियामक नियंत्रण के तहत जंगलों में निजी संपत्ति के अधिकार बनाने के लिए अपने वनस्पतियों और जीव कानूनों में संशोधन करेंगे। इसमें लंबी अवधि के पट्टे के माध्यम से संशोधन भी शामिल होगा| सभी राष्ट्रीय और राज्य पार्कों को चरणबद्ध तरीके से स्वदेशी वनस्पतियों और जीवों के संरक्षण और स्वदेशी वनवासियों के परंपरागत अधिकारों की रक्षा करने के लिए नियामक आवश्यकताओं के साथ, लंबी अवधि के आधार पर पट्टे पर दिया जाएगा| हम ऐसा पर्यावरण की दृष्टि से कम संवेदनशील इलाकों के साथ शुरू करेंगे। यह निजी पार्टियों को पर्यटन के लिए पार्क के उपयुक्त हिस्से को विकसित करने के लिए अनुमति देने के साथ निजी उद्यमों को निर्दिष्ट जंगली जानवरों के पालन की भी अनुमति देगा।

जंगलों के अधिक फायदेमंद उपयोग पर डाले जाने के कारण यह दृष्टिकोण रोजगार के हजारों अवसर पैदा करेगा| भले ही वे निर्दोष स्थिरता मानकों के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण के माध्यम से संरक्षित किये जा रहे हों।

१२.५.१.२ नियमित वाणिज्यिक कटाई और लुप्तप्राय प्रजातियों के अन्य उपयोग

एक संपत्ति का अधिकार किसे दिया जाये इसका समाधान निकालने का एक साधारण उदाहरण है व्यापार योग्य कोटा (व्यक्तिगत हस्तांतरणीय कोटा)| जो कि सबसे अधिक बोली लगाने वाले को प्राकृतिक संसाधनों की एक निश्चित मात्रा के स्वामित्व का अधिकार प्रदान करता है| उदाहरण के लिए, मछली के एक क्वांटम को पकड़ने और बेचने का अधिकार। वैज्ञानिक गणना के अनुसार, यह कोटा इष्टतम पैदावार सुनिश्चित करता है, यहाँ तक कि कोटा मालिक या तो खुद सीधे उत्पादन कर सकते हैं या एक अधिक कुशल उत्पादक को यह कोटा बेच सकते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि एक बड़े मछली-पालन केंद्र में स्थायी तरीके से अच्छी पैदावार हो रही है।

लुप्तप्राय वन्य जीवन के साथ, संपत्ति के अधिकार का उपयोग पहले से कहीं अधिक जरूरी हो गया है। वन्यजीव दो तरह से खतरे में आ जाता है। पहला, अगर एक जानवर मानव जाति के लिए किसी भी 'उपयोग' का नहीं है। दूसरे, जब एक पशु उत्पाद के लिए वाणिज्यिक मांग खुले बाजार के जरिए पूरी नहीं हो पा रही है। उदाहरण के लिए मगरमच्छ/साँप की चमड़ी, गैंडे के सींग, हाथीदांत आदि| इन उत्पादों पर प्रतिबंध लगाना इस समस्या का एक बहुत बुरा समाधान है। इसके बजाय, इसके लिए ऐसी विनियमित प्रणालियां बनाई जानी चाहियें जो उपयुक्त निवास (निवास स्थान के संरक्षण की भी आवश्यकता होगी) और उपयुक्त परिस्थितियों में सख्त विनियामक निरीक्षण के तहत उत्पादन के उचित स्तर की अनुमति देती हों। ऐसे अच्छी तरह से नियंत्रित और प्रमाणित उत्पादों को जब बाज़ारों में बेचा जायेगा तो संरक्षित आवासों में (जहां किसी उत्पादन की अनुमति नहीं दी जाती) अवैध शिकार को खत्म करने में मदद मिलेगी और गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों का संरक्षण सुनिश्चित होगा| इसके साथ ही अनेकों नयी नौकरियां और वैज्ञानिक अनुसंधान को आगे बढ़ाने के अवसर पैदा होंगे।

१२.५.१.३ खान और खनिज संपदा

संपत्ति के अधिकार सदा भूमि की सतह से संबंधित होते हैं। जो उसके ऊपर है, (अर्थात, हवा, अंतरिक्ष, विद्युत चुम्बकीय वर्णक्रम) और नीचे है,(अर्थात् खनिज, पानी) वह पूरे देश की संपत्ति है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि ये संसाधन किसी एक व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं हो जाते, हम स्थान-आबंटन तंत्र की स्थापना करेंगे| ये तंत्र शुल्क (पूर्वेक्षण के लिए) और रॉयल्टी के एक उचित संयोजन के माध्यम से संचित निधि के लिए राजस्व उत्पन्न करेगा।

एक प्रमुख आवंटन सिद्धांत है - प्रत्येक श्रेणी के लिए दुनिया के सबसे अच्छे तरीकों के अनुसार निर्धारित लाइसेंस अवधि के साथ लाइसेंसों के बाजार बदले जाना। जहां एक संसाधन के बारे में निश्चितता का स्तर ऊंचा होगा, वहां नीलामी पर विचार किया जाएगा। हम सार्वजनिक डोमेन में प्रकाशित जानकारी के साथ संसाधनों के चल रहे व्यावसायिक मानचित्रण कमीशन द्वारा एक संसाधन के बारे में अनिश्चितता को कम करने के लक्ष्य के लिए कार्य करेंगे।

अपेक्षाकृत लंबी अवधि के दृष्टिकोण, जो कि मौजूदा भूमि मालिकों (पारंपरिक सहित) के अधिकारों को सुनिश्चित करते हुए स्वस्थ, प्रतिस्पर्धी उद्योगों (जैसे कोयला / गैस / दूरसंचार) के विकास को प्रोत्साहित करते हैं, उन्हें लाइसेंस आबंटन प्रक्रिया का एक हिस्सा बनने की जरूरत है।

भारत की भूमि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, जो खनिजों में काफी समृद्ध है के साथ मिलती-जुलती है। सही प्रोत्साहन देने से हम न केवल खानों के अन्वेषण और खनिजों की निकासी में महत्वपूर्ण निवेश को आमंत्रित करने में सफल होंगे, बल्कि इससे नए-नए रोजगार पैदा करने और खनिज आयात को कम करने में भी मदद मिलेगी|

१२.५.१.४ भूमिगत जल

भूमिगत जल संसाधनों को राज्य द्वारा नियंत्रित किए जाने की जरूरत है। हम इस तरह के उपयोग पर नजर रखने के लिए नवीनतम तकनीकों का समर्थन करेंगे और पानी आवंटित करने के लिए बाजार आधारित तंत्र को लागू करेंगे। उचित निजी संपत्ति मॉडलों को भूमिगत पानी और अन्य आम पूल संसाधनों पर लागू किया जाएगा, ताकि हमारे सीमित, लेकिन अक्षय प्राकृतिक संसाधनों को बनाए रखने के लिए लोगों को सही प्रोत्साहन मिल सके।

१२.५.२ सशक्त नियामक व्यवस्था

ऊपर रेखांकित विनियामक उपायों के अलावा हम एक जोखिम आधारित प्रणाली के माध्यम से भारत के पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम को अपग्रेड करेंगे। स्थिरता और पारिस्थितिक प्रभाव का विश्लेषण, अनिवार्य आवश्यकताओं के उल्लंघन के लिए महत्वपूर्ण दंड के साथ, बुनियादी ढांचे और औद्योगिक परियोजनाओं के मूल्यांकन के एक भाग के रूप में सुदृढ़ किया जाएगा। कुछ मामलों में उद्योगों को नये तरीके खोजने पर मजबूर करने के लिए (जैसे, उत्सर्जन के लिए) कड़े मानकों की स्थापना की जाएगी। 'अधिकार की बात के रूप में' ज्यादातर मामलों में निर्माण करने के लिए कानून के अनुपालन के अधीन अनुमति दी जाएगी| अर्थात उद्योगों को तब तक लाइसेंस के बिना निर्माण की अनुमति होगी, जब तक वे अनुपालन प्रदर्शित कर रहे हैं। अगर किसी आकलन के लिए

किसी परियोजना पर रोक लगाने की आवश्यकता है तो रोक पर सख्त समय सीमा लगायी जाएगी।

पर्यावरण विनियमन के बोझ को सुव्यवस्थित किया जाने की जरूरत है, वरना बढ़ते-बढ़ते इस तरह के विनियम समाज के लिए एक घाटा बन सकते हैं। हम देरी की लागत को कम करने के लिए नए पर्यावरण नियमन के संचयी बोझ का आकलन करेंगे| इसके लिए लाइसेंस को अनुपालन प्रमाणपत्र के साथ प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता होगी। कुछ विशिष्ट पर्यावरण नीतियां नीचे उल्लिखित हैं।

१२.५.२.१ प्रदुषण करने वालों से सफाई की लागत वसूली जाएगी

जहाँ तक प्रदुषण फ़ैलाने वालों की व्यक्तिगत पहचान की जा सकेगी जैसे जहाजों द्वारा विषाक्त द्रवों का फैलाव करने वालों की तो ऐसी किसी भी सफाई की लागत सीधे उनसे वसूल की जाएगी। अतिशय मामलों में कारावास सहित निवारक दंड लागू होगा।

१२.५.२.२ सामान्य प्रदूषण के लिए पिगोवियन कर

जहाँ प्रदूषकों की व्यक्तिगत पहचान करना संभव नहीं है, वहां समीपस्थ गतिविधियों पर पिगोवियन कर लगाया जाएगा। प्रदूषित करने की सीमा के भीतर परमिट के व्यापार जैसे अच्छी तरह से परीक्षित बाजार आधारित समाधानों को प्रदूषण को कम करने के लिए प्रोत्साहन के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। पिगोवियन करों से जुटाई गई रकम कभी भी लगायी गई वास्तविक सामाजिक लागत से अधिक नहीं होगी, और इस तरह की सभी निधियों को विशुद्ध रूप से सफाई की लागत को पूरा करने के लिए प्रयोग किया जाएगा।

१२.५.२.३ अंतिम उपाय: सरकार द्वारा प्रत्यक्ष प्रबंधन

नियामक नियंत्रण के तहत सार्वजनिक भूमि और पानी के निजीकरण (पट्टे) के बाद भी, जमीन और पानी के कुछ ऐसे खंड बाकी रह सकते हैं, जिन्हें जैव विविधता के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा प्रत्यक्ष प्रबंधन की आवश्यकता हो सकती है। ये इलाके अवश्य ही बहुत छोटे और प्रबंधनीय होंगे। जहाँ ऐसा करना बिल्कुल अपरिहार्य होगा, वहां प्रतिस्पर्धात्मक रूप से प्रस्तुत विशेषज्ञ संगठनों को सीधे इस तरह के क्षेत्र का प्रबंधन और अच्छे परिणाम देने के लिए वित्त पोषित(नौकरशाही नहीं) किया जाएगा।

१२.६ मुक्त उद्यम के उदाहरण

पहले चर्चा किये जा चुके विशिष्ट उद्योगों के अलावा, अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों के लिए लागू उद्यम की स्वतंत्रता के सामान्य सिद्धांतों के साथ कुछ अन्य उद्योगों के उदाहरणों पर नीचे चर्चा की जा रही है।

१२.६.१ सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र

सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र (केबल बिछाने और अपलिंकिंग करने, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स और अर्धचालक उद्योग, संचार उपग्रहों, इंटरनेट टेलीफोनी, आदि) पूरी तरह से निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया जाएगा। हैवी लाइसेंस फीस और कंपनियों के लिए प्रदेशों के निर्धारण(जहां इस तरह का आवंटन सरकार द्वारा किया जाता है) की प्रथा को खत्म कर दिया जाएगा।

१२.६.२ आवास उद्योग

भारत में कुछ अनुमानों के अनुसार २० लाख से भी अधिक आवासों की कमी है। जबकि घर का स्वामित्व सबके लिए महत्वपूर्ण है| इसे सबसे अधिक बढ़ावा निजी उद्यम और उसके फलस्वरूप हुए आर्थिक विकास के माध्यम से मिलता है। इसलिए स्थानीय सरकार और भू-अभिलेखों के व्यवसायीकरण सहित हमारी अन्य कहीं रेखांकित नीतियां लोगों को एक और अधिक लचीली क्षेत्रीकरण प्रणाली के माध्यम से अपने घरों की खरीद करने की अनुमति और सुरक्षित भूमि अधिकार प्रदान करेंगी। हम उम्मीद करते हैं कि आवास उद्योग जल्दी ही भारत का सबसे बड़ा रोजगार के अवसर पैदा करने वाला उद्योग बन जायेगा।

१२.६.३ सेक्स उद्योग को माफिया के हाथों से बाहर निकालना

भारत में सेक्स उद्योग के नियमन की मौजूदा प्रणाली बहुत अनुदार है और हद से ज्यादा पुरानी हो चुकी है। इसने एचआईवी और अन्य रोगों के खतरे को भी काफी बढ़ा दिया है। यह मानव तस्करी जैसे शातिर अपराध को भी बढ़ावा देता है, अपराधियों और माफिया को आकर्षित करता है और भ्रष्ट अधिकारियों, पुलिस और राजनेताओं के बीच असामाजिक मिलीभगत को बढ़ावा देता है।

चाणक्य के अर्थशास्त्र में दिए गए विवरण के अनुसार भारत एक समय एक विश्व नेता और सेक्स उद्योग विनियमन के प्रर्वतक के रूप में विख्यात था। पूरे समाज के लिए एक नैतिक और अच्छी तरह विनियमित व्यवस्था बनाने के लिए, हमें पाखंड और अपराध के लिए अंडरवर्ल्ड के समर्थन के युग से आगे बढ़ने की जरूरत है। केवल पहचान करने, कर लगाने, विनियमित करने, निगरानी और इस पेशे में फंसे लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवा प्रदान करके ही इस व्यापार में आने को मजबूर किये गए लोगों को बचाया जा सकता है और साथ ही स्वेच्छा से काम करने वालों (और उनके बच्चों)का संरक्षण किया जा सकता है। एक सक्रिय नियामक दृष्टिकोण के बिना जो आपराधिक गड़बड़ आज हम देख रहे हैं, वह इसी प्रकार चलती रहेगी और पुलिस और गुंडे (और कभी-कभी कुछ धार्मिक संस्थायें भी) इस टकसाल रुपी व्यवसाय से नोट छापते रहेंगे।

हम सेक्स उद्योग विनियमन की समीक्षा करेंगे और उद्योग को भूमिगत (जो दुनिया के सबसे पुराने पेशे के रूप में विख्यात है) होने के लिए मजबूर किये बिना निजी और सार्वजनिक सुरक्षा, मानव तस्करी की रोकथाम, रोग और सामाजिक शालीनता के संरक्षण की रोकथाम के प्रमुख उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कानून बनाएंगे। इस समीक्षा में सेक्स के काम और उससे संबद्ध (अश्लील) साहित्य के उत्पादन और वितरण, दोनों ही को शामिल किया जाएगा और अभिव्यक्ति की आज़ादी की कसौटी पर इसका परीक्षण किया जाएगा।

एक सामान्य सिद्धांत के रूप में, इस पर लगी किन्हीं भी रोकों को हटा लिया जाएगा, ताकि अर्थव्यवस्था के इस क्षेत्र की बेहतर निगरानी की जा सके और उत्तरदायी नीतियों की शुरुआत हो सके। इस दृष्टिकोण से, मर्यादा, शांति और शालीनता को सुनिश्चित किया जा सकेगा, चाहे लाइसेंस / अनुपालन के प्रमाणीकरण द्वारा बड़ी मात्रा में राजस्व उत्पन्न किया जा रहा हो।

कृषि और तृतीयक शिक्षा के क्षेत्र में मुक्त उद्यम के बारे में निम्नलिखित अध्यायों में चर्चा की गई है।

१३. कृषि में मुक्त उद्यम

हमारे सबसे कुशल नागरिकों में से कुछ हैं हमारे किसान| वो लगातार एक ऐसे शासन द्वारा पीछे धकेले जाते रहे हैं, जो प्रौद्योगिकी तक पहुँचने में बाधाओं, निर्यात पर रोक और विदेश से कथित 'डंपिंग' पर, और कृषि जिंसों की आवाजाही, भंडारण और प्रसंस्करण पर प्रतिबंध के माध्यम से उनके कार्य करने की स्वतंत्रता पर रोक लगाता है। अनिवार्य रूप से कम कृषि मूल्यों ने (अक्सर बिना विचारे हुए अस्थिर) किसानों को और गरीब बनाया है, जिसके परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी, कर्ज और बेरोजगारी में अतीव वृद्धि हुई है। भले ही खाद्य सुरक्षा भारत के लिए एक प्रमुख मुद्दा है पर किसानों को बन्धनों में जकड़ देना इसका समाधान नहीं है।

हमें दुनिया के सबसे बड़े सिंचित क्षेत्र और सबसे उपजाऊ भूमि की सौगात मिली है। भारत कृषि के विनियंत्रण से न केवल अपनी घरेलू जरूरतों की आराम से आपूर्ति कर सकता है, बल्कि चीन और अफ्रीका की बढ़ती मांग को भी पूरा कर सकता है। अफसोस की बात है कि मौजूदा नीतियां खेती को प्रोत्साहन न देने के कारण कम और अस्थिर कृषि उत्पादकता का कारण हैं। हमारी इन नीतियों ने कृषि आदानों की उत्पादकता वृद्धि में तेजी से गिरावट, अत्यधिक भूजल निकासी, मिट्टी की कम उर्वरता, खाद का अपर्याप्त उपयोग, कृषि जैव विविधता और आधुनिक तकनीकों के अपर्याप्त उपयोग जैसी समस्याओं को जन्म दिया है। इन प्रतिबंधों के कारण कृषि क्षेत्र (ग्रामीण पूँजी का शहर की ओर बहाव) की सब्सिडी नकारात्मक स्तर पर पहुँच गई है। (सकल सहायता मापन (एएमएस) पिछले वर्षों में कई मौकों पर ऋणात्मक हो गया है।)

यहाँ तक कि विभिन्न प्रतिबंधात्मक नीतियों के नकारात्मक प्रभावों को कम करने के उद्देश्य से दी गई सब्सिडी भी फायदे के बजाय नुकसान करती है, क्योंकि:

• अधिकतर सब्सिडीयां अमीरों की जेब में पहुँच जाती हैं, जैसे उर्वरकों, विशेष रूप से यूरिया का उत्पादन करने वाली कंपनियां; और उनकी मंजूरी और वितरण में शामिल राजनीतिज्ञ और नौकरशाह। सब्सिडी प्राप्त उर्वरक की कीमतों ने भारतीय उर्वरकों को पड़ोसी देशों में तस्करी से भेजे जाने के लिए प्रेरित किया है, और इससे भारतीय करदाताओं के धन का विदेशों में हस्तांतरण हो जाता है;

• पानी बचाने की तकनीकों जैसे ड्रिप सिंचाई और जल संचयन को प्रोत्साहन देने के बजाय रियायती दर पर मिलने वाली बिजली के कारण भूजल का अत्यधिक मात्रा में

उपयोग होता है, जो हमारी खाद्य सुरक्षा के भविष्य को खतरे में डालता है। फसल उत्पादन की जगह पानी की भूखी फसलों ने ले ली है। पहले जहाँ उत्तर भारत में बड़े पैमाने पर बाजरा और मक्का का उत्पादन होता था, वहीँ अब ज्यादा पानी की ज़रुरत वाले गेहूं और चावल मुख्य फसल बन गए हैं;

• नागरिक ही अंततः इन सब्सिडीयों के लिए भुगतान करते हैं, क्योंकि सरकार धन का उत्पादन नहीं करती; और

• सब्सिडी घाटे की वित्त व्यवस्था के माध्यम से मुद्रास्फीति में योगदान देती है। यह रुपये के मूल्य को कम करती है, किसानों के भी।

ऐसी नीतियों के परिणामस्वरुप किसान अब ऋणों के बोझ तले दबे हैं और कृषि एक हारा हुआ पेशा बन गया है। किसान अब समय से पहले ही खेत छोड़ रहे हैं। लेकिन हमें क्रमबद्ध संरचनात्मक परिवर्तन की ज़रुरत है, न कि बड़े पैमाने पर संरचनात्मक बदलावों की, जिन्हें वर्तमान में अपनाया जा रहा है। इन नीतियों के परिणाम किसान आत्महत्या की ऊंची दर के साथ और भी बुरे रहे हैं।

१३.१ एम.एस. स्वामीनाथन की सिफारिशों की अपर्याप्तता

हमने डॉ एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिशों की समीक्षा की और उनमें से कई महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में हम चिंतित हैं। इसकी अधिकांश सिफारिशें कृषि को मुक्त करने के बजाय सब्सिडी पर किसानों की निर्भरता बढ़ाने और नए नौकरशाही कार्यक्रमों का निर्माण करने का कार्य करेंगी। यह रिपोर्ट सोच या नीति की दिशा में तत्काल रूप से जरूरी बुनियादी बदलाव का प्रतिनिधित्व नहीं करती। हमारा मानना है कि जो लक्ष्य यह रिपोर्ट प्राप्त करना चाहती है, उन्हें नीचे सुझाये बाजार आधारित सुधारों के एक समूह के माध्यम से सबसे अच्छी तरह प्राप्त किया जा सकता है।

१३.२ एक बाजार आधारित कृषि नीति

हम किसानों पर सरकार द्वारा लगाए गए बंधनों से उन्हें मुक्ति देकर और उन्हें खुले बाजार में प्रतिस्पर्धा करने लायक बनाकर उन्हें वह सम्मान देंगे, जिसके वे वास्तव में हकदार हैं। हम सरकार को लगभग पूरी तरह से कृषि से बाहर कर देंगे। हम फसल

कटाई के बाद के कार्यों, विपणन और निर्यात पर प्रतिबंधों सहित उत्पादन, आवाजाही और कृषि आदानों के मूल्य निर्धारण पर सभी प्रतिबंधों को हटा देंगे। हम पर्यावरण के संरक्षण (उदाहरण के लिए पानी का स्तर और जैव विविधता) और रसद, फसल बीमा और अन्य सहायक उद्योगों को भली प्रकार नियंत्रित करेंगे। इस तरह के बाजार आधारित सुधारों से न केवल लाखों किसानों को एक नया जीवन प्राप्त होगा, बल्कि ये बड़े पैमाने पर रसद चेन और फसल बीमा में निजी निवेश द्वारा समर्थित क्षेत्रों में अभिनव प्रयोगों को भी सुनिश्चित करेंगे। ऐसे कुछ विवरण नीचे दिए गए हैं।

१३.२.१ निर्माण और व्यापार करने के लिए स्वतंत्रता

हम खुले मुक्त व्यापार के माध्यम से प्रासंगिक बाजारों और प्रौद्योगिकियों का किसान के लिए उपयोग सुनिश्चित करेंगे, वो भी बिना किसी रोकथाम के। कृषि क्षेत्र पर सभी अनावश्यक नियामक प्रतिबंध, जैसे खेत और मिलों के बीच न्यूनतम दूरी के बारे में नियम, हटा दिये जायेंगे।

बाजार उत्पादकता और नवीनता के लिए स्वनिर्मित प्रोत्साहन प्रदान करता है। मुक्त बाजार भविष्य को देखता है (उदाहरण के लिए वायदा बाजार) और आपात स्थिति के लिए खाद्य स्टोर करता है। किसी भी संभावित मौसमी कमी को सबसे अच्छी तरह मुक्त बाजार से समय पर आयात के जरिए पूरा किया जा सकता है। वैश्विक खाद्य बाजार में पहुँच होने पर दक्षता और नवीनता की वृद्धि के लिए प्रतिस्पर्धी दबाव डालते हुए खाद्य निर्यात और आयात दोनों ही किये जा सकते हैं।

मुक्त व्यापार किसानों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है। मिल-मालिक लॉबियां अक्सर निर्यात ब्लॉक करने के लिए राजनेताओं को रिश्वत देती हैं। इसके कारण एक बार-बार खुलने-बंद होने वाली निर्यात नीति का निर्माण होता है, जो किसान को हानि पहुँचाता है, लंबी अवधि की योजनाओं को रोकता है और भारत की बदनामी करवाता है। भारतीय कृषि व्यवसायों को पैरवी के माध्यम से नहीं, खुली प्रतियोगिता के तहत फलना-फूलना चाहिए।

इन सुधारों से किसान अधिक मूल्यवान उपज को फिर से प्राथमिकता दे पाएंगे। कृषि के क्षेत्र में एक बढ़िया अवसर आज चीन में है, क्योंकि वहां मांस की मांग में काफी वृद्धि हो रही है। हम मांस प्रसंस्करण के लिए मानवीय पशु वध और स्वच्छता को नियंत्रित

करेंगे, हालांकि अगर किसानों को अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है, तो उत्पादन के विकल्पों में लचीलापन लाना ज़रूरी है। कई किसानों द्वारा अपनी योग्यताओं के विकास और शहरों में स्थानांतरित होने के साथ सेक्टर के तेजी से पुनर्गठन की प्रक्रिया से गुजरते हुए होने के बाद भी, उच्च मूल्य के उत्पादन के लिए ऊपर उठने से, भारतीय कृषि क्षेत्र की समृद्धि में काफी वृद्धि होगी।

१३.२.२ किसानों के लिए मजबूत संपदा अधिकार

एक मजबूत और भ्रष्टाचार मुक्त भूमि रिकार्ड प्रबंधन प्रणाली पर जोर देने के साथ-साथ, हम कृषि क्षेत्र में प्रवेश और निकास को मुक्त करने के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। इस संबंध में दो प्रमुख नीतियां हैं:

1) भूमि के उपयोग का रूपांतरण, विशेष रूप से कृषि भूमि का गैर कृषि उपयोग के लिए रूपांतरण, किसानों के लिए एक निष्पक्ष बाजार के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा है। जबकि शहरीकरण अनुपजाऊ भूमि पर किया जाना सबसे अच्छा होता है, कृषि भूमि के उपयोग में परिवर्तन को सीमित करना खाद्य सुरक्षा या बेहतर शहरीकरण प्राप्त करने के लिए सही तरीका नहीं है। यह मौलिक रूप से गलत है कि किसानों से बाजार मूल्य पर उनकी संपत्ति बेचने का अधिकार उनसे छीन लिया जाये।

केवल बाजार ही भूमि के एक टुकड़े का सबसे अच्छा उपयोग निर्धारित कर सकते हैं। हम किसानों को बिना किसी भी क्षेत्रीय प्रतिबंध के, किसी भी कीमत पर, किसी को भी उनकी ज़मीन के निपटान का अधिकार देंगे। केवल एक प्रतिबंध निर्माण के आकार और प्रकार पर निर्भर करते हुए, निर्माण की अनुमति/अनुपालन प्रमाणपत्र आवश्यकताओं से संबंधित होगा। कृषि क्षेत्र की तेजी से बढ़ती उत्पादकता इस प्रक्रिया के माध्यम से बड़ी आसानी से कृषि भूमि के किसी भी नुक्सान की भरपाई कर देगी।

किसानों की जमीन खरीदने की इच्छुक निजी कंपनियां किसानों को उनकी कंपनी के शेयर दे सकती हैं,(भूमि के बाजार मूल्य के अलावा)जिससे वे भी भविष्य में कंपनी द्वारा अर्जित समृद्धि का एक हिस्सा बन सकते हैं।

2) भूमि पर लगाई गईं उच्चतम सीमायें संपदा अधिकारों के साथ असंगत हैं क्यूंकि वो एक व्यक्ति को बड़े भूभाग का मालिक बनने से रोकती हैं और भारी भ्रष्टाचार और

धोखेबाजी को जन्म देती हैं। सभी भूमि हदबंदी कानून इस तरह के कानूनों को शरण प्रदान करने वाली संविधान की अनुसूची ९ को हटाकर निरस्त कर दिये जाएंगे।

3) इसके अलावा हम निजी भूमि के आदान-प्रदान के लिए ज़मीन के स्वैच्छिक समेकन को समर्थन देने वाली सुविधा की भी शुरुआत करेंगे। इस तरह के आदान-प्रदान से उत्पादकता की राह की बाधायें कम होंगी। हालांकि, हम गांवों में मौजूदा गोचर भूमि (चराई भूमि) की दृढ़ता से रक्षा करेंगे और ऐसी भूमि पर अवैध कब्ज़ा करने वालों को सज़ा दी जाएगी।

१३.२.३ कुल कीमतों में ढील के साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य को तीन साल के भीतर समाप्त करना

न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) प्रणाली बिलकुल बेकार साबित हुई है। इसने भारतीय किसान की उद्यमशीलता की गतिशीलता को नष्ट कर दिया है और कृषि सब्सिडी व्यवस्था के साथ मिलकर किसानों के प्रोत्साहनों को विकृत करके पानी की कमी वाले पंजाब में उन्हें चावल की फसल उगाने को प्रोत्साहित किया है। हम कीमतों के किसी भी तरह के नियंत्रण के बिना एक अच्छी तरह विनियमित कृषि बाजार बनायेंगे। बाजार के स्वतंत्र संकेतों को समझ कर किसान सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी फसलों का उत्पादन करेंगे।

एक संक्रमणकालीन रणनीति के तहत, हम तीन साल की जांच अवधि के दौरान कुछ चुनिंदा मामलों में एक फ्लोर प्राइस तय करेंगे। हमें उम्मीद है कि जल्दी ही एक मजबूत वायदा बाजार की शुरुआत होगी, जहां किसान अपने कीमत से जुड़े जोखिमों को कुछ हद तक बाजार के व्यापारियों को पारित कर सकते हैं।

१३.२.४ सभी कृषि सब्सिडी और अनावश्यक हस्तक्षेप को हटाना

हम सिंचाई (पानी) और बिजली सब्सिडी सहित सभी कृषि सब्सिडीयों को पूरी तरह हटा देंगे। इसके अलावा हम भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) जैसे अनावश्यक हस्तक्षेपों को भी हटाकर उनकी जगह अच्छी तरह से नियंत्रित बाजार आधारित निजी विपणन और भंडारण नेटवर्क स्थापित करेंगे।

अंत में, जैसे ही एनआईटी जैसे गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम शुरू होंगे, अनिवार्य खरीद के द्वारा समर्थित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को निरस्त कर दिया जाएगा।

१३.२.५ सरकारी ऋणों की समाप्ति

कृषि क्षेत्र के लिए कोई नया ऋण सरकार द्वारा (या सरकार द्वारा समर्थित) जारी नहीं किया जाएगा। इसके बजाय, एक अच्छी तरह विनियमित निजी ऋण बाजार को प्रोत्साहित किया जाएगा। यह पूरी तरह कानून में सन्निहित होगा।

जहाँ तक मौजूदा ऋणों का संबंध है, हम किसानों से किसी भी प्रकार की बलपूर्वक वसूलियों पर रोक लगायेंगे। इसके बजाय हम इन ऋणों को निजी बाजार में, ऋण वसूली की शर्तों के साथ, बेच देंगे। कोई ऋण माफ नहीं किया जाएगा।

१३.२.६ कृषि के लिए एक आधुनिक नियामक व्यवस्था

१३.२.६.१ कृषि विपणन उत्पाद समितियों (एपीएमसी) का उन्मूलन

एपीएमसी मंडियों में थोक व्यापारी संघ के रूप में कार्य करते हैं। इस सम्बन्ध में मोदी सरकार की ओर से कुछ सुधारों को शुरू किया गया है। हम इन सुधारों को पूरा करेंगे और एपीएमसी को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे।

बाजार खोलने से व्यापारियों और किसानों को स्वतंत्र रूप से खरीदने और बेचने की सहूलियत मिलेगी और भारत को एक राष्ट्रीय बाजार बनने में मदद। हमें कृषि उत्पादों के मूल्य को अधिकतम करने के लिए कोल्ड चेन स्थापित करने के लिए खुदरा क्षेत्र में, और खास करके निजी क्षेत्र में, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की पूरी उम्मीद है। उदाहरण के लिए, बड़े खुदरा विक्रेता, किसानों से सीधे उपज खरीद सकेंगे और इस कारण खराब होने वाला माल का घाटा कम हो सकेगा।

१३.२.६.२ कीटनाशक और उर्वरक उपयोग का मजबूत नियंत्रण

कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग मानव और वन्य जीवन के लिए हानिकारक है। हम कीटनाशकों के विनियमन को अच्छी तरह से मजबूत बनाने के लिए अंतरराष्ट्रीय विधियों के अनुसार यह सुनिश्चित करेंगे कि फसलों के लिए कीटनाशकों की सही मात्रा ही प्रयोग की जाए। यह नियामक बोझ को बढ़ा सकता है, लेकिन कैंसर और अन्य परिहार्य बीमारियों के कम होने से जो लाभ होगा उससे इसकी भरपाई हो जाएगी।

१३.२.६.३ आवश्यक वस्तु निरसन अधिनियम

आवश्यक वस्तु अधिनियम एक कठोर कानून है जो भारत भर में खाद्य उत्पादों के मुक्त व्यापार और आवाजाही में हस्तक्षेप करता है। हमारा मानना है कि एक सरकार को तथाकथित 'खाद्य काला बाजारी' या भोजन की 'होर्डिंग' में हस्तक्षेप करने का कोई हक नहीं है। बाजार को अगर अपने हाल पर छोड़ दिया जाए, तो वह पर्याप्त खाद्य उत्पादों को आकर्षित करने के लिए खुद रास्ता ढूंढ लेगा। इस कानून को पूरी तरह निरस्त कर दिया जाएगा।

१३.२.६.४ आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों के लिए नियामक व्यवस्था

हमें आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों (जीएमओ) के लिए एक प्रमाण-आधारित और मजबूत नियामक दृष्टिकोण रखना होगा। आज भारत को आधुनिक विज्ञान से लाभान्वित होने से रोकने के लिए एक गुमराह आंदोलन चलाया जा रहा है। हम भी और सब की तरह इसके लिए चिंतित हैं| इसलिए इससे जुड़े वास्तविक मुद्दों की पहचान की जानी चाहिए और उन्हें सही ढंग से निबटाना चाहिए, लेकिन यह सब वैज्ञानिक सबूतों पर आधारित होना चाहिए न कि अपने वैचारिक पूर्वाग्रहों पर। खाद्य उत्पादन और आपूर्ति के नियमन में सभी प्रासंगिक अनुसंधानों के मूल्यांकन भी शामिल होंगे।

बीटी कपास ने पांच साल में भारत का कपास उत्पादन दोगुना कर दिया और हमें दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक बना दिया। लेकिन नवंबर २००९ में, मोनसेंटो वैज्ञानिकों ने पाया कि गुलाबी बोलवर्म गुजरात के कुछ हिस्सों में पहली पीढ़ी के बीटी कपास के लिए प्रतिरोधी बन गया था। मोनसेंटो ने इसका जवाब कई बीटी प्रोटीन वाली एक दूसरी पीढ़ी की कपास शुरू करके दिया, जिसे तेजी से अपना लिया गया। पहली पीढ़ी के बीटी कपास के लिए बोलवर्म प्रतिरोध की ऑस्ट्रेलिया, चीन, स्पेन और संयुक्त राज्य अमेरिका में भी पहचान की थी। आईआईएम अहमदाबाद के प्रोफेसर ए के गुप्ता लिखते हैं कि उन्होंने आज तक बिना किसी अवांछित तत्व(जैसे, किनारे पर गैर बीटी कपास की पंक्तियां) के एक भी बीटी कपास नहीं देखा है। बीटी जीन के लिए प्रतिरोध एक ज़रूरी परिणाम है।

साथ ही, कीटनाशकों के जीएमओ के साथ जुड़े उपयोग के संबंध में भी कुछ चिंताएं हैं(जैसे राउंड अप कीटनाशक)। यह इंगित करता है कि इस बात की देखभाल करना जीएमओ के आपूर्तिकर्ताओं और उपयोगकर्ताओं का एक कर्तव्य है। विशेष रूप से आपूर्तिकर्ताओं को जीएमओ के समुचित उपयोग के लिए किसानों को शिक्षित करने और

उन पर नजर रखने की जरूरत है। किसानों को भी जीएमओ और कीटनाशकों के उपयोग की प्रासंगिक आवश्यकताओं का पालन करने की जरूरत है।

१३.२.६.५ सहकारी खेती

हमारा मानना है कि किसानों के पास पेशेवर प्रबंधन और समर्थन का उपयोग करने का विकल्प होना चाहिए। इसके लिए और अधिक संवेदनशील सहकारी खेती नियमन की आवश्यकता है। वर्तमान विनियमन जो सहकारी विभाग के अधिकारियों को भ्रष्ट, सनकी कार्यों में संलग्न होने की अनुमति देता है, उसकी अच्छी तरह से जांच की जाएगी। इस सुधार से कृषि प्रसंस्करण और कोल्ड चेन की सुविधा मिलेगी, जिससे अंततः कृषि आय बढ़ेगी।

१३.२.६.६ दावों की प्रामाणिकता के लिए जैविक खेती का नियमन

भोजन की गुणवत्ता में किसी भी प्रत्यक्ष अंतर के अभाव के बावजूद जैविक उत्पादों के लिए मांग लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन फिर भी, इसके एक ईमानदार प्रकटीकरण की जरूरत है ताकि ग्राहक दावों की प्रामाणिकता के प्रति आश्वस्त रहें।

१३.२.७ समर्थन बाजारों का विकास

हम कृषि क्षेत्र में अच्छी तरह विनियमित बाजारों का विकास करेंगे, जैसे:

• प्राइवेट फसल बीमा बाजार। अपने हालात के ईमानदार प्रकटीकरण के माध्यम से भारतीय किसानों को अनपेक्षित आकस्मिकताओं से होने वाले बड़े नुकसान से बचने के लिए अवसर मिल जाएगा;

• निजी जानकारी नेटवर्क जो गांवों में इंटरनेट उपलब्ध कराते हैं; और

• मृदा परीक्षण और उत्पादन के प्रमाणीकरण के लिए निजी प्रयोगशाला नेटवर्क, इसका इस्तेमाल प्रासंगिक अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ अनुपालन को मान्यता देने के लिए होगा।

१४. तृतीयक शिक्षा के क्षेत्र में मुक्त उद्यम

भारत एक युवा राष्ट्र है जिसकी जनसंख्या की बहुत बड़ी आबादी ३० साल से कम उम्र का है। दुर्भाग्य से हमारे अधिकांश युवा अपर्याप्त रूप से शिक्षित और बेरोजगार हैं। हमें अपने युवाओं के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा तक तत्काल पहुँच सुनिश्चित करने की जरूरत है। इसका मतलब यह नहीं है कि सरकार को सीधे शिक्षा प्रदान करना चाहिए। आज जो मौजूदा स्थिति है, वास्तव में, वह पैदा ही इस कारण(सरकार द्वारा शिक्षा के प्रत्यक्ष प्रावधान से) से हुई है।

इसके बजाय, एक सरकार को शिक्षा उद्योग को आजाद छोड़ देना चाहिए और गुणवत्ता के लिए उसका हल्का-फुल्का सह-विनियमन करना चाहिए। इससे नागरिक बाधाएं पैदा करने वाले आधिकारिक निर्देशों से प्रभावित हुए बिना अपने और अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए मुक्त हो जायेंगे।

इस खंड में हम व्यावसायिक और उच्च शिक्षा नीतियों पर चर्चा कर रहे हैं। स्कूल उद्योग के लिए अलग से चर्चा की जाएगी क्योंकि उस क्षेत्र में सरकार की और अधिक प्रत्यक्ष भूमिका है।

तृतीयक शिक्षा के क्षेत्र में एक सरकार की भूमिका (अर्थात् १२ साल बाद व्यावसायिक और उच्च शिक्षा) मौलिक रूप में स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में उसकी भूमिका से अलग है। इसकी वजह यह है कि उच्च शिक्षा के लाभ काफी हद तक छात्रों को मिलते हैं, जो औसतन, औसत करदाता की तुलना में कहीं अधिक धन अर्जित करेंगे। इसका मतलब इस क्षेत्र में कोई भी सब्सिडी देना विपरीत सब्सिडी है - जो गरीब से अमीर(भावी)के लिए है। समान अवसर के आधार पर उच्च शिक्षा के लिए किसी भी विशेष व्यक्ति के लिए कोई हक या अधिकार नहीं हैं। तृतीयक व्यावसायिक और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए इकलौता एक ही विशेष अधिकार है जो कड़ी मेहनत और क्षमता पर निर्भर करता है। गरीब के लिए समान अवसर का तर्क १२ वर्ष की स्कूली शिक्षा (व्यावसायिक शिक्षा सहित) तक के वित्त पोषण के लिए उचित है, उसके बाद नहीं। इस सब के अलावा, ज़ाहिरी तौर पर, एक तथ्य यह भी है कि उच्च शिक्षा के संस्थानों के प्रबंधन के लिए आवश्यक कुशलता उस सक्षमता से बिल्कुल अलग है जो नौकरशाहों और राजनेताओं के कुशल प्रबंधन के लिए जरूरी है| इसीलिए इस तरह के संस्थानों के प्रत्यक्ष प्रबंधन में उनकी कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए।

१४.१ तृतीयक (१२ साल के बाद की) व्यावसायिक शिक्षा

तृतीयक व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में भारत का प्रदर्शन निहायत कमजोर है| जबकि तृतीयक व्यावसायिक शिक्षा विनिर्माण, निर्माण और सेवाओं की क्षमता का आधार है। हमारी व्यावसायिक शिक्षा की घिसी-पिटी प्रणाली भारत की इक्कीसवीं सदी की जरूरतों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले कर्मचारियों की संख्या का निर्माण और समर्थन करने के लिए बिलकुल अपर्याप्त है।

जर्मनी में, कई व्यवसायों के लिए प्रशिक्षण - प्रशिक्षण और शिक्षा - के एक दोहरे कार्यक्रम के माध्यम से प्रदान किया जाता है। प्रशिक्षु एक सप्ताह में किसी कंपनी में तीन से चार दिन तक व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए काम करते हैं और शेष एक या दो दिन व्यावसायिक स्कूल में उसी शिक्षा के सैद्धांतिक ज्ञान के लिए व्यतीत करते हैं। यह प्रक्रिया दो से साढ़े तीन साल तक चलती है। इस अवधि के दौरान प्रशिक्षुओं को एक प्रशिक्षित कुशल कामगार के वेतन का एक तिहाई वेतन भी दिया जाता है। इस प्रणाली के कारण जर्मनी में एक विशाल उच्च कुशल श्रमिकों की संख्या का निर्माण हुआ है, जो उसे वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा में एक महत्वपूर्ण बढ़त देता है।

इसके लिए हमने दोहरी नीति का प्रावधान किया है:

•सामान्य स्कूल शिक्षा की तरह ही हम व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र को भी पूरी तरह से निजी उद्यम के लिए (एक न्यूनतम मानक सुनिश्चित करने के लिए सह-नियामक नियंत्रण के तहत) खोल देंगे, ताकि भारत के युवाओं में रोजगार कौशल का विकास सुनिश्चित हो सके। इसमें कहीं ज्यादा विस्तृत रूप से वर्णित स्कूल निजीकरण की तर्ज पर मौजूदा सरकारी तकनीकी संस्थानों का पूर्ण निजीकरण (बिक्री द्वारा) और निगमीकरण भी शामिल होंगे।

• स्कूलों जैसी ही एक नियामक प्रणाली को इसके लिए भी पेश किया जाएगा। इन संस्थानों द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र और डिप्लोमा विकसित देशों के समकक्ष होंगे। इन संस्थानों को अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थानों के साथ गठजोड़ के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इन व्यावसायिक संस्थानों के लिए नए उद्योगों या जहां प्रासंगिक उद्योग

संस्थान से एक उचित दूरी के भीतर स्थित नहीं है, के सिवाय जर्मन तर्ज पर छात्रों के लिए वैतनिक प्रशिक्षुता प्रदान कराना आवश्यक होगा।

१४.२ उच्च शिक्षा

हमारे देश में उच्च शिक्षा के लिए विश्व स्तरीय संस्थानों की संख्या बहुत कम है। हमारे लाखों छात्र गुणवत्ता वाली उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश जाने पर मजबूर हैं। उनमें से अधिकांश वापस नहीं आते क्योंकि वो देश अपने सबसे सक्षम छात्रों को वहीँ रखने के लिए उन्हें अनेक सुविधाएँ प्रदान करते हैं। एक ही तरीका है जिससे हम दुनिया की सबसे अच्छी तृतीयक शिक्षा प्रणाली का निर्माण कर सकते हैं वो है इस क्षेत्र को निजी प्रतिस्पर्धा के लिए खोल दिया जाये वो भी आइवी लीग के मानकों के सौ विश्वविद्यालयों के साथ| इससे यह ज्यादा निवेश और विशेषज्ञता को आकर्षित कर सकेगा।

सरकार द्वारा सहायता या उच्च शिक्षा के वितरण के प्रबंधन की कोई आवश्यकता नहीं है| लेकिन सरकार की इसमें एक छोटी सी भूमिका हो सकती है कि वह हर विद्यार्थी के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों में भर्ती सुनिश्चित करे वो भी उनकी धन क्षमता सीमाओं को बिना ध्यान में लाये। यह सरकार द्वारा छात्रों को सब्सिडी देने या उच्च शिक्षा संस्थानों के सीधे प्रबंधन के बिना भी सुलझाया जा सकता है। विस्तृत नीति नीचे उल्लिखित है।

१४.२.१ उच्च शिक्षा क्षेत्र का व्यापक निजीकरण

सभी सरकारी विश्वविद्यालयों, तकनीकी कॉलेजों और अन्य संस्थानों को सरकारी स्कूलों की तर्ज पर पूरी तैयारी के बाद और नीचे निर्दिष्ट बिक्री की शर्तों के साथ ३० महीने तक बेच दिया जाएगा। कुछ मामलों में इस तरह के संस्थानों के लिए भूमि को कम कर दिया जायेगा, विशेष रूप से जो प्रमुख शहरों के मध्य स्थित हैं, ताकि इन्हें स्वतंत्र रूप से राजस्व पैदा करने के लिए बेचा जा सके। बिक्री की शर्तों के अनुसार ये संस्थान:

• संस्थान गुणवत्ता के लिए सह-विनियमित किये जायेंगे। कोई नौकरशाह अगर आइंस्टीन को भौतिक विज्ञान पढ़ाने की कोशिश करेगा तो क्या यह उचित होगा? प्रत्येक विश्वविद्यालय अपने स्वयं के मानकों का फैसला करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। हम यूजीसी और एआईसीटीई जैसे निकायों को भंग कर देंगे। हालांकि हमें प्रत्येक

विश्वविद्यालय को अच्छी तरह स्थापित विश्वविद्यालय संघों से जोड़ने (क्षेत्र और भूमि के उपयोग के लिए मानकों सहित) की आवश्यकता होगी, जो आत्म नियामक मानकों को दुनिया के सबसे अच्छे मानकों से तुलनीय (या अधिक) बनाए रखता है। यह सह-विनियमित प्रणाली हमारे भ्रष्ट व्यवस्था के कारण हाल के वर्षों में जन्मे धोखेबाज़ 'विश्वविद्यालयों' को उखाड़ फेंकने में हमारी मदद करेगी। अगर किसी विश्वविद्यालय की ईमानदारी या अखंडता पर सवाल खड़े होते हैं तो उसकी भी नियामक कार्रवाई की जाएगी।

• ये संस्थान लाभकारी निगमों की तरह कार्य करेंगे, जिनके शेयरों का बाजार में कारोबार भी होगा। उनका एकमात्र उद्देश्य होगा तृतीयक शिक्षा प्रदान करना।जो भूमि इन संस्थानों को बेची जाएगी, उसे शुरूआती १९९ साल के लिए उच्च शिक्षा के प्राथमिक उद्देश्य के लिए प्रयोग करना आवश्यक होगा| उसके बाद यह किसी अन्य उद्देश्य के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है।

• उन्हें व्यापक परिचालन की स्वतंत्रता होगी। वे अपने स्वयं के वेतन का ढांचा तय करेंगे और पाठ्यक्रम मिश्रण और डिग्री का निर्धारण करेंगे। उच्च शिक्षा के लिए प्रतिस्पर्धी बाजार छात्रों के लिए विकल्पों में से सबसे अच्छा मिश्रण उपलब्ध कराएँगे। किसी भी सरकार द्वारा वित्त पोषित 'शैक्षिक योजनाकार' पर विशिष्ट क्षेत्रों में स्नातकों के लिए मांग की भविष्यवाणी करने के लिए एक रुपया भी खर्च नहीं किया जाएगा । इस प्रणाली से सुनिश्चित किया जायेगा कि उसी स्तर की उच्च शिक्षा प्रदान की जाए जिसे समाज सह सके। स्वतंत्र रूप से काम कर रहा तृतीयक शिक्षा बाजार और एक दूसरे से संपर्क बनाये हुए हितधारक जैसे छात्र और व्यवसायी, पाठ्यक्रम का फैसला करेंगे।

विवरण की अग्रिम घोषणा को देखते हुए, इस निजीकरण से दुनिया भर से निवेश और विशेषज्ञता को आकर्षित करने और भारत को एक ज्ञान और अनुसंधान केंद्र बनाने में मदद मिलेगी। यह राजस्व को भी महत्वपूर्ण तरीके से बढ़ा देगा क्योंकि विश्वविद्यालय भूमि अब अत्यंत मूल्यवान होगी| ये तंत्र सरकार के उच्च शिक्षा पर खर्च को लगभग खत्म कर देगा, जिससे सरकार की अन्य आवश्यक गतिविधियों के लिए धन की आपूर्ति बढ़ेगी।

फीस वृद्धि और अन्य चिंतायें निराधार हैं.

निजीकरण के उपरांत विश्वविद्यालय आसमान छूते स्तर तक फीस में वृद्धि नहीं कर पाएंगे क्योंकि (जीवित रहने के लिए) उन्हें उच्च गुणवत्ता वाले छात्रों को आकर्षित करने की जरूरत होगी। ऐसे छात्र सबसे कम संभव कीमत पर उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्राप्त करना चाहेंगे, जिससे उन्हें फीस नीचे रखने पर मजबूर होना पड़ेगा।

निजीकरण कला और दर्शन के क्षेत्र में भी पाठ्यक्रम को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करेगा। कोई भी यह नहीं कह सकता कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय में इन क्षेत्रों को नजरअंदाज किया गया है। इसके अलावा आधुनिक निजी क्षेत्र की कंपनियां प्रबंधकों के दृष्टिकोण को विस्तृत बनाने में उदार शिक्षा के मूल्य को पहचानती हैं। कला स्नातक अक्सर तकनीकी स्नातकों की तुलना में कारोबार में बेहतर करते हैं, क्योंकि नवीनता, उद्यमशीलता, नेतृत्व, प्रबंधन और रणनीतिक सोच अक्सर तकनीकी कौशल से कम और समाज और बाजार को समझने से अधिक अच्छी तरह संचालित होती है।

१४.२.२ छात्रों के लिए कम ब्याज पर ऋण

हम सभी भारतीय तृतीयक छात्रों के लिए कम ब्याज पर ऋण की सुविधा प्रदान करेंगे जो भारत में एक अच्छी तरह से संबद्ध तृतीयक शिक्षण संस्था (सह-विनियमित) में प्रवेश पाते हैं। पर ऐसी व्यवस्था बन जाने पर दोहरे नागरिकों को या ओसीएस या पीआईओ को ये लाभ नहीं दिया जायेगा| ये ऋण बांड दर के ऊपर लगभग 1 फीसदी की दर से काफी कम ब्याज वहन करेंगे। शुरू में स्थापित व्यवस्था के तहत यह ऋण सभी प्रकार की फीस, किताबों और उपकरण और मामूली रहने की लागत को कवर करेगा। सरकार की सौदेबाजी की शक्ति को देखते हुए, हम विश्वविद्यालयों को अपनी लागत कम करने और फीस नीचे रखने के लिए मजबूर करने का कार्य भी करेंगे। अगर (ऋण चूक की एक उच्च दर के कारण) भविष्य में कभी आवश्यकता पड़ती है, तो हम ऋण राशि और/या आय पात्रता पर एक उच्चतम सीमा भी निर्धारित करेंगे।

जब छात्र नौकरी पा लेगा और गरीबी रेखा से तीन गुना ऊपर(सामाजिक न्यूनतम) कमाना शुरू कर देगा तब ऋण की अदायगी आयकर प्रणाली के माध्यम से होगी। विश्वविद्यालय के छात्रों से आनेवाला आय घरों की तुलना में अधिक सुरक्षित है, क्योंकि विश्वविद्यालय के लगभग सभी स्नातकों के अच्छी तरह से कमाने की संभावना है। ऋण के प्रबंधन के लिए एक रोलिंग ऋण मॉडल इस्तेमाल किया जाएगा। हमारी सरकार के

इक्तीसवें महीने से उस वर्ष जारी किए जाने वाले संभावित ऋण की राशि के लिए दस-वर्षीय बॉन्ड जारी किये जाएंगे।

विवेकी भारतीय निवेशक संभावित तौर पर इन सुरक्षित बौंडों को खरीदेंगे, जो हर दस साल में छात्रों - जो तब तक कार्यरत हो चुके होंगे - से वसूली करके पूरे हो जायेंगे। समय के बीच की कुछेक संभावित बेमेल बातों जैसे - छात्र आय और बांड की फेस वैल्यू, इस कार्यक्रम के प्रशासन की लागत और डिफ़ॉल्ट के लिए राईट-ऑफ़ को छोड़कर इस मॉडल के पूरी तरह सफल होने में कोई संदेह नहीं है। अपनी फीस या ऋण का भुगतान करने में असमर्थ लोगों के लिए समान अवसरों में वृद्धि द्वारा उचित ठहराते हुए इस तरह की लागतों पर सब्सिडी दी जाएगी (और इन्हें संवर्द्धित रूप से कम किया जायेगा)।

डिफ़ॉल्ट के जोखिम को कम करने के लिए उठाए गए कदमों में अपनी पढ़ाई के बाद भारत छोड़ जाने वाले छात्रों को उनके ऋणों से मुकर जाने से रोकने के लिए उचित कार्रवाई के अलावा निम्नलिखित बातें शामिल होंगी:

क) हम ऐसे सभी छात्रों के पासपोर्ट पर एक विशेष पृष्ठांकन करेंगे, जो उन्हें अपने बकाया ऋण की दोगुनी राशि की बैंक गारंटी के बिना भारत छोड़ने (यहां तक कि अस्थायी रूप से भी) से रोकेगा (यदि वे स्थायी रूप से पलायन करते हैं, तो भारत के नुकसान के लिए दो खातों के इस गुणक से) और अगर वे एक घोषित अवधि के भीतर वापस आने में असफल रहते हैं, तो उसे जब्त कर लिया जाएगा। जो लोग इस तरह की गारंटी प्रदान नहीं करते, उन्हें इमिग्रेशन जांच से ही वापस भेज दिया जाएगा।

ख) इसके अलावा, हम प्रमुख पश्चिमी देशों की सरकारों के साथ कर-संधियां करेंगे, जिनसे ऐसे छात्रों की अंतरराष्ट्रीय आय भारतीय इनकम टैक्स के अधीन आये और भारतीय ऋण को चुकाया जा सके। जहां ऐसी संधियां बन जाएँगी, वहां जाने के लिए ऐसे आवागमनों का उचित रिकार्ड रखते हुए छात्रों को यात्रा प्रतिबंधों में छूट दी जाएगी।

यह ऋण प्रणाली माता पिता की आमदनी की परवाह किए बिना सभी मेधावी छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली उच्च शिक्षा प्राप्त करने में समर्थ करेगी।

सरकार के दूसरे क्रम के कार्य

सरकार के अच्छी तरह से अपने पहले क्रम के कार्यों के प्रदर्शन के बाद वह दूसरे क्रम के कार्यों पर कुछ संसाधनों को खर्च कर सकती है।

दूसरे क्रम के कार्यों में प्रमुख हैं:

1) अवसरों की उचित समानता

अच्छी तरह विनियमित बाजार आम तौर पर समान अवसर सुनिश्चित करते हैं, लेकिन कुछ मामलों में बेहद गरीबी की हालत में जी रहे लोगों के लिए सीधे समर्थन की जरूरत हो सकती है। एक वसूली मॉडल (जैसे वाउचर) अत्यधिक गरीबी को खत्म करने और गरीबों के बच्चों के लिए उच्च गुणवत्ता की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।

2) कुछ भौतिक बुनियादी ढांचे

इसके अलावा कुछ भौतिक बुनियादी ढांचे के प्रत्यक्ष प्रावधान समन्वय या समर्थन में सरकार की कुछ भूमिका हो सकती है।

१५. तीन वर्षों में अत्यधिक गरीबी को खत्म करना

जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा है, 'किसी गरीब को अगर मदद की जरूरत है तो सिर्फ इतनी कि दुनिया उसकी पीठ से उतर जाये'। ज्यादातर लोगों को सफल होने के लिए केवल एक अवसर की जरूरत है। दान आत्मा को झिंझोड़ देता है और ज्यादातर लोगों को इससे कोई लाभ नहीं होता। लेकिन भारत में नागरिकों के लिए अवसर का माहौल नहीं बनाया गया है। इसके बजाय, करदाताओं के पैसे को बड़ी मात्रा में बेसिरपैर के 'गरीबी उन्मूलन' कार्यक्रमों' पर बर्बाद किया गया है और इससे लोगों के लिए नहीं, बल्कि भ्रष्ट नौकरशाहों और नेताओं के लिए अवसर पैदा हुए हैं। रोजगार गारंटी कार्यक्रम के तहत हर गांव और व्यवस्था में भ्रष्टाचार बुरी तरह फ़ैल चुका है जिससे कार्य करने का शिष्टाचार अत्यधिक बिगड़ चुका है । इससे भी बदतर, रचनात्मक कारीगरों को - जो काम करने का अवसर मिले बिना अपनी संभावनाओं में सुधार करने में सक्षम नहीं हैं - ज़मीन खोदने और पत्थर तोड़ने के लिए कहा जाता है, जो कि अत्यंत अपमानजनक है।

हमारी नीतियां अवसर पैदा करने पर केंद्रित हैं, जिससे सीधे गरीबी से निपटने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। तथापि, ऐसे कुछ लोग हमेशा रहेंगे, जो शारीरिक, मानसिक या सांस्कृतिक निर्बलताओं से ग्रस्त हैं, और अवसर पैदा करने के लिए सबसे अच्छे प्रयासों के बावजूद उन्हें सहायता की आवश्यकता होगी। ऐसे लोगों के लिए हमें कॉस्मेटिक प्रोग्रामों की जरूरत नहीं है, जो करदाताओं के पैसे को केवल नौकरशाहों और नेताओं की जेबों में पहुँचाने का काम करें। हम सीधे अति दरिद्रता की स्थिति का खात्मा करेंगे - इसके तहत किसी को भी नहीं भुला जायेगा। हमारे नीतियां ठीक यही काम करेंगी।

१५.१ दूसरों की मदद करने में दान की हमेशा एक भूमिका रहेगी

जब हम किसी की मदद करते हैं तो देने वाला लेने वाले की तुलना में अधिक प्राप्त करता है। एक सम्माननीय समाज सब नागरिकों के बीच गरीबों की मदद करने के लिए एक सहज इच्छा को बढ़ावा देता है, और जो इच्छा भारत की नैतिक दायित्व की परंपरा में निहित है। गुरुद्वारों में लंगर और पिंगलवाड़ा जैसे दान संस्थानों ने सदियों से गरीबों के लिए चमत्कार किया है।

हम दान के लिए कर छूट का समर्थन जारी रखेंगे, ताकि वे सीधे गरीबों की मदद करते रह सकें। सामाजिक न्यूनतम(अत्यंत मितव्ययी) लागू करने के बाद भी गरीबों की सहायता करने के लिए दान की भूमिका बनी रहेगी जैसे की विशेष जरूरतों वाले लोग। हमारा सामाजिक न्यूनतम (कुछ मामूली अतिरिक्त टॉप-अप के अलावा) को एक विकलांग नीति बनाने का कोई इरादा नहीं है, विशेष रूप से तब, जब इसके आकलन में महत्वपूर्ण आत्म चेतना शामिल है। हम दान क्षेत्र द्वारा इस अंतर को भरे जाने की उम्मीद है।

इस संबंध में, दान का एक वर्ग है, जिसे विनियमित किए जाने की जरूरत है। जबकि धर्मांतरण पूरी तरह से वैध है और धार्मिक दान पर करों में छूट दी जा सकती है| पर किसी भी विदेशी प्राप्त धन को धर्मांतरण के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, और न ही गरीबों को कर मुक्त रुपयों के माध्यम से अपना धर्म बदलने के लिए रिश्वत दी जानी चाहिए। हम कानूनों में उपयुक्त संशोधन करेंगे और धार्मिक उद्देश्यों के लिए विदेशी धन के किसी भी विरूपण को सज़ा देंगे।

१५.२ सामाजिक न्यूनतम सुनिश्चित करना

चैरिटी महत्वपूर्ण है, लेकिन यह दूरदराज के गांवों या भीड़भाड़ वाली स्लम बस्तियों में दिखने वाली अति दरिद्रता के लिए एक प्रणालीगत समाधान नहीं हो सकता।

हम सरकार के पहले क्रम के कार्यों के प्रभावी कार्यान्वयन के बाद सभी भारतीयों के लिए एक सामाजिक न्यूनतम सुनिश्चित करेंगे। इसमें सबसे गरीब बच्चों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली निजी स्कूल शिक्षा और अत्यधिक गरीबी समाप्त करने के लिए एक टॉप-अप शामिल होंगे। माना कि आय की असमानतायें अलग प्रतिभा, प्रयासों, और भाग्य का एक अनिवार्य प्रतिफल हैं पर फिर भी भारत में किसी को भी अति दरिद्र होने की जरूरत नहीं है।

हम तीन साल के भीतर अत्यधिक गरीबी को समाप्त कर देंगे। इसमें मुख्य रूप से वर्तमान विशाल संख्या में दी जाने वाली सब्सिडी और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की जगह सबसे गरीब परिवारों के बैंक खातों में नकद हस्तांतरण शामिल होगा (इन निधियों में से आधी रकम घर की महिला मुखिया के लिए आवंटित की जाएगी)।

चूँकि इस काम को अंजाम देने के लिए पैसे की बड़ी रकम राष्ट्रीय स्तर पर शामिल होगी, अतः हम बीमित नागरिकों ('लाभार्थियों') के निर्धारण के लिए दुनिया की सर्वोत्तम प्रथाओं व सही वितरण के लिए लेखा परीक्षाओं की व्यवस्था करेंगे।

१५.२.१.नकारात्मक आयकर (एनआईटी प्रकार) प्रणाली

नकारात्मक आयकर की अवधारणा पर आधारित एक सामाजिक न्यूनतम हासिल करने की दिशा में मुख्य कदम नीचे दिए गए हैं:

1. लोग जो सख्त गरीब हैं और एक दिए गए वर्ष के दौरान जिन्हें इस तरह की सहायता की आवश्यकता हो सकती है, उनकी पहचान करना;

2. (गरीबी रेखा से दूरी) इन व्यक्तियों की आय गरीबी रेखा से ऊपर बढ़ाने के लिए जरूरी टॉप अप राशि का निर्धारण करना;

3. इस टॉप-अप राशि को पूरा करने के लिए निधियों की पहचान करना। इन निधियों के अब तक मौजूदा सब्सिडी और गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रमों की तुलना में काफी कम होने की संभावना है; और

4. इन लोगों के आधार कार्ड से जुड़े बैंक खाते में यह पैसा सीधे ट्रांसफर करना।

(1) पहचान में मदद करने के लिए, हर भारतीय वयस्क के लिए आयकर रिटर्न भरना अनिवार्य बनाया जाएगा। इस कार्य में सहायता करने के लिए निजी एजेंसियों को काम पर रखा जाएगा विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां अब तक आयकर रिटर्न भरना आवश्यकता नहीं था। एजेंसियों को व्यक्तियों की संपत्ति और जीवन शैली (उदाहरण के लिए) की डिजिटल फोटोग्राफी और वीडियो का आय मूल्यांकन के आंशिक सबूत के रूप में उपयोग करना होगा। एक परिसंपत्ति परीक्षण किया जायेगा, जिसमें बड़ी संपत्ति वाले, लेकिन एक खास वर्ष में कोई आय न अर्जित करने वाले व्यक्तियों को अपनी संपत्ति बेचना अनिवार्य हो जाएगा। इस तरह की संपत्ति के एक न्यूनतम स्तर से नीचे पहुँचने के बाद ही वे सामाजिक न्यूनतम के पात्र होंगे। कोई भी अगर शारीरिक रूप से सक्षम है, लेकिन काम नहीं करता है, तो वह इस पात्रता से वंचित हो जाएगा, भले ही अन्यथा वह इसके योग्य हो।

हम किसी भी कीमत पर सामाजिक न्यूनतम सिस्टम को एक कल्याण प्रणाली में गिराने की अनुमति नहीं देंगे। गरीबी रेखा को अत्यधिक गरीबी से बस थोड़ा सा ऊपर, अस्तित्व के एक बहुत मितव्ययी स्तर, से जोड़ा जाएगा, और रहने की स्थानीय लागत और मुद्रास्फीति के अनुसार समय समय पर अपडेट किया जायेगा। विकलांग व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त टॉप-अप(एक बहुत कम) दिया जाएगा, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि विकलांगों की देखभाल परिवार की जिम्मेदारी है| ये एक ऐसा क्षेत्र है, जिसमें दान की एक महत्वपूर्ण भूमिका है।

दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले प्राप्तकर्ताओं को हर पखवाड़े अपना धन लेने के लिए बैंक की निकटतम शाखा तक आने की आवश्यकता होगी। फिर भी, हम पता लगाएंगे कि क्या मोबाइल फोन को बैंक खातों और आधार पहचान पत्र के साथ जोड़ा जा सकता है, ताकि सामाजिक न्यूनतम का पात्र हर व्यक्ति मोबाइल फोन नेटवर्क के माध्यम से अपने बैंक खातों तक पहुँच सके।

एनआईटी प्रकार की प्रणाली का कुशल वितरण सुनिश्चित करने के लिए, सिद्ध क्षमता वाली भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनियों को इस प्रणाली को लागू करने के तरीके का प्रस्ताव रखने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। पहले साल के अंत तक लगभग आधा

दर्जन प्रस्तावों को चुनकर उनमें से सबसे प्रभावी तरीके का राष्ट्रीय कार्यान्वयन के लिए चयन किया जाएगा। यह उम्मीद है कि भारत का विशाल गैर सरकारी संगठन/धार्मिक दान नेटवर्क भी गरीब की पहचान करने में और सही लोगों को वितरण के लेखा परीक्षा/सत्यापन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। निजी लेखा परीक्षा एजेंसियों के माध्यम से प्रोत्साहन अनुबंध के साथ अतिरिक्त जांच को सुनिश्चित किया जायेगा तथा 'लाभार्थियों' की गलत पहचान के लिए एजेंसियों को गंभीर रूप से दंडित किया जाएगा।

ये एनआईटी प्रकार के भुगतान चौथे वर्ष में देश भर में पूरी तरह चालू हो जायेंगे और, इनके कार्यान्वयन और मूल्यांकन के एक वर्ष के बाद, सभी सब्सिडीयों और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा।

(यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यूपीए और मोदी सरकार के प्रयासों का न तो ठीक से परीक्षण किया गया है, न ही उनका कोई निर्धारित स्पष्ट लक्ष्य है और न ही वे अन्य सभी कार्यक्रमों को समाप्त करने की प्रतिबद्धता के साथ जुड़े हुए हैं।)

१६. गरीब बच्चों की उच्च गुणवत्ता वाली स्कूली शिक्षा तक पहुँच

आज ६-१४ वर्ष के आयु वर्ग में भारत के लगभग १६ प्रतिशत बच्चे, जिनकी संख्या करोड़ों में है, कभी स्कूल नहीं जा पाते। जो जाते भी हैं, उनमें से अधिकांश १२ साल की उम्र से पहले पढाई छोड़ देते हैं। जब तक भारत के लाखों करोड़ों लोग अनपढ़ या ठीक से शिक्षित नहीं हैं भारत के लिए एक सोने की चिड़िया बनना बिलकुल असंभव है|

समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए, एक सरकार के लिए यह सुनिश्चित करना ज़रूरी है कि गरीब के बच्चों को भी उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्राप्त हो।

यह जानते हुए कि यह अनिवार्य शिक्षा के बराबर नहीं है, हम भारत के सभी स्थायी निवासियों की १२वीं कक्षा या १८ साल की उम्र तक, दोनों में से जो भी पहले आता है, शिक्षा का समर्थन करेंगे। इसमें समकक्ष व्यावसायिक धाराओं का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्धता भी शामिल है।

चूंकि स्कूल शिक्षा काफी हद तक राज्य का विषय है, इसलिए यह नीति शुरू में केन्द्र सरकार के स्कूलों के लिए लागू होगी और राज्यों को इस मॉडल को अपनाने के लिए

प्रोत्साहित किया जायेगा। स्वर्ण भारत पार्टी से निर्वाचित प्रत्येक राज्य सरकार पूरी तरह से इन नीतियों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है।

इस घोषणा पत्र में उल्लिखित अन्य सभी नीतियों की तरह, स्कूल नीतिगत सुधारों को भी एक पैकेज के हिस्से के रूप में माना जाना चाहिए, उदाहरण के लिए, इसे बुनियादी शासन सुधारों से अलग नहीं माना जा सकता।

१६.१ स्कूली शिक्षा

१६.१.१ सभी स्कूलों का निजीकरण

सरकार की गरीब से गरीब के बच्चों को भी उच्च गुणवत्ता की शिक्षा मिल सके ऐसा सुनिश्चित करने में एक भूमिका है, लेकिन स्कूलों के प्रबंधन में, जिसे पूरी तरह से बाजार के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए, कोई भूमिका नहीं है। कई माता पिता अपने बच्चों को निजी स्कूलों में ही भेजना पसंद करते हैं, (चाहे उनकी आय का स्तर जो भी हो)| ऐसा इसलिए क्यूंकि निजी स्कूल आमतौर पर परिणामों के लिए अधिक जवाबदेह होते हैं । एक सरकारी स्कूल प्रणाली में शिक्षकों की स्कूल के प्रति कोई जवाबदेही नहीं होती और न ही स्कूल माता पिता के प्रति जवाबदेह होते हैं। निष्पक्ष ढंग से सैकड़ों हजारों शिक्षकों का प्रबंध करना किसी भी नौकरशाही की क्षमता से परे है। चाहे कितना भी विकेन्द्रीकरण और प्रतिनिधित्व कर लिया जाये, यह तथ्य किसी से छुपा नहीं है कि अच्छी से अच्छी सरकार प्रणालियां भी चिरकालिक अक्षमताओं से भरी पड़ी हैं - और वर्तमान शासन प्रणाली के चलते तो असक्षमता के साथ साथ भ्रष्टाचार भी बड़ा रोग बन गया है।

इसके अलावा, निजी स्कूल मालिकों को स्कूल के बुनियादी ढांचे के एक इष्टतम स्तर को बनाने और उपयोग करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है, जबकि स्कूलों के साथ जुड़ी सरकारी जमीन और इमारतों के प्रबंधन में प्रत्यक्ष अक्षमता दिखाई देती है। संक्षेप में, औसतन कोई भी सरकार निजी तौर पर प्रबंधित स्कूलों की तुलना में बेहतर कार्य नहीं कर सकती। वर्तमान सरकार प्रणाली की विफलता का सरकारी शिक्षकों के इरादों से कुछ लेना-देना नहीं है; बात सिर्फ इतनी है कि यह प्रणाली काम नहीं कर सकती।

हम स्कूलों के स्वामित्व और प्रबंधन से सरकार को पूरी तरह हटा देंगे। सभी सरकारी स्कूलों का निजीकरण यह सुनिश्चित करेगा कि भारत के सभी स्कूल पूरी तरह माता-

पिता के प्रति जवाबदेह हो जाते हैं और स्कूल शिक्षा के लिए आवंटित देश की भूमि का प्रबंधन कुशलता से होता है।

पहले ३० महीनों के दौरान, सभी सरकारी स्कूलों का, उनकी भूमि, इमारतों और उपकरणों को खुली निविदा के माध्यम से बेचने के बाद, निजीकरण किया जाएगा। इन स्कूलों में शिक्षाविदों को बिक्री-शर्तों में एक (छोटी) प्राथमिकता के माध्यम से बोली लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा। वे कम्पनियां या सोसाइटियां बनाकर स्कूल खरीदने के लिए लोन ले सकते हैं, जिसका भुगतान वे बाद में अपनी कमाई से कर सकते हैं।

बिक्री के लिए ये शर्तें लागू होंगी:

• एक स्कूल की जमीन को ५० साल तक बेचा नहीं जा सकता है, और न ही स्कूल की भूमि या भवन का स्कूल शिक्षा के अलावा अन्य किसी भी प्राथमिक प्रयोजन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है;

• स्कूल मालिक स्कूल के घंटों के बाद मंजूरी ली गई व्यावसायिक गतिविधियों को (स्थानीय सरकार द्वारा अनुमोदित) स्कूल परिसर से संचालित कर सकेंगे, जब तक कि वे इन गतिविधियों से प्राप्त धन का प्रयोग स्कूल फंड और फीस कम करने के लिए करेंगे, और;

• जिस संघ ने स्कूल खरीदा है, वह मौजूदा खरीद की तारीख से पांच साल तक पुराने स्थायी स्टाफ को हटा नहीं सकता।

इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक निजी स्कूल 'लाभ के लिए' या 'बिना लाभ के' संस्थान के रूप में कार्य करता है। एक अच्छा स्कूल यदि लाभ कमा सकता है, तो यह और अधिक अच्छे स्कूलों की आपूर्ति में कोई बाधा नहीं, बल्कि अच्छी बात है।

वित्तीय कुप्रबंधन के कारण स्कूल बंद होने के जोखिम को रोकने के लिए, प्रत्येक विद्यालय को दिवाला, आग, कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति और सार्वजनिक देयता बीमा खरीदना होगा, जिसे शुरू में एक शिक्षा नियामक द्वारा पुनर्बीमा किए जाने की आवश्यकता होगी| ये बिमा उपयुक्त उपकरणों को बनाने के लिए निजी बीमा बाजार का समन्वय करेगा जब तक स्कूल की गिरावट दरों का निजी बाजार से मूल्यांकन होता है और प्रीमियम को बेहतर बनाया जाता है। अगर किसी स्कूल के खरीदार बुरे प्रबंधक

साबित होते हैं, तो इस बीमे से स्कूल बंद होने और छात्रों को परेशानी उठाने की नौबत नहीं आएगी।

१६.१.२ नियामक

सरकारें उनकी खुद की विफलताओं पर नरम हो जाती हैं, जबकि 'बाजार' विफलताओं पर कड़ी मेहनत करते हैं। बाजार की जवाबदेही १०० प्रतिशत के करीब होती है और सरकार की ० प्रतिशत।

इसलिए एक सरकार के लिए निजी स्कूलों की गलतियाँ खोजना बहुत आसान होता है। इससे नियामक उद्योग मानकों के अधीन स्कूल की गुणवत्ता के लिए एक प्रभावी मध्यस्थ बनने में समर्थ होगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि नियामक उद्योग मानक से परे स्कूलों पर कोई अनावश्यक अपेक्षाओं / आवश्यकताओं को नहीं थोपता।

इसके अलावा, नियामक प्रारंभिक वर्षों में एक भूमिका अदा कर सकता है जिसके तहत उसे ये सुनिश्चित करना होगा कि सभी स्कूलों का वित्तीय और अन्य जोखिमों के लिए बीमा किया गया है या नहीं|

१६.१.२.१ मानक और पाठ्यक्रम

नियामक को मानकों को स्थापित करने में एक बहुत ही सीमित भूमिका निभानी चाहिए, इस बात की पुष्टि करने तक सीमित रहते हुए, कि एक स्कूल स्वयं के घोषित मानकों (उद्योग मानकों के साथ जुड़े हुए) का पालन कर रहा है।

हम शिक्षा के क्षेत्र के साथ मिलकर स्कूल उद्योग संघों द्वारा स्थापित न्यूनतम मानकों (मूल्यांकन सहित) की एक सीमा के सह-विनियमन के लिए काम करेंगे। प्रत्येक स्कूल को इन मानकों में से एक चुनना होगा (और सार्वजनिक रूप से घोषित करना होगा), और अपने अस्तित्व और अपने चुने हुए मानक दोनों के बारे में स्कूल नियामक को अधिसूचित करना होगा। अगर एक स्कूल अपने घोषित मानकों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है, तो उसे दण्डित किया जायेगा।

हम इन मानकों को प्रभावित नहीं करना चाहते, लेकिन उम्मीद करते हैं कि निम्नलिखित सिद्धांत इनमें शामिल हैं:

• किसी स्कूल को भी विशिष्ट धार्मिक प्रथाओं, जो माता-पिता के सिखाने की चीज़ है, को नहीं पढाना चाहिए;

• १८ साल की उम्र में लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए बच्चों को तैयार करने के लिए स्कूलों को स्वतंत्रता की मूल बातें और भारत के संवैधानिक लोकतंत्र के बारे में सिखाना चाहिए; और

• स्कूलों की उनकी शिक्षा का माध्यम चुनने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। हालांकि, यह आशा की जाती है कि संस्कृत (या उर्दू), हिन्दी है और एक क्षेत्रीय भाषा पर कुछ जोर देते हुए अंग्रेजी में प्रवीणता हासिल करवाई जाएगी।

यह प्रणाली इस बात को सुनिश्चित करेगी कि अंततः माता पिता अपने विकल्पों के माध्यम से पाठ्यक्रम का निर्धारण कर सकते हैं।

यदि दूरदराज के क्षेत्रों में स्कूलों के लिए कोई खरीदार नहीं मिलता है, तो वहाँ मौजूदा व्यवस्था, एक और साल के लिए जारी रहेगी और अगले साल उसे फिर से बेचने का प्रयास किया जायेगा।

१६.१.२.२ शिक्षक गुणवत्ता में सुधार

सरकार का - अल्पावधि में - उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षकों की आपूर्ति को बढ़ाने में मदद करना एक अहम भूमिका है। उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षकों की एक बड़ी संख्या की उपलब्धता के बिना, निजी स्कूल प्रणाली भी भारतीय बच्चों को अवसर की समानता देने में असफल हो जायेगी।

हम तेजी से विश्व स्तरीय स्कूल के शिक्षकों की एक सेना के अभिनव तंत्र का निर्माण करने के लिए (तीन वर्ष के भीतर) टास्क फोर्स स्थापित करेंगे जिसमें ऐसे शिक्षक शामिल होंगे जो पूरी तरह से ई-लर्निंग में भी प्रशिक्षित हों| अच्छे शिक्षकों की अधिक से अधिक आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उच्च शिक्षा प्रणाली के लिए और अधिक धन आवंटित किया जाएगा, जिसमें सुधार करके इसे और अधिक चुस्त तथा उच्च गुणवत्ता वाला बनाया जाएगा।

१६.१.३ स्कूलों में बाजार प्रतिस्पर्धा

सरकारें शिक्षा व्यवस्था में प्रवेश के लिए उच्च बाधाओं को स्थापित करते हुए प्रतिस्पर्धा को नष्ट करती हैं। हम स्कूलों को प्रतिस्पर्धा से बचने के अवसर नहीं देंगे। व्यावहारिक रूप से कोई भी स्कूल की स्थापना कर सकता है और व्यापक नियामक आवश्यकताओं के अनुपालन के अधीन शुल्क ले सकता है। इनकी कोई संख्या गिनती नहीं होगी, अर्थात किसी भी क्षेत्र में स्कूलों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। ये कड़े प्रतिस्पर्धा उपाय शैक्षिक गुणवत्ता को हानि पहुँचाने वाले किसी भी एकाधिकार या लॉबी को पैदा होने से रोकेंगे। बाजार प्रणाली के माध्यम से माता-पिता के प्रति सबसे अधिक जवाबदेह स्कूल ही सर्वाइव कर पाएंगे। हमें उम्मीद है खराब प्रबंधित स्कूलों को अधिक कुशल लोगों द्वारा खरीदा जा सकता है।

शिक्षा के निजी क्षेत्र के प्रावधान के रूप में सफल होने की उतनी ही गारंटी है, जितनी कि भारत सरकार की वर्तमान प्रणाली के विफल होने की।

१६.१.४ गरीबों के बच्चों के लिए बाल-आधारित धन

हम एनआईटी प्रकार की प्रक्रिया के माध्यम से गरीब माता-पिता की पहचान करके , डिजिटल वाउचर प्रदान करेंगे, जिन्हें किसी भी स्कूल में भुनाया जा सकेगा। इस विधि से माता-पिता द्वारा चुने गए विकल्पों का सम्मान सुनिश्चित होगा। माता-पिता से बढ़कर एक बच्चे का कोई शुभचिंतक नहीं हो सकता। अगर माता पिता दोनों ही का अपने बच्चों की उपेक्षा का एक निर्णायक रिकॉर्ड हो, केवल तभी सरकार को बच्चे की ओर से निर्णय लेने की अनुमति दी जानी चाहिए।

१६.१.४.१ बच्चों की पहचान

तीसवें महीने तक हम यह सुनिश्चित करेंगे कि इस कार्यक्रम को तैयार करने के लिए चार से अठारह साल की उम्र के बीच के प्रत्येक बच्चे को एक आधार संख्या आवंटित की गई है। अभिलेखों की संभावित हेराफेरी को रोकने के लिए यह संख्या एक डेटाबेस से जोड़ी जाएगी, जिसमें बच्चे की प्रमुख जैविक विशेषताओं के रिकॉर्ड के साथ उसकी/उसके माता-पिता के फोटो व आधार आईडी का भी लेखा होगा। (चार साल की उम्र तक पहुँचे प्रत्येक बच्चे को एक नई पहचान संख्या आवंटित की जाएगी)

१६.१.४.२ वाउचर मूल्य की गणना

इस डेटाबेस को बच्चे के माता पिता के पिछले साल के आयकर रिटर्न से जोड़ा जाएगा और स्वचालित रूप से एक विशिष्ट मूल्य का एक वाउचर जारी किया जायेगा, जो उस आय से और उस उम्र के बच्चे की संभावित शैक्षिक लागत से जुड़ा होगा। सभी वाउचरों का मूल्य अलग होगा। अधिक गरीब माता-पिता के बच्चों को अपेक्षाकृत बेहतर हालात के माता-पिता(लेकिन अभी भी गरीबी रेखा से नीचे) के बच्चों की तुलना में अधिक मूल्य का वाउचर मिलेगा। गरीब माता पिता के बच्चों के लिए धन का उच्च आवंटन इस मॉडल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह ग्रामीण क्षेत्रों या मलिन बस्तियों में विद्यालयों की स्थापना को बहुत ही आकर्षक बना देगा, क्योंकि उच्च मूल्य वाउचर वाले बच्चे ऐसे स्कूलों में दाखिला लेंगे। आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के स्कूल शिक्षकों के लिए अधिक वेतन वहन करने में सक्षम हो जायेंगे और संभवतः शहरी क्षेत्रों के स्कूलों की तुलना में और भी बेहतर शिक्षकों को आकर्षित कर पाएंगे। इस प्रकार, सभी स्कूल एक मजबूत गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने के लिए सक्षम हो जाएंगे।

बच्चे के माता-पिता की आमदनी आयकर कार्यालय के समक्ष घोषित किये जाने के बाद बच्चे के वाउचर के मूल्य के लिए एक वार्षिक समायोजन लागू किया जाएगा। स्कूल में बच्चे के लिए किए गए अतिरिक्त भुगतान को माता-पिता के भविष्य करों के माध्यम से समायोजित कर दिया जाएगा।

१६.१.४.३ किसी भी टॉप-अप का भुगतान माता-पिता द्वारा किया जायेगा

सरकारी वाउचर स्कूल के जितने खर्चे पूरे कर पाता है उसके ऊपर की सारी लागत का भुगतान माता-पिता को करना होगा। गरीब माता पिता के लिए कुछ भी भुगतान नहीं होगा, क्योंकि उनके पास उच्च मूल्य वाउचर होगा। थोड़े बेहतर हालात वाले माता पिता के बच्चों (लेकिन गरीबी रेखा से नीचे) को एक टॉप-अप राशि का भुगतान करना होगा।

१६.१.४.४ प्राइवेट प्रदाताओं द्वारा मैनेजमेंट

वाउचर प्रणाली को जवाबदेही की सख्त शर्तों के तहत निजी सेवा प्रदाताओं की एक श्रृंखला के द्वारा प्रबंधित किया जाएगा। शिक्षा नियामक इन प्रदाताओं की गुणवत्ता पर नजर रखेगा और वाउचर प्रणाली की समग्र अखंडता को सुनिश्चित करेगा। किसी भी स्तर पर धोखाधड़ी का पता चलने पर कठोर दंड लागू होगा।

सामाजिक बुनियादी ढांचा विभाग, जो स्कूल की शिक्षा के लिए कुल बजट का प्रबंधन करेगा, शिक्षा नियामक के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक स्कूल से शिक्षा प्राप्ति के न्यूनतम मानकों के परिणाम पूरे हो रहे हैं, और वाउचर ठीक से प्रशासित हो रहे हैं। शिक्षा निदेशालय और निरीक्षणालय काफी हद तक तीसवें महीने के अंत तक भंग हो जाएगा। तब तक शिक्षण और गैर शिक्षण स्टाफ के कई लोग अपेक्षाकृत बड़े संघों द्वारा नियोजित हो चुके होंगे।

१६.१.४.५ स्कूलों के लिए भुगतान प्रणाली

सभी स्कूल प्रत्येक बच्चे के लिए व्यक्तिगत रूप से प्रासंगिक वाउचर पर निर्दिष्ट राशि के लिए सरकार को बिल भेजेंगे। इससे स्कूलों को बाहर जाकर माता-पिता से अपने बच्चों को स्कूल भेजने की प्रार्थना करने का प्रोत्साहन मिलेगा जैसे बाल श्रमिकों के माता-पिता से। हम में से कितनों ने कभी सरकारी स्कूल के प्रिंसिपलों को बाहर जाकर इस तरह से माता-पिता से भीख माँगते देखा है?

जितने अधिक बच्चे इन स्कूलों में दाखिला लेते हैं और एक आपसी रूप से सहमत, स्वतंत्र जांच मानक पर पास होकर बाहर निकलते हैं, उतना ही अधिक पैसा उन्हें सरकार से प्राप्त होगा।

स्कूलों को एक बच्चे की मौत या स्कूल से स्थानांतरण की रिपोर्ट वाउचर सेवा प्रदाता को एक माह के भीतर दाखिल करने की आवश्यकता होगी। अगर कभी यह पाया गया कि एक स्कूल ने किसी वहां न पढ़ रहे बच्चे का शुल्क सरकार से वसूला है, तो स्कूल पर जुर्माना लगाया जायेगा, जिसमें स्कूल के पंजीकरण की संभावित वापसी और स्कूल मालिकों पर आपराधिक मुकदमा चलाना भी शामिल होगा।

१६.१.४.६ उन स्थानों के लिए प्लान बी जहां निजी स्कूल अपने आप नहीं उभरते

अगर कभी ऐसा होता है कि निजीकरण प्रणाली कुछ दूरदराज के क्षेत्रों में काम नहीं करती, (हालांकि कोई कारण नहीं कि ऐसा न हो पाए), तो ऐसे में निजी आपूर्तिकर्ताओं द्वारा धन के एक महत्वपूर्ण हिस्से के लिए जोखिम के साथ उत्पादन की गुणवत्ता के आधार पर एक निविदा प्रणाली के माध्यम से स्कूल शिक्षा की खरीद पर विचार किया जाएगा। इस निविदा के दो स्वतंत्र घटक होंगे: एक स्कूल भवनों और उनके रखरखाव के

लिए और दूसरा स्कूल के प्रबंधन के लिए। किसी भी घटना में, सरकार देश में कहीं भी सीधे स्कूली शिक्षा का वितरण नहीं करेगी, बल्कि गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए इसे उपलब्ध कराएगी।

१६.२ स्कूल पूर्व शिक्षा

स्कूल पूर्व शिक्षा समान अवसर की आवश्यकताओं का हिस्सा नहीं है। हालांकि, हम इस क्षेत्र के लिए शिक्षा की निजी उद्यम द्वारा की जा रही आपूर्ति के साथ, संवर्द्धित गुणवत्ता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए नियामक व्यवस्था को मजबूत करेंगे। ऐसा धर्मार्थ काम के माध्यम द्वारा भी किया जायेगा|

१७. सभी के लिए आपातकालीन स्वास्थ्य सुविधाएं; गरीबों के लिए बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं

कुछ आपातकालीन स्थितियों को छोड़कर एक सरकार का लोगों के स्वास्थ्य के प्रबंध में कदम रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक स्वतंत्र राष्ट्र के नागरिकों को अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी अपने कन्धों पर ही लेनी चाहिए, विशेष रूप से इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए बचाव काफी हद तक कारगर होता है, और इसका ध्यान खुद ही रखा जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करने से, कि चिकित्सा खर्च अपनी बचत से या बीमे के माध्यम से पूरे हो रहे हैं, लोग अपने स्वास्थ्य की देखभाल के लिए प्रेरित रहते हैं।

तथापि, इसके अलावा स्वास्थ्य मामलों में, अवसर की समानता की आवश्यकता से उत्पन्न जिम्मेदारी के रूप में अति-दरिद्र लोगों की सहायता करने के लिए सरकार की कुछ भूमिका हो सकती है।

अधिक स्पष्ट रूप से सरकार की भूमिका की पहचान करने के लिए, हम तीन श्रेणियों में स्वास्थ्य के मुद्दों पर विचार कर सकते हैं: (1) बुनियादी स्वास्थ्य और वैकल्पिक सर्जरी, (2) आपात स्थिति में अस्पताल में भर्ती, और (3) संक्रामक रोग के खिलाफ टीकाकरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य के सामान्य कार्यक्रम।

१७.१ गरीबों के लिए बुनियादी स्वास्थ्य और शल्य चिकित्सा के लिए सरकारी समर्थन

सरकार के लिए हर किसी को बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल और वैकल्पिक सर्जरी प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वास्थ्य की देखभाल दैनिक जीवन की अनेक आवश्यकताओं में से एक है, और करदाताओं के पैसे पर मिलने वाली सुविधा के कारण लोग अपने स्वयं के स्वास्थ्य का ध्यान रखने से विमुख हो सकते हैं या डॉक्टरों के पास बार-बार जाने की प्रवृत्ति दिखा सकते हैं।

जो अति-दरिद्र हैं और बुनियादी देखभाल या वैकल्पिक सर्जरी का खर्च नहीं उठा सकते, उनके लिए, सरकार की कुछ भूमिका हो सकती है, और वह भी नैतिक जोखिम के प्रति सावधान रहते हुए।

हम स्वचालित रूप से नकारात्मक आयकर वित्तपोषण के लिए पात्र लोगों को बुनियादी स्वास्थ्य बीमा और वैकल्पिक सर्जरी के लिए एक प्रीमियम का भुगतान करेंगे। अपेक्षाकृत कम गरीब (लेकिन गरीबी रेखा से नीचे) लोगों से स्कूल धन की तर्ज पर एक सह-योगदान की आवश्यकता होगी। एक बड़े खरीदार होने के नाते हम सरकारी स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र से इस सेवा के लिए प्रतिस्पर्धी कीमतों को प्राप्त करने में सक्षम होंगे।

हालांकि, मुफ्त सुविधा मिलने के कारण गरीब व्यक्ति अपने स्वास्थ्य की पर्याप्त देखभाल के प्रति लापरवाही न बरते यह सुनिश्चित करने के लिए हम अस्वास्थ्यकर जीवनशैली से होने वाले रोगों के लिए बीमा कवरेज को सीमित कर देंगे, जैसे क्रोनिक प्रतिरोधी फेफड़े के रोग (ज्यादातर धूम्रपान के कारण) और शराब से होने वाली जिगर की बीमारियाँ।

१७.२ यूनिवर्सल ट्रॉमा देखभाल और जो भुगतान कर सकते हैं उनसे लागत वसूली

प्रत्येक नागरिक या तो निजी बीमा ले सकता है या स्वास्थ्य आकस्मिकताओं के लिए स्वयं बीमा कर सकता है| हालांकि, अगर एक गंभीर रूप से बीमार या घायल को अस्पताल के दरवाजे पर लाया जाता है, जो आत्म-पहचान या बीमा की पहचान (आत्म बीमा सहित) देने की हालात में नहीं है, तो उसका इलाज करने से मना नहीं किया जा सकता।

अपने नागरिकों के जीवन की रक्षा का दायित्व सरकार का होता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी अपना जीवन केवल इस कारण खो दे कि वह समय पर धन का प्रबंध करने की हालात में ही नहीं था, सरासर गलत है| एक सरकारी सार्वभौमिक

अस्पताल में भर्ती, तत्काल उपचार और आपातकालीन देखभाल के लिए हर किसी(विदेशी नागरिकों सहित) का बीमा किया जाना चाहिए, जिसकी लागत की वसूली बाद में की जाएगी। (नोट: इस तरह के बीमे में ऐसी कोई भी परिस्थितियां, जिनके लिए रोगी या उसके परिवार द्वारा आत्म-पहचान या अग्रिम भुगतान संभव है, शामिल नहीं है, इसलिए यह केवल नायाब मामलों के लिए है।)

१७.२.१.१ ट्रॉमा देखभाल का वितरण

हमारी सरकार ट्रॉमा अस्पताल में भर्ती का काम खुद सीधे तौर पर न करके निजी उद्यम के माध्यम से इसे कराएगी, जो प्रतियोगिता उच्च रखने और लागत और नैतिक जोखिम को कम से कम रखने के सिद्धांत पर आधारित होंगे। विकल्प में विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों के भीतर लंबी अवधि के(जैसे 30 साल) लिए अनुबंध(आगे मॉडलिंग के अधीन) निविदा में शामिल होंगे। निविदा डालने के लिए देश को यथोचित आकार वाले क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। आघात सेवाएं प्रदान करने के इच्छुक, योग्य निजी स्वास्थ्य संघों को (इस क्षेत्र में हर किसी के लिए निर्धारित मानकों पर निर्धारित) एक एकल, फ्लैट प्रति व्यक्ति वार्षिक मूल्य बोली लगाने के लिए कहा जाएगा। यह दृष्टिकोण जीवन यापन की स्थानीय लागत और डॉक्टरों की नियुक्ति में स्थानीय कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए कार्य करेगा। सफल बोलीकर्ताओं को इन क्षेत्रों के लिए लंबी अवधि के अनुबंध दिए जायेंगे और, इस क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या के आधार पर मासिक आधार पर अग्रिम भुगतान किया जाएगा। इससे भुगतान में निश्चितता बनी रहेगी और उचित मात्रा में निवेश होगा।

स्वास्थ्य नियामक सेवा की गुणवत्ता और समयबद्धता की निगरानी करेंगे। सेवा मानकों का पालन न करने के लिए कठोर दंड लगाया जाएगा। यह दृष्टिकोण:

•अस्पताल में आपात भर्ती सेवाओं की आपूर्ति में प्रतिस्पर्धा बढ़ाएगा;

• और लागत को सीमाबद्ध करेगा (प्रदाताओं को मात्रा की परवाह किए बिना एक निश्चित राशि प्राप्त होगी। सामान्य तौर पर, सेवा के लिए शुल्क भुगतान जरूरत से ज्यादा इलाज, अधिक परीक्षण और अधिक दवाएं देने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देता है। तय कुल लागत मानक सेवा देते हुए अधिकतम कुशलता से परिणामों का प्रबंधन करने के लिए प्रोत्साहित करती है।

१७.२.१.२ प्रतिपूर्ति

एनआईटी प्रकार की प्रणाली के लिए पात्र व्यक्तियों को छोड़कर अन्य नागरिकों, जिनके इलाज के लिए सरकार ने मंजूरी दी थी, ठीक हो जाने पर उन्हें मानक लागत बिल भेजा जाएगा। वे उसके बाद या तो अपनी बीमा कंपनी से भुगतान करवा सकते हैं, या अगर उन्होंने आत्म बीमा चुना है, तो खुद भुगतान कर सकते हैं। सरकार इस योजना के प्रशासन की और पहचान होने से पूर्व ही उपचार के दौरान मृत्यु हो जाने वाले लोगों के इलाज की लागत खुद वहन करेगी। विदेशी नागरिक, जो आघात से ठीक होने के तुरंत बाद भुगतान नहीं करते, उनके पासपोर्ट पर यह टिप्पणी लिख दी जाएगी कि वे भुगतान का प्रमाण उपलब्ध कराने के बाद ही भारत छोड़ कर जा सकते हैं।

१७.३ सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों का निजीकरण

सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों (तीन वर्ष में पूरा करने के लक्ष्य के साथ) को स्कूलों के लिए उल्लिखित व्यापक नियामक तर्ज पर बेचा जाएगा। इन परिसंपत्तियों को खरीदने में सफल किसी भी निजी स्वास्थ्य संघ के लिए इन केंद्रों और अस्पतालों के कर्मचारियों की पांच साल तक के लिए जिम्मेदारी (प्रोत्साहन आधारित शर्तों के तहत) लेना भी आवश्यक होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस सुधार में लाखों लोगों के जीवन का सवाल शामिल है, हम यह सुनिश्चित करेंगे कि यह बदलाव अच्छी तरह से सोचा-समझा और व्यवस्थित हो।

१७.४ अन्य सार्वभौमिक स्वास्थ्य कार्यक्रम

इसके अलावा हम (निजी स्वास्थ्य प्रणाली के माध्यम से प्रदेय) शिशु मृत्यु दर को कम करने में मदद करने के लिए संक्रामक रोगों के खिलाफ बच्चों के टीकाकरण के लिए सामान्य कार्यक्रम शुरू करेंगे। साथ ही हम स्वच्छता, पोषण, मोटापा, मधुमेह, टीबी, मलेरिया, कुष्ठ रोग, उच्च रक्तचाप, नशीली दवाओं के दुरुपयोग, व्यावसायिक खतरों, कैंसर और अन्य (अक्सर रोके जा सकने वाले) स्वास्थ्य के मुद्दों के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए नागरिक समाज के प्रयासों का भी समर्थन करेंगे।

१७.५ ड्रग पॉलिसी

दवाओं को स्वीकृति मिलने में लगने वाले काफी लम्बे समय को लेकर हम चिंतित हैं। हम समीक्षा और अनुमोदन प्रक्रिया को गति देंगे। दूसरी ओर, सांप के तेल और नकली दवाओं की बिक्री - जो अक्सर खाद्य उत्पादों की आड़ में होती है - पर भी रोक लगायेंगे। हम किसी भी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी और किन्हीं भी अन्य उपचारात्मक लाभ प्रदान करने का दावा करने वाले उत्पादों के लिए औपचारिक मंजूरी लेना अनिवार्य कर देंगे। इन चरणों से भारत दुनिया के दवा उद्योग का एक प्रमुख केंद्र बन सकता है।

१७.६ स्वास्थ्य विनियमन

१७.६.१ निजी स्वास्थ्य बीमा प्रदाताओं का कड़ा विनियमन

यह सुनिश्चित करने के लिए कि निजी स्वास्थ्य उद्योग प्रतिस्पर्धात्मक रूप से संचालित होता है, हम मौजूदा कवरेज में किसी भी हानि के बिना बीमा कंपनियों को बदलने की अनुमति के साथ स्वास्थ्य बीमा बाजार को विनियमित करेंगे। साथ ही हम निजी स्वास्थ्य बीमा की कीमतों को भी (स्वास्थ्य नियामक द्वारा एक विस्तृत आकलन के बाद सरकार द्वारा अनुमोदित) विनियमित करेंगे।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि हर कोई, अगर वे चाहें तो, बीमा लेने के लिए सक्षम है, हम जनादेश जारी करेंगे कि कोई भी निजी बीमा प्रदाता किसी के आवेदन को अस्वीकार नहीं कर सकते| हालांकि वे रोगियों की कुछ श्रेणियों(उदाहरण के लिए धूम्रपान करने वालों) के लिए अलग अलग प्रीमियम रख सकते हैं। हम नए आवेदकों के लिए कुछ पूर्व मौजूदा स्थितियों को १२ महीने के लिए छोड़ सकने की भी अनुमति देंगे, ताकि बुरी तरह बीमार पड़ने के बाद बीमा लेने की कोशिश करने वाले लोगों को इस खेल से रोका जा सके। साथ ही, हम स्वास्थ्य बीमा कंपनियों को उन लोगों के लिए एक दंड प्रीमियम लागू करने की भी अनुमति देंगे (एक फ्लैट दर पर, जैसे मानक प्रीमियम की तुलना में एक तिहाई अधिक), जो ३५ की उम्र के बाद स्वास्थ्य बीमा कराते हैं|

१७.६.२ स्वास्थ्य पेशेवरों का व्यावसायिक लाइसेंसीकरण

हम स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए मौजूदा लाइसेंस आवश्यकताओं की व्यावसायिक समीक्षा करेंगे| इससे इस पेशे में किसी भी एकाधिकार की प्रवृत्ति को कम करने और सहयोगी स्टाफ के लिए स्वास्थ्य पेशेवरों की श्रेणियों को अनुमति देने में मदद मिल सकेगी जो

डॉक्टरों की देखरेख में (और आने वाले वर्षों में, उन्नत एल-आधारित कंप्यूटर)आम स्वास्थ्य समस्याओं और प्रक्रियाओं की अच्छी तरह देखभाल कर सकते हैं| इस संबंध में, हम यह सुनिश्चित करेंगे कि डॉक्टरों के अपने रोगियों को विकल्प उपलब्ध कराने पर 'नैतिक आधार' की आड़ में कोई प्रतिबंध लागू नहीं हो रहे हैं। डॉक्टरों द्वारा सभी प्रासंगिक तथ्य मरीजों को उपलब्ध कराए जाने चाहियें ताकि रोगी अपने निर्णय खुद ले सकें।

१६.६.३ खून, गुर्दे और अंगों के विनियमित बाजार और सरोगेसी का नियंत्रण

भारत में अंग विफलता वाले लोगों के लिए प्रत्यारोपण के लिए अंगों की भारी कमी है। ईरान के अनुभव और मिलान बाजारों पर हालिया साहित्य के आधार पर हम गुर्दा प्रत्यारोपण के लिए अच्छी तरह विनियमित बाजारों को स्थापित करेंगे, और उसके बाद यकृत और अन्य अंगों के बाजारों को। इससे संभवतः प्रत्येक वर्ष हजारों सैकड़ों लोगों का जीवन बचाया जा सकेगा, और नाटकीय रूप से निजी और सार्वजनिक स्वास्थ्य लागत को कम किया जा सकेगा। इसी तरह के सिद्धांतों को रक्तदान बाजार के लिए भी लागू किया जाएगा, इस बात का ध्यान रखते हुए कि दान की दरों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है। दूसरी ओर, स्वास्थ्य संबंधी मामलों में भारत में कई अनियमित बाजार हैं, जिनमें सरोगेसी भी शामिल है। हम दृढ़ता से सरोगेसी को विनियमित करेंगे, ताकि कोई मां अपने सरोगेट बच्चे को छोड़ न सके।

१७.७ दंगों या प्राकृतिक आपदाओं में मृत्यु/ घायल होने पर मुआवजा

हम विभिन्न स्थितियों और जोखिमों की पहचान करेंगे और इसके लिए बीमे के विकल्पों की समीक्षा करेंगे। इसके बाद हम दंगों और प्राकृतिक आपदाओं में मृत्यु/चोट के लिए किसी भी मुआवजे के लिए पूरी तरह से गैर विवेकाधीन प्रणाली लागू करेंगे।

१७.८ उदाहरण: शराब नीति

शराब नीति एक जटिल मामला है। कम मात्रा में शराब स्वास्थ्य के लिए अच्छी हो सकती है। पर अधिक मात्रा में यह न केवल पीने वाले को, बल्कि दूसरों को भी (जैसे परिवार, समाज) नुकसान पहुँचा सकती है। एक व्यक्ति अपनी मर्ज़ी से खुद को नुकसान पहुँचा

सकता है, लेकिन उसे दूसरों को नुकसान पहुँचाने का कोई अधिकार नहीं है। अत: इस क्षेत्र में सरकार के लिए अवश्य एक भूमिका है।

एक स्वतंत्र देश की शराब नीति का निर्धारण लागत-लाभ परीक्षण और सबूत के मूल्यांकन के आधार पर किया जाना चाहिए। सेक्स कार्यकर्ताओं पर स्वर्ण भारत पार्टी की नीति की तरह ही, हम भारत के सबसे बड़े अर्थशास्त्री चाणक्य से प्रेरणा ले सकते हैं, जिनकी पुस्तक अर्थशास्त्र में इस मुद्दे का समाधान करने के लिए एक नियामक प्रबंधन का विवरण (निषेधात्मक नहीं) दिया गया है, जो राज्य के लिए राजस्व भी जुटाता है।

निषेध बिना कीमत के नहीं होता। यह पीने वालों के एक विशाल बहुमत को, जो कम मात्रा में पीते हैं, उससे जुड़े सामाजिक और स्वास्थ्य लाभ के अनुभव से वंचित रखता है। कुछ लोग अवैध शराब को चुन लेते हैं, जो कभी कभी उनके जीवन के लिए घातक भी हो सकता है। तस्करी से होने वाले अकूत मुनाफे के कारण यह माफिया के उद्भव का कारण भी बनता है। पूरी स्वतंत्रता (जो दूसरों को नुकसान पहुँचा सकती है) और निषेध के बीच एक संतुलन बनाया जाना चाहिए।

हमारे शराब के लिए नियामक दृष्टिकोण में शामिल हैं:

1)एक व्यक्ति के अपने निजी परिसर में शराब की खपत और भंडारण के लिए किसी भी प्रकार का कोई विनियमन नहीं।

2) वयस्कों द्वारा शराब की खरीद पर कोई प्रतिबंध नहीं। इसका मतलब यह है कि शराब परमिट प्रणाली या निषेध को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा।

3) व्यापारियों और परिसर के अनुज्ञापन। हम शराब व्यापारियों और आपूर्तिकर्ताओं (पैक शराब की दुकानों, खुदरा दुकानों, पब और रेस्तरां) को स्थानीय सरकारों के साथ लाइसेंस देंगे, जिनकी उन स्थानों, जिनके लिए लाइसेंस जारी किया जाता है, का निर्धारण करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी। प्रत्येक लाइसेंसधारी को एक जोखिम मूल्यांकन और शराब की बिक्री या सेवा से उत्पन्न होने वाले जोखिमों से निपटने के लिए उचित सुविधाओं का संचालन करना आवश्यक होगा।

उदाहरण के लिए, लाइसेंस शर्तों के अनुसार इन सब बातों की आवश्यकता होगी - पर्याप्त पार्किंग की जगह और सभी ग्राहकों के लिए बैठने और आवाजाही के लिए जगह, ताकि

लोग सड़कों पर उल्टियाँ करते न घूमें; शराब परोसी जाने वाली जगह के भीतर स्वच्छ शौचालय सुविधा; पर्याप्त स्ट्रीट लाइट और उस जगह की सार्वजनिक परिवहन के लिए निकटता; जिम्मेदारीपूर्ण शराब सेवा तथा उपद्रवी ग्राहकों से निपटने में कुशलता के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना। काम करने के घंटों को स्थानीय सरकार द्वारा विनियमित किया जा सकता है। अगर उपद्रवी ग्राहक परिसर से सड़कों पर आ जाते हैं, तो संचालकों पर जुर्माना लगाया जा सकता है।

4) लाइसेंस को सह-मंजूरी देने वाली स्थानीय सरकारों के लिए शराब परोसे जाने वाले स्थलों के आसपास के क्षेत्र में पार्किंग सहित उपयुक्त सुविधाओं और पर्याप्त सड़क प्रकाश व्यवस्था को सुनिश्चित करना आवश्यक होगा।

5) पुलिस को इस तरह के प्रतिष्ठानों में शराब कानूनों को लागू करने और समुदाय और उद्योग का समर्थन करने के लिए नियमित रूप से निगरानी का काम सौंपा जाएगा। हम ज़ुल्म की रिपोर्टिंग की सुविधा मुहैया कराएँगे और हिंसा के सभी मामलों पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस सांस परीक्षणों के माध्यम से नशे में गाड़ी चलाने वालों की निगरानी करेगी। खून में निर्धारित सीमा से अधिक अल्कोहल के स्तर के लिए महत्वपूर्ण दंड लागू किया जाएगा। हालांकि, सार्वजनिक मद्यपान को एक आपराधिक समस्या न मानकर एक स्वास्थ्य या सामाजिक समस्या के रूप में उसका उपचार किया जाएगा। नशे में धुत्त लोगों को गिरफ्तार करने और एक जेल में बंद करने के बजाय स्वास्थ्य केंद्र ले जाया जा सकता है, जहां ठीक से प्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा उनका इलाज किया जा सकता है। हम शराब से संबंधित नुकसान को रोकने की पहल - मुख्य रूप से बिना लाभ वाले क्षेत्र के माध्यम से - के लिए बड़ी मात्रा में धन आबंटित करेंगे।

6) कराधान: इस बात के पुख्ता सबूत मौजूद हैं कि कीमतों में बदलाव शराब की खपत को प्रभावित करता है। दूसरी ओर, जरूरत से ज्यादा उच्च करों से, वैकल्पिक अवैध शराब, जो कभी कभी घातक भी साबित होती है, के निर्माण और विकास को बढ़ावा मिलता है। हम एक ऐसे स्तर पर शराब पर कर लगायेंगे, जो अत्यधिक शराब पीने की प्रवृत्ति पर नीचे से दबाव डालेगा, यहाँ तक कि यह भी सुनिश्चित करेगा कि ऐसी नीति के माध्यम से ऐसा संतुलन बन रहा है कि अवैध शराब या तस्करी को बढ़ावा नहीं मिल रहा है। यह आखिरकार, एक अनुभवजन्य सवाल है।

7) हम शराब विज्ञापन और विपणन को भी सीमित कर देंगे।

१८. विश्व स्तरीय भौतिक बुनियादी ढांचा

सुशासन और कानूनों के साथ–साथ अच्छी कनेक्टिविटी और बिजली और पानी की उपलब्धता एक आधुनिक देश के लिए आवश्यक है। भारत में वर्तमान बाधाओं को खत्म करने और भविष्य के लिए अतिरिक्त क्षमता प्रदान करने के लिए एक बड़े बुनियादी ढांचे की जरूरत है। इस बुनियादी ढांचे के निर्माण में काफी तेजी की जरूरत है। बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए कोई पूंजीगत समझौता(उदाहरण के लिए सर्वोत्तम संभव मशीनें)नहीं किया जा सकता। इसके निर्माण के दौरान रोजगार के कुछ अवसर पैदा हो सकते हैं, लेकिन यह इसका प्राथमिक लक्ष्य नहीं है। इसका लक्ष्य आर्थिक गतिविधि को बढ़ाना है, जिससे निर्माण के दौरान पैदा हुए रोज़गार की तुलना में कहीं अधिक लाभ अर्जित किया जा सके। दो प्रमुख नीतिगत सिद्धांत पहले नीचे दिए गए हैं, और उनके बाद विशेष बुनियादी ढांचा क्षेत्रों के लिए नीतियों की एक रूपरेखा दी गई है।

१८.१ नीति के सिद्धांत

१८.१.१ सरकार को बुनियादी ढांचे का निर्माण करने की नहीं, बल्कि केवल उसे उपलब्ध कराने व नियंत्रित करने की ज़रुरत है

कभी कभी ऐसा मान लिया जाता है कि बुनियादी ढांचे का निर्माण और रखरखाव केवल सरकार के करने का कार्य है। लेकिन हकीकत यह है कि बुनियादी सुविधाओं को भी बाजार और निजी पहल के कानूनों के अधीन होना चाहिए। भारत में सरकार की भागीदारी से बुनियादी ढांचे में गंभीर रूप से अक्षमता और बर्बादी के कारण इसमें अवरोध ही उत्पन्न हुए हैं। हमारे रेलवे, सड़क और ऊर्जा घाटे आर्थिक गतिविधि के रास्ते में एक गंभीर अनावश्यक अड़चन हैं।

जहाँ भी संभव होगा हम बुनियादी ढांचे के निर्माण और रखरखाव को निजी क्षेत्र और बाजार के सामान्य नियमों पर छोड़ देंगे। कुछ नायाब मामलों को छोड़कर, प्रत्यक्ष निर्माण और बुनियादी ढांचे के रखरखाव के सरकारी विभागों को समाप्त कर दिया जाएगा। यहां तक कि पानी, साफ-सफाई और इंटरनेट केबल बिछाने जैसे संभावित एकाधिकार के क्षेत्रों में भी हम विनियामक निरीक्षण के तहत निजी क्षेत्र की महत्वपूर्ण भागीदारी की शुरुआत

करेंगे। हम उच्च गति रेल नेटवर्क को भी सहायता देंगे, जहां ये आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और करदाता सब्सिडी के बिना होंगे।

जहां प्रतियोगी स्वामित्व और/या बुनियादी ढांचे के प्रबंधन के लिए निजी क्षेत्र का प्रवेश संभव नहीं है, हम प्रासंगिक सार्वजनिक क्षेत्र के प्रबंधकों की जवाबदेही के साथ और अधिक प्रतिस्पर्धी दरों पर परिणाम देने के लिए निजी विक्रेताओं से प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से काम की खरीद करेंगे।

कुछ स्थानीय बुनियादी ढांचे का आपातकालीन राहत के हिस्से के रूप में निर्माण किया जाना जारी रहेगा, हालांकि इस तरह की आपात स्थितियों के भविष्य में काफी कम हो जाने की संभावना है, क्योंकि हमारी सामाजिक बीमा योजना के द्वारा प्राकृतिक आपदाओं में अपना सब कुछ गवां चुके लोगों की गरीबी दूर हो जाएगी।

१८.१.२ बुनियादी ढांचे के लिए जवाबदेही प्रणाली

१८.१.२.१ सार्वजनिक प्रकटीकरण और लागत और लाभ पर परामर्श

बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर समुचित जांच के माध्यम से बड़ी रकम खर्च की जाती है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित किये जाने से पहले आवश्यक छानबीन की जाये।

हम कानून के माध्यम से एक ऐसी प्रक्रिया जारी करेंगे जो विकल्पों की आवश्यकता, उनका विश्लेषण और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण और प्रबंधन, और एक पूरी तरह से (CBA) स्वतंत्र निकाय द्वारा मूल्यांकन किये गये सामाजिक लागत लाभ विश्लेषण द्वारा यह सुनिश्चित करेगी कि करदाताओं का पैसा व्यवहार्य परियोजनाओं पर खर्च किया जा रहा है। ऐसा केवल बड़ी परियोजनाओं के लिए होगा जिन्हें विशेषताओं की एक श्रृंखला के आधार पर परिभाषित किया जायेगा|

इस विश्लेषण जानकारी का सार्वजनिक रूप से खुलासा किया जाएगा और इस पर व्यापक रूप से परामर्श किया जायेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी निर्णय लिये जाने से पहले हर कोई शामिल मुद्दों के बारे में पूरी तरह आश्वस्त है।

१८.१.२.२ बुनियादी ढांचे का मूल्य निर्धारण (बाजार कीमत वसूली)

''उपयोगकर्ता भुगतान करता है''(बाजार लागत वसूली के साथ), इस सिद्धांत को जहां भी संभव होगा, लागू किया जायेगा, जिससे आम बजट पर दबाव को कम किया जा सके।

१८.१.२.३ समय पर मंजूरी और कुशल विनियमन

एक अपारदर्शी विनियामक वातावरण, देरी से अनुमोदन, पूंजी की ऊंची लागत और भूमि अधिग्रहण में देरी भारत के बुनियादी ढांचे के घाटे के लिए कई कारणों में से एक हैं। भौतिक बुनियादी ढांचा विभाग एक समयबद्ध तरीके से सभी मंजूरियों के समन्वय के लिए जिम्मेदार होगा। विभागीय सचिव को कानून के तहत इस तरह के अनुमोदन पर अंतिम अधिकार होगा और अगर अन्य विभागों और नियामकों द्वारा कोई अनावश्यक देरी की जाती है, तो वह उनके विरुद्ध निर्णय ले सकता है।

आगे जाने के निर्णय के बाद सुव्यवस्थित प्रक्रिया में निम्न सुधार शामिल होंगे:

- सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के लिए सुव्यवस्थित भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया;
- सुव्यवस्थित, जोखिम आधारित पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रक्रिया, जो कि पर्यावरण जोखिम की भयावहता के मूल्यांकन के स्तर से मेल खाती हो;
- यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक निविदा या निजी निवेश से पहले किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी (जैसे कि बिजली परियोजनाओं के लिए ईंधन की आपूर्ति) के बारे में आश्वस्त हुआ जाये।

इससे वन्य जीवन या पर्यावरण को कोई नुकसान पहुंचे बिना तेजी से बुनियादी ढांचे का निर्माण हो सकेगा। इन नीति सिद्धांतों के माध्यम से हम कम से कम करदाता समर्थन के साथ विश्व स्तर के हवाई अड्डों, बंदरगाहों, मेट्रो, रेलवे, सड़कों, पुलों और बिजली स्टेशनों के उद्भव की उम्मीद करते हैं।

१८.२ निजी शहरों के साथ सुनियोजित शहरीकरण

शहरीकरण आर्थिक विकास की ओर जाता है और आर्थिक विकास आगे और शहरीकरण की ओर जाता है। इस अपरिहार्य कानून से लड़ने के बजाय (शहरीकरण कम करने की अपील या नीतियों के माध्यम से), हम चुस्त स्थानीय सरकारी संस्थानों का निर्माण करेंगे,

जो अर्थव्यवस्था और श्रम बाजार की बदलती संरचना को जवाब देंगे। अनुकूल शहरीकरण जाति व्यवस्था जैसे आरोपित सामाजिक भेदभाव को भी कम कर सकता है।

विश्व स्तरीय शहरों को पाने के लिए हम स्थानीय सरकारों के साथ विचार-विमर्श करके शहर की योजना को विकसित करने में राज्य सरकारों की मदद करेंगे क्यूंकि वो तीव्र आर्थिक विकास को समायोजित कर सकते हैं| एक सामान्य नियम के रूप में, भूमि के उपयोग पर कम से कम संभव क्षेत्रीकरण प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। तथापि, योजना के नियमों को सड़कों, सार्वजनिक सुविधाओं, हरे रिक्त स्थान, प्राकृतिक सुविधाओं और महत्वपूर्ण विरासत स्थलों के नियमन के लिए सबसे बढ़िया अंतरराष्ट्रीय तरीकों के साथ संगत करते हुए पर्याप्त स्थान की अनुमति चाहिए। जहां संभव होगा, हम भूमि की योजना बनाने और क्षेत्रीयकरण का कार्य आंशिक रूप से स्थानीय परिषदों को सौंपेंगे(राज्य सरकार द्वारा निर्धारित विस्तृत नीति मानकों के तहत)| ये परिषद व्यावसायिक भूमि योजनाकारों, पर्यावरण वैज्ञानिकों और बागवानी विशेषज्ञों को नियुक्त करेंगे और उत्तम स्तर की नियोजन सेवाएं प्राप्त करेंगे। बड़े शहरों के लिए एक केंद्रीय शहर योजना आयोग बनाना उपयोगी हो सकता है, जो राज्य सरकार के रणनीतिक उद्देश्यों के आधार पर व्यक्तिगत आवेदन पत्रों का निर्धारण करे।

जमशेदपुर शायद दुनिया के पहले निजी तौर पर बनाये गए शहरों में से एक था। हमें भारत में ऐसे कई शहरों की जरूरत है। शहरों के विकास और प्रबंधन में निजी क्षेत्र को शामिल करने के लिए विश्व स्तर पर प्रयोग चल रहे हैं। भारत के विशाल जनसंख्या घनत्व के कारण यहाँ प्रमुख बाधा भूमि अधिग्रहण है। चूंकि शहर लोक-कल्याण के लिए होते हैं,(एक निश्चित स्तर पर) हम कृषि अनुपयुक्त भूमि (लेकिन पर्याप्त पीने के पानी के साथ)के विशाल क्षेत्रों को राज्य सरकारों द्वारा अधिग्रहण (ग्लोबल टेंडर के माध्यम से) की अनुमति देंगे, ताकि उनका सुनियोजित शहरों के रूप में विकास हो सके। सफल निजी डेवलपर्स निवासियों से उनकी लागत वसूल कर सकते हैं| उन्हें राज्य सरकार को एक किराया और जिन किसानों की भूमि का अधिग्रहण किया गया है, उनके लिए एक वार्षिक भुगतान करना आवश्यक होगा।

१८.३ परिवहन बुनियादी ढांचा और नीति

बेहतर टेलीकॉम और आईटी के कारण आधुनिक समाज में यात्रा करने की आवश्यकता भले ही कम हो गई हो| पर इसके बावजूद भी माल और लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर सुरक्षित पहुंचना अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक होता है। गरीबों और विकलांगों के लिए परिवहन तक पहुंच विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। हम मानते हैं कि प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रगति से भविष्य में सड़कों के पूर्ण निजीकरण की पूरी संभावना है, लेकिन जब तक ऐसा होता है, कुशल परिवहन बुनियादी ढांचे को सीधे उपलब्ध कराने (या निजी उद्यम को ऐसा करने में सहयोग) में सरकार की एक अहम भूमिका है। इसके अलावा, लाल टेप में कटौती करने के लिए परिवहन नियामक ढाँचे में सुधार, सार्वजनिक परिवहन क्षेत्र में प्रवेश पर प्रतिबंध को ढीला, और आपूर्तिकर्ताओं और ग्राहकों के बीच जायज़ सौदेबाजी और किराये के निर्धारण के लिए रचनात्मक दृष्टिकोण स्थापित करने की तत्काल आवश्यकता है।

१८.३.१ आपूर्ति से जुड़ी समस्याएं

१८.३.१.१ सड़कें

ऐसा प्रतीत होता है कि भारत में सड़क निर्माण, यातायात संकेतों और यातायात निर्देशकों के लिए अक्सर सनकी मानकों को लागू किया जाता रहा है। हम जनादेश जारी करेंगे जिससे सभी सड़कें अंतरराष्ट्रीय मानकों के आधार पर ही निर्मित की जाएँगी। हमें अच्छी सड़कों की सामान्य सुविधाओं की आवश्यकता होगी, जिसमें सार्वजनिक परिवहन और उच्च क्षमता वाहनों के लिए विशेष गलियारों/गलियों और संकीर्ण सड़कों पर ओवरटेकिंग शामिल होंगे।

सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन

यातायात दुर्घटनाओं में भारत का रिकॉर्ड दुनिया में सबसे खराब रिकार्डों में से एक है। विश्व बैंक के अनुमान के अनुसार भारत हर साल सड़क दुर्घटनाओं पर अपने सकल घरेलू उत्पाद का ३ फीसदी खर्च करता है। हम नाटकीय रूप से बढ़ाये गए कार और सड़क सुरक्षा मानकों को एक लागत लाभ परीक्षण के अधीन विनियमित करेंगे।

भयानक सड़कों के अलावा, ड्राइविंग कौशल की कमी और दु:खद यातायात अनुशासन सड़क दुर्घटनाओं के प्रमुख कारण हैं। अकसर आवेदक रिश्वत द्वारा और कभी-कभी तो

ड्राइविंग परीक्षण के बिना भी ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर लेते हैं। लाइसेंस बनाने का कार्य विनियामक निरीक्षण और नियामक आवश्यकताओं के किसी भी गैर अनुपालन के लिए कड़े दंड के साथ निजी क्षेत्र को सौंप दिया जाएगा। ड्राइविंग की आदतों में विज्ञापन अभियानों, जो कि नियमों के उल्लंघन को सामाजिक रूप से अस्वीकार्य बनाते हैं, अधिक कठोर दंड और कड़े प्रवर्तन के माध्यम से सुधार किया जाएगा। आर्थिक दंड और सजा के बजाय चालक को फिर से गाड़ी चलाना सीखने और सामुदायिक सेवा का आदेश दिया जा सकता है।

लोगों की सुरक्षा और स्वास्थ्य और गरीबों की आजीविका को नष्ट करते हुए शहरों में साइकल चलाना और पैदल चलना जोखिम भरा हो गया है। उदाहरण के लिए, हाल के वर्षों में दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण तंत्र के बजटीय आवंटन का ८० प्रतिशत सड़कों और फ्लाइओवरों के लिए और सिर्फ ०.१ फीसदी साइकिल और पैदल यात्री परियोजनाओं के लिए था। हम जहाँ भी संभव होगा, विशेष साइकिल लेनों और साइकिल स्टैंडों का निर्माण करेंगे। पैदल चलने वालों के इंफ्रास्ट्रक्चर (अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार बनाया जायेगा) को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी: बेहतर फुटपाथ, सुरक्षित पार अंक, पैदल पुलों, आदि के माध्यम से ज़ेबरा क्रॉसिंग कानूनों को कड़ाई से लागू किया जाएगा और जो लोग पैदल चलने वालों के लिए नहीं रुकेंगे, उन्हें भारी जुर्माना भरना होगा।

हम लाइसेंस जारी करने और चालान लेखन एजेंसियों, यातायात अदालतों और अनुपालन इकाइयों सहित पूरी प्रवर्तन श्रृंखला के माध्यम से नवीनतम प्रौद्योगिकी (उदाहरण के लिए लाल बत्ती कैमरों) और सूचना प्रौद्योगिकी का प्रसार करेंगे। चालकों और परमिट धारकों के इतिहास का रिकॉर्ड रखा जायेगा और चालान के निपटान के समय उसे ध्यान में रखा जायेगा। कानून प्रवर्तन एजेंसियों की मदद के लिए सीसीटीवी कैमरों के नेटवर्क स्थापना की जाएगी।

पार्किंग

अधिकांश वाणिज्यिक, खरीदारी और आवासीय क्षेत्रों में पार्किंग बेहद मुश्किल है, क्योंकि मोटे तौर पर बाजार आधारित समाधान और नियामक मानकों को लागू नहीं किया जा रहा है। हम 'सड़क से बाहर' पार्किंग की मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि को प्रेरित करेंगे,

विशेष रूप से वाणिज्यिक क्षेत्रों में। आवासीय और व्यावसायिक क्षेत्रों में सभी नए भवनों के लिए पर्याप्त पार्किंग स्थान शामिल करना अनिवार्य हो जाएगा। उचित रूप से तैयार संपत्ति के अधिकार के माध्यम से घरों में निजी पार्किंग स्लॉट को बेचने या किराए पर दिए जा सकने की अनुमति दी जाएगी और चूंकि यह पूरी तरह विनियमित होगा| अतः जो लोग कारों का उपयोग नहीं करते या नहीं करना चाहते, उनका नुकसान नहीं होगा।

१८.३.१.२ हवाई अड्डे और बंदरगाह

निजी क्षेत्र हवाई अड्डों और बंदरगाहों के निर्माण व प्रबंधन के लिए पूरी तरह से सक्षम है बशर्ते उसे एकाधिकार व्यवहार को रोकने वाले नियमों का पालन करने दिया जाये| इसके तहत वो प्रतिस्पर्धा में इजाफा कर प्रगति कर सकते हैं| हमारा इरादा विशेष रूप से भारत को समुद्री यातायात में समृद्ध बनाने का है। हम बड़े कृत्रिम बंदरगाहों के निर्माण का समर्थन करेंगे। हम मौजूदा हवाई अड्डों और बंदरगाहों का जहाँ तक संभव होगा, निजीकरण कर देंगे, और प्रतिस्पर्धात्मक रूप से कई अधिक लाइसेंस जारी करेंगे। जहाँ निजीकरण आर्थिक या संभव नहीं होगा, हम घाटे में चल रही संस्थाओं की अनावश्यक सब्सिडी पर सीमा तय करेंगे।

१८.३.१.३ रेलवे

रेलवे का जापान, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे कई देशों में सफलतापूर्वक निजीकरण किया गया है। हम भारत में भी ऐसा करेंगे, जिसके विकल्पों में उसे कई अलग-अलग खण्डों में विभाजित करना शामिल हो सकता है: (1) पटरियां, कई संभावित ट्रैक ऑपरेटरों के साथ, (2) गाड़ियां, कई ट्रेन ऑपरेटरों के साथ, और (3) स्टेशनों और समन्वय प्रणालियों के साथ यात्रियों को आकर्षित करने और उनकी सुविधाओं का ध्यान रखना। यह रेलवे प्रणाली को तीव्र प्रतिस्पर्धा के दबाव के अधीन ले आयेगा, जिससे गुणवत्ता में सुधार लाने और कीमतों को कम करने में मदद मिलेगी। हम समय के साथ सभी रेल सब्सिडी को ख़त्म कर देंगे और कीमतों का निर्धारण प्रतिस्पर्धी (विनियमित) बाजार में होगा।

भारतीय ट्रेनों के शौचालय भले-चंगे इंसान के लिए भी उपयुक्त नहीं हैं, विकलांग लोगों की तो बात ही छोड़िये। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मानकों का अनुपालन करने के लिए बाकी रेलवे सुधारों के अलावा, हमें सबसे पहले ट्रेन शौचालयों को बदलने की आवश्यकता होगी।

१८.३.१.४ सार्वजनिक परिवहन और टैक्सियां

हम ऐसे शहरों की परिकल्पना कर रहे हैं, जहाँ यात्रा का एक बड़ा हिस्सा कुशल सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क के द्वारा होता है| ऐसा परिवहन नेटवर्क जो तेज, सुरक्षित, आरामदायक और सस्ता है। इसके लिए ऐसी प्रतियोगिता और समेकन की आवश्यकता है जो कम से कम प्रत्यक्ष सरकार प्रबंधन को सुनिश्चित करे। बाजार आधारित दृष्टिकोण ऑपरेटरों को, जो कि जटिल नियमों और शत्रुतापूर्ण नीतियों के भार से मुक्त हो जायेंगे, अलग-अलग सेवा स्तर और कीमतों के साथ सेवायें देने की अनुमति देगा। इस तरह के समाधानों में धीमे वाहनों के भीड़ बढ़ाने वाले प्रभाव को ध्यान में रखते हुए निजी बसों, ऑटो रिक्शा, टैक्सी और रिक्शा आदि को शामिल कर सकते हैं।

बस के क्षेत्र में, समन्वय के बिना प्रतियोगिता अक्सर एक अभिशाप साबित हो सकती है| अतः बस रैपिड ट्रांसपोर्ट के अलावा, नवीन नियामक दृष्टिकोण जैसे अंकुश लगाने का अधिकार भी लागू किया जाएगा, जिससे एक ऐसी प्रणाली बनाने में मदद मिलेगी, जो मांग को पूरा करने के साथ-साथ सेवाओं और शेड्यूलिंग में लगातार सुधार भी कर सके। सार्वजनिक परिवहन के विभिन्न साधनों के बीच समन्वय को सरकार के माध्यम से नहीं, नवीन बाजार आधारित समाधानों के माध्यम से हासिल किया जाएगा। सार्वजनिक परिवहन सुधारों के लिए किराये में ढील की आवश्यकता होती है। मूल्य निर्धारण की स्वतंत्रता के बिना कोई मांग-उत्तरदायी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली काम नहीं कर सकती।

टैक्सी और ऑटो-रिक्शा क्षेत्र में प्रवेश नि:शुल्क है| बस धोखाधड़ी से बचने के लिए एक हलके-फुल्के मूल्य विनियमन के साथ, उछाल-मूल्य-निर्धारण की तर्ज पर अधिकतम मांग के दौरान चर मूल्य निर्धारण की अनुमति दी जाये| हल्का-फुल्का लाइसेंस दृष्टिकोण सेवा मानकों को बनाए रखते हुए, मांग के साथ आपूर्ति का सबसे अधिक मिलान करने वाला साबित होगा। नियामक दृष्टिकोण बाजार में तकनीकी रूप से संभव अधिकतम प्रतिस्पर्धा की अनुमति देगा।

१८.३.२ मांग पक्ष के मुद्दे

परिवहन क्षेत्र के बुनियादी ढांचे, जैसे फ्लाईओवर, ग्रेड विभाजक, टोल सड़कों और सिंक्रनाइज़ संकेतों की आपूर्ति बढ़ाना भारत की परिवहन चुनौतियों के समाधान का केवल

एक हिस्सा हो सकता है। परिवहन के लिए आवंटित रिक्त स्थानों का बेहतरीन उपयोग करने के लिए मांग पक्ष की समस्याओं को नियंत्रित करने की जरूरत होगी।

१८.३.२.१ 'उपयोगकर्ता भुगतान करता है' सिद्धांत

'उपयोगकर्ता भुगतान करता है' के सिद्धांत के अनुरूप वाहनों और परिवहन ईंधन पर लगने वाले करों का सड़कों की लागत पूरी करने में महत्वपूर्ण योगदान होगा। यात्री वाहनों पर कर 'सीटों की संख्या' के सड़क स्थान-समय से अनुपात जैसे कारकों के आधार पर निर्धारित किया जाएगा| ये कर तेज वाहनों पर अपेक्षाकृत कम होगा क्योंकि वे कम सड़क स्थान-समय लेंगे। हालांकि, वजन एक कारक होगा। विशेष रूप से भारी वाहनों के लिए ओडोमीटर रीडिंग (यात्रा की दूरी) और ट्रक विशेषताओं (जैसे लंबाई, वजन) के संयोजन पर आधारित एक शुल्क वसूल किया जाएगा, जिससे सड़क के नुकसान की क्षतिपूर्ति में मदद मिलेगी। इस सिद्धांत से सड़कों की लागत को पूरा करने के साथ मांग प्रबंधन में भी मदद मिलेगी।

१८.३.२.२ सड़कों और पार्किंग पर भीड़ प्रभार शुल्क

कम क्षमता वाले सार्वजानिक निजी वाहनों के उच्च यातायात क्षेत्रों में उपयोग के लिए एक भीड़ प्रभार शुल्क लगाया जाएगा| ये शुल्क दिन के विभिन्न समयों के लिए अलग-अलग होगा। आधुनिक प्रौद्योगिकी संभव यातायात के प्रवाह में किसी भी व्यवधान के बिना इस तरह का शुल्क लगाना संभव बना देता है। जहां आवश्यक होगा, भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में ईवन और ऑड दिनों पर ईवन और ऑड नंबर प्लेट वाहनों के प्रवेश के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला आसान तरीका प्रयोग किया जाएगा। यह शुल्क सार्वजनिक परिवहन और चलने/साइकिल चालन के बुनियादी ढांचे को क्रॉस-सब्सिडी उपलब्ध कराएगा| इससे कई यात्रियों के लिए न केवल गतिशीलता बल्कि उच्च मूल्य के उपयोगकर्ताओं के लिए इस प्रणाली की दक्षता भी बढ़ जाएगी। इसके अलावा, सड़क के किनारे पार्किंग के लिए दिन के समय के हिसाब से बदलती फीस का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे व्यस्त समय के दौरान सड़क इस्तेमाल करने वाले यात्री अपने वाहनों की उपयुक्त गति प्राप्त करने में समर्थ होंगे।

१८.४ जल आपूर्ति हेतू बुनियादी ढांचा

अगर वैज्ञानिक रूप से जल-प्रबंधन व संचयन किया जाये तो भारत आसानी से पानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो सकता है और भूमिगत जल-स्तर भी नियमित रूप से रिचार्ज हो सकता है। आज हमारे यहाँ जल-संचयन के जो अवैज्ञानिक तरीके अपनाये जाते हैं, उनका कारण है, 'आम स्वामित्व': यानि जो कुछ आम स्वामित्व में होता है, उसकी कोई परवाह नहीं करता। इस नियम के कुछ गिने-चुने अपवादों को छोड़कर(जैसे सौराष्ट्र में एक लाख चैक डैम और खेत-तालाब जो लोगों की भागीदारी के माध्यम से बनाये गए हैं), बाकी लोगों के लिए स्थानीय जल संचयन को उचित प्रोत्साहन देने की बहुत अधिक आवश्यकता है। सामान्य तौर पर, अच्छे जल प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा जरूरी नियंत्रण और समर्थन व बुनियादी ढांचा, संपत्ति के अधिकारों का आवंटन, पानी के व्यापार के लिए बाजारों का निर्माण, सुरक्षा और(जहां आवश्यक हो) मूल्य निर्धारण के लिए विनियमन और कानून के उल्लंघन के लिए दंड लागू करने की आवश्यकता है।

१८.४.१ पीने का पानी

हमारे देश के बहुत बड़े वर्ग की सुरक्षित पीने के पानी तक पहुँच नहीं है। हम सबसे अच्छे अंतरराष्ट्रीय अनुभवों के आधार पर जहां भी संभव होगा, पानी की आपूर्ति का निजीकरण करेंगे। कम से कम, पानी के भंडारण और वितरण में निजी निवेश की सुविधा होगी। असाधारण मामलों में हमें जल संचयन में निजी निवेश को सब्सिडी देनी होगी। लोगों को घरेलू गैर-पीने के उपयोग के लिए छत के ऊपर जल-संचयन (जहां भी संभव) के लिए प्रोत्साहित करेंगे| नागरिक पानी का किफायती उपयोग करने के लिए प्रेरित हों इसके लिए हम पानी का अनावश्यक उपयोग करने वालों को अत्यधिक शुल्क देने पर मजबूर करेंगे| अत्यधिक शुल्क के डर से लोग खुद पानी बचाने के बारे में सोचेंगे और उसकी बर्बादी नहीं करेंगे|

जल स्रोतों के कारण होने वाली असाधारण समस्या वाले क्षेत्रों में सरकार की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। उदाहरण के लिए, हम भूमिगत जल में उच्च लौह मौजूदगी वाले क्षेत्रों में लोहे को कम करने की परियोजनाओं को लागू करेंगे। इसी तरह, फ्लोराइड और पानी में नमक की उच्च मात्रा से ग्रस्त गांवों में रिवर्स ऑस्मोसिस और वि-खनिजीकरण संयंत्रों को स्थापित किया जाएगा।

१८.४.२ सिंचाई

हम सिंचाई के नए बुनियादी ढांचे को बढ़ावा और/या प्रोत्साहन देंगे, और जहां संभव होगा, नदियों को आपस में जोड़ देंगे। सहकारी समितियों और पानी उपयोगकर्ता संघों के माध्यम से निजी सिंचाई और जल संचयन पहल का समर्थन किया जायेगा और उसे मजबूत बनाया जायेगा, भले ही वे उपयुक्त रूप से विनियमित किये गए हों। ड्रिप सिंचाई के बुनियादी ढांचे से शुष्क क्षेत्रों में मानसून की विफलता के प्रभाव को कम करने में सुविधा होगी।

पानी के कुशल उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए व्यापार योग्य पानी के अधिकार को पेश किया जाएगा, जिसमें शामिल होंगे: (क) एक मौजूदा संपत्ति की विशेषताओं के हिस्से के रूप में पारंपरिक पानी के अधिकार और (ख) भूजल-स्तर में कमी को दूर करने के लिए पानी का जलाशय प्रबंधन। इस तरह का व्यापार के अधिकारों का आवंटन मूल्य निर्धारण और सिंचाई के पानी के वैज्ञानिक प्रयोग के लिए एक प्रभावी समाधान है। चर मूल्य निर्धारण (प्रयोग की गई मात्रा के आधार पर) की अवधारणा पेश की जाएगी| वहीं हम एक कीमत पर निगरानी रखने वाली प्रणाली के माध्यम से कीमतों की पूरी निगरानी भी करेंगे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि चर मूल्य निर्धारण प्रयोगकर्ताओं के शोषण का साधन नहीं बन गया है।

१८.५ ऊर्जा

सरकार द्वारा सीधे उत्पादन और बिजली बेचने के बिना भी एक प्रभावी ऊर्जा प्रणाली बनाने के कई तरीके हैं। हम ऊर्जा क्षेत्र को बाजार की ताकतों के लिए खोलने के द्वारा ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे। प्रासंगिक नियमों के पालन के साथ हर किसी को बिजली का उत्पादन करने व उसे बेचने में सक्षम होना चाहिए।

इसमें देश के सभी भागों में स्थिर, विश्वसनीय और सस्ती आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए किये गए ऊर्जा के उत्पादन, पारेषण और वितरण का निजीकरण करना शामिल होगा। हम विभिन्न उद्योग क्षेत्रों को उनकी खास विशेषताओं के आधार पर विनियमित करने के लिए बाजार के नियमों पर आधारित माहौल स्थापित करेंगे| ऐसा मौहोल सर्वाधिक उत्पादक क्षमता को प्रेरित और बाजार की शक्ति को कम करता है| इसकी सहायता से हम बाजार डिजाइन की सबसे अच्छी अंतर्दृष्टि लागू करेंगे। यह विशेष रूप से ऊर्जा इंटरनेट के क्षेत्र में प्रासंगिक होगा। इसके अलावा, एक सामान्य सिद्धांत के रूप में,

ऊर्जा का उत्पादन आर्थिक रूप से व्यवहार्य होना चाहिए और भुगतान करने के लिए किसी भी अक्षमता(जैसे गरीबी) को नकारात्मक आयकर के माध्यम से अलग से संबोधित किया जाना चाहिए। भविष्य में किसी भी ऊर्जा सब्सिडी की मंजूरी नहीं दी जाएगी और तीन साल के भीतर मौजूदा सब्सिडी को चरणबद्ध तरीके से वापस ले लिया जायेगा।

१८.५.१ उत्पादन

१८.५.१.१ कोयला, तेल और गैस

कोयला एक कम लागत वाला ऊर्जा स्रोत है और सैकड़ों वर्ष की आपूर्ति के साथ भारत में आसानी से उपलब्ध है। उस के बावजूद भारत कोयला आयात करने के लिए मजबूर है। पहले कदम के रूप में, कोल इंडिया का निजीकरण किया जाएगा और इसके एकाधिकार को समाप्त कर दिया जायेगा। हम पर्यावरण और स्वास्थ्य सुरक्षा कानूनों के अनुसार, कोयले, तेल और प्राकृतिक गैस की खोज और निकासी के लिए प्रतिस्पर्धी निजी क्षेत्र को लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वातावरण का समर्थन करने के लिए हमें कोयला आधारित बिजली संयंत्रों को अपेक्षाकृत कम प्रदूषण वाले और अधिक कुशल संयंत्रों से बदलने की आवश्यकता होगी। निजीकरण के पूरा होने से भी पहले, जितनी जल्दी हो सकेगा, ऊर्जा उत्पादों और खुदरा कीमतों पर हर सरकारी नियंत्रण को समाप्त कर दिया जाएगा वो भी हर सब्सिडी के साथ।

१८.५.१.२ परमाणु और संलयन ऊर्जा

हम मानते हैं कि परमाणु ऊर्जा का काफी विस्तार किया जाना है, कम से कम जब तक ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत तकनीकी और आर्थिक रूप से (जैसे सौर या संलयन ऊर्जा) व्यवहार्य होते हैं। तथापि, इसमें अधिक लागत, परिचालन सुरक्षा, भंडारण और खर्च किये जा चुके परमाणु ईंधन के निपटान के बारे में जरूरी मुद्दों को संबोधित करना शामिल है। हमारा मानना है कि रिएक्टरों की नवीनतम पीढ़ी पहले की तुलना में ज्यादा सुरक्षित हैं, लेकिन बहुत बारीकी से इस मुद्दे पर नजर रखने के लिए ऊर्जा नियामक की आवश्यकता होगी। हम पुनर्प्रसंस्करण सहित खर्च परमाणु ईंधन के प्रबंधन के लिए सक्रिय दृष्टिकोण को बढ़ावा देंगे और भूगर्भीय अपशिष्ट भंडारों (जिन्हें सीधे सरकार द्वारा प्रबंधित किया जाना चाहिए) को मजबूत बनायेंगे। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी के

लिए, विशेष रूप से परिचालन सुरक्षा में प्रयोग किये गए परमाणु ईंधन के सुरक्षित परिवहन और लंबी अवधि के भंडारण के लिए व्यापक विनियामक निरीक्षण की आवश्यकता होगी।

हम संलयन अनुसंधान(जैसे कि इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर) को बढ़ावा देना भी जारी रखेंगे, क्योंकि जितनी जल्दी यह वाणिज्यीकरण पूरा होगा, उतना ही भारत और दुनिया के लिए बेहतर होगा।

१८.५.१.३ अक्षय ऊर्जा

सौर ऊर्जा का प्रयोग अब (या पहले से ही कुछ मामलों में बन गया है) व्यावसायिक रूप से लागत प्रभावी बनने के बहुत करीब आ चुका है। यह भारत के लिए अच्छी खबर है, जहाँ देश में हर जगह सूरज तक हमारी अच्छी-खासी पहुँच है। हम फिर भी सौर प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने में सरकार की कोई भूमिका नहीं देखते। हम उम्मीद करते हैं कि जैसे-जैसे लोग इसके लाभों को समझेंगे, बाजार में अपने-आप एक प्राकृतिक उछाल आएगा।

१८.५.२ ऊर्जा का वितरण और खुदरा बिक्री

१८.५.२.१ ट्रांसमिशन ग्रिड

हम ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रिड कनेक्शन के लिए एक छोटे से सब्सिडी भुगतान के साथ राष्ट्रीय पारेषण ग्रिड का निजीकरण करेंगे(जब तक सौर ऊर्जा एक वाणिज्यिक आधार पर भारत के सभी भागों में पहुंचता है)। गांवों के शहरीकरण या बढती समृद्धि के साथ ग्रिड से मिलने वाली ऐसी किसी भी सब्सिडी को समाप्त कर दिया जायेगा। ग्रिड के विनियमन में वोल्टेज के उतार चढ़ाव के कारण महत्वपूर्ण मशीनरी या संयंत्र में होने वाले किसी भी नुकसान के लिए दंडात्मक प्रावधान (ग्रिड मालिकों द्वारा देय) शामिल होंगे।

१८.५.२.२ थोक और खुदरा बाजार

हम एक थोक हाजिर बाजार की सुविधा उपलब्ध कराएँगे| इस सुविधा से खुदरा विक्रेता व्यक्तिगत ग्राहकों को थोक में बिजली बांटने के लिए खुद बिजली खरीद सकते हैं। प्रौद्योगिकी के विकास के साथ साथ ऐसे ग्रिड भी अपने दम पर विकसित होंगे जो

ग्राहकों को अतिरिक्त बिजली बेचने के लिए अनुमति देते हों और परिवर्तनशील मूल्य निर्धारण और मांग आधारित मूल्य निर्धारण को सक्षम बनाने के लिए स्मार्ट मीटरों का उपयोग करते हों|

१८.६ सार्वजनिक शौचालय

भारत के २४६.६ लाख परिवारों में से केवल ४६.९ प्रतिशत परिवार ही शौचालय का प्रयोग करते हैं| जबकि ४९.८ प्रतिशत खुले में शौच करते हैं और ३.२ प्रतिशत सार्वजनिक शौचालय का उपयोग करते हैं। सार्वजनिक शौचालय अत्यंत दुर्लभ हैं। उदाहरण के लिए, पूरी दिल्ली में केवल ३७१२ पुरुषों के और २६९ महिलाओं के सार्वजनिक शौचालय हैं। हम स्थानीय सरकार निरीक्षण के तहत (साथ ही, जहां आवश्यक हो, शौचालयों के निजी मालिकों के लिए लंबे समय के पट्टे के माध्यम से) - भारत भर में पर्याप्त संख्या में विश्व स्तरीय सार्वजनिक शौचालयों की सुविधा उपलब्ध कराएँगे।

१८.७ विकलांगों की सार्वजनिक बुनियादी सुविधाओं के उपयोग तक पहुँच

२०११ की जनगणना में भारत में २७ लाख विकलांग लोगों की गिनती की गई थी। उनमें से एक बड़ा हिस्सा कुछ सहायता मिलने पर अर्थव्यवस्था में भाग ले सकता है। हम उन्हें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकने में आने वाली बाधाओं को कम करके उनके लिए भी बराबरी के अवसर पैदा करेंगे। विशेष रूप से हम सभी सार्वजनिक स्थानों और परिवहन (स्वामित्व की परवाह किए बगैर) को सही नियंत्रण और अन्य तरीकों के माध्यम से उनके लिए सुलभ कर देंगे।

सरकार के तीसरे क्रम के कार्य

ये ऐसे कार्य हैं जिन्हें सरकार को नहीं करना चाहिए या करने से बचना चाहिए। इन क्षेत्रों में नागरिकों के लिए सरकार के कम से कम (केवल न्याय/सुरक्षा से संबंधित)हस्तक्षेप के साथ अपने स्वयं के मामलों का संचालन करना सबसे अच्छा होता है।

१९. क्षेत्र जहां सरकार की कोई भूमिका नहीं या बहुत सीमित भूमिका है

१९.१ कोई जनसंख्या नीति नहीं: स्वतंत्रता सारे सवालों के जवाब खुद देगी

अत्यधिक गरीबी और हताशा उच्च प्रजनन दर को जन्म देती है। निम्न दो कारक इसे कम करते हैं:

क) नीची शिशु मृत्यु दर: यह माता-पिता को आश्वासन देती है कि उनके बच्चों में से कुछ के मर जाने के कारण उन्हें बीमे के रूप में 'अतिरिक्त' बच्चे पैदा करने की जरूरत नहीं है। बच्चों को शिक्षित करने के द्वारा उत्पन्न की गई मूल्यों में वृद्धि, बच्चों की संख्या को कम करती है, क्योंकि बच्चों को शिक्षित करना महंगा कार्य है; और

ख) कौशल से संबंधित आर्थिक अवसर: जब गरीब परिवारों को यह उम्मीद होती है कि बच्चों को शिक्षित करना उनके लिए लाभकारी सिद्ध होने वाला है,(अर्थात, शिक्षा से तनख्वाह प्राप्ति हो सकती है) तो वे अपने सीमित संसाधनों को और अधिक बच्चों पर कम मात्रा में खर्च करने के बजाय कम बच्चों को शिक्षित करने में प्रयोग करना ज्यादा उचित समझते हैं।

जैसे-जैसे हमारी आर्थिक, स्वास्थ्य और शिक्षा नीतियां काम करना शुरू करेंगी, शिशु मृत्यु दर में और गिरावट होगी और शिक्षा के लिए रिटर्न में वृद्धि होगी। इससे जन्म दर में महत्वपूर्ण कमी आएगी। इन कार्यों के लिए किसी भी विशिष्ट जनसंख्या नीति की आवश्यकता नहीं है। हम परिवारों के अपने बच्चों की संख्या का चयन करने के बारे में निर्णय लेने में सरकार के सीधे हस्तक्षेप के खिलाफ हैं। लोगों के व्यक्तिगत पारिवारिक निर्णयों को 'ठीक' करना सरकार का काम नहीं है।

हमें 'परिवार नियोजन' की पहल के लिए सब्सिडी की भी जरूरत नहीं है। एक बार स्वास्थ्य व्यवस्था का निजीकरण हो जाने के बाद, सिस्टम इस मामले से अपने-आप निपट लेगा। इससे निपटने के लिए बाजार की प्रतिक्रिया पर निर्धारित नीतियां बनाई जाएँगी|

१९.१.१ बड़ी, अच्छी तरह शिक्षित जनसंख्या राष्ट्रीय 'संपत्ति' है

सही शिक्षा और प्रोत्साहन के साथ, हमारी बड़ी आबादी अकूत सम्पदा पैदा कर सकती है। जनसंख्या का आकार कोई मुद्दा नहीं है। वर्तमान में एक औसत भारतीय महिला अपने जीवनकाल में स्वतंत्रता के समय के मुकबले ७ बच्चों की बजाये केवल २.६ बच्चों को

जन्म देती है। स्वतंत्रता के बाद हासिल की गई सीमित आजादी ने भी कम, लेकिन बेहतर शिक्षित बच्चों के होने को सार्थक बना दिया है।

पश्चिमी देश, कम शिशु मृत्यु दर और उच्च शिक्षा स्तर के साथ, तेजी से घटती आबादी का सामना कर रहे हैं। वे और अधिक लोगों के लिए बेताब हैं, जिससे साबित होता है कि अच्छी तरह शिक्षित लोग एक राष्ट्र (एक पल के लिए अगर हम मनुष्य को संपत्ति मानकर विचार करते हैं) के लिए एक परिसंपत्ति हैं, दायित्व नहीं। इसके अलावा, नेटवर्किंग और संकुलन प्रभाव (बड़े, प्रतिस्पर्धी बाजार सहित) - जो केवल एक बड़ी आबादी के साथ उपलब्ध होते हैं - नवाचार और समृद्धि लाते हैं।

एक बड़ी और अच्छी तरह से शिक्षित जनसंख्या पूरे राष्ट्र के लिए एक गुणी चक्र बनाती है।

१९.१.२ गर्भपात नीति

हम उन महिलाओं के लिए एक विकल्प के रूप में गर्भपात की अनुमति को जारी रखेंगे, जो इसे चुनना चाहती हैं। भारत में गर्भपात की नीति का एक बर्बर परिणाम बालिकाओं के अत्यधिक गर्भपात (हत्या) के रूप में होता है। हम इस मुद्दे से निपटने के लिए नियामक विकल्पों पर विचार करेंगे। मुख्य रूप से, हमारा (वर्तमान में) मानना है कि इस सामाजिक मुद्दे पर महत्वपूर्ण सामाजिक सुधार की आवश्यकता है। जो नागरिक समाज संगठन इस मुद्दे से निपटने के लिए कार्य कर रहे हैं उनका नियमित कर छूट के माध्यम से समर्थन किया जाएगा।

१९.२ लोगों को अपनी सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करने में सक्षम बनाना

किसी भी सांस्कृतिक मामले में सरकार की कोई भूमिका नहीं है, और इस पर टिप्पणी करना या समर्थन देना तो निश्चित रूप से गलत है। संस्कृति के बारे में कोई भी सवाल इन बुनियादी सवालों को जन्म देते हैं: हम किसकी संस्कृति की बात कर रहे हैं, और क्यों किसी संस्कृति को बनाए रखने के लिए ऐसे लोगों को खर्च करना चाहिए जो उससे जुड़े ही नहीं हैं। यह महत्वपूर्ण है कि लोग अपने खर्च पर अपनी संस्कृति की रक्षा करें। उन्हें मदद करने के लिए, हम हमेशा की तरह कर छूट के माध्यम से नागरिक समाज की सांस्कृतिक संस्थाओं का समर्थन करना जारी रखेंगे।

१९.२.१ संस्कृति के 'प्रबंधन' से बाहर निकलना

हम सभी सरकार संचालित सांस्कृतिक निकायों को भंग कर देंगे और करदाताओं के पैसे पर चलने वाले सभी सांस्कृतिक पुरस्कारों को ख़त्म कर देंगे।

१९.२.२ धार्मिक गतिविधियों के लिए सब्सिडी की समाप्ति

धार्मिक स्वतंत्रता नीति के तहत की गई चर्चा के अनुरूप, सरकार के लिए धार्मिक गतिविधियों के सब्सीडीकरण और धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन से हट जाना बहुत महत्वपूर्ण है।

१९.२.३ पुरातात्विक विरासत का विनियामक निरीक्षण के तहत लोगों द्वारा संरक्षण

भारत की स्थापत्य और पुरातात्विक विरासत को उचित विनियामक निरीक्षण के तहत, समुदाय और निजी प्रयासों के द्वारा संरक्षित किया जाना चाहिए। जब हम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के माध्यम से प्राचीन भारतीय स्मारकों को संरक्षित कर रहे होंगे, इनमें से अधिकांश स्मारकों के संरक्षण की जिम्मेदारी लोगों को सौंप दी जाएगी| इसके लिए जरूरी और उचित नियम संवर्द्धित रूप से लोगों को वापस (मुख्य रूप से नागरिक समाज संगठन, लेकिन व्यावसायिक संगठन भी) स्थानांतरित कर दिए जाने चाहियें। इनसे जुड़ी ज्यादातर भूमि का वाणिज्यिक या अन्य सांस्कृतिक उपयोग किया जा सकने की अनुमति दी जाएगी। कुछ मामलों में, एक प्राचीन स्मारक को शारीरिक रूप से दूसरी जगह भी ले जाया जा सकता है बशर्ते उसके पूरे ढांचे को मूल रूप और आकार में दोबारा बनाया जा सकता हो|

१९.३ खेल

आम तौर पर, सरकार को खेलों का समर्थन करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

१९.३.१.१ खेल के लिए सामान्य समर्थन (न कि 'विजेताओं को चुनना')

खेल के अन्य क्षेत्रों में भी कुछ सकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं। इस की मान्यता के रूप में:

क) हम गैर-लाभकारी खेल संगठनों के लिए मानक करों में छूट प्रदान करना जारी रखेंगे;

ख) हम निजी तौर पर निर्मित खेल के बुनियादी ढांचे के लिए कम लागत और लंबी अवधि के पट्टों वाली सरकारी जमीन के रूप में एक छोटा सा योगदान प्रदान कर सकते हैं| लेकिन सिर्फ उन्हीं जमीनों के लिए जहाँ जनता के वास्तविक लाभ स्वतंत्र रूप से प्रदर्शित किये जा रहे हों वो भी मूल्यांकित व्यापार के मामले के माध्यम से|

ग) हमारी एकतरफा मुक्त व्यापार नीति के अनुरूप, सभी प्रतियोगी खेल उपकरणों पर कोई भी शेष आयात शुल्क समाप्त।

इसके अलावा यदि सरकार और कोई हस्तक्षेप करती है तो वो 'विजेताओं को चुनना' होगा, जो सरकार का नहीं, बाजार का काम है।

१९.३.१.२ राष्ट्रीय खेल निकायों का विनियमन

लोगों को अपने दम पर बाजार के सिद्धांतों पर आधारित खेल संगठनों का निर्माण और प्रबंधन करना चाहिए। क्रिकेट जैसे खेल पहले से ही ऐसा करते हैं। जो खेल सीधे बाजार द्वारा समर्थित नहीं हैं, इंटरनेट के माध्यम से उनके लिए भीड़ जुटाने पर विचार किया जा सकता है।

सरकार के लिए केवल एक छोटी सी भूमिका (नियमों की स्थापना, प्रत्यक्ष प्रबंधन नहीं) उन खेल निकायों के संबंध में हो सकती है, जो एथलीटों को अंतरराष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजना चाहते हैं। सरकार की भूमिका यह सुनिश्चित करना होगी कि स्वयं घोषित नियमों और प्रक्रियाओं का ठीक से पालन हो रहा है अथवा नहीं। हम इस बात की समीक्षा करेंगे कि क्या मौजूदा व्यवस्थाएं पर्याप्त रूप से इन प्रतियोगिताओं के लिए सबसे कुशल भारतीय खिलाड़ियों के चयन को सुनिश्चित करती हैं और साथ ही हम भारत के लोगों के लिए इन खेल संस्थाओं की व्यावसायिकता, अखंडता और जवाबदेही को भी सुनिश्चित करेंगे।

हम ऐसे निकायों के बोर्ड के लिए किसी भी सरकारी कर्मचारी की नियुक्ति को निषिद्ध कर देंगे| इसके अलावा सरकार की किसी भी खिलाड़ी के चयन में किसी भी प्रकार की भूमिका नहीं होगी। यह व्यवस्था खिलाडियों के चयन में राजनीतिक प्रभाव और पक्षपात के बार-बार किए जाने वाले दावों को दूर करने के लिए है।

इसके अलावा, सभी राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों को खत्म कर दिया जाएगा, जैसे अर्जुन पुरस्कार। हमारे बीच विजेताओं को चुनने में हमारे सेवक(सरकार) के लिए कोई भूमिका नहीं है। हम भारत के नागरिक अपने संगठनों के माध्यम से स्वयं के पुरस्कार बना सकते हैं, जिनका खुद हमारे द्वारा भुगतान किया जाता है और खिलाड़ियों द्वारा मूल्यांकन। हमारी सेवक यानि सरकार एक खेल-निपुण व्यक्ति को हमारे पैसे का उपयोग करते हुए 'पुरस्कार' देती है| ये विचार मुक्त और जवाबदेह समाज के अनुरूप बिलकुल नहीं है।

१९.४ सरकारी पुरस्कार केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है सरकार के लिए नागरिकों के बीच से विजेताओं को चुनने हेतू नियोक्ता का दायित्व निभाने के अलावा और अन्य कोई भूमिका नहीं है। सिर्फ सशस्त्र और पुलिस बलों के लिए वीरता पुरस्कार और महत्वपूर्ण योगदान के लिए सरकारी कर्मचारियों को पुरस्कार प्रदान करना सरकार के दायरे के भीतर हैं। इनके अलावा अन्य कोई भी पुरस्कार सरकार के दायरे के भीतर नहीं आता।
हम भारत रत्न और अन्य सभी नागरिक सम्मानों जैसे सभी पद्म पुरस्कार, साहित्यिक और कला पुरस्कार आदि को समाप्त कर देंगे। नागरिक अपने निजी पैसे का उपयोग करके कोई भी संगठन बनाने व किसी को भी पुरस्कार देने के लिए स्वतंत्र हैं। लोगों द्वारा दी गई मान्यता अन्य लोगों के पैसे का उपयोग करके नेताओं द्वारा दी गई मान्यता की तुलना में कहीं अधिक फायदेमंद है।

१९.५ विज्ञान, अनुसंधान एवं विकास और नवाचार

अगर भारत को वास्तव में प्रगति करनी है तो शिक्षा प्रणाली के माध्यम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण और महत्वपूर्ण सोच को आत्मसात करना जरूरी है। इस अन्यत्र उल्लिखित शैक्षिक समर्थन के लिए किसी अतिरिक्त धन की आवश्यकता नहीं है।

हालांकि, अनुसंधान एवं विकास के संबंध में कुछ बड़ी लॉबियों द्वारा अपने लाभ के लिए करदाताओं के धन का अनुचित उपयोग करने के संदिग्ध मुद्दे उठते रहे हैं। हमें स्पष्ट व्यावसायिक परिणामों वाले अनुसंधान और बिना वाणिज्यिक परिणामों वाले अनुसंधान में अंतर करने की जरूरत है। यहाँ पहले सरकार के लिए कोई सीधी भूमिका नहीं है, लेकिन बाद में एक छोटी सी भूमिका हो सकती है।

१९.५.१ अनुसंधान और नवाचार द्वारा व्यावसायिक परिणामों का समर्थन

अधिकांश वैज्ञानिक अनुसंधान को निजी खर्च पर या निजी उद्यम के माध्यम से किया जाना चाहिए। वो भी वाणिज्यिक मकसद से प्रेरित होते हुए जैसा कि इतिहास में अनुसंधान के साथ होता आया है| उपयोगी अनुसंधान को प्रेरित करने के लिए सबसे बेहतर है वैज्ञानिकों को अमीर होने का प्रोत्साहन देना। बाजार के साथ मजबूत व्यापारिक संबंध के बिना अनुसंधान अधिकतर बेकार ही चला जाता है।

अनुसंधान के लिए स्पष्ट वाणिज्यिक प्रभाव वाली कोई भी सरकारी सहायता, निजी सहायता को कम करने और करदाता के पैसे पर अपनी खोजों को पेटेंट कराकर व्यक्तिगत रूप से अमीर हो जाने वाले लोगों तक उस धन का स्थानान्तरण करने के कार्य करेगी। इससे भी बदतर ये है कि वाणिज्यिक अनुसंधान के क्षेत्रों में नौकरशाही द्वारा चयनित शोध परियोजनायें इस सारे धन को अनुदान मंजूर करने वाले कोल्हू के बैलों और औसत दर्जे के 'वैज्ञानिकों' की जेबों में पहुँचा देंगी| नौकरशाहों को तो वैसे भी अनुसंधान के कारोबार में होना ही नहीं चाहिए।

१९.५.१.१ निजी वैज्ञानिक संगठनों को बढ़ावा देना

क्योंकि वैज्ञानिक रवैया भारत के मानस में गहरे पैठा हुआ है, हम उम्मीद करते हैं कि नए ज्ञान के लिए उत्साही निजी परोपकारी प्रयासों से विज्ञान क्षेत्र के लिए धन अपने आप अर्जित हो जायेगा। हम दान के लिए मानक करों में छूट के द्वारा ऐसे नागरिक समाज वैज्ञानिक प्रयासों को बढ़ावा देंगे। हम शुद्ध अनुसंधान (किसी स्पष्ट वाणिज्यिक प्रभाव के बिना) करने वाले निजी विज्ञान संस्थानों(वाणिज्यिक सहित) के लिए कम लागत व लंबी अवधि की सरकारी जमीन के पट्टे प्रदान करने पर भी विचार करेंगे।

१९.५.१.२ बाजार आधारित नवाचार और व्यावसायिक अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा

वाणिज्यिक निहितार्थ वाले वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए हम सकल घरेलू उत्पाद के १ प्रतिशत को अनुसंधान एवं विकास पर व्यापार खर्च के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हम वैध अनुसंधान एवं विकास व्यय के लिए कर कटौती बढ़ाने और किसी भी अनुसंधान एवं विकास घाटे को पूरा करने के लिए स्टार्ट-अप बनाने की अनुमति देंगे।

इससे परे हम किसी भी व्यावसायिक अनुसंधान में पैसा नहीं लगायेंगे। नवाचार सबसे अच्छी तरह सरकार के रास्ते से हट जाने से हासिल होता है, सरकार की ख़ैरात के माध्यम से नहीं। किसी भी हाल में सरकार को विजेताओं को नहीं चुनना चाहिए, क्योंकि केवल हारने वाले सरकार चुनते हैं। सफल व्यवसायियों (उदाहरण के लिए फेसबुक या गूगल की तरह) के पास करदाताओं के पैसे मांगते हुए क्षुद्र नौकरशाहों के पीछे भागने के लिए कोई समय नहीं है। केवल असफल लोगों के पास ही सरकारी लॉबी के लिए समय है। अक्षम 'वैज्ञानिकों' के इस तरह के लालची हाथों को करदाताओं की जेब से बाहर रखा जाना चाहिए।

अगर कभी (नायाब दुर्लभ मामलों में) किसी भी कारोबार के लिए नवाचार के समर्थन के आधार पर सरकारी धन प्रदान किया भी जाता है तो इस तरह के धन या समर्थन को कभी भी अनुदान के रूप में नहीं, बल्कि इक्विटी के रूप में लेना चाहिए।

१९.५.१.३ सरकारी वैज्ञानिक संगठनों की चरणबद्ध समाप्ति

हम विदेशों में काम कर रहे भारतीय मूल के वैज्ञानिकों को राष्ट्र का निर्माण करने के लिए भारत लौटने के लिए आमंत्रित करेंगे। हमें उनके सरकारी क्षेत्र में शामिल होने के बजाय निजी संगठनों की स्थापना में शामिल होने की उम्मीद है। लेकिन जहां आवश्यक होगा हम यह (किसी भी सुरक्षा मंजूरी के अधीन) भी सुनिश्चित करेंगे कि मौजूदा सरकार संचालित वैज्ञानिक प्रतिष्ठानों को दुनिया भर में प्रतिभा के लिए खोल दिया जाए। लेकिन यह सिर्फ एक अस्थायी विकल्प हो सकता है, क्योंकि हम तीन से दस वर्षों में सरकार द्वारा चालित सभी वैज्ञानिक संगठनों के चरणबद्ध समापन के लिए प्रतिबद्ध हैं।

१९.५.२ स्पष्ट व्यावसायिक परिणामों के बिना शुद्ध अनुसंधान

सरकार द्वारा वैज्ञानिक अनुसंधान में किसी भी दृष्टि से उचित निवेश अत्यंत दुर्लभ है। वो केवल उन अनुसंधानों में निवेश कर सकते हैं जिनमें बहुत बड़ी मात्रा में निवेश की ज़रुरत है या जिसके लिए विज्ञान के पास कोई स्पष्ट जवाब नहीं है| जैसे संलयन ऊर्जा या अंतरिक्ष अनुसंधान, प्रारंभिक चरणों में करदाता के पैसे का उपयोग किया जा सकता है(हालांकि यहाँ भी, अमेरिका के अनुभव से पता चलता है कि सबसे अच्छे परिणाम

वाणिज्यिक क्षेत्र द्वारा हासिल किये जा सकते हैं, जैसे हाल ही के SpaceX के मामले में)।

इस दृष्टिकोण का मतलब है कि हम वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में किसी सरकारी पैसे का आवंटन नहीं करेंगे और इसलिए इसमें हमारी कोई भूमिका नहीं होगी।

१९.६ मानव निर्मित ग्लोबल वार्मिंग के लिए साक्ष्य आधारित दृष्टिकोण

ग्लोबल वार्मिंग का एक छोटा सा घटक, जो कि सन १८५० में शीत युग के अंत के बाद से पृथ्वी पर मौजूद है, कार्बन गहन औद्योगीकरण के कारण है। आज भी प्राकृतिक वार्मिंग चक्रों (पृथ्वी रोमन और मध्ययुगीन गर्म अवधि की तुलना में अभी भी ठंडी है) और मानव निर्मित वार्मिंग के प्रभाव के बीच स्पष्ट रूप से भेद कर पाना संभव नहीं है। इस बात के कोई पुख्ता सबूत नहीं हैं कि इंसान के किसी भी छोटे से प्रयास की वजह से हुई अतिरिक्त वार्मिंग चिंता का कारण है। यह भी पृथ्वी पर जीवन के लिए एक शुद्ध लाभ प्रदान करने में उतना ही (या अनुग्राह्यतापूर्वक अधिक) समर्थ हो सकता है, जितना ग्रह पर हरियाली बढ़ाने और जीवन में वृद्धि करने से होने की संभावना है। प्राचीन पर्यावरण में आज से अधिक मात्रा में सीओ 2 था, जो पृथ्वी पर जीवन के फलने-फूलने के लिए निर्णायक था।

हम मजबूत सबूत आधारित दृष्टिकोण रखते हुए किसी भी मामूली मानव निर्मित ग्लोबल वार्मिंग के संभावित हानिकारक प्रभावों के अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन पर ध्यान नहीं देंगे। हम अनुचित कदम उठाकर भारत को कार्बन आधारित ऊर्जा सामग्री के उपयोग में कटौती करने पर मजबूर नहीं होने देंगे। इस तरह के प्रतिबंध से लाखों भारतीयों की क्षमता को गंभीर रूप से नुकसान होगा। हम आईपीसीसी जैसे सूत्रों का दबाव अस्वीकार करते हैं, जो ऐसे कंप्यूटर मॉडलों की दलाली करते हैं, जो कि सीओ2 का स्तर तेजी से बढ़ते जाने (लेकिन जो अभी भी अतीत की तुलना में ६ गुना तक कम है) के बावजूद तापमान की गति की भविष्यवाणी करने में पूरी तरह नाकाम रहे हैं।

हम इस क्षेत्र में चल रहे अनुसंधान पर पूरी नज़र रखेंगे, लेकिन सीओ 2 उत्सर्जन को कम करने के लिए बाजार में तब तक हस्तक्षेप नहीं करेंगे (इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बाजार पहले से ही लागत बचाने की क्षमता दिखा रहा है), जब तक (क) तापमान की

सटीक भविष्यवाणी और अन्य कारकों के माध्यम से कोई निर्णायक सबूत नहीं मिल जाता है, और (ख) सभी विकसित देश पहले उनके प्रति व्यक्ति उत्सर्जन स्तर को भारत के प्रति व्यक्ति के स्तर तक नहीं ले आते। इन शर्तों में से दूसरी से कोई समझौता नहीं किया जायेगा।

भारत के लिए इस एजेंडा के परिणाम

२०. खुद पर विश्वास रखने वाला और जिम्मेदार मुक्त समाज

इस घोषणापत्र में वो सब वादे नहीं किए गए हैं जो ज्यादातर सभी राजनीतिक दल हमेशा से करते आये हैं| अन्य राजनीतिक दलों के घोषणापत्र में सदैव ही नागरिकों की बुनियादी जरूरतें और ऐसी ही और आवश्यक चीजों के बारे में आश्वासित किया जाता है| ये वादे इस बात के सूचक होते हैं कि सरकार ही हमारी माई-बाप है, हमारी करता धर्ता है, और हम सरकार के केवल नौकर मात्र हैं| ऐसी सोच का कारण इंसानियत की तरफ समाजवादी और साम्यवादी रुख इख़्तियार करना है|

इसके विपरीत, स्वर्ण भारत पार्टी सरकार को मालिक समझने वाली इस सोच के सख्त खिलाफ है| हम ये सुनिश्चित करेंगे कि सरकार अपनी सेवक वाली भूमिका का ही निर्वाहन करे| सरकार के सभी प्रतिनिधि और सरकारी कर्मचारियों को जो वेतन मिलता है वो नागरिकों द्वारा चुकाए कर्ज से ही संभव हो पाता है| ये घोषणापत्र इस बात का भी बिगुल बजाता है कि भारत में जो चापलूसी की संस्कृति विद्यमान है उसे बदलने के लिए ऐसी सरकार सत्ता में लाई जाएगी जिसके चलते लोगों का खुद पर और अपनी काबिलियत पर विश्वास बड़े| हमारी सरकार के चलते लोगों को चापलूसी की आवश्यकता नहीं अपितु सक्षमता और समर्थता की जरूरत होगी| हम सुनिश्चित करेंगे कि सरकार के जो भी अति आवश्यक दायित्व हैं वो उन्हें पूरा करे और वो भी पूर्ण जवाबदेही के साथ|

इसका मतलब ये कतई नहीं है कि बाकि राजनीतिक दलों की तरह हम बुनियादी जरूरतों को मुहैया कराने पर जोर नहीं देंगे| बल्कि हम ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करेंगे जिनसे अपार समृद्धि संभव हो ताकि नागरिक सिर्फ अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी होने पर खुश न हों| परन्तु वो भी अपने परिश्रम और नवीन सोच से पैसा कमा कर शानदार जीवन जीने के बारे में सोच सकें| हम दूसरों की भीख पर उम्मीद लगाये बैठे रहने वाली सोच

का खात्मा करना चाहते हैं| हम चाहते हैं हर भारतवासी की तकदीर उसके अपने हाथों में हो और वो सुनेहरा भविष्य प्राप्त करने की ओर अग्रसर हो|

हालाँकि ऐसे लोग जो मुक्त समाज में जोर-शोर से कोशिशें करते रहे पर फिर भी सफल होने में नाकाम रहे हैं उनके लिए हमारी कोशिश होगी सामाजिक बीमा योजना से उन्हें बुनियादी जरूरतें मुहैया कराना| ऐसा करते वक़्त इस बात का भी ध्यान रखा जायेगा कि वो सरकार पर पूरी तरह से निर्भर न हो जायें|

इस घोषणापत्र में जो थोड़े बहुत अच्छे परिणाम इस तरह की पहल से प्राप्त होंगे वो ही दिए गए हैं| ये सिर्फ उदहारण के तौर पर इस घोषणापत्र में शामिल किये गए हैं| एक बार इस घोषणापत्र में प्रस्तावित सुधार और संशोधन सरकारी प्रणाली में लागू हो जाते हैं तो फिर ऐसे सैकड़ों हजारों शानदार परिणाम देखने को मिलेंगे|

२०.१ लोग नौकरियां पैदा करेंगे न की सरकारें

जब अर्थव्यवस्था पारदर्शी और प्रतियोगी होगी तो कुशल लोग स्वयं ढेरों फायदेमंद नौकरियां उत्पन्न करेंगे| ऐसी व्यवस्था में सरकार सिर्फ नौकरियों को प्रोत्साहित करने और उन्हें योग्य बनाने का काम कर सकती है न की नौकरियां उत्पन्न करने का| इस घोषणापत्र में बताये गए कार्य भारत के लोगों को आगे बढ़ कर नौकरियां उत्पन्न करने के लिए सशक्त करेंगे| इससे वो न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी नौकरियां बना पाएंगे|

हमारे कुछ कार्य और दृष्टिकोण जो नौकरियों का समर्थन करते हैं:

- हमारी प्राथमिकता सरकार का बेहतर वित्त प्रबंधन होगा जिसमें निम्न राजस्व नीति, कम मुद्रास्फीति, बाज़ार पर आधारित ब्याज दरें और निम्न कुल क़र्ज़ भी शामिल होंगे| ये सब अत्यधिक व्यापार निवेश को प्रोत्साहित करेगा|
- सरल और सुसंगत कर व्यवस्था लागू की जाएगी जिससे काम करने का प्रोत्साहन बढ़ेगा और सरकारी सेवाओं को मजबूत राजस्व प्रदान करेगा| ये व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुकाबला करने में सक्षम होगी|
- नौकरियां उत्पन्न करने में व्यापार का बड़ा हाथ होता है इसलिए हम व्यापार का समर्थन करेंगे| ऐसा करने के लिए हम अनावश्यक नियम कानून कम कर देंगे|

परन्तु हम ग्राहकों और वातावरण की सुरक्षा के साथ साथ कर्मचारियों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करेंगे|

- हम विश्व-स्तरीय आधारिक संरचना को बढ़ावा देंगे|
- हम PSUs का निजीकरण कर सरकार को व्यापार में हस्तक्षेप करने से रोकेंगे| इस तरह से बाज़ार अच्छी, सस्ती और विविध सेवाएं प्रदान कर पाएंगे|
- एकपक्षीय निशुल्क व्यवसाय नीति अपनाई जाएगी जो प्रतियोगी और नवीन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए लाभदायक है|
- नियोक्ता और कर्मचारियों को सक्षम, संसंजक, फायदेमंद और प्रतियोगी उद्यम बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा जो कार्यक्षेत्र में सुधार लाने को भी बढ़ावा देगा|
- प्रतिस्पर्धिक बाज़ार को बढ़ावा दिया जायेगा जिसके लिए हम एकाधिकार की सोच को खत्म करेंगे और अनुचित व्यापार के तरीकों की रोकथाम करेंगे|
- हमारा लक्ष्य उच्च गुणवत्ता वाली और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगी शिक्षा और प्रशिक्षण व्यवस्था बनाना होगा| इस व्यवस्था से हम लोगों को उनकी नौकरी से जुड़े कौशल में सशक्त करेंगे और बेरोजगारों को नया परिक्षण और कौशल देकर इस काबिल बनायेंगे कि वो जीवन भर कमा खा सकें|
- हम निजी तौर पर किये जा रहे नवीनीकरण, वैज्ञानिक और तकनीकी विकास को प्रोत्साहन देंगे|
- हम भारत को निवेश के लिए एक आकर्षक वैश्विक ठिकाना बनायेंगे|

२०.२ भोजन, घर और सुरक्षा

किसी भी नागरिक की छत की जरूरत को सीधे समर्थन देने में सरकार की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए| जिस चीज की सबसे अधिक जरूरत है वो है कि गरीब से गरीब नागरिक को भी ऐसा मंच मिले जिसके बलबूते पर वो खुद अपने जीवन का निर्वाह कर सके| सरकार द्वारा प्रदान किए जा रहे शिक्षा के अवसर के भरोसे वो अपना भविष्य खुद बना सकें| वो खुद अपनी कमाई के अनुसार अपने लिए छत की व्यवस्था कर सकें फिर भले ही वो किराये पर घर क्यूँ न लें| बाज़ार ही ऐसे लोगों की जरूरतें पूरी करने के लिए अच्छी तरह सक्षम है| सरकार अगर गरीबों को छत देने के काम में जुट जाये तो वो सिर्फ करदाताओं के पैसों को बर्बाद ही करेगी|

भारत में करीब २०० लाख घरों की कमी है| इस कमी को सिर्फ तभी पूरा किया जा सकता है जब इस घोषणापत्र में दिए गए सुधारों को लागू करके वेतन उत्पन्न किया जाये, स्थानीय सरकार को सशक्त किया जाये और ज़मीन के नक़्शे की अच्छी नीतियां बनाई जायें| भारत में घरों की कमी को कम करने के लिए 3D प्रिंटिंग एक अहम भूमिका निभा सकती है बशर्ते निजी व्यापार इसके लिए जरूरी तकनीक उपलब्ध कराये|

२०.३ शिक्षा

सरकार सिर्फ गरीब से गरीब लोगों की प्राथमिक और सेकेंडरी शिक्षा का समर्थन कर सकती है| पर सिर्फ बाज़ार ही अच्छे नियम बनाकर सभी भारतीयों के उच्च शिक्षा प्राप्ति के स्वप्न को पूरा करने में सक्षम है| एक बार शिक्षा से सरकारी हस्तक्षेप खत्म हो जाये फिर हम भारत में हर स्तर पर बेहतरीन शिक्षा उपलब्ध कराने की अपेक्षा करते हैं|

२०.४ स्वास्थ्य

उन स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के अलावा जो अत्यंत गरीबों के स्वास्थ्य की देखरेख करती हैं और घातक परिस्थितियों में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करती हैं बाकि सभी भारतीयों के लिए बाज़ार ही बेहतर विकल्प है| अच्छे नियमों से संचालित बाज़ार लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा सकता है|

अध्ययन के लिए संलग्न सामग्री

SBP की प्रशिक्षण पुस्तिका डाउनलोड करें- इसमें आम तौर पर उठने वाले सभी सवालों के जवाब शामिल हैं, और ये भारत में आजादी का समर्थन करने के लिए जानकारी और विश्लेषण का व्यापक माध्यम भी उपलब्ध कराती है|